(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 29वां दिवस [संख्या 21

सोमवार,

17 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, वित्त, चिकित्सा, सहकारिता, खनिज, आयुर्वेद, खादी ग्रामोद्योग, कारागृह, कृषि, पर्यटन, आबकारी, राजस्व, स्वायत्त शासन, जन-स्वास्थ्य एवं जन-सम्पर्क विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 545

श्री हनुमान सहाय।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

श्री राम किशन।

अलवर अस्पताल

546. श्री राम किशन (भरतपुर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि 12 दिसम्बर, 1973 को यह घोषणा की गई थी कि अलवर अस्पताल को 'ए' श्रेणी में क्रमोन्नत किया जा रहा है? अगर हां, तो इस घोषणा पर अमल क्यों नहीं हुआ?

राज्य मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल): जी नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : बस ?

श्री राम किशन : मुख्य मंत्री जब अलवर गये थे किसी बैंक का उद्घाटन करने उस समय उन्होंने यह बयान दिया था कि अलवर अस्पताल को 'ए' श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा। क्या आप इससे इन्कार करते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरे पास इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिये मैंने निवेदन किया कि 'जी नहीं'।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : इन भाषणों का टेप रेकार्ड होना चाहिये।

श्री राम किशन : मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी। तो क्या आप मुख्य मंत्री से जानकारी करके उस आश्वासन को पूरा करेंगी ?

Page No 2

(2)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दो साल पहले, जब मुख्य मंत्रीजी हैल्थ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इस सम्बन्ध में जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : दोनों ही माननीय सदस्यों ने जो बताया है उसकी जानकारी प्राप्त कर जाकर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : और आयन्दा के लिये अहतियात बरता जाये।

नेक्स्ट, श्रीमती उषा प्रकाश।

श्री प्रताप सिंह।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : हलो।

श्री राम किशन : हलो ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

भरतपुर जिले के कृषकों को ऋण

547. **श्रीमती उषा प्रकाश (बैर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में लघु कृषकों को लोन सुलभ करवाने के लिये सन् 1973-74 में एक अभियान मनाया गया था ?

2. इस अभियान में कितने प्रार्थना-पत्र तैयार करवाये गये ? कृपया तहसीलवार विवरण दें।

3. इन प्रार्थना-पत्रों में से कितने प्रार्थना-पत्रों पर ऋण स्वीकृत हुआ है ? कुओं के कितने प्रार्थना-पत्रों पर किन किन तहसीलों में ऋण की प्रथम किश्त व कितने प्रार्थना-पत्र पर द्वितीय किश्त दी जा चुका है ? कृपया मय राशि के जानकारी दें।

4. बाकी बचे आवेदन पत्रों पर कब तक ऋण उपलब्ध किया जायेगा ?

कृषि मन्त्री (श्री शिव चरण माथुर): 1. जी हां।

(2) तैयार किये गये प्रार्थना पत्रों का पंचायत वार विवरण इस प्रकार है:—

नाम तहसील	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	
	सिंचाई कार्य के लिये	पशुपालन के लिये
(क) कुम्हेर	169	283
(ख) सेवर	366	261
(ग) डीग	246	2001
(घ) नगर	249	2121
(च) कामां	312	1628
(छ) बयाना	352	—
(ज) वैर	777	170
(झ) रुपवास	472	—
(ट) नदबई	225	308
(ठ) धौलपुर	322	180
(ड) बाड़ी	403	—
(ढ) बसेड़ी	285	—
(त) राजाखेड़ा	348	—
योग	4418	6952

(3) लघु सिंचाई कार्य के प्रार्थना-पत्रों में से 4399 प्रार्थना-पत्र अब तक बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। डेरी के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों में 565 से आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये। कुओं के लिए प्रार्थना पत्रों पर जिन जिन पंचायत समितियों

(श्री शिवचरण माथुर)

को ऋण की प्रथम व द्वितीय किश्तें दी जा चुकी हैं, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

(4) लघु सिंचाई के लिए स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों में से बाकी बचे प्रार्थना-पत्रों पर ए. आर. सी. पूरक योजना स्वीकृत होने पर ही ऋण वितरण सम्भव हो सकेगा पशुपालन के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों के लिए रिजर्व बैंक से मध्य कालीन ऋण सीमा प्राप्त होने पर ऋण स्वीकृत व वितरण सम्भव हो सकेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजा खेड़ा): मंत्री महोदय ने कहा है कि कुल 4418 प्रार्थना-पत्र डिपार्टमेंट को रिसीव हुए और उसमें से 4399 प्रार्थना पत्र मन्जूर कर दिये गये। तो क्या वास्तव में इन काश्तकारों को पहली किश्त दे दी गई या केवल मन्जूर शुदा फार्म पड़े हुए हैं? कितने आदमियों को पहली किश्त दी गई है? यह भी बताने की कृपा करें कि वैर पंचायत समिति के अन्दर कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, और कितने आदमियों को पहली किश्त दे दी गई, और अगर नहीं दी गई, तो किस कारण से?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने जो सूची दी है उसमें बताया गया है कि वैर तहसील में 367 आदमियों को किश्त दे दी गई है। कुल मिलाकर 2268 व्यक्तियों को पहली किश्त दी गई है जिसमें से वैर तहसील के 367 आदमियों को पहली किश्त दी गई है। जहां तक स्वीकृत होने वाले प्रार्थना-पत्रों का सवाल है, मैंने निवेदन किया कि सिंचाई कार्य के लिए 777 और पशुपालन के लिये 170 प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये।

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह जो 367 लोगों को पहली किश्त दी गई है, उनको दूसरी किश्त भी दी जायेगी, इसकी सिक्युरिटी क्या है? दूसरी किश्त न मिलने के कारण कुए अधूरे पड़े हुए हैं, जो किसी काम में नहीं आते। अगर आपके पास फन्ड्स की कमी थी तो कम प्रार्थना पत्र मंगवाते। आज हालत यह है, अध्यक्ष महोदय, कि कई कुएं अधूरे पड़े हुए हैं और न तो दूसरी किश्त मिल रही है और न ही सीमेंट मिल रहा है और काश्तकार परेशान हो रहे हैं। तो जिन लोगों को आपने पहली किश्त दी है, उनको दूसरी किश्त दे सकते हैं या नहीं?

श्री शिवचरण माथुर : ऐसा नहीं है कि दूसरी किश्त बिल्कुल ही नहीं दी गई है। सूची देखने से मालूम पड़ेगा कि 110 लोगों को दूसरी किश्त दी गई है और जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, माननीय सदस्या जानती है कि भरतपुर बैंक की पोजीशन काफी खराब है, और ए. आर. सी. की शर्तों के अनुसार यदि किसी बैंक की तरफ ओवरड्यूज रह जाते हैं तो उनको ज्यादा लोन नहीं मिलता। जब यह ओवर-ड्यूज पोजीशन ठीक होगी, तभी उनको दूसरी किश्त मिल सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ओवरड्यूज पोजीशन ठीक हो जाये ताकि बाकी लोगों को भी दूसरी किश्त मिल सके।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भरतपुर बैंक की ओवरड्यूज पोजीशन खराब हो सकती है, लेकिन आपका जो प्रोग्राम चल रहा है वह तो नया है। पुरानी ओवरड्यूज पोजीशन

Page No 4

(५)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

खराब हो सकती है, तो उससे आप इस प्रोग्राम को अलग क्यों नहीं करते ? अगर यह दोनों जुड़े रहेंगे तो काश्तकार को तो ऋण मिलेगा ही नहीं, और आपका प्रोग्राम फेल हो जायेगा। क्या इसको ठीक करने का कोई तरीका सोच रहे हैं ?

श्रीमती उषा प्रकाश : आपने भरतपुर जिले में स्पेशल स्कीम चालू कर दी, तीन चार तहसीलों में माइनर इरिगेशन की स्कीम्स शुरू कर दीं लेकिन सीमेंट की वहां व्यवस्था नहीं, सीमेंट लोगों को मिलती नहीं। तो जिन स्थानों पर आप स्पेशल स्कीम्स चला रहे हैं कम से कम वहां तो स्पेशल कोटा सीमेंट आदि का निश्चित करें।

श्री शिवचरण माथुर : यह बात सही है कि बैंक की ओवरड्यूज पोजीशन बिगड़ने के कारण इस स्कीम को धक्का लगा है और यह स्कीम बैंक लोन से इन्टर रिलेटेड है। इसलिए बैंक की व्यवस्था ठीक करना बहुत जरूरी है। भरतपुर की बैंक की हालत फानिकली खराब है और उसको जल्दी से जल्दी ठीक करके और ए. आर. सी से फाइनेन्स करवाकर योजना को पूरा करना चाहिये। इस स्कीम को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस सारी स्कीम के लिए बैंक का लोनिंग है वही माध्यम है और उसके जरिये ही लोनिंग हो सकता है। जब तक बैंक की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक इसमें दिक्कत ही रहेगी। जहां तक सीमेंट का सवाल है मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए निवेदन करूं कि अलवर और भरतपुर जिले के लिये अभियान चालू किया गया था, तो उसकी पूर्ति करने के लिए सीमेंट का स्पेशल कोटा करीब 2200 टन एलॉट किया गया था भरतपुर के लिये और करीब उतना ही अलवर के लिए एलॉट कर दिया गया था। और अगर और भी सीमेंट आवश्यक होगी तो आवश्यकता के अनुसार और भी एलॉट कर देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 2200 टन सीमेंट एलॉट किया है ? भरतपुर जिले के लिये लेकिन वह एलाटमेंट कहां का किया है ? गुजरात की फैक्टरी का जान बूझ कर के अधिकारियों के गुजरात का एलॉटमेंट किया ताकि कोटा लिफ्ट ही न हो सके। आप बता सकते हैं कि 2200 टन के अगेन्स्ट कितना कोटा लिफ्ट हुआ ?

श्री शिवचरण माथुर : इसकी जो जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है, कि कितना लिफ्ट हुआ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : जहां तक सीमेंट का सवाल है, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जब सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान में भी है तो हमारे यहां के लोगों को राजस्थान की फैक्ट्री का कोटा क्यों नहीं दिया गया ? उनको गुजरात और दूसरी जगहों की फैक्ट्रीज का कोटा क्यों दिया गया ? यह कहां तक न्यायसंगत है ?

श्रीमती उषा प्रकाश : दो पर्टीनेन्ट क्वेश्चन्स मैं पूछना चाहती हूं। आज काश्तकार बहुत परेशान हैं। क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि आने वाली बरसातों के पहले, जिन-जिन लोगों के कूए अधूरे पड़े हुए हैं उनको सीमेंट और ऋण की दूसरी किश्त उपलब्ध की जायेगी ?

दूसरी बात, बैर तहसील और बयाना तहसील का जहां तक प्रश्न है, वहां दूसरी किश्त में बहुत दिक्कत आ रही है, तो मेरा

Page No 5

(5)

(श्रीमती उषा प्रकाश)

सुझाव है कि कामर्शियल बैंक्स आज भरतपुर में काम कर रही हैं, उनसे ही आप उनको किश्त दिलवाने की व्यवस्था करें। अगर आप की भरतपुर बैंक फाइनेंशियली बीमार है और आपके पास उसके लिये न तो दवाई है, न इन्जेक्शन है, और न आक्सीजन है तो आप कामर्शियल बैंक्स से ऋण दिलवाने की व्यवस्था करें। इससे किसानों को राहत मिलेगी।

श्री शिवचरण माथुर : अभी जो माननीय सदस्या ने अपनी चिन्ता व्यक्त की उसको मैं वाजिब मानता हूं और उससे सहमति रखता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनकी चिन्ता कैसे मिटेगी ?

श्री शिवचरण माथुर : एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बैंक से अगर पहली किश्त ले ली गई है और अब दूसरी किश्त दूसरे बैंक से लेने का सवाल है इस बात के लिये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह तो जांच करने के बाद ही कहा जा सकता है। और जहां तक बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में सवाल है उस ओर निःश्चततौर से प्रयास किये जा रहे हैं। पहले साल भी ऐसे हो गयी थी उसका मेन कारण यह था कि जो रिकवरीज थीं वह अकाल होने के कारण पूरी नहीं हो सकती थीं इसलिये बैंक की आर्थिक हालत खराब हो जाना स्वाभाविक ही था, पर बाद में रिकवरीज हो जाने से ठीक हो गई थी। तो इस प्रकार अब रिकवरीज पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जल्दी ही देय स्थिति सुधरने पर दूसरी व तीसरी किश्त लोगों को दी जाने की व्यवस्था हो जायगी। जहां तक सवाल सीमेंट के आवन्टन का है। उसके बारे में मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था और आज भी कह रहा हूं कि उसकी पूर्ति हो जायगी।

एक माननीय सदस्य : आप कहते हैं कि•••····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं जब तक उन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया उसके पहले ही आपने बोलना शुरु कर दिया। आप पहले सुन तो लीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष, महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक कुओं का सवाल है उनकी पूर्ति के लिये राज्य सरकार अगर आवश्यक हुआ तो और भी सीमेंट की व्यवस्था करेगी।

श्री रामसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय को यह प्रश्न है कि आपने कहा कि बैंकों की स्थिति सुधारने की राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है तो उसके लिये क्या व्यवस्था हो रही है ? आप जरा बतायें आप उनके लिए क्या सोल्यूशन दे रहे हैं ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जबाब नहीं दिया गया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अगर आपको पता था कि बैंकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको पहले यह स्पेशल स्कीम शुरु करना ही नहीं चाहिये था। नहीं तो फिर आपने एक किश्त तो दे दी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

और बाकी की आप दे नहीं सके तो फिर इससे क्या लाभ हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने निवेदन किया कि एक साल जब रिकवरी अच्छी हुई तो किश्तें बराबर दी गई लेकिन जब दूसरे साल उनकी रिकवरी पूरी किसी कारणवश जैसे अकाल की वजह से नहीं होती हैं तो अपने आप ही बैंक की स्थिति खराब हो जायेगी। जैसे बैंक की पोजीशन सन् 72-73 में ठीक थी तो व्यवस्था हुई थी। लेकिन उसके बाद में रिकवरी पूरी नहीं हो सकी तो रकम इकट्ठी नहीं हो सकी तो बैंक की स्थिति खराब हो गयी। अब रिकवरी की पूरी कोशिश की जा रही है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को आदेश दिया है कि इसके लिये स्पेशल एफर्टस किये जायं। इसलिए मैं समझता हूं रिकवरीज होगी तो अपने आप ही बैंक की आर्थिक हालत में सुधार होगा।

(प्रश्न सं. 548)

श्री अध्यक्ष : प्रतापसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती निर्मला कुमारी।

चित्तौड़गढ़ नगर में पर्यटकों की संख्या

549. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़गढ़) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—(1) चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष कितने विदेशी तथा कितने विभिन्न प्रान्तों के पर्यटक पिछले पांच वर्षों में भ्रमण के लिये आये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) निकट भविष्य में पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिये क्या राज्य सरकार के पास कोई पर्यटन विकास की योजना है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा किया जावेगा ?

राज्य मंत्री पर्यटन (श्री जुझारसिंह) : (1) सूची सदन का मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां, पंचवर्षीय योजना काल में पूरा किया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्रीमती निर्मला कुमारी : श्रीअध्यक्ष मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि चित्तौड़गढ़ में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये राज्य सरकार कौन-कौन सी योजनाओं को हाथ में ले रही हैं ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ में पर्यटन विकासी विभिन्न योजनाओं के लिये तीन लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है जिसमें पहला चित्तौड़गढ़ के किले का विकास तथा इसके अन्तर्गत मार्गों के विकास के लिये 1.50 लाख रुपये तथा दूसरा मीरा मंदिर तथा पद्मिनी महल के समीप केन्टीन तथा शौचालय संबंधी सुविधायें निर्माण करने हेतु एक लाख रुपये तथा अन्य कुछ सुविधाओं का विकास एवं जल सुविधा संबंधी प्रावधान के लिये 50 हजार रुपये का प्रावधान है। इस प्रकार कुल मिला कर तीन लाख रुपये का प्रावधान किया गया।

श्रीमती निर्मला कुमारी: अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ एक ऐसी स्थिति में आया हुआ है कि जिससे कि उसको और अधिक

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी तरफ पर्यटक विभाग ने इसके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वह दिया जाना चाहिए। इसके अलावा गम्भीरी नदी पर रेलिंग बनाने का काम अधूरा पड़ा हुआ है इस कार्य को हाथ में लेकर उसको पूरा किया जाना चाहिये और उसे अधिक आकर्षिक बनाया जाना चाहिये। क्या राज्य सरकार इस ओर कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री कुमारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की योजना पर्यटन विभाग के पास नहीं है। इसका संबंध दूसरे डिपार्टमेंट से है। जहां तक टूरिस्टों के लिये चित्तौड़गढ़ को आकर्षक बनाने के लिये पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिये मैंने निवेदन कर दिया है कि उसके लिए तीन कामों के लिये तीन लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

प्रश्न संख्या 550

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय,

(अनुपस्थित)

कृपया आगे देखिये।

प्रश्न संख्या 551

श्री रामानन्द अग्रवाल :

(अनुपस्थित)

कृपया आगे देखिये।

श्री रामरघुनाथ।

समग्र ग्राम सहकारी समिति, सनवाड़

552. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. समग्र ग्राम सहकारी समिति सनवाड़ (मावली तहसील) के अन्तर्गत कुम्हारी, चमारी, सुथारी, चर्खा उद्योग कब से कब तक चलते रहे।

2. क्या यह सही है कि उक्त समिति खादी ग्रामोद्योग, बम्बई, के सहयोग से चलती रही है।

3. क्या यह सही है कि उक्त संस्था अब डिसॉल्व कर दी गई है और इसकी सम्पत्ति कुर्क की जाकर नीलाम की जा रही है।

राज्य मन्त्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री मूलचन्द मीणा): अध्यक्ष महोदय, इस संस्था का संबंध बम्बई, खादी एवं आयोग ग्रामोद्योग से है और हमने इसके लिये बार बार प्रयत्न किया। इसके लिये बम्बई से सम्पर्क भी किया गया लेकिन अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अत: इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : क्या निदेशक ने इसकी सूचना नहीं भेजी है ?

श्री अध्यक्ष : इसका संबंध बोम्बे से बताते हैं। प्रश्न स्थगित किया गया नेक्स्ट श्री मनोहर कोठारी।

उदयपुर नगर में चिकित्सा सुविधा

553. श्री मनोहर कोठारी : (नाथद्वारा) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मनोहर कोठारी)

1. उदयपुर नगर में जनरल हॉसपिटल के अतिरिक्त और क्या क्या चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं ? कृपया उनकी विस्तृत सूची प्रत्येक डिस्पेन्सरी में डाक्टरों की संख्या के साथ सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

2. उदयपुर की कुल जनसंख्या क्या है और वहां कितनी जन-संख्या पर एक डॉक्टर उपलब्ध है ?

3. नाथद्वारा नगर की स्थायी जन-संख्या कितनी है और बाहर से आने वाले औसत यात्रियों की संख्या क्या रहती है ? वर्तमान में वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधा को क्या सरकार उचित और पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो उसके लिये क्या किया जा रहा है ?

4. क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार के पास नाथद्वारा के गोवर्द्धन औषधालय को क्रमोन्नत कर रेफरल हॉस्पिटल बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और उस पर अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जावेगा ।

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसमें टीचिंग स्टाफ के पद सम्मिलित नहीं हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ठ 3 देखिये)

(2) जनगणना 1971 के अनुसार जनसंख्या 1,61,278 है। करीब 1414 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर है।

(3) जनगणना 1971 के अनुसार जन संख्या 18,893 है। समय समय पर यात्री आते जाते रहते हैं। अतः यात्रियों की संख्या बताना इस विभाग द्वारा सम्भव नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध सुविधायें पर्याप्त हैं।

(4) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री मनोहर लाल कोठारी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक डाक्टर की नियुक्ति का सवाल है आपने उदयपुर में 1441 लोगों पर एक डॉक्टर नियुक्त किया है। लेकिन नाथद्वारा जिसकी पॉपूलेशन बहुत अधिक है वहां पर आपने कम डाक्टरों की नियुक्ति की है। नाथद्वारा में अध्यक्ष महोदय, आसपास के गांव वाले और हमारे पूरे हिन्दुस्तान के यात्री लोग आते हैं और जो आज व्यवस्था है वह आज से चालीस वर्षों पहले भी यहां पर दो डाक्टर रहते थे अब आज से दो साल पहले आपने एक मेटरनिटी होम के अन्तर्गत कुछ शय्याएं बढ़ाने के बारे में निर्णय किया। अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में मरीजों की संख्या को देखते हुए वहां पर डॉक्टरों की कमी है। क्या आप वहां पर अभी आप अस्पताल में एक एक डॉक्टर ही उपयुक्त समझते हैं यह व्यवस्था पर्याप्त मानते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी पर्याप्त व्यवस्था की बात कही है उसे दृष्टिकोण से तो मैंने बताया नहीं है। नाथद्वारा में वैसे दो अस्पताल हैं एक तो जनरल होस्पीटल है दूसरा जनाना अस्पताल है। जहां तक इनडोर पेशेन्टों की संख्या

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

का सवाल है वहां पर पिछले तीन साल में जहां तक एक एक अस्पताल में दस दस बेड्स की व्यवस्था है उसका विवरण इस प्रकार है। सन् 1971 में 10 के अगेन्स्ट 5 पेशेन्ट इनडोर पेशेन्ट रहे। सन् 1972 में दस के अगेन्स्ट में 5 पेशेन्ट इनडोर रहे। सन् 1973 में 10 के अगेन्स्ट में 6 इनडोर पेशेन्ट रहे। यह तो हुआ जनरल होस्पीटल में। अब जनाना अस्पताल में सन् 1971 में दस के अगेंस्ट में 4 इनडोर पेशेन्ट रहे। सन् 1972 में 10 के अगेस्ट में 10 इनडोर पेशेन्ट रहे और 1973 में दस के अगेंस्ट में 7 पेशेन्ट इनडोर रहे। तो मैं समझती हूं कि आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए यह बेड्स की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है वह बात नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : यह जो आपने आंकड़े दिये हैं उसके बाद में मेटेरनिटी होम की व्यवस्था हुई है वह तो 74 में की गई है। दूसरे जो आपने प्रश्न चार के जबाब में कहा कि जी नहीं तो उसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ऐसा मुझे मुख्य मन्त्रीजी का पत्र जो मुझे मिला है उसमें लिखा है कि यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। और इसके लिए संबंधित विभाग को कार्यवाही करने के लिये लिखा जा रहा है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में लीव रिजर्व में आपने दो डाक्टर रखे हैं उसके अलावा आपने 6 डाक्टर और रिजर्व में रखे हैं तो मेरा निवेदन यह है कि वहां से दो डाक्टर आप जो कि लीव रिजर्व में हैं उनको नाथद्वारा अस्पताल में लगवा दें ताकि वह वहां पर काम करते रहें और जब कभी उनको कभी बाहर जाना पड़े तो वह वहां से चले जावें और जाकर आफिशियेट कर लें। नहीं तो बाकी के दिनों में वह नाथद्वारा अस्पताल में काम करलें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य स्वयं भी मानेंगे कि उदयपुर शहर की और नाथद्वारा की आपस में तुलना नहीं की जा सकती है। यह अनुपात बताया है मैंने कि 1414 पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। यह तो केवल अनुपात है। और इस पर एक डाक्टर अमुमन दिये जाने की कोशिश की जाती है। औसत इतना पड़ता है। जरूरत न हो तब भी यह दिया जाय, यह जरूरी नहीं है। क्रमोन्नत करके इसको रेफरल हॉस्पीटल बनाने का सवाल है जहां तक, पहले जो प्राथमिक हैल्थ सेन्टर हैं और पंचायत समितियों में कायम हैं उनको क्रमोन्नत करके रेफरल हॉस्पिटल बनाया जायगा। नाथद्वारा पंचायत समिति के तौर पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के रूप में नहीं है इसलिए इसको रेफरल होस्पिटल बनाने का विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय मंत्री महोदया यह कह रही हैं कि उदयपुर और नाथद्वारा का मुकाबला नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर तो एक बड़ा शहर है लेकिन भारतीय संस्कृति का नाथद्वारा तो केन्द्र है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : कोई मुकाबला नहीं है। उदयपुर तो एक पर्यटकों के लिए विशेष महत्व का शहर है।

(व्यवधान—शोरगुल)

Page No 10

(10)

श्री मनोहर कोठारी : नाथद्वारा में भारतवर्ष के कोने-कोने से इतने यात्री आते हैं और लगातार स्थाई रूप से जनसंख्या के बराबर बाहर के यात्री बने रहते हैं उसके लिए यह कहना कि वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर नहीं है इसलिए क्रमोन्नत नहीं किया जा सकता है। यह नाथद्वारा के साथ अन्याय है। इस पर आप पुनर्विचार कीजियेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने लास्ट-इयर यह भी कहा था कि कम से कम एक डॉक्टर की इमिडियेटली व्यवस्था करेंगे। वह व्यवस्था भी नहीं करते इसमें क्या तुक है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उदयपुर एक ऐतिहासिक केन्द्र है और पर्यटक केन्द्र है, कोई मुकाबला है क्या इसका नाथद्वारा से ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : नाथद्वारा धार्मिक दृष्टि से तीर्थ स्थल है और उदयपुर ऐतिहासिक दृष्टि से है यह सब मैंने नहीं कहा था मैंने तो केवल उदयपुर में स्वास्थ्य सुविधायें हैं उनकी दृष्टि से निवेदन किया था। जहां तक आपने कहा कि एक डाक्टर कम से कम और होना चाहिये और जैसा कि आपने बताया कि 74 में आवश्यकतायें बढ़ी हैं इन्डोर और आउट पेशेन्ट्स की संख्या भी बढ़ी है इतना देखने के पश्चात् एक डॉक्टर वहां और रखा जा सकता है या नहीं यह विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट।

श्री मनोहर कोठारी : परिवार नियोजन के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिये।

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आई हैव गिवन दी मेक्सिमम टाइम।

श्री श्रीराम गोटेवाला : घर में लड़कर बेकार टाइम बरबाद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर शहर में गटर लाइन की व्यवस्था

554. **श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जयपुर शहर में वर्तमान में कहां कहां पर गटर लाइन है ?

2. क्या राज्य सरकार जयपुर शहर में गटर लाइन लगाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कहां कहां ? योजना व स्थानों की सूची, जहां गटर लाइन डालना प्रस्तावित है, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

3. क्या यह सही है कि सरकार ने जीवन बीमा निगम से इस कार्य के लिए ऋण मांगा है ? यदि हां, तो कितना और कब मिला ? वित्त मंत्री (स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जयपुर शहर में परकोटे के अन्दर करीब करीब सभी जगह पर पुरानी गटर लाइनें लगी हुई हैं। परकोटे के बाहर अधिकांश स्थानों पर गटर लाइनें नहीं हैं।

(2) जी हां। पंचम पंचवर्षीय योजना में जो कार्य किया जाना है उसका अन्तिम स्वरूप अभी तय नहीं किया गया है।

(श्री चन्दनमल बैद)

(3) अभी तक इस योजना के लिए जीवन बीमा निगम से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में लाख रुपये जीवन बीमा निगम से ऋण के रूप में प्राप्त करना प्रस्तावित है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : टोटल योजना कितने की बनाई है ?

श्री चन्दनमल बैद : 14 करोड़ 95 लाख रुपये की।

श्री श्रीराम गोटेवाला: बीमा निगम से आप 20 लाख की ही मांग कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मांग नहीं रहे हैं, जितना वे दे सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गटर लाइन के लिये कितना प्रोविजन खर्च करने का ?

श्री चन्दनमल बैद : 20 लाख रुपया जीवन बीमा निगम से और 10 लाख रुपया सरकार अपनी ओर से जयपुर शहर में गटर लाइन के लिए खर्च करना चाहती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा स्वायत्त शासन मंत्रीजी से प्रश्न पूछने का मतलब यह था कि 1।। करोड़ का बजट म्युनिसिपेलिटि का है। सारी गटर लाइन को पूरा करने की जिम्मेदारी थी, अब प्रशासक वहां होने के नाते स्वायत्त शासन मंत्रीजी जिम्मेदार हैं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी को उत्तर देना चाहिये था। तीन साल स्वायत्त शासन मंत्रीजी को यहां रखते हुए हो गये हैं, क्या इसके लिये वे पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, स्थानीय साधनों के आधार पर ही मैंने स्वायत्त शासन मंत्रीजी से पूछा था और उन्हीं से उत्तर चाहता था कि जयपुर की म्युनिसिपेलिटी से क्यों नहीं कराया जा रहा है ? आप कुछ करना नहीं चाहते हैं या तो।

श्री चन्दनमल बैद : यह प्रचार करना बिलकुल गलत है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता। जयपुर शहर में बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं तीन साल में खर्चा हुआ है, जल-प्रदाय योजनाओं पर और अन्य पर 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। फिर किस शहर में कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : 55-56 में लागू थी। आप डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): जीवन बीमा विभाग से कितना रुपया मांगा है ? इस वर्ष में जो रकम खर्च करने जा रहे हैं क्या उसको अपर्याप्त नहीं समझते हैं आप कहते हैं कि जयपुर शहर के लिये बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरा निवेदन है कि कुछ नहीं किया है। पानी वाली कठिनाई यहां पर बहुत है। निकट भविष्य से आप भी जयपुर में ही हैं, बाजार में पानी भरता है और गटर लाइन न होने से सारा शहर गंदगी से सड़ता है। कितना पैसा मांगा है ? जो रकम आप खर्च करने जा रहे हैं वह बिल्कुल अपर्याप्त है।

श्री चन्दनमल बैद : 14 करोड़ 95 लाख की योजना है। पांचवीं योजना में 2 करोड़ 70 लाख रुपया खर्च होने का है। 75-76 में 20 लाख रुपया बीमा निगम से और 10 लाख रुपया हम खर्च करेंगे। 30 लाख रुपया हम अगले वर्ष खर्च करेंगे।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : बीमा निगम से जयपुर शहर के जल निकास के लिये पैसा लेते हैं, क्या अन्य शहर के लिये भी कोई ऐसी योजना है ?

श्री चन्दनमल बैद : अलग से प्रश्न है।

श्री रामकिशन : मैं तो जानकारी चाहता था। यह बहुत बड़ा सवाल है। जयपुर के लिये तो निगम से पैसा मिल जावेगा। अन्य शहरों के लिये भी गारन्टी देने के लिये आप तैयार हैं क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : जो जो भी शहर लिये जा सकते हैं, दूसरे शहरों की भी योजना बना कर एल. आई. सी. से. ऋण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। जयपुर के लिये ही नहीं है केवल।

श्री अध्यक्ष : नंबर।

श्री दीपंकर।

नागौर जिले में पीने के पानी की व्यवस्था

555. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि सरकार की ओर से जिन जिलों में पीने के पानी की तकलीफ है वहां की जल-समस्या के समाधान हेतु जल-प्रदाय योजनाओं को प्राथमिकता देने के लिये जिलाधीशों की अध्यक्षता में जिला-आयोजन समितियां गठित की हैं और उन्हें जिले की जल-समस्याओं को निपटाने हेतु 20 करोड़ रुपये की योजना के अन्तर्गत चालू साल के लिये कुछ रकम एलॉट की है ? यदि हां, तो जिलेवार कितनी कितनी राशि एलॉट की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

2. क्या यह भी सही है कि नागौर जिले में पीने के पानी का काफी अभाव हैं पर वहां पर खारी पट्टी तथा बांका पट्टी जैसी आबादियां काफी तादाद में हैं और वहां के लोगों खारा और खराब पानी पीने से शारीरिक दृष्टि से टेढ़े और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ? अगर हां, तो ऐसे जिले के लिये विशेषतौर पर प्राथमिकता देते हुए पीने के पानी की योजना का क्या आधार तैयार किया गया है ?

3. क्या यह भी सही है कि 12 फरवरी, 1975 को जिलाधीश की अध्यक्षता में नागौर जिला आयोजन समिति की बैठक हुई थी और उसमें जिले की कुछ जल-वितरण योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार को योजनायें भेजी गयी हैं ? अगर हां, तो कौन कौनसी तहसील के कौन कौन से गांवों की कितनी लागत की कितनी योजनायें सरकार को प्राप्त हुई हैं तथा उन्हें कब तक स्वीकृत कराकर कार्य प्रारम्भ करने का इरादा रखती है ?

जनस्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां। मगर चालू वर्ष में नई योजनायें हेतु कोई राशि आवंटित नहीं की गई। वित्तीय वर्ष 1975-76 का आवंटन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। जिले की समस्या के अनुसार ही जिलेवार राशि का आवंटन किया जा रहा है।

Page No 13

(13)

(श्री चन्दनमल बैद)

(3) जी हां। बैठक दिनांक 12-2-75 को हुई थी। प्रस्तावित योजनाओं में से जो योजनायें विभाग द्वारा बनाई गई हैं, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, व उनकी तकनीकी जांच की जा रही है। जिलेवार आवंटन के हिसाब से इन प्रस्तावों में से योजनायें शीघ्र स्वीकार की जावेंगी व उन पर कार्य वित्तीय वर्ष 1975-76 में प्रारम्भ किये जाने की संभावना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रश्न के प्रथम भाग में यह मांग की थी कि जिलेवार कितना आवंटन किया गया है, सदन की मेज पर उसकी सूची रखी जाय। वह सूची मुझे नहीं मिली है। उनकी मिली है जो तकनीकी दृष्टि से माननीय मंत्री महोदय के पास आयी है। कमेटी ने जो प्रस्तावित की हैं उसकी नहीं मिली है। जिलेवार कितना आवंटन हुआ है, इसकी सूची नहीं मिली है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जिलेवार आवंटन अन्तिम रूप से नहीं किया गया है। बजट पास हो जावेगा तब ही किया जावेगा। जिलेवार तय नहीं हुआ है इसलिये सूची नहीं दी है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जब एम. एल. एज. और प्रधानों को बुलाया गया था और यह कहा गया था कि अपने अपने यहां के बारे में कैसी योजनायें प्रस्तावित करना चाहते हैं और आपके जल-प्रदाय विभाग ने उनमें से कौन कौन सी योजनाओं का सर्वेक्षण किया है तो हर एम. एल. ए. को अपने अपने क्षेत्र की योजना रखने की बात थी और हमको यह भी पता चला है कि हमारी जल-प्रदाय योजना के लिये 60 लाख रुपया दिया जायगा और बाद में आपके चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई तो उन्होंने 90 लाख तक स्कीम के लिये बताया है। किस तरह की क्या बात है, क्या यह मंत्री महोदय की जानकारी में है?

श्री चन्दनमल बैद : हमने सारे जिला अधिकारियों को इन्डीकेशन दिया है कि सम्भव है अगले साल आपको इतनी धन-राशि का आवंटन किया जायगा, लेकिन अभी उनको फाइनली नहीं कह सके हैं कि कितना किया जायगा लेकिन जितना इशारा किया है उतनी राशि तो हर जिले में देने की कोशिश करेंगे।

श्री दीपंकर : आपका इशारा क्या था आप बता दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता सकता हूं, मैंने जिला अधिकारियों को इन्डीकेशन दिया है—

(रुपया लाख में)

बाड़मेर	10 लाख
बीकानेर	6-00 लाख
चूरू	14-00
जैसलमेर	3-00
जालौर	10-00
जोधपुर	12-00
नागौर	22-00
पाली	11-50

(श्री चन्दनमल बैद)

	(लाख में)
गंगानगर	8-00
जयपुर	9-00
झूंझुनूं	5-00
सवाई माधोपुर	8-00
सीकर	6-00
टोंक	4-00
बांसवाड़ा	3-00
चित्तौड़गढ़	4-00
डूंगरपुर	2-50
उदयपुर	8-00
अजमेर	5-00
अलवर	6-00
भरतपुर	6-00
भीलवाड़ा	4-00
बूंदी	2-00
झालावाड़	4-00
कोटा	4-50
सिरोही	2-50
स्पेशल स्कीम्स	20-00
कुल योग—	2 करोड़

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री की आज्ञा और दे दीजिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो आपकी जिला-स्तरीय कमेटी है जो जिलाधीश की अध्यक्षता में हुई हैं तो जो स्कीमें उन्होंने प्रस्तावित की हैं क्या उन सब स्कीमों को अगले साल मन्जूर करेंगे? नम्बर 1 और नम्बर 2 नागौर में पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है....

(अन्य माननीय सदस्यों के व्यवधान करने पर, अश्रव्य)...

बाड़मेर और दूसरे जिलों में हैं सो तो है ही मैं तो अपने जिले की निवेदन कर रहा हूं। खारी पेट्टी में हजारों लोग रहते हैं और वहां एक परिवार का एक आदमी दिन भर पानी लाने ले जाने में गंवा देता हैं तो कम से कम नागौर जिले में प्रथम आवश्यकता जो है वह पीने के पानी की हैं अगर वह दे दें तो इस जिले का भला हो जाय।

एक माननीय सदस्य : मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं जोधपुर के शहर को जो आपने 10 लाख रुपया दिया है क्या इसमें एक भी स्कीम बन सकती है?

श्री दीपंकर : जो स्कीमें बनाने के लिए आपने विधायकों के पास भेजी है आपकी मंशा यह है कि वह स्कीमें वापिस भेज दें। एक भी स्कीम 10 लाख में नहीं बन सकती है। आपका औचित्य क्या है, किस आधार पर भेजी हैं?

श्री चन्दनमल बैद : यह आवंटन एक साल का है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय मेरा भी एक प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : पहले उन्हें जवाब दे लेने दीजिये। फिर बाद में पूछ लेना।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही है...

(वित्त मंत्री महोदय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब देना चाहते हैं। आप बाद में पूछ लेना। आपका भी जवाब आ जायगा। आप क्यों नाराज होते हैं?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह जो आवंटन है वह वर्ष 75-76 के साल का इन्डीकेशन है और नई स्कीम्स के लिये है, पुरानी स्कीम्स में तो हम बराबर पैसा खर्च करते रहेंगे और नई स्कीम्स तीन साल में पूरी होनी है। जितनी राशि एक साल में दी है उससे तीन गुणी राशि का काम हाथ में ले सकते हैं मतलब 10 लाख की इस साल की है तो 30 लाख के काम हाथ में लिये जा सकते हैं। इसलिये दो करोड़ के बजाय 6 करोड़ की स्कीम्स हैं। 6 करोड़ की स्कीम सारे राजस्थान में ली जायगी इसलिये यह कहना कि 10 लाख से कोई स्कीम नहीं बन सकती है, गलत है। 10 लाख की स्कीम को 30 लाख की समझें। जो राशि इस वर्ष है उससे तीन गुणा राशि का काम हाथ में ले सकते हैं और वह योजना तीन वर्ष में पूरी हो जायगी। अब यह प्रश्न कि 30 लाख में भी बन सकती है या नहीं बन सकती हैं यह सारे राजस्थान को ही देखकर किया गया है।

श्री दीपंकर : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया....

(श्री रामरघुनाथ के खड़े होने पर)

आप पूछ सकते हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी चाहिये थी कि नागौर जिले में खारा पानी है फ्लोराइड मिला हुआ है, क्या इसकी कोई योजना सर्वे कर ली गई है, और कर ली गई है तो किस किस क्षेत्र की क्या क्या योजनायें बनी है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : मंत्री महोदय ने जो सूची पढ़कर बताई है जिले वाईज। यह आपने आंकड़े किस आधार पर रखे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि नागौर जिले के जितने प्रस्ताव आये हैं क्या उन सारे प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जायगा। मेरा एक ही जवाब है, वित्तीय साधनों को देखते हुये जितनी धन-राशि उपलब्ध होगी और टेक्निकल दृष्टि से जो योजना आयेगी, उनकी 13 स्कीम्स आई है अगर 13 होती है तो 13 हो जायगी और कोई कांट छांट करनी पड़ेगी तो कुछ कांट छांट भी करनी पड़ सकती है। दूसरा पूछा हैं किस आधार पर किया गया है इसका आधार यह है जिस जिले को जो धनराशि दी गई है उसमें कितनी दिक्कत है पानी की एक और (2) उस जिले में अब तक कितनी पानी की सुविधा का इन्तजाम कर लिया और (3) उस जिले की आबादी कितनी है।

इन तीनों चीजों को देखते हुये जिले में धनराशि का आवंटन किया गया है।

(श्री दीपंकर के खड़े होकर पूछने पर)

श्री अध्यक्ष : नहीं। अब किसी को नहीं।

नेक्स्ट।

तहसील मालपुरा में तालाबी जमीन पर अतिक्रमण के मामले

556. श्री अजीतसिंह (टोंक): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 16

(16)

(श्री अजीतसिंह)

1. जिला टोंक की तहसील मालपुरा में कुल तालाबी जमीन पर अतिक्रमण के कितने केस दर्ज किये गये ?

2. तहसील मालपुरा के ग्राम बुदीकलां के तालाब में कितने लोगों ने कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया ?

3. क्या यह सही है कि अतिक्रमणियों पर पैनेल्टी या कुर्की दोनों की कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो अतिक्रमणियों से कितना गेहूं कुर्क किया गया और किसके आदेश से ?

4. कुर्क माल किस भाव पर किस तारीख को कितना-कितना कहां बेचा गया ?

राज्य मंत्री (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) तहसील मालपुरा जिला टोंक में तालाबी जमीन पर अतिक्रमण के कुल 112 मुकदमें दर्ज किये गये हैं।

(2) ग्राम बुदीकलां, तहसील मालपुरा के 16 व्यक्तियों द्वारा 158 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किया गया था।

(3) जी हां। अतिक्रमणियों से तहसीलदार मालपुरा के आदेश से 22 क्विन्टल 46 किलोग्राम गेहूं कुर्क किया गया था।

(4) कुर्क माल कृषि उपज मंडी समिति मालपुरा के माध्यम से गेहूं दर रु० 105) प्रति क्विन्टल से दिनांक 25-5-74 को बेचा गया है।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री महोदय मजाक कर रहे हैं क्या। 158 बीघा भूमि बता रहे हैं और कुल 22 क्विन्टल गेहूं की वसूली बता रहे हैं। आप हिसाब लगा कर देखिये तो सही आप क्या जवाब दे रहे हैं मुझको जो लेवी इसके अन्दर ली है इसको दूसरे अध्यक्ष महोदय मैं जानकारी चाहता हूं सारे के सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। लगातार तहसीलदार जमीन की कुर्की करके सारा माल खा जाता है। अध्यक्ष महोदय, एक तहसीलदार को सुखाड़ियाजी ने पकड़ा था रीलीफ वर्क्स में इसके बाद मालपुरा की जनता ने लेवी दी। आपको कितनी ही बार बताया गया, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके अब भी जो अतिक्रमण किया है, आपको कहा है तब भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप चाहते क्या है ? इतनी सारी रिपोर्ट आपके सामने है। इस तरह कोई कार्यवाही नहीं होगी तो बड़ी मुश्किल है जनता का काम करना। जनता को लूटना है तो दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे क्या ?

(व्यवसाय-अश्रव्य)

श्री मीठालाल मीणा (लाल सोट) : 158 बीघा में केवल 22 क्विन्टल कुर्क क्यों किया गया ?

श्री मूलचन्द मीणा : जहां तक उत्पादन का प्रश्न है यह जमीन कितनी थी, कितना उत्पादन हुआ हैं यह इनफार्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना कुर्क किया गया है वह इन्फार्मेशन मैंने प्रस्तुत की है।

श्री मीठालाल मीणा : क्या आप इसे वाजिब मानते हैं, औसतन के हिसाब से भी 22 क्विन्टल क्या काफी है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : एक तालाब की जमीन जिसके अन्दर खेती होती है और माननीय सदस्य स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि तहसीलदार लेवी वसूल कर के खा गया। आपके पास इन्फार्मेशन नहीं है तो आप इसकी जांच करवाइये, जांच कमीशन बैठायें और स्पष्ट आरोप है कि इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण करते हैं। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो प्रश्न को स्थगित करवाइये और पूरी जानकारी आने पर उत्तर दें।

श्री मूलचन्द मीणा : यदि माननीय सदस्य प्रस्तुत करेंगे तो जांच करवा ली जावेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : शिकायत फिर क्या होती है ? माननीय सदस्य सदन में रख रहे हैं।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य (मावली) : शिकायत तो आपके सामने प्रस्तुत है। यह पूछ रहे हैं कि कितना उत्पादन हुआ और उत्पादन के हिसाब से रिकवरी कितनी हुई और उस पर जो शंका है वह फैक्ट आपके सामने आ चुके हैं, इसको आप शिकायत नहीं मानते हैं ? पहली दृष्टि से ही सारा सदन इस पर काग्नीजेंस ले रहा है और आप कह रहे हैं कि शिकायत आयेगी तो जांच करेंगे।

श्री मूलचन्द मीणा : जहां तक शिकायत का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि स्पेसिफिक तौर पर जानकारी आये कि यह जमीन किसकी है, कितनी जमीन है और इस पर कितना उत्पादन होना चाहिये, यह सब स्पेसिफिक जानकारी आवे तो जांच हो सकती है, इसलिये मैंने आपसे यह निवेदन किया है। इस प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है मगर यह शंका है कि उत्पादन कम दिखाया गया है, उत्पादन कम करके दिखाया गया तो इस मामले में निश्चित शिकायत होने पर जांच हो सकती है।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और रह जाता है। इस पर कुर्की भी की और पेनल्टी भी लगाई तो क्या कुर्की और पेनल्टी दोनों प्रकार की कार्यवाही करना वाजिब था।

श्री मूलचन्द मीणा : तहसीलदार ने जो कुछ किया अपने विवेक से किया है अब गलत किया या सही किया इसका पता तो जांच से ही चल सकेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह तो हो सकता है, दोनों ही हो सकता है।

प्रश्न संख्या 557

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

अनुपस्थित

कृपया आगे देखिये।

श्री माणकचन्द सोगानी : प्रश्न संख्या 557। इसको ले लिया जावे साहब। अजमेर का मामला है। He is not here.

श्री अध्यक्ष : He is not here. But have you got any authority from him ?

श्री माणकचन्द सोगानी : It relates to Ajmer. You can permit me Sir.

Page No 18

(18)

श्री अध्यक्ष : That is not possible.

श्री दीपंकर : महत्वपूर्ण प्रश्न है साहब।

श्री अध्यक्ष : नो। श्री नानालाल।

राजकीय चिकित्सा अधिकारी गंगापुर के विरुद्ध जांच

558. **श्री नानालाल (राजसमन्द)** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा में श्री शंकरलाल पुत्र श्री गणेशराम खटीक को बेहोश अवस्था में दिनांक 30-12-75 को ले जाया गया किन्तु तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी ने कोई चिकित्सा नहीं की। यदि हां, तो ऐसे चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

2. क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा ने तारीख 16-1-75 को राजकीय चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर के खिलाफ इन्क्वायरी की। यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) यह सही नहीं है। मरीज को स्थानीय डाक्टर ने जांच की एवं भरती होने की सलाह दी, जो मरीज ने नहीं मानी। डाक्टर ने पुनः इनको दिनांक 31-12-74 को देखा तथा भरती हो जाने पर उपचार भी किया।

(जांच रिपोर्ट परिशिष्ट संख्या 4 देखिये) की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम सवाल है। एक अनुसूचित जाति के लड़के के साथ मारपीट हुई, पुलिस ने करेंट लगाया, 14 साल का नाबालिग बच्चा है और उसका उन्होंने पुलिस के बहकावे में आकर न तो इलाज किया न कोई किसी तरह का उपचार किया और फिर कोई रिपोर्ट देने के लिए मंजूर भी नहीं हुए और उसके बाद भीलवाड़ा के डाक्टर ने रिपोर्ट दी, तो क्या यह रिपोर्ट गलत है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : यह तो सीधा-सा सवाल है, कौन ऐसा बीमार होगा जो यह कहेगा कि मेरा इलाज मत करो। आपने कहा कि इलाज नहीं कराया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया है कि वह भर्ती होने से इन्कार कर गया। मैंने यह नहीं निवेदन किया है उसने इलाज कराने से मना कर दिया। मैंने यह निवेदन किया है कि भर्ती होने से इन्कार कर दिया। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तारीख को वहां पर आया है डॉक्टर ने उसका डाइग्नोसिस किया, उसको दवा भी प्रेस्क्राइब की, उसने दवा ली भी और उसके बाद में भर्ती के लिए कई बार कहा, तो वह भर्ती होने से इन्कार हो गया। दूसरे दिन जब दुबारा आया तो उसको भर्ती किया गया, इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद सर्टिफिकेट मांगा तो डाक्टर ने कहा कि इसके कोई बाहरी चोट नहीं है।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

उसने इस सर्टीफिकेट को लेने से इन्कार भी कर दिया। इसके अंदरूनी चोट है या नहीं इसकी जानकारी करने के लिए भीलवाड़ा हॉस्पीटल को रेफर कर दिया। वहां पर यह 31-12-74 को भर्ती हुआ और कुछ दिन रहने के बाद ठीक हो गया और वहां से छुट्टी दे दी गई।

श्री भानुकुमार शास्त्री : चोट नहीं थी तो भर्ती करने के लिए क्यों कहा गया ?

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह बात रह जाती है कि उसके गंगापुर में डॉक्टर को कोई चोट नजर नहीं आई जब कि उसको यह कहा गया कि इसको पीटा गया है, इसके इस तरह का दर्द है जो सारे शरीर में है और उसके आधार पर भीलवाड़ा में भर्ती कर लेते हैं और वहां पर ट्रीटमेंट कर देते हैं....

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : यह भर्ती किया गया है, इतने दिनों तक हॉस्पीटल में रखा गया है तो इलाज आखिर किसका किया गया ? क्यों भर्ती किया गया और उसके इलाज की क्या रिपोर्ट है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जैसा मैंने निवेदन किया है कि गंगापुर के डाक्टर ने यह कहा कि बाहरी चोट कोई नजर नहीं आती है। हो सकता है कि अन्दरूनी तकलीफ हो इसलिए आप भीलवाड़ा हॉस्पिटल जाइये और उनके पास डाइग्नोसिस करने के और भी साधन उपलब्ध हैं, इसलिए उनको रेफर किया गया। ऊपरी चोट की जानकारी नहीं होने और अन्दरूनी चोट की सम्भावना के आधार पर भीलवाड़ा को रेफर किया गया।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो जानकारी बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि उसके साथ मारपीट हुई और आप उस भ्रष्ट डॉक्टर को सहयोग देकर बढ़ावा दिया जा रहा है। उसको मालूम था कि पुलिस ने पिटाई की है। उसके साथ जबरदस्त वारदात हुई है, वह बेहोश है, उसके साथ कुछ भी नहीं किया गया और बना, फुसला कर रवाना कर दिया। जब चोट नहीं थी तो 15 दिन तक इलाज कैसे किया गया भीलवाड़ा में।

श्री मोहनलाल छंगाणी (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है, मंत्री महोदय साथ ही जवाब दे दें।....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल भी भीलवाड़ा से सम्बन्धित है क्या ?

श्री दीपंकर : इसी सम्बन्ध में है, साहब बात ऐसी है कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री ख्वामख्वाह नाराज हो रहे हैं। क्या आप सही मानते हैं कि पुलिस ने ज्यादती की है ? पुलिस की ज्यादती के कारण से ही यह इलाज नहीं किया गया और जो सर्टीफिकेट भीलवाड़ा में दिया गया है उससे स्पष्ट है कि इसके चोट आई है। इसलिए आज आप पुलिस की ज्यादती को छिपाने की कोशिश नहीं करें और यह बिल्कुल साफ है कि पुलिस ने ज्यादती की है और मजबूर किया है कि इसका इलाज नहीं किया जाय।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, वैसे 30 तारीख को साढ़े तीन बजे यह पुरुष वहां अस्पताल में आया''''

श्री भानुकुमार शास्त्री : पुरुष नहीं बालक।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह बालक अस्पताल में आया जिसका इलाज किया गया, उसको दवाई दी गई और उसको भर्ती होने के लिए कहा गया तो भर्ती हुआ नहीं। उसके बाद दर्द कम न होने पर फिर वापस आया। वापस आने पर भी उसकी जांच की गई। उसके कोई बाहरी चोट पाई नहीं गई। क्योंकि बाहरी चोट नहीं थी और शरीर में दर्द की शिकायत कर रहा था इसलिए यह समझा गया कि शायद कोई अन्दरूनी चोट हो इसलिए उसको भर्ती करने के लिए भीलवाड़ा भेजा गया, भीलवाड़ा में इलाज हुआ और इलाज होकर 10-1-75 को छुट्टी दी गई।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : भीलवाड़ा में भर्ती किया गया या नहीं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसके बाद एक शिकायत आई और शिकायत आने के बाद में डिप्टी चीफ मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर को भीलवाड़ा भेजा गया इंक्वायरी के लिए। उसने डाक्टरों का, शिकायत करने वालों का और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बयान कलमबन्द किए और उसके बाद में यह पाया गया कि यह भर्ती नहीं हुआ। इसको बराबर भर्ती होने की रिक्वेस्ट की गई, बार बार रिक्वेस्ट की गई लेकिन भर्ती होने से इन्कार कर दिया। चूंकि सम्भावना यह थी कि इसको शायद कोई अन्दरूनी बीमारी होनी चाहिए जिसका सारे का सारा उपचार वहां नहीं हो सकता था इसलिए भीलवाड़ा भेजा गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, स्थगित प्रश्न, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-2-75)

मारवाड़ खादी संघ को ऋण

124. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़ खादी संघ के स्वीकृत ऋण को नगदी में न देकर खादी बोर्ड ने ऊन खरीद कर 18.50 रु. से 22.00 रु. प्रति किलो के भाव से दी जब कि इस वर्ष उक्त ऊन के खरीद के समय बाजार भाव 14.00 रु. प्रति किलो था ? यदि हां तो, सरकार इस काण्ड में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने करीब 5 माह पूर्व 600 किलो मेरीन ऊन खुले बाजार से 80 रुपये के बाजार भाव करके उसका मूल्य बोर्ड के रिकार्ड में 180) रु. अंकित किया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवा कर सदन को जानकारी देगी ?

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री मूलचन्द मीणा) : स्थगित प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब दिया गया है यह बड़ा अजीब सा है। खादी सोसायटी ने ऊन खरीद ली और बाजार का जो भाव था वह 14-15 रुपया पर किलो का था और 180) रुपया किलो रिकार्ड में दर्ज कर लिया यह कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और आपने इस प्रकार का जवाब दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब जो दिया गया है वह संतोषजनक नहीं है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। अगर इस तरह का भ्रष्टाचार करने वालों को इस तरह से पनाह दी गई तो आपके लिए और हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं इस बात को चेलेंज करता हूं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : एक जवाब यह भी दे दें। मारवाड़ खादी संघ ने कितने रुपये में ऊन खरीदा था और कितने रुपये में सप्लाई किया यह बता दें।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या मारवाड़ खादी संघ के खिलाफ में पहले भी कई शिकायतें रही हैं और उसकी रकम को बदलने के लिए वहां के कई अधिकारियों को पहले भी हटाया गया है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ऑडिट भी नहीं कराते हैं और न ऑडिट कराने को तैयार हैं।

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे पर पहले प्रश्न स्थगित किया गया था वह यही था कि कितने रुपये मारवाड़ खादी संघ को मिले हैं। इस मुद्दे पर यह प्रश्न स्थगित हुआ था......

श्री पी. के. चौधरी : सप्लाई कितने रुपये में किया ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : प्रश्न तो इस बात पर स्थगित हुआ था कि कितने भाव पर खरीदा और कितने भाव पर ऊन दिया गया, यह बतला दें।

श्री मूलचन्द मीणा : प्रश्न यह था जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, प्रोसीडिंग में भी यह है कि खादी बोर्ड ने ऊन खरीदी और ऊन खरीद कर 18.50 रु. से 22.00 रुपये प्रति किलो के भाव से दी, मारवाड़ खादी संघ को दी और यह भी प्रश्न था कि वह स्वीकृत ऋण के नगदी में न देकर खादी बोर्ड ने ऊन खरीद कर दी। इसका जवाब दिया गया है—जी नहीं। यानि खादी बोर्ड ने कोई भी ऊन अपनी मार्फत खरीद कर मारवाड़ खादी संघ को नहीं दी और जो ऋण देते हैं उस पर माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि कितना ऋण दिया। चूंकि उस समय वह सूचना मेरे पास नहीं थी इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किया गया हैं। यह सूचना मेरे पास अब है मैं यह सूचना प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह धन-राशि कितनी दी गई है, यह तो बतायें।

श्री मूलचन्द मीणा : स्टेट गवर्नमेंट से जो धनराशि मिली है वह इस प्रकार है:

31-3-73 को	1.50 लाख रुपये
7-9-73 को	1.25 लाख रुपये
13-1-75 को	1.00 लाख रुपये

इस प्रकार इन पिछले बरसों में 3.75 लाख रुपये ऋण दिये गये हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आपने उत्तर दिया कि 'जी नहीं,' तो फिर यह धनराशि कहां से आई ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : इससे उन्होंने माल खरीदा कि नहीं ?

श्री मूलचन्द मीणा : आपने पूछा कि ऊन की खरीद में गड़बड़ हुई है कि नहीं, मेरा निवेदन यह है कि जो रेट आपने बताया है, उस रेट का न तो मार्केट में भाव था और न ही इस रेट पर ऊन खरीदा गया है। अगर आप वह रेट भी जानना चाहते हैं तो मैं बतला सकता हूं क्योंकि टेण्डर आये थे सब प्रकार की ऊन के, मेरीनो ऊन का भाव था 109, 106 और 93 रुपये। इस प्रकार के यह भाव थे और माननीय सदस्य 80 रुपये का भाव बता रहे हैं, ऐसा कोई भाव नहीं था और न खरीदा गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ओंकारलाल।

झालावाड़ जिले में लेवी की वसूली

559. **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झालावाड़ जिले में लेवी वसूली का कितना लक्ष्य निर्धारित था ? इसमें कितना अनाज अब तक वसूल हो चुका है ? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

खाद्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : झालावाड़ जिले में लेवी वसूली का 4000 टन लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें से 4300 टन अनाज अब तक वसूल हो चुका है। पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए परिशिष्ट संख्या 5 देखिये)

श्री ओंकारलाल चौहान : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री हाजी जान मोहम्मदखां (पिड़ावा): तहसील पिड़ावा के अन्दर भी यह वसूली हुई थी लेकिन सरकार की गलती से पूरी नहीं हो सकी।

श्री शिवचरण माथुर: माननीय सदस्य ने दो सेन्टर्स खोलने के लिए कहा था वह खोल दिये गये थे और लक्ष्य भी करीब करीब पूरा हो चुका है। जो रह गया था उसके लिए भी 15 मार्च तक समय बढ़ा दिया था।

प्रश्न संख्या 560

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती भगवती देवी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हाजी जान मोहम्मदखां : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं (अश्रव्य)

प्रश्न संख्या 561

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल आर्य।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

दी गोविन्द वृहत् कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति लि० तामकोट

562. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. दी गोविन्द वृहत् कृषि ऋण दात्री सहकारी समिति लि., तामकोट का निर्माण

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

कब हुआ ? कौन कौन और कब कब उसका मैनेजर किसके द्वारा नियुक्त किया गया ? मैनेजर समिति में कौन कौनसी तिथि में हाजिर रहा ? उनके द्वारा अपने अपने कार्य काल में क्या क्या कार्य किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे और बतलाया जावे कि आखरी मैनेजर ने कब और किस को चार्ज दिया और किस आधार पर।

2. जिसे चार्ज दिया गया उसने चार्ज सम्भालने के बाद उस सहकारी समिति में क्या क्या कार्य किया ?

3. सहकारी समिति, तामकोट के मैनेजरों आदि के विरुद्ध कब कब शिकायत पेश हुई और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

4. क्या यह सच है कि उपरोक्त सहकारी समिति के मैनेजर कभी भी तामकोट में हाजिर नहीं रहे उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी कार्य नहीं किया और आखरी मैनेजर 1963 में अपने कागजात पंचायत समिति के हवाले करके चला गया जबकि पंचायत समिति को ऐसा चार्ज सम्भालने का कोई अधिकार न था ?

5. क्या यह सच है कि यह सारा कार्य इसलिए किया गया कि सहकारी समिति, तामकोट के कागजात कर्जा आदि जाली तैयार किये हुए थे ?

6. क्या यह सच है कि उपरोक्त कागजात सम्भालने के कारण जो थोड़ा बहुत कर्जा वसूल होने वाला था वह वसूल नहीं हो सका और जो वसूली की सरकारी कर्जे की 9 साल की मियाद होती है वह समाप्त हो चुकी ?

7. क्या सरकार उपरोक्त कर्जे की वसूली मैनेजर आदि से कर के सहकारी समिति, तामकोट में जमा करवाएगी और उस समिति को कार्यरत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

सहकारिता मंत्री (श्री राम नारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है, इसलिए निवेदन है कि एक सप्ताह का समय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष। स्थगित किया गया।

श्री हाजीजान मोहम्मद।

पी० एच० सी० पिड़ावा

563. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि पी. एच. सी. पिड़ावा में दो डाक्टरों की जगह है परन्तु एक स्थान रिक्त है ? अगर हां, तो दूसरी लेडी डाक्टर की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं की गई है ? अब इसकी नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

2. क्या यह सही है कि पी. एच. सी. पिड़ावा की बाउण्डरी खेंचने के लिये जिला लेवल की मीटिंग में 5000 रुपये की राशि मंजूर की गई थी ? अगर हां, तो बाउन्डरी अभी तक क्यों नहीं बनवाई गई ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां, एक चिकित्सक के पद पर डाक्टर गुलाबचन्द बन्सल कार्यरत है एवं दूसरा पद महिला चिकित्सक का है जिस की नियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पाबन्दी लगाई जाने के कारण रिक्त है।

(2) जी नहीं।

श्री हाजी जान मोहम्मदखां: मेरी यह शिकायत है कि वहां पर लेडी डाक्टर नहीं है।

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, कोई नया व्यक्ति सदस्य बन कर यहां आकर बैठा है। यह कौन है?

एक माननीय सदस्य : वह तो भारतीयाजी हैं, टोपा लगाकर आये हैं।

श्री भानु कुमार शास्त्री : टोपा खोलें तो पता चले।

श्री दीपंकर : यह तो पी. सी. सरकार हैं। यह समझ लीजिये आप।

श्री हाजी जान मोहम्मदखां: महरबानी करके वहां लेडी डाक्टर लगाने की व्यवस्था करें। लेडी डाक्टर की भरती होनी चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि यह परिवार नियोजन का पद है, जिसके लिए भारत सरकार ने भरती न करने के आदेश दिये हैं। इसलिए भरती करना मुश्किल है।

श्री हाजी जान मोहम्मदखां : लेडी डाक्टर की बात है।

श्री राम गोपाल (किशनगंज) : सदरे मोतरम, लेडी डाक्टर की नियुक्ति की जाये।

प्रश्न संख्या 564

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री।

बीकानेर जेल में घोटाला

565. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर जेल में 1970 में जेल की फेक्ट्रीज के चार्ज का लेना देना किया तो उसमें 21 हजार का घोटाला पाया गया? यदि हां, तो तत्कालीन जेल अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, कारागृह : (श्री बनवारी लाल) : जी नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या जवाब दिया?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं।

श्री भानु कुमार शास्त्री : जो हां कहिये। क्या इसकी कोई ऑडिट हुई था, और अगर हुई थी, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट सदन के टेबल पर रखें।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई घोटाला नहीं है। आडिट हो गई है और कोई घोटाला नहीं हुआ है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

श्री बनवारी लाल : (अश्रव्य)।

प्रश्न संख्या 566,

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 567.

श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

कृषि फार्मों पर गेहूं का बीज

568. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

1. राजस्थान में कृषि विभाग के तहत कितने ऐसे सरकारी कृषि फार्म हैं जहां गेहूं बीज बनाने के लिये पैदा किया जाता है।

2. गत पांच वर्षों में ऐसे कृषि फार्मों पर कुल कितना गेहूं का बीज पैदा हुआ है तथा इस बीज का क्या उपयोग किया गया ?

3. दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र पर गत पांच वर्षों में किस किस किस्म के गेहूं के बीज तैयार किये गये एवं उनका क्या उपयोग किया गया ?

4. क्या दुर्गापुरा फार्म पर लाल बहादुर गेहूं के बीज की वर्ष 1968-69 रबी की फसल की गई ? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में ? पैदावार कितनी हुई और उसका क्या उपयोग किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) कृषि विभाग के अन्तर्गत राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म दुर्गापुरा ही ऐसा केन्द्र है जहां गेहूं का बीज बनाया (इवाल्व-किया) जाता है।

(2) उपरोक्त फार्म पर बाहर से आई हुई एवं स्थानीय विकसित किस्म को परीक्षण किया जाता है तथा जो उपयुक्त किस्म होती है उन्हीं पर परीक्षण करके कृषि विभाग किसानों को बोने की सिफारिश करता है। जो किस्में कुछ सीमा तक उपयुक्त पाई जाती है उन्हें अगली फसल में पुन: परीक्षण में लिया जाता है तथा जो स्थानीय किस्में भी उपयुक्त पाई जाती हैं उन सभी की उपज भारत के अन्य फार्मों पर भी परीक्षण हेतु भेजी जाती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न बीजों की पैदावार का उपयोग अनुसंधान के कार्य में ही लिया जाता है। एक वर्ष में अनुमानत: 400-500 किस्मों का परीक्षण किया जाता है जो कि छोटे छोटे प्लाटों में बोया जाता है।

(3) गत पांच वर्षों में (अर्थात उन्नीस सौ सत्तर से उन्नीस सौ पचत्तर तक) राजकीय कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा से गेहूं राज 911 (1974 में) ही का बीज बनाया गया जो कि राज्य के विभिन्न बहुगुणन फार्मों को बहुगुणन हेतु दिया गया।

(4) जी हां। वर्ष 1968-69 रबी में लालबहादुर गेहूं बीज की फसल राजकीय कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा पर की गई

(श्री कृषि मंत्री)

और लगभग 73 किलो बीज जो गुणन के लिये उपलब्ध था, 9 एकड़ भूमि में गुणन के लिये डाला गया। चूंकि कम बीज से अधिक से अधिक उपज लेनी थी, इसलिये कम बीज की मात्रा प्रति एकड़ रखी गई। इस गुणन में उक्त बीज से करीब 73 क्विन्टल उपज प्राप्त हुई। अर्थात एक किलो बीज से 1 क्विन्टल बीज गुणन किया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा चर्चित विषय है, इसलिए इस पर एक मिनट सिर्फ और लेना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट की बात है, तो ले लीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, लालबहादुर शास्त्री जो गेहूं है इसकी उपज कम होती है इसलिए यह महंगा पड़ता है, इसमें किटाणु भी मिले हुए होते हैं, क्या यह सत्य है कि इस गेहूं की उपज कम होती है, यह मंहगा पड़ता है और बावजूद सारे रिसर्च के इसको बोया गया है और इससे राजस्थान की प्रतिष्ठा गिरी, और वह अधिकारी भी आज वहीं पर कायम हैं ?

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जब कृषि विभाग की मांगों का जवाब दे रहा था उस समय मैंने इस पर विस्तार से जवाब दिया था और मैंने स्पष्ट निवेदन किया था कि लालबहादुर शास्त्री बीज 1969 में दुर्गापुरा फार्म पर इवोल्व किया गया था, इसकी पचासों जगह ट्रायल हुई और इसके बाद इसके लिए जो कमेटी बनी थी उसने इसकी सिफारिश भी की थी और यह भी सिफारिश की थी कि इसकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी थी। यह बीज तो अलग अलग जगह से लेकर हमारे रिसर्च सेन्टर में इवोल्व किया गया था और फिर इसका ट्रायल किया गया है। इसलिए इस बीज को यहां पर लगाया गया था। कीटाणु तो यलो रस्ट की वजह से हो सकते हैं परन्तु यदि यह किसान को एक्सेप्टेबल नहीं होता तो वह उनको अपने आप ही छोड़ देता। इसलिए मैं समझता हूं कि यह राजस्थान में लाभदायक नहीं हुआ है, ऐसा बात नहीं।

श्री अध्यक्ष। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

(अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर)

नगरपालिका बनाने का आधार

545. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. नगरपालिका बनाए जाने का क्या आधार है ? सीकर एवं जयपुर जिले में पिछले पांच वर्षों में किन किन पंचायतों की नगरपालिकाएं बनाई गई हैं ? उनकी जनसंख्या क्या है ?

2. जयपुर जिले में ऐसे कौन कौन से ग्राम हैं, जिनकी आबादी 5000 (पांच हजार) से अधिक है उन्हें नगरपालिका नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

1. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 5 के अनुसार साधारणतया कोई भी स्थानीय क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र के लिये जिसकी आबादी आठ हजार या इससे अधिक हो तो नगरपालिका बनाई जा सकती है। नगरपालिका बनाते समय यह भी देखा जाता है कि अमुक ग्राम शहरीकरण के लिये उपयुक्त है या नहीं तथा क्या क्या शहरी सुविधाएँ उपलब्ध है तथा स्थानीय लोगों की क्या इच्छा है? सीकर एवं जयपुर में पिछले पांच वर्षों में लसिल, रींगस, सांगानेर एवं नरायणा पंचायतों को नगर पालिका में परिवर्तित किया गया। जिनकी जन संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार निम्न प्रकार थी :—

1.	लसिल	11129
2.	रींगस	9340
3.	सांगानेर	11043
4.	नरायणा	7605

(2) जयपुर जिले में निम्न ग्रामों की आबादी पांच हजार से अधिक हैं।

1. फागी, 2. साखून, 3. सिचून 4. जमवारामगढ़, 5. बस्सी, 6. खेजडोली 7. कालाडेरा, 8. अचरोल, 9. शाहपुरा 10. मनोहरपुर, 11. बसवा, 12. बगरू कलां, 13. गीजगढ़, 14. बालसोट, 15. किशनगढ़ निवाले, 16. जोरपुरा, 17. पावटा, 18. मांडारेज, 19. बेराठ

चूंकि उक्त गावों को शहरीकरण के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया तथा गांवों की काफी आबादी अधिकतर ढाणियों में रहती है। स्थानीय जनता एवं ग्राम पंचायतों की भी राय यह थी कि उन्हें ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही रहने दिया जावे। इसलिये इनको स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका में परिवर्तित नहीं किया गया है।

बस की बॉडी बनाने पर व्यय

548. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि रोडवेज के सेन्ट्रल वर्कशॉप अजमेर में बस की बॉडी बनाई जाती थी? यदि हां, तो कितनी किस किस वर्ष में बनाई गई? प्रत्येक बस की बॉडी बनाने में कितनी राशि व्यय हुई? बॉडी बनने के कितने समय बाद बॉडी की मरम्मत कराई गई बसेज की संख्या कितनी है और वर्तमान में उन बसेज की बॉडी की कन्डीशन कैसी है? प्रत्येक बस की बॉडी मरम्मत में कितनी राशि व्यय हुई?

2. क्या अब भी सेन्ट्रल वर्कशॉप, अजमेर में बस की बॉडी बनाई जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? तथा अब बस की बॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है और उस पर क्या लागत आती है?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। इसके अतिरिक्त प्राईवेट पार्टियों के द्वारा भी निविदायें आमंत्रित करके बस बॉडी बनाने का कार्य कराया जाता है। इनकी लागत सितम्बर, 1974

(यातायात मन्त्री)

के बाद निम्न आती है:—

नाम चैसिस	साधारण
टाटा	रुपये 36,300.00
लेलैण्ड	रुपये 37,950.00

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

बूंदी शहर में देशी शराब की दुकान

550. श्री राजेन्द्र भारतीय (बूंदी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि बूंदी शहर में गीता भवन हिन्दुओं का एक धार्मिक स्थान है और उसके बिल्कुल साथ ही देशी शराब की दुकान है ?

2. यदि हां, तो इस दुकान को इस स्थान से अन्य किसी स्थान पर बदलने के सम्बन्ध में सरकार को क्या कठिनाई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोई कठिनाई नहीं।

फूलबाग कोठी, अलवर की भूमि

551. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. अलवर के भूतपूर्व महाराजकुमार प्रतापसिंह की कोठी फूलबाग का कितना क्षेत्रफल है और यह कौन से खसरा नम्बरों को घेरे हुए हैं ? कृपया समस्त खसरा नम्बरान मय उनके अलग अलग क्षेत्रफल बताने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि इतना क्षेत्रफल अलवर के भूतपूर्व महाराजा की निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज नहीं है और श्री प्रतापसिंह ने यह कोठी अधिकतर सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करके बनाई हुई है ?

3. इस फूलबाग कोठी के कितने क्षेत्रफल पर और कौन कौन से खसरा नम्बरों पर श्री प्रतापसिंह का जायज कब्जा है ? इस जायज कब्जे का आधार क्या है ?

4. श्री प्रतापसिंह के इस अनधिकृत कब्जे को समाप्त करने के लिए क्या राज्य सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

5. क्या यह सही है कि श्री प्रतापसिंह ने यह फूलबाग कोठी कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कराये बिना ही बना ली है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने श्री प्रतापसिंह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) फूलबाग कोठी मय आहता का क्षेत्रफल 72751 वर्ग गज है। विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) फूलबाग कोठी का रकबा भूतपूर्व महाराजा की निजी सम्पत्ति है।

(4) जी नहीं। क्योंकि फूलबाग कोठी का रकबा भूतपूर्व महाराजा की निजी सम्पत्ति है।

(राजस्व मन्त्री)

उत्तर

(5) जी हां। श्री प्रतापसिंह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है। उनके विरुद्ध राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (आवंटन एण्ड कनवरशन आफ एग्रीकल्चर लैण्ड वार रेजिडेन्शियल एण्ड कामशियल परपजेज इन अरबन एरियाज) रुल्स 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(विस्तृत जानकारी के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)।

स्वायत्त शासन संस्थाओं को अनुदान देने का आधार

557. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राज्य सरकार का स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को अनुदान देने का क्या आधार है?

2. राज्य सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में किस किस स्वायत्त संस्था को कितना अनुदान किस किस आधार पर दिया गया? कृपया हर वर्ष का अलग अलग मदों का अलग अलग विवरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अनुसार गठित नगरपालिकाओं को 50 पैसा प्रति व्यक्ति के हिसाब से नगरपालिका क्षेत्र की गत जनगणना के आधार से सामान्य अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष दर में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार इस वितीय वर्ष में 50 पैसे प्रति व्यक्ति के बजाय एक रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जावेगा।

(2) इस विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिए गये अनुदान का नगरपालिका एवं वर्ष वार निर्णय संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर जिले में भू-संशोधन का कार्य

560. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि अजमेर जिले में भू-संशोधन का कार्य प्रारम्भ किया गया था?

2. क्या यह सही है कि वह कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है और काश्तकारों को पास बुकें वितरित नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों? और अब कब तक वितरित कर दी जावेंगी।

3. क्या यह सही है कि भू-संशोधन के बावजूद भी आज कई गम्भीर गल्तियां रिकार्ड्स के इन्द्राज में रह गई हैं? क्या सरकार उन्हें दुरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(राजस्व मन्त्री)

उत्तर

(2) जी हां। यह कार्य अभी अधूरा पड़ा है। अजमेर जिले में अब तक 65,952 पास बुकें काश्तकारों को वितरित की जा चुकी है व कुछ क्षेत्रों में पुनः बन्दोबस्त कार्य प्रारम्भ किया गया है इसके पूर्ण होने पर शेष पास बुकें वितरित की जायेंगी।

(3) जी नहीं। अजमेर जिले में इस प्रकार की गल्तियां नहीं आई हैं किन्तु भू-संशोधन का कार्य अभी तक जारी है व काश्तकारों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने पर तहसील व उपखण्ड स्तर पर की गई आपत्तियों का निरीक्षण कर दिया जाता है।

आबू रोड़ के व्यापारियों को अनाज के परमिट

561. श्री जेठमल आर्य (रेवदर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि गत वर्ष जब आबू रोड में बाढ़ आई थी उसके पश्चात् बाढ़ग्रस्त परिवारों व अन्य परिवारों को गेहूं देने हेतु जिलाधीश सिरोही, ने आबू रोड के व्यापारियों को बड़ी मात्रा में दूसरे जिलों से गेहूं लाने के परमिट दिये थे? यदि हां, तो जुलाई, 73 से अब तक सिरोही जिले में किन किन व्यापारियों को कितने कितने गेहूं का परमिट दिया और उस गेहूं को लाकर व्यापारियों ने किस प्रकार वितरित किया? व्यापारियों की सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें?

2. क्या यह सही है कि आबू रोड के कुछ व्यापारियों ने दूसरे जिलों से गेहूं लाकर आबू रोड में उपयोग हेतु नहीं बेच कर गुजरात में महंगे भाव में बेच दिये और उनके विरुद्ध कृषि उपज मंडी द्वारा केस दायर किये गये हैं? यदि हां, तो किस किस के विरुद्ध केस विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

3. क्या यह सही है कि सिरोही जिले में भयंकर अकाल के कारण गांवों में अनाज की व्यवस्था बहुत ही खराब है इसलिए लोग भूखों मरते जा रहे हैं? यदि हां, तो उनके लिए अलग से राशन देने का क्या योजना है?

उत्तर

(1) गत वर्ष यानी 1974 में आबू रोड में कोई बाढ़ नहीं आई। सन् 1975 में आबू रोड में बाढ़ अवश्य आई थी। बाढ़ग्रस्त एवं अन्य परिवारों को गेहूं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधीश सिरोही द्वारा आबू रोड के व्यापारियों को दूसरे जिले से गेहूं लाने के परमिट दिये थे। उस गेहूं को लाकर व्यापारियों ने उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार वितरण किया। जुलाई 73 से अब तक जिन व्यापारियों को परमिट दिया गया है की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखिये)

(2) यह सत्य नहीं है कि आबू रोड के किसी भी व्यापारी ने दूसरे जिले से गेहूं लाकर गुजरात में महंगे भाव पर बेचा है। कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा जो अभियोग दायर किये गये हैं वे उनके विरुद्ध मंडी अधिनियम के अवहेलना के तहत

Page No 31

(31)

(खाद्य मन्त्री)

उत्तर

मुकदमें दायर किये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। खाद्यान्न उपलब्धि के आधार पर गांवों में भी वितरण किया जा रहा है एवं खुले बाजार में भी खाद्यान्न उपलब्ध है।

अकाल के कारण गांव छोड़कर जाने वाले परिवारों को आवासीय भू-खण्ड

564. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति एवं कृषि श्रमिकों को राजस्थान राज्य के गांवों में आवासीय भू-खण्डों के आवंटन में क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कोई व्यवस्था है, कि जो अकाल के कारण अपना गांव छोड़ कर दीवाली के आस पास ही बाहर चले गये थे एवं सं. 2032 के बैशाख-जेठ माल में वापिस लौटेंगे ?

2. क्या यह मामला जिलाधीश, नागौर ने इस अभियान के सम्बन्ध में पूर्व में बुलाई गई बैठक में उठाया था ?

उत्तर

(1) अकाल के कारण परिवारों के बाहर चले जाने से ऐसे परिवारों को आवंटन किया जाना संभव नहीं था।

(2) जी नहीं।

समाचार पत्रों में चित्रों का प्रकाशन

566. श्री जनार्दनसिंह (गांधीनगर, जयपुर): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या जन-सम्पर्क विभाग समाचार पत्रों को चित्र भी प्रकाशनार्थ भेजता है ?

2. 1 अप्रेल 1974 से 1 फरवरी 1975 तक कितने चित्रों की कितनी प्रतियां किस किस दैनिक पत्र को प्रकाशनार्थ भेजी गईं ? ये चित्र किस किस प्रकार के थे ?

3. उपरोक्त समय में कितने समाचार पत्रों में कुल कितने चित्रों की प्रतियां प्रकाशित हुईं ?

4. क्या उक्त विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिससे यह पता चल सके कि कुल भेजे गये चित्रों के कितने प्रतिशत चित्र प्रकाशित होते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 1 अप्रेल, 1974 से 1 फरवरी, 1975 तक 313 चित्रों की 5044 प्रतियां राजस्थान तथा दिल्ली के हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के दैनिक पत्रों को दी गई जिनकी सूची-सदन की मेज पर रखदी गई है। इस संख्या में वे चित्र भी सम्मिलित हैं जो राज्य के सूचना केन्द्रों को भेजे जाते हैं और वहां प्रदर्शित किये जाते हैं। ये सभी चित्र विभिन्न राजकीय समारोहों, विकास कार्यों तथा अन्य उल्लेखनीय गतिविधियों से सम्बन्धित थे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखिये)

(3) इस प्रकार की जानकारी नहीं रखी जाती।

(4) जी नहीं।

ग्राम सेमारी में पीने के पानी की व्यवस्था

567. श्री देवीलाल (सराड़ा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि जिला उदयपुर में सराड़ा के गांव सेमारी की ग्रामीण जनता को पीने का पानी देने के लिये जन-स्वास्थ्य विभाग उदयपुर द्वारा टंकी का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो टंकी निर्माण में कुल कितनी धन-राशि खर्च हो चुकी है।

2. क्या टंकी निर्माण का कार्य जन स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर ने किया था या किसी ठेकेदार से कराया गया था? यदि हां, तो किस ठेकेदार को ठेका दिया गया था?

3. क्या यह सही है कि टंकी का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो काम कब पूरा कराया गया है?

4. क्या यह सही है कि टंकी में एक बून्द भी पानी नहीं रहता है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। टंकी के निर्माण पर जनवरी, 1975 तक 41532 रु० व्यय किये जा चुके हैं।

(2) टंकी का निर्माण कार्य मैसर्स नागशाह श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०, उदयपुर द्वारा किया गया है।

(3) टंकी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है सिर्फ फिनिशिंग का कार्य बाकी है।

(4) जी नहीं। सेमारी ग्राम को इस टंकी के द्वारा ही जल वितरण किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार

302. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राज्य में 31 दिसम्बर, 1974 तक कुल कितने शिक्षित व अशिक्षित लोग बेरोजगार थे?

2. राज्य सरकार की 1974-75 में कितने शिक्षित-अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना है?

3. इस सम्बन्ध में किस किस जिले में क्या योजनायें कब कब चालू की जावेगी।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

वैद्य एवं महिला वैद्यों को चार्ज शीट

303. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि सन् 1973 एवं 1974 की अवधि में कई वैद्यों एवं कई महिला वैद्यों को कई जिलों में सस्पेण्ड

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

किया गया था ? यदि हाँ, तो किस किस को कब कब ? जिलेवाईज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या यह सही है कि इन चिकित्सकों को मोअत्तिल किये जाने से पूर्व चार्जशीट नहीं दी गयी थी ? यदि हां तो क्यों ?

3. क्या यह सही है कि अब उपरोक्त लोगों को चार्ज शीटें दी जा चुकी हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक को चार्ज शीट कब दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

4. क्या यह सही है कि उपरोक्त वैद्य एवं महिला वैद्यों द्वारा चार्ज शीटों का जवाब दिये काफी समय हो चुका है ? यदि हां, तो उन पर निर्णय कब तक दे दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जिन वैद्यों को निलम्बित किया गया है उनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

(2) जी हां। राजस्थान असैनिक सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) रूल्स 1957, की धारा 13 के साथ पठित धारा 16 व 17 में वर्णित प्रक्रिया का नियमित पालन किया जाना आरोप पत्र एवं दोषारोपण विवरण पत्र दोषी कर्मचारियों की निलम्बित किये जाने के पश्चात् दिये गये हैं।

(3) जी हां। चार्ज शीट देने के दिनांक की सूचना संलग्न सूची में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वैद्य नारायण लाल निराला को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण निलम्बित किया गया। इनके विभाग द्वारा कोई चार्ज शीट नियमित नहीं की गई।

(4) चार्ज शीट का उत्तर देने का दिनांक संलग्न सूची में उपलब्ध है। निर्णय जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही लिया जा सकेगा।

आयुर्वेद औषधालय पापड़दा (जयपुर) के वैद्य की पेन्शन का मामला

304. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि वैद्य गोपाल कृष्ण शर्मा दि. 4-1-74 को आयुर्वेद औषधालय पापड़दा, जिला जयपुर (पश्चिम क्षेत्र) से सेवा मुक्त हुए ?

2. क्या यह सही है कि उक्त वैद्य की पेंशन की पत्रावली सेवा निवृत्त होने से पूर्व दि. 24-11-73 को जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय जयपुर (पश्चिम) के यहां प्रस्तुत की जा चुकी थी ?

3. यदि हां, तो उनकी कितने रुपये मासिक पेंशन निश्चित की गई और उन्हें पेंशन किस तिथि से मिलनी प्रारम्भ हुई ? यदि पेंशन मिलनी प्रारंभ नहीं हुई तो क्यों ? और उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसे क्या सजा दी जावेगी ? और उक्त वैद्य की पेन्शन कब तक निर्धारित करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) वैद्य श्री गोपाल कृष्ण शर्मा की पेंशन मिलना अभी तक इसलिए सम्भव नहीं हो सका कि सम्बन्धित वैद्य की सी.पी.एफ. कटौती (जो कि जिला बोर्ड जयपुर द्वारा की गई थी) का विवरण पत्रक विलम्ब से दिनांक 28-11-74 को जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, जयपुर (पश्चिम क्षेत्र) को जिला विकास अधिकारी जयपुर कार्यालय से प्राप्त हुआ था। अब वैद्य श्री शर्मा को पेंशन पत्रावली जिला अधिकारी, आयुर्वेद, पश्चिम क्षेत्र जयपुर द्वारा तैयार कर उप निदेशक, आयुर्वेद जयपुर को दिनांक 6-3-75 को भेज दी गई है। निदेशालय में पेन्शन पत्रावली प्राप्त होने पर महालेखाकार, जयपुर को प्रेषित कर पेन्शन निर्णीत करवाने की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी व अनाज का कोटा

305. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि 1 जनवरी, सन् 72 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि में बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी एवं अनाज का पूरा कोटा डीलरों द्वारा उठा लिया गया? यदि हां, तो किन किन डीलर्स द्वारा कब कब कितनी कितनी चीनी एवं कितने अनाज का कोटा उठाया गया? कोटा ले जाने वाले लोगों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

2. क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि में डीलरों के विरूद्ध राशन चीनी एवं अनाज का ब्लॉक करने, व समान रूप से वितरण नहीं किये जाने की अनेकानेक शिकायतें पेश की गई? यदि हां, तो जिन जिन डीलरों के विरूद्ध शिकायतें पेश की गई उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

3. क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र महाजन, कुंभाणा, कानोलाई, आगीर, सोढवाली, जैतपुर एवं काकड़वाले की चीणी एवं अनाज का 1 जनवरी सन् 1972 से 31 दिसम्बर 1974 तक का निर्धारित कोटा ग्राम पंचायतों या डीलरों को नहीं दिया गया? यदि नहीं तो उपरोक्त अवधि का कोटा कब कब किस किस को कितना कितना कहां कहां से दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) तहसील लूणकरनसर में ग्राम पंचायत रामबाग, जैतपुर, जामोसर, के अनाज व चीनी वितरण में डिलरों के विरुद्ध शिकायत पैदा हुई जिसकी मांग की जाकर सम्बन्धित डीलरों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया जिसकी कार्यवाही न्यायालय चीफ जुडिशियल महोदय में जेरकार है। निर्णय नहीं हुआ है तहसीलदार बीकानेर, कोलायत व नोखा की रिपोर्ट के अनुसार किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने की इतला प्राप्त हुई है।

Page No 35

35

उत्तर

(3) जिस 2 ग्राम पंचायत को इस अवधि में जितना जितना कोटा दिया गया उसकी सूची संलग्न है।

निर्धन वर्ग को आवश्यक वस्तु सप्लाई करने की योजना

306. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि समाज के निर्धन वर्ग को निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तु सप्लाई करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

2. सरकार की परिभाषा में आवश्यक वस्तु कौन कौन सी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, समाज के निर्धन वर्ग को निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तु सप्लाई करने की योजना केन्द्रीय सरकार एव राज्य सरकार के विचाराधीन है योजना को अन्तिम रूप अभी तक नहीं दिया गया है।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत घोषित आवश्यक वस्तुओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डेयरी विकास योजना

307. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. राज्य में डेयरी विकास की क्या योजना है कृपया योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

2. उक्त योजना को पूरा करने के लिये किस किस जिले में कितना कितना रुपया व्यय किया जावेगा ? कृपया ब्योरेवार बतावें।

3. जयपुर डेयरी का क्षेत्र कहां तक है ? इस डेयरी को पशुपालक किस प्रकार दूध देवते हैं ?

4. क्या यह सही है कि पशुपालकों को उक्त योजना के तहत ऋण देने की व्यवस्था भी होगी ? यदि हां, तो कहां कहां कितना और किन शर्तों पर ?

उत्तर

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में डेयरी विकास के लिए विभिन्न श्रोतों से प्रावधान उपलब्ध होंगे :—

(1) (अ) बीकानेर डेयरी के लिये 1.86 करोड़ रुपये राष्ट्रीय डेयरी निगम से प्राप्त होंगे और इसके अन्तर्गत बनने वाले चिलिंग सेन्टर जो सरदारशहर व लूणकरणसर में होंगे उनके प्रत्येक के लिए 13 लाख रुपये डी. पी. ए. पी. मद से उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ब) जोधपुर डेयरी के लिए निम्न, प्रावधान उपलब्ध होने की सम्भावना है।

Page No 36

(36)

उत्तर

राष्ट्रीय डेयरी निगम	40 लाख रुपये
राष्ट्रीय सहकारी वि.निगम	42 लाख रुपये
डी. पी. ए. पी.	35 लाख रुपये
राजकीय योजना मद	38 लाख रुपये
योग	155 लाख रुपये

इसके मिल्क शैड में चार चिलिंग सेन्टर पोकरण, पाली, बालोतरा व मेड़ता में होंगे जिनके लिए 51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(स) अजमेर डेयरी की अनुमानित लागत 44 लाख रुपये है जिसमें 10 लाख रुपये एम. एफ. ए. एल. से, 22-40 लाख रुपये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से एवं शेष राजकीय योजना मद व कृषकों के अंशदान से उपलब्ध होंगे।

(द) कोटा डेयरी की अनुमानित लागत 40 लाख रुपये है जिसमें से 28 लाख रुपये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं शेष राजकीय योजना मद से व कृषकों के अन्शदान से उपलब्ध होंगे।

(य) विश्व बैंक द्वारा 41-44 करोड़ रुपये 6 जिलों में डेयरी विकास कार्य-क्रम हेतु स्वीकृत किये है इसमें 5 संघ बनाये जायेंगे और प्रत्येक संघ के पास डेयरी संयंत्र फिल्ड प्लांट, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र होंगे। इसका विवरण इस प्रकार है।

नियन का नाम	कुल योजना की लागत	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	वित्तीय साधनों की उपलब्धि (करोड़ों में) भारत सरकार	राज्य सरकार	ए. आर. सी. व बैंक	सहकारी समिति
1—जयपुर	41-44	22-16	6-86	7-73	4-49	0-20
2—अलवर						
3—अजमेर						
4—भरतपुर						
5—सवाई माधोपुर एवं टोंक						

इन योजना के अन्तर्गत 1800 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा। जिला संघ के अतिरिक्त वैक्सीनेशन उत्पादन एवं रोग अनुसंधान शाला, राजस्थान डेयरी विकास निगम के अन्तर्गत स्थापित की जायेगी। योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(2) प्रत्येक परियोजनावार अनुमानित लागत एवं प्रावधानों की उपलब्धि के श्रोत प्रश्न के अंश 1 में अंकित कर दिये हैं।

(3) जयपुर डेयरी में जयपुर जिला व समीपवर्ती टोंक जिले के कुछ गांवों से दूध एकत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी

उत्तर

संघ लि. अजमेर से भी दूध प्राप्त होता है। दूध संग्रह, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

(4) पशुपालकों को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। यह ऋण कितना एवं किन शर्तों पर दिया जायेगा यह बैंक, ए. आर. सी. एवं राज्य सरकार को अलग से तय करना होगा।

भू-तल जल का सर्वे

308. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में किन किन जिलों में भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से सर्वे किया गया ? सूची मय सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

राजस्थान के सभी जिलों का प्रारम्भिक भू-जल सर्वेक्षण किया जा चुका है। भू-जल की प्राप्ति की दृष्टि से जिन जिन जिलों की जिन जिन पंचायत समितियों का अर्द्धविस्तृत सर्वेक्षण सन् 1973-74 तक किया जा चुका है एवं जिनका 1974-75 में सर्वेक्षण चालू है उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

सर्वेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रक्खा जाना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बिक्री कर की वसूली

309. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राज्य में बिक्री कर की कितनी राशि कितने वर्षों से बकाया चली आ रही है और राज्य सरकार ने इसकी वसूली के लिए क्या क्या प्रयास किये हैं और उनमें क्या सफलता प्राप्त हुई है सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

2. राज्य में बिक्री कर की वसूली गत पांच वर्षों में किस प्रकार हुई है वार्षिक आंकड़े अलग अलग वर्ष के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) दिनांक 1-7-74 को राज्य में बिक्री कर की बकाया राशि रु० 426-88 लाख थी, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष		बिक्री-कर की बकाया राशि लाखों में
1967-68 तक	रु०	70-58
1968-69	रु०	11-51
1969-70	रु०	8-86
1970-71	रु०	9-50
1971-72	रु०	107-86
1972-73	रु०	55-50
1973-74	रु०	77-18
1974-75	रु०	85-89
दि० 1-7-74 तक	रु०	426-88

उत्तर

उपरोक्त बकाया में से रु० 145-21 लाख की राशि विवादग्रस्त होने एवं स्थगन आदेशों के कारण बकाया है। रु० 82-43 लाख की राशि की वसूली में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है। शेष रु० 199-20 लाख की वसूली विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत की जा रही है। विभाग द्वारा वसूली के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। बिक्री कर से वर्ष 1973-74 तक कुल आय रु० 29290-77 लाख हुई है, जबकि बकाया राशि केवल मात्र रु० 426-88 लाख है, जो 1.5% से भी कम होने के कारण नगण्य ही है।

(2) राज्य में बिक्री-कर से गत पांच वर्षों में हुई आय निम्न प्रकार है :—

वर्ष		(राशि लाखों में)
1969-70	रु०	2613-09
1970-71	रु०	2796-77
1971-72	रु०	3309-75
1972-73	रु०	3705-11
1973-74	रु०	4488-19

हरिजन छात्रावास

310. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. टोंक जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित कितने हरिजन छात्रावास हैं और उनमें कितने विद्यार्थी भर्ती हैं ?

2. क्या राज्य सरकार उनमें छात्रों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

3. क्या राज्य सरकार छात्राओं की आवश्यकता को देखते हुए हरिजन छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) टोंक जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये एक छात्रावास है जो टोंक में चल रहा है। इसकी स्वीकृत संख्या 50 है और इसमें 50 छात्रों को प्रवेश किया गया है। इसके अलावा निवाई, जिला टोंक में अनुसूचित जाति के छात्रों का एक अनुदानित छात्रावास स्वयं सेवी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है जिसकी स्वीकृत संख्या 35 है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये टोंक जिले में कन्या छात्रावास खोलने का अभी कोई विचार नहीं है। टोंक जिले की छात्राएं राजकीय कन्या छात्रावास, जयपुर या कोटा में प्रवेश ले सकती हैं।

कामगारों के कम्पनसेशन के मामले

311. श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राजस्थान में वर्कमैन कम्पनसेशन कमिश्नर की ऐसी कितनी अदालतें हैं जिनमें कामगारों के कम्पनसेशन के मामले सुने जाते हैं और किस किस अदालत में कितने कितने केस कब से विचाराधीन हैं ?

Page No 39

39

(श्री केशरीमल)

2. उक्त सभी अदालतों में वर्कमैन कम्पनसेशन के कितने ऐसे केस हैं जिनके फैसले हो चुके हैं किन्तु रिकवरी नहीं हो सकी है ? इन केसों के फैसले की तारीख क्या है और रिकवरी की कार्यवाही किस स्टेज पर कहां कहां हो रही है ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

3. राज्य सरकार द्वारा रिकवरी कराई जाकर भुगतान शीघ्र कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और देरी के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्कमैन कम्पनसेशन कमिश्नर की कुल 9 अदालतें हैं, जिनमें 201 केसेज विचाराधीन हैं। (विस्तृत जानकारी तालिका 'ब' में दी गई है)

(2) राजस्थान में वर्कमैन कम्पनसेशन कमिश्नरों को अदालतों में 37 केसेज ऐसे हैं जिनके फैसले हो चुके हैं किन्तु मुआवजे की अभी तक रिकवरी नहीं हो सकी। इन केसेज के फैसलों की तारीखें तथा रिकवरी की कार्यवाही की स्टेज के बारे में विस्तृत जानकारी ता[illegible]दी गई है।

(3) (क) वर्कमैन कम्पनसेशन कमिश्नर की अदालत में फैसला हो जाने के पश्चात् रकम जमा नहीं कराने पर अदलत द्वारा वसूली की कार्यवाही के लिए संबन्धित जिलाधीश को लिख दिया जाता है। वसूली में विलम्ब होने की दशा में जिलाधीश (पी. डी. आर.) को पुनः स्मरण पत्र दिया जाता है। चूंकि रिकवरी का कार्य पी. डी. आर. के अन्तर्गत आता है। जो कानूनी कार्यवाही है इसमें विलम्ब कानूनी प्रक्रियाओं के कारण होता है।

(ब) कुछ केसेज में रिकवरी इसलिए भी नहीं हो पाती है कि नियोजक जिसके विरुद्ध रिकवरी के लिए डिग्री की जाती है उसके पास चल अचल सम्पत्ति नहीं होती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सांचोर में शास्त्री सदन नामक अनुसूचित जाति के छात्रावास को अनुदान

312. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि सांचोर, जिला जालोर में 'शास्त्री सदन' नामक अनुसूचित जाति छात्रावास अनुदान द्वारा चलाया जा रहा है ? अगर हां, तो कब से एवं अब प्रति छात्र कितना अनुदान दिया जाता है ? एवं कुल कितने छात्रों का कितने माह का सालाना कितना अनुदान दिया जाता है ?

2. क्या यह भी सत्य है कि उक्त अनुदान की राशि से उक्त छात्रावास को चलाने में बड़ी भारी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार अनुदान की रकम बढ़ाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक कितना अनुदान बढ़ा दिया जावेगा ? उक्त छात्रावास को अनुदान किन किन नियमों के आधार पर दिया जाता है ? क्या सरकार नियमों को सरल कर अनुदान की रकम छात्रावास चलाने के

Page No 40

(40)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लिए अग्रिम राशि के रूप में दिलाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

3. क्या सरकार उक्त छात्रावास को पूरा चलाने के लिए अपने हाथों में लेना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त छात्रावास की सीटें बढ़ाना उचित समझेगी अगर हां, तो कब तक कितनी सीटें बढ़ा दी जावेगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सांचोर जिला जालोर में शास्त्री सदन नामक एक अनुदानित छात्रावास अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए चलाया जा रहा है। यह छात्रावास सन् 1968-69 से चलाया जा रहा है। अब समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रति छात्र प्रति माह निम्न दरों से अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है :—

1. कक्षा 5वीं से 8 तक 55) रुपये

2. कक्षा 9वीं से 11 तक 60) रुपये

इस छात्रावास की स्वीकृत छात्र संख्या 40 हैं, जिनकेलिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए उपरोक्त दरों से अनुदान दिया जाता है।

(2) वर्तमान महंगाई को देखते हुए उपरोक्त राशि से छात्रावास चलाने में कठिनाई हो सकती है परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह एक सामान्य (जनरल) समस्या है। वर्तमान में अनुदान की दर बढ़ाने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। अनुदानित छात्रावासों को मान्यता देने एवं अनुदान स्वीकृत करने के लिए अलग से नियम बने हुए हैं। अनुदान की दरों के सम्बन्ध में नवीनतम आदेश क्रमांक एफ 7(1) स. वि./अनु. छा./स्केल./74-75/1930 दिनांक 15-1-75 की प्रतिलिपि* सदन की मेज पर रख दी गई है। नवीनतम आदेशों के अन्तर्गत अनुदान की राशि अग्रिम रूप से दिलाने का प्रावधान उपलब्ध है।

*प्रतिलिपि के लिए (कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

(3) उक्त छात्रावास को चलाने के लिये तथा छात्रावास में सीटें बढ़ाने के लिये अनुदानित संस्था से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अत: इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

बीकानेर जयपुर रूट पर निगम की बसें

313. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नाखा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. बसों के राष्ट्रीयकरण से पहले बीकानेर-सालासर तथा बीकानेर-जयपुर वाया सुजानगढ़ रूट पर किस-किस समय पर कितनी बसें दिन भर में चलती थीं ?

2. राष्ट्रीयकरण के बाद राज्य परिवहन की बसों का (क) बीकानेर-सालासर (ख) बीकानेर-जयपुर वाया सुजानगढ़ पर आने जाने का बसों का क्या-क्या समय है ?

3. क्या यह सही है कि उपरोक्त रूट्स पर राज्य परिवहन की बसें निजी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बसों से कम संख्या में चलती हैं ? अगर हां, तो ऐसा क्यों ?

4. क्या यह सही है कि निगम द्वारा प्रकाशित समय तालिका के अनुसार निर्धारित बस इन रूट्स पर नहीं चलती ? यदि हां, तो इसकी क्या व्यवस्था कर दी जावेगी ?

5. क्या यह सही है कि उपरोक्त रूट्स पर राज्य परिवहन निगम की बसें समय तालिका के अनुसार निर्धारित समय पर किसी भी गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचती ? यदि हां, तो बस व्यवस्था के सुधार के क्या उपाय किये गये हैं ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीयकरण से पहिले बीकानेर सालासर तथा बीकानेर-जयपुर वाया सुजानगढ़ मार्ग पर संचालित बसों की समय सारणी संलग्न है।

(2) इन मार्गों पर चलने वाली निगम की बसों की समय सारिणी संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। बसों की कमी अथवा यांत्रिक खराबी के कारण यदा–कदा बसों के पहुंचने में विलम्ब हो जाता है। इस दिशा में सुधार हेतु निगम सतत प्रयत्नशील है।

(सूचा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को आवासीय भू-खण्ड

314. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को हाल ही में आवासीय भू-खण्ड मुफ्त में बांटे गए हैं ? अगर हां, तो कुल कितने लोगों को ऐसे भू-खण्ड कब से कब तक बांटे गए हैं ?

2. क्या यह सत्य है कि उक्त आवासीय भू-खण्ड बांटे गए लोगों की एक गृह निर्माण सहकारी समिति गठित करने का सरकार इरादा रखती है ? अगर हां, तो उक्त सहकारी समिति का गठन कब तक करवा दिया जावेगा ?

3. क्या यह भी सत्य है कि उक्त नव गठित गृह निर्माण सहकारी समिति की हिस्सा राशि के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा रकम दी जावेगी ? अगर हां, तो प्रति सदस्य कितनी रकम की हिस्सा राशि की सहायता समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त समिति को दी जावेगी ? यह कार्य कब तक हो जावेगा ?

4. क्या यह भी सत्य है कि उक्त नव गठित गृह निर्माण सहकारी समिति को राज्य गृह निर्माण समिति द्वारा मकान बनाने हेतु रकम आवंटित की जावेगी अगर हां, तो प्रति मकान किस हिसाब से रकम दी जावेगी ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

5. क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्रकार के मकान बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार भी कुछ सहायता देगी ? अगर हां, तो यह सहायता किस हिसाब से दी जावेगी ? उपरोक्त विषय में क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सहयोग से कोई निश्चित योजना बना ली है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं तो क्यों ? क्या भविष्य में इस प्रकार का योजना सरकार बनाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

6. राज्य में अन्य प्रकार के लोगों के लिए आवासीय भूमि की एवं मकानों की समस्या के समाधान के लिए सरकार कब तक किस प्रकार की योजना क्रियान्वित करने का विचार रखती है ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करेंगे ?

उत्तर

(1) इस प्रश्न का संबंध राजस्व विभाग से है।

(2) इस प्रश्न का संबंध सहकारी विभाग से है।

(3) गृह निर्माण सहकारी समिति का पंजिकरण होने के पश्चात् दी राजस्थान स्टेट हाउसिंग को-आपरेटिव फाइनेन्स सोसायटी लि० जयपुर द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने पर समाज कल्याण विभाग द्वारा हिस्सा पूंजी क्रय करने हेतु प्रति सदस्य 300 रुपये की दर से अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इस ऋण पर ब्याज का पुन: भुगतान भी समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

(4) गृह निर्माण हेतु ऋण दी राजस्थान स्टेट हाउसिंग को-आपरेटिव फाईनेन्स सोसायटी लि० जयपुर द्वारा 4000 रुपये प्रति परिवार की दर से स्वीकृत किया जाता है।

(5) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय अर्थ प्रबन्धित योजना में गृह निर्माण हेतु सहायता के लिए कोई प्रावधान पंचम पंचवर्षीय योजना में नहीं रखा है और न ही इस प्रकार की कोई निश्चित योजना बनाई है, क्योंकि मकान सहायता अब केन्द्रीय अर्थ प्रबन्धित योजनाओं का अंग नहीं है।

(6) इसका संबंध इस विभाग से नहीं है।

रायसिंह नगर पंचायत समिति के हाल का किराया

315. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जिला श्री गंगानगर के किसानों ने ता. 13-12-74 को अपनी समस्याओं पर विचार करने हेतु बैठक के लिए पंचायत समिति रायसिंह नगर से पंचायत समिति का हाल चार घन्टे के लिए मांगा था मगर विकास अधिकारी ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि हाल में सी. ओ. पुलिस रायसिंह नगर का कार्यालय चल रहा है ?

2. क्या किसानों को उनके क्षेत्र का उनके पैसे से बना पंचायत समिति के हाल को प्रयोग में लाने का अधिकार है ? यदि है तो क्या सरकार विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

3. क्या यह भी सही है कि पुलिस विभाग केवल उस समय हाल को प्रयोग में ला सकता है जबकि उस क्षेत्र के किसानों को हाल की आवश्यकता न हो ?

4. क्या यह भी सच है कि वह हाल कई माह से पुलिस अपने प्रयोग में ला रही है। मगर उसका पुलिस विभाग से कोई किराया वसूल नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। चार घन्टे का कोई जिक्र नही था। विकास अधिकारी ने इन्कार नहीं किया बल्कि प्रधान से राय लेने को कहा था यह गलत है कि सी ग्रो. पुलिस का कार्यालय था।

(2) ऐसे कोई नियम नहीं बने हैं पंचायत समिति राजनैतिक कार्यों एवं जिन कार्य से शान्ति व्यवस्था भंग न हो, उनको दे दिया करती है। विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) जी नहीं।

बेरोजगारी की समस्या

316. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सन् 1971-72 में एक केन्द्रीय क्रेस योजना लागू की गई ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत सन् 1971 से 1974 तक जयपुर जिले में किन किन कार्यों के लिये स्वीकृति कब कब दी गई ?

2. उक्त कार्यों में कितने कितने मजदूरों को कब से खपाया गया और उन कार्यों की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालरापाटन नगरपालिका द्वारा लोहे की चुंगी

317. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. क्या यह सही है कि झालरापाटन नगरपालिका प्रशासक द्वारा लोहे की चुंगी 1.50 रुपया के स्थान पर 2 रुपया क्विन्टल और पुराने लोहे पर चुंगी 1 रुपया के स्थान पर 1.50 रुपया क्विन्टल कर देने की सिफारिश की गई थी ?

2. यदि हां, तो क्या यह चुंगी क्विन्टल के स्थान पर प्रतिशत में कर दी गई। इसके कारण चुंगी में भारी फर्क हो गया ?

3. क्या यह सही है कि कुछ और भी चीजों में इस प्रकार की गलतियां हुई हैं,

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

जिसे शुद्ध करने को प्रशासक लिख चुके हैं परन्तु शुद्धि-पत्र आज तक नहीं भेजा गया ?

4. अब कब तक शुद्धि-पत्र भेज दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(2) जी हां। टाइप की गलतियां रह गई थी इसलिए दिनांक 25-2-75 को शुद्धि-पत्र जारी कर दिया गया है।

(4) प्रश्न का उत्तर प्रश्न के भाग 3 में दे दिया गया है।

मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग लोन

318. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या गृह निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के विभिन्न जिलों में मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग लोन शुरू से लेकर अब तक कितना कितना दिया गया ? जिलेवार वार्षिक आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

गंगधार व पचपहाड़ में अनुसूचित जाति एवं जन जातियों को कृषि भूमि का अलाटमेंट

319. श्री ओंकारलाल चौहान (डग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील गंगधार व तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को 1974-75 में कितनी कृषि भूमि अब तक एलाट हो चुकी है ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

तहसील गंगधार व तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों को वर्ष 1974-75 में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण कोई आवंटन नहीं किया गया है अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटपूतली के लेक हाउस भवन का किराया

320. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि कोटपूतली में सरकार द्वारा लेक हाउस का भवन किराये पर लिया हुआ है ? यदि हां, तो इस किराये में क्या क्या शामिल हैं तथा भवन किस कार्य में आता है ?

2. क्या यह सही है कि उक्त भवन में रैस्ट हाउस भी है ? यदि हां, तो इसमें क्या क्या सुविधायें हैं ?

3. क्या यह सही है कि उक्त भवन के चारों तरफ कृषि भूमि है जो किराये में शामिल नहीं है और हर वर्ष नीलाम की जाती है ? यदि हां, तो किन नियमों व

(श्री सुरेशचन्द्र)

आदेशों के तहत नीलामी की कार्यवाही की जाती है ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

4. क्या सरकार उक्त कृषि भूमि व भवन को खरीदने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी हां, किराये में लेक हाउस की मेन बिल्डिग दो आउटर सर्वेन्ट्स क्वार्टर व कम्पाउन्ड वाल के भीतर वाली जमीन शामिल है। भवन के दो भाग हैं–एक भाग में रेस्ट हाउस और दूसरे भाग में उप जिलाधीश कोटपूतली का निवास है तथा सर्वेन्ट्स क्वार्टर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट व अधिदर्शक, भवन एवं पथ के निवास के काम में आते हैं।

(2) जी हां, रेस्ट हाउस में दरी, कुर्सी, मेज, पलंग तथा बिजली व बाथरूम की सुविधायें प्राप्त हैं।

(3) जी नहीं, जिस वर्ष कृषि योग्य खाली भूमि में काश्त रखी जाती है तो नीलाम करदी जाती है। किराये की भूमि की पैदावार को नीलाम करने संबंधी कोई नियम नहीं है। परन्तु राज्य हित में आय बढ़ाने की दृष्टि से उप जिलाधीश नीलामी की कार्यवाही करते हैं।

(4) जी हां, यह प्रश्न विचाराधीन है।

बीकानेर जिले में गोचर भूमि

321. श्री चुन्नीलाल इन्द्रलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में गोचर भूमि निर्धारित की जा चुकी है ? यदि हां, तो निर्धारित की गई गोचर भूमि के ग्राम वाइज मय खसरों के तादादी बीघा सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या यह सही है कि जिले के बाकी ग्रामों में गोचर भूमि निर्धारित करने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक इस कार्य को सम्पन्न कर दिया जाएगा ?

3. क्या सरकार बीकानेर जिले में बन्दोबस्त कराने या पुनः बन्दोबस्त कराने का निकट भविष्य में इरादा रखती है ? यदि हां, तो कहां कहां और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सूचियां मेज पर रख दी गई हैं।

(2) सम्बन्धित गांव के मांग पर आवश्यकतानुसार राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा के अधीन चारागाह के लिए भूमि उप जिलाधीश द्वारा सुरक्षित की जाती है।

(3) राज्य सरकार के कार्यक्रम के अनुसार भू-प्रबन्ध कार्य वर्ष 1975-76 में प्रारम्भ किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू जिले में सड़कों के नीचे आई भूमि का मुआवजा

322. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जिला चूरू में सड़कों के नीचे आई हुई जमीन का मुआवजा क्या सम्बन्धित किसानों को दे दिया गया है ?

2. अगर नहीं तो क्यों नहीं, दिया गया है ?

3. अगर दिया गया हो तो कहां-कहां किन-किन को कितना-कितना और कौनसी तारीखों में दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

4. इसी सन्दर्भ में क्या उपरोक्त जमीन का लगान काट दिया गया है ?

5. अगर नहीं तो क्यों नहीं ? अगर हां, तो कहां-कहां और कितना-कितना सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

उत्तर

(क) सड़कों के नीचे आई हुई भूमि का मुआवजा कई किसानों को चुका दिया गया है तथा कइयों को चुकाना शेष है।

(ख) सार्वजनिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने से व अधिशाषी अभियन्ता से राजीनामा फार्म प्राप्त न होने से शेष का चुकारा न हो सका।

(ग) सूची संलग्न है।

(घ) सड़कों के नीचे आई हुई भूमि का लगान काट दिया गया है जिसकी सूची संलग्न है। उन्हीं सड़कों का लगान नहीं काटा है जो गत फैमिन में बनी थी।

(ङ) जी हां। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का स्थायी आवंटन

323. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राजस्थान नहर क्षेत्र में श्री चरण कुमार को 28 ए. एस. उपनिवेशन तहसील अनूपगढ़ में जो भूमि का स्थायी आवंटन किया गया है वह किस आधार पर किया गया है ?

2. क्या यह सच है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का स्थायी आवंटन पक्षपात व गलत तरीकों से किया जा रहा है ? और गरीबों व भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल रही है ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी रोकथाम की कार्यवाही करेगी ? और कब तक ?

उत्तर

(1) चक नं. 28 ए. एस. में कोई स्थायी आवंटन नहीं किया गया। अतः आधार का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं। भूमि का आवंटन नियमानुसार किया जा रहा है।

Page No 47

(47)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव व मीठालाल, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर में गत 15 मार्च, को निकाले गये कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक जलूस में जनता में फैले आतंक तथा जनसंघ कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा पीटे जाने के विषय में।

इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

2. श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 20 फरवरी को मनाराम पुत्र केसराराम नामक कातिल के पुलिस हिरासत से भाग जाने के विषय में। यह एक प्रश्न का विषय है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है? अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माननीय सदस्य ने समाओं में गड़बड़ियां करने के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा था उनमें उन्होंने कहा है कि सभा में 15 तारीख को उन्होंने आस पास के× × × को बुलाकर······

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, अगर मैं इनको × × × कहूं तो·····

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को अपील करना चाहता हूं कि वे इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करें जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं हो।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, यह बकवास है, और बिल्कुल गलत है, × × × का इस्तेमाल करना, ऐसे अल्फाज बोलना उसूलन गलत है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इनको × × × कहूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'गुण्डा' शब्द गुन्डा एक्ट लागू हुआ तबसे जायज कर दिया गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आसपास के× × × को इस प्रकार से लाकर शहर के अन्दर आतंक फैलाया, उन लोगों के पास फरसे, साधारण कपड़ों में कुल्हाड़ियां, बल्लम लेकर वे शहरों में निकले और गन्दी गालियां देते हुए और शराब पीकर निकले थे यह लक्षण किसी अच्छे व्यक्ति के नहीं है। कॉलेज के छात्रों ने जिलाधीश महोदय को जाकर निवेदन किया कि इस कार्यवाही का रोका जावे नहीं तो अलवर शहर में असन्तोष और आतंक फैल जायगा और झगड़ा होने की संभावना है लेकिन जिलाधीश ने कहा कि हमको ऐसा आदेश है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जलूस निकलने दिया जाय इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी दल अगर इस प्रकार से आतंक फैलाने का प्रयास करे, तो क्या जिलाधीश का कर्त्तव्य नहीं है

× × × ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गए।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

कि उसको वहीं रोक दें ? परन्तु जिलाधीश ने कोई सुनवाई नहीं की और फिर वह जलूस धीरे-धीरे एक सभा में परिणत हो गया और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भाषण भी दे रहे थे। कोई भी दल के नेता सभा आयोजित करके भाषण देवें इसके लिए मुझको आपत्ति नहीं है, हर एक दल को अपना-अपना प्रचार करने का और अपनी बात कहने का अधिकार है, वह अपने-अपने ढंग से करें। परन्तु इस प्रकार से आतंक फैलाने वाला प्रदर्शन होवे और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करे जबकि कालेज के छात्रों ने जिलाधीश को निवेदन भी किया उसके बाद भी लाठी चार्ज करवाकर कई लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया उसमें कई घायल भी हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब सभा के बाद लोग लौट रहे थे, उस समय एक युवक कांग्रेस के नेता थे श्री चन्द्रशेखर शर्मा.

श्री निरंजननाथ आचार्य : बड़ी हमदर्दी है आपकी उनसे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जी हां, मुझे तो सबसे हमदर्दी है। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, एक बलदेव सनी भी उसकी दुकान में भी घुस गये। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कार्यवाही होवे और जूलूस निकाल कर निकलें और राज्य सरकार और हमारा प्रशासन उनके साथ मिलजुल कर अशान्ति फैलाने की, आतंक फैलाने की कोशिश करे। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से अशान्ति फैलाकर असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको आतंक फैलाने का अवसर दिया जाय और इससे जन मानस बहुत क्षुब्ध है, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस पर अपना वक्तव्य दे ताकि इसकी भविष्य में कोई पुनरावृत्ति नहीं होवे। ठीक है, वह पार्टी कैसी है, उनका आचरण कैसा है मैं उनमें नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य अभी यहां नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता कि किस ढंग से उन्होंने·······

श्री रतिराम यादव : आप क्या कहना चाहते हैं, मैं मौजूद हूं, आपको जवाब देने के लिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं कहना उपयुक्त नहीं समझता हूं, यह कोई अच्छा कार्यवाही नहीं है और कम्युनिस्ट पार्टी का जो उद्देश्य है वह बेनकाब हो गया है। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस पर अपना वक्तव्य देवे।

श्री रतिराम यादव : कोई बेनकाब नहीं हुआ और मैं कह सकता हूं कि वे लाग जनसंघ समर्थक थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मेरी रक्षा चाहूंगा···

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।··

श्री अध्यक्ष : आप यहां की मर्यादाओं का पालन करते रहेंगे···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आसन की ओर से दी गई व्यवस्थाओं की पालना करूंगा। ऐसे कोई शब्द मैं नहीं बोलूंगा और न बोलता ही हूं···

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, सदन में राष्ट्रीय ध्वज नहीं है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस पार्टी का इस सदन में, विधान सभा में बहुमत है। और इस कांग्रेस की बदौलत ये चार भाई यहां पर आ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रचण्ड बहुमत के बीच और इन चार भाइयों की दखलन्दाजी के बीच, मैं समझता हूं आपकी सहमति से विरोधी दल के सदस्य कोई सच्ची बात कहे तो उन्हें अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए और आपकी ओर से पूरी पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, परन्तु यहां सदन के कुछ माननीय सदस्य बीच में उठ कर दखलन्दाजी करते हैं। अभी, अध्यक्ष महोदय, दिनांक 9-3-75 को अलवर में एक आमसभा हुई और उस आम सभा में जयप्रकाश बाबू के विरुद्ध कहा गया, यह आमसभा कांग्रेस के समर्थन से हुई····

श्री अध्यक्ष : डिटेल में न जाकर लेटेस्ट बात कह दें···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : डिटेल में ही निवेदन कर रहा हूं···

श्री अध्यक्ष : मैंने डिटेल का नहीं कहा है। लेटेस्ट कह दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जयप्रकाश बाबू के विरोध में यह आमसभा हुई। आखिर जयप्रकाश बाबू के कांग्रेस में भी कई समर्थक हैं। धारियाजी का स्टेटमेंट आ रहा है, अखबारों में निकल रहा है। परन्तु मैं इस ओर नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु इस सभा में कहा गया—राजस्थान का अलवर, केरल है, यह हमारा गढ़ है, हम चाहते तो जयप्रकाश का काला मुंह कर सकते थे। हम उनको जूतों की, चप्पलों की माला पहना सकते थे। ऐसे शब्द जयप्रकाशजी के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी के कोई नेता हैं हारूमल तोलानी, उन्होंने कहे। एक पोलिटिकल पार्टी हमारे देश के एक सम्माननीय नेता के प्रति ऐसे शब्द कहती है तो मैं समझता हूं कि यह उनका निन्दनीय कृत्य है। यदि किसी दूसरी पार्टी द्वारा कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको उत्तेजना फैलाने वाले शब्द कह दिया जाता है। एक ऐसी पार्टी ने ये शब्द कहे हैं जो इस सदन में संयमित भाषा के प्रयोग के लिये कहा करते हैं। विधान सभा में बहुमत होने के आधार पर आप यहां पर कुछ भी कह सकते हैं लेकिन आज सड़कों पर परिस्थितियां बदल गई हैं। यह प्रचण्ड बहुमत आपका दो साल और रह सकता है परन्तु इससे अधिक यह नहीं टिक पायेगा। इस प्रकार के जो शब्द कहे गये हैं वे पुलिस की छत्र-छाया में कहे गये। जनता ने इसका विरोध किया तो ये नेतागण पुलिस थाने में भाग गये और यहां से पुलिस एस. पी. और कलेक्टर के साथ आये। इस तरह पुलिस की छत्र-छाया में जयप्रकाश बाबू के बारे में ये शब्द कहे गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी बात के बारे में कि यह कहा गया कि हम 15-3-75 को दुबारा मीटिंग करेंगे और उन्होंने वहीं के छात्रों को खुली चेतावनी दी कि वे हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करके देखें वहां दूर पर जो छात्र खड़े थे उनको पीटा गया, उन पर निर्मम लाठी प्रहार किया गया उन पुलिस के जवानों द्वारा जिनको यह कांग्रेस की सरकार 70 रुपया माहवार देती है और जो भरपेट खाना अपने बच्चों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को भी नहीं खिला सकते हैं। उन भूखे पुलिस जवानों को इन छात्रों पर लाठीप्रहार करने का आदेश दिया गया। कांग्रेस सरकार के इशारे पर कम्युनिस्टों के समर्थन में यह कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस का बछड़ा है और उस बछड़े को बचाने के लिए, उसकी रक्षा में गलत तरीके से निर्दोष लोगों को पीटा गया। लाठी प्रहार ही नहीं जनता पर अश्रु गैस का प्रयोग भी किया गया और जनसंघ के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर रात को गिरफ्तार किया गया और उनको थाने में लाकर पीटा गया। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार जनता को निर्मम रूप से पीटा गया है......(शोरगुल......व्यवधान)....अध्यक्ष महोदय, मैं आप से सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं, माननीय सदस्य व्यवधान कर रहे हैं....सड़कों पर चलती नहीं है तो यहां पर शोरगुल करते हैं...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, इनका भाषण उत्तेजनात्मक है ये कांग्रेस पार्टी पर छींटाकशी कर रहे हैं। इनका इनके पास क्या सबूत है इस प्रकार कांग्रेस पर छींटाकशी नहीं करने देंगे ...

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बात सुनें

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज यहां पर कांग्रेस पार्टी की हकूमत है। इसलिए मुख्य मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए और इन वफादार बछड़ों से बच कर रहना चाहिए। वे आपकी सुरक्षा का समर्थन का दुरुपयोग कर रहे हैं और जयप्रकाश बाबू के खिलाफ ऐसे ऐसे भद्दे नारे लगा रहे हैं जिनको कोई भी सम्माननीय सदस्य पसन्द नहीं करेगा। इन्होंने वहां पर ये नारे लगाये हैं ××× इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि वे इन कम्युनिस्टों का अंधा समर्थन न करें जो जयप्रकाश जैसे सम्मानीय नेता पर, जो देश के नेता हैं उन पर इस प्रकार के भद्दे नारे लगा रहे हैं ...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया: जयप्रकाश जो कब से आपके हो गये। कब से आपने बछियाया है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयप्रकाश जी के सम्मान की, इज्जत की हमें रक्षा करना चाहिए। मैं समझता हूं कांग्रेस के भी कई माननीय सदस्य ऐसा नहीं चाहते हैं....(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। (शोरगुल—श्री भारतीय के बार बार खड़े होने पर) माननीय सदस्य मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह आप बार बार आसन के आदेश की अवहेलना न करें। यह उचित नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरी रक्षा करें। मैं जानता था कि ये लोग बीच में बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस प्रकार जय प्रकाश बाबू के बारे में नारे लगाये जायें, तो यहां पर आपका प्रचंड बहुमत है, पर सड़कों पर आप इस प्रकार के नारे नहीं लगा सकेंगे। यह सब आप पुलिस की छत्र-

---

××× ये वाक्यांश माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से सम्बन्धित सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

Page No 51

(.51)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

छाया में कर रहे हैं, उस पुलिस जवान की आड़ में कर रहे हैं जिसको ये कांग्रेसी सरकार भर पेट भोजन नहीं दे पाती है। इस तरह राजस्थान में आप अशान्ति पैदा कर रहे हैं और फिर ऐसी अशान्ति पैदा होगी जैसी बिहार, गुजरात में हुई है। इस लिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आज ही मुख्य मन्त्री महोदय को एक स्टेटमेंट देना चाहिए ताकि राजस्थान में अशान्ति पैदा न हो....

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय....

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : पहले इनको बोलने दें इनका भी स्थगन प्रस्ताव है। दोनों में से कोई एक बोले....

श्रीमती नगेन्द्र बाला : एक मिनिट अध्यक्ष महोदय ....

अध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह के आरोप लगाये हैं, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि ये आरोप उचित नहीं है। जयप्रकाश जी का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, और उनके सम्मान के खिलाफ कोई बात कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं कहेगा। हमारे सैद्धान्तिक मतभेद हो सकते हैं। परन्तु उनके सम्मान और प्रतिष्ठा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। परन्तु यहां पर माननीय सदस्य ने ऐसी बातें कह कर कि इस सदन में एक उत्तेजना का वातावरण पैदा कर दिया है और करना चाहते हैं जो कि उचित नहीं कहा जा सकता है। वे वहां कि वस्तुस्थिति बता सकते हैं। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम कांग्रेस के लिए वे ऐसी बातें न कहें तो उपयुक्त होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कांग्रेस पार्टी आपको निकाल देगी।

श्री अध्यक्ष : यह विवादास्पद विषय नहीं है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो नारे यहां पर अपने भाषण के दौरान बताये, मैं समझता हूं वे उन्होंने मात्र सद्भावना के रूप में कहा इसलिए ये नारे रिकार्ड में न आवें तो अच्छा है। माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख सदभावना के रूप में किया है, लेकिन ये रिकार्ड में न आवें तो उपयुक्त होगा ....

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्य के सोचने की बात है—चाहें तो वे विड्रा कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने तो जानकारी के लिए बताये हैं। मैं, आप आज्ञा दें तो वापिस लेने को तैयार हूं। इन शब्दों को आप चाहें तो रिकार्ड से निकाल दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो यह सूचना दी है कि इस प्रकार के नारे लग रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप वापिस लें, यह आपकी मर्जी है। यह आपके सोचने की बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा से वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो विड्रा करें, आपकी मर्जी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा से वापस लेता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं लेना चाहें तो ले लें ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : लेने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं आज्ञा देता हूं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों में से एक माननीय सदस्य बोल लें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे दो साथियों ने करम फर्माकर जिन वाकेआत को तोड़-मरोड़ कर रखा है उसके लिए मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि न तो उनको जाती जानकारी है और अगर जानकारी है तो इरादतन गलत वाकेआत को रखा है। अध्यक्ष महोदय, 9 तारीख को अलवर में एक मीटिंग हुई और वहां पर 25-30 स्टूडेन्ट्स मीटिंग में आये। हमारे वहां पर दो-एक कार्यकर्त्ता थे। उन पर 25-30 स्टूडेन्ट्स ने आकर मीटिंग के डायस पर हमला किया और गैस की लालटेनों को तोड़ दिया और हमारे जो दो-चार कार्यकर्त्ता थे उनके साथ मारपीट कर उन्हें निकाल दिया उसके बाद जब वहां पर पुलिस आई तो पुलिस पर उन्होने पथराव किया। वह इन्सीडेन्स खत्म होने के बाद फिर हमारे जो माननीय लीडर वहां पर आये पार्लियामेंट के मेम्बर वह वहां गये तो उनको मेलहैण्डल्ड किया। उसके बाद वह मीटिंग डिसबर्स हो गई। उस वक्त हमने यह कहा था कि यह जो तरीका है यह हमारी डेमोक्रेटिक परम्पराओं के खिलाफ है। आज भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर आकर आप यह धमकी दें कि राजस्थान की शान्ति भंग कर देंगे तो यह सेहरा तो आपके सिर पर ही बन्धना चाहिए शान्ति भंग करने का। हम तो यह सिर्फ कहना चाहते हैं कि शान्ति भंग करने की धमकियों से आप कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों को नहीं रोक सकते, और न इस तरह की धमकियों से डराने की कोशिश फरमाएं। इतनी सी आपसे गुजारिश है कि आपको यह सोचना हैं जम्हूरियत के लिए कि जो मीटिंग में बोले उसको आप बोलने दीजिये और दूसरों का हक है कि अपनी मीटिंग में अपनी बात कहें। जनसंघ जो हमेशा, हमेशा और हमेशा से गालियां देता आ रहा है और यह समझते है कि उनका फण्डामेंटल राइट है कि वह गाली दें तो दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के नारे उन नारों को मैं यहां दोहराना नहीं चाहता इसलिए कि वह रिकार्ड पर न आयें, यह बिल्कुल झूठ है। इस किस्म के कोई नारे नहीं लगाये गये और न जुलूस निकाला गया। वाकया यह है कि गांव के लोग जरूर आये थे लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं थे। मेरा अर्ज करना यह है कि गलतबयानी करके लोगों में उत्तेजना पैदा करें और धमकी दें कि अराजकता पैदा कर देंगे, शांति भंग कर देंगे तो मैं देख लूंगा कि आप शान्ति भंग किस तरह से कर सकते हैं और

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

शान्ति भंग कराने से आप क्या हासिल कर सकते हैं, यह मैं देखता हूं। आप अपनी सभाओं में अपनी बात कहें वह आपका हक है और हमको हमारी बात कहने का हक है जयप्रकाश नारायणजी से हमारी कोई पर्सनल जेलेसी नहीं है। उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, यहां पर करते हैं और हिन्दुस्तान के कोने कोने पर करेंगे और करते रहेंगे। उस पर आप पाबन्दी नहीं लगा सकते। आप उनकी तारीफ करें तो आप पर पाबन्दी नहीं लगा सकते हैं तो मेरी गुजारिश यह है कि इस तरह से तोड़-मरोड़कर यहां पर वाकेआत बयान करना गलत चीज है। 9 तारीख को घटना घटित हुई तो उस वक्त कलेक्टर ने स्टूडेण्ट्स को हाथ तक जोड़े हैं और कहा कि इस तरह से मत करो बाहर के लीडर आये हैं इससे तुम्हारा भी अपमान होगा। वे नहीं माने। 15 तारीख को

श्री अध्यक्ष : खत्म फरमायें।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : उन्होंने प्रोवोक किया पुलिस को। उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके। उसके बाद पुलिस को अश्रुगैस का इस्तेमाल करना पड़ा अपने प्रोटेक्शन के लिए। हमें किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और जरूरत है तो जनता के प्रोटेक्शन की। हम जनता के सामने हाजिर हैं और जनता चाहे वैसा सलूक करे, हम तैयार हैं।

मैं आप से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इनको समझाने की कोशिश कीजिये कि यह नादानी का रास्ता छोड़ें इस तरह की बात न कहें....

श्री भानुकुमार शास्त्री : नादानी का तो आपका रास्ता है...

श्री श्रीराम गोटेवाला : नादानी का रास्ता आप छोड़ें....

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उन्होंने यह जुलूस निकाला....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य : व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : नादानी की बात करते हैं....

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वहां पर नारे लगाये थे....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, इनको बैठा दें....

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जनता किसके साथ है वह चुनावों में प्रकट होगा....

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो सामने है ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

(व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : ग्रोन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष। आसन का उत्तरदायित्व इस सन्दर्भ में और बढ़ता जा रहा है। इसी सदन में पहले भी इसी प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव पर दोनों ओर से चुनौतियां दी गई थीं कि हम बाजारों में और सड़कों पर निबटेंगे। मेरा तो यह निवेदन है कि जब तक यह सत्र सेशन चलता है आपसे यह आग्रह है कि आप अपने माध्यम से इन्हें समझायें कि दोनों तरफ शालीनता की आवश्यकता है सदन में भी और सदन के बाहर भी। अभी तो ऐसी कई मीटिंगें होने वाली है बाहर भी और ऐसे क्रिटिकल मोशन्स आते रहे तो सदन में उत्तेजना बढ़ती जायगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप दोनों पक्षों को सुनकर बाहर और अन्दर सदन के दोनों तरफ शालीनता का व्यवहार करने के लिए कहें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न व्यवस्था का उठाया है तो व्यवस्था के रूप में तो नहीं सलाह के रूप में बात ठीक लगती है। यह मैंने शुरू में ही, निवेदन किया था कि जो कुछ भी यहां पर कहा जाय और जिन शब्दों को यहां पर प्रयोग किया जाय वह इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुकूल ही कहे जायं तो ज्यादा उचित है। लेकिन कभी कभी आवेश में आ जाते हैं और उसमें कभी कभी यह शब्द भी गर्मागर्मी में आ जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर दोनों तरफ से ऐसे मौकों पर शालीनता रखी जाय तो ठीक होगा और मैं उनसे अपील करूंगा कि वह शालीनता अपने भाषण में रखेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, माननीय आचार्य जी ने यह जो सुझाव रखा है मैंने यह कभी नहीं कहा कि सड़कों पर निपटेंगे। मैंने यह अल्फाज कहे कि इस किस्म की धमकियां देते हैं कि राजस्थान में अशान्ति पैदा कर देंगे तो यह नादानी का रास्ता है। आप वाकेआत को तोड़-मरोड़ कर न रखें....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तोड़-फोड़ तो आप करते हैं....

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप शालीनता रखें....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुझे तो सिर्फ...

श्री अध्यक्ष : आपके किन उपदेशों को यह मानते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने तो एक मशविरे के रूप में कहा था। अगर नहीं मानते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरा तो यही निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, कि इस किस्म के जो वाकेआत को तोड़-मरोड़ कर और दूसरों से सुनकर बयान करते हैं और जो एक हवा बांधना चाहते हैं तो उससे हवा बन्धने वाली नहीं है। मैं इस बात को फिर से निवेदन करूंगा कि आप डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स को अपना कर अपनी मीटिंग में आप बोलें और हमारी मीटिंग में हम बोलें। जो आपकी पॉलिसी है उसको आप बतलायें। उसमें किसी दूसरे के लिए बुरे अलफाज इस्तेमाल करें तो शोभाजनक बात नहीं है। किसी जमात के लिए अपमान जनक बात कहना अच्छी चीज नहीं है। गिरधारीलालजी भार्गव के लिए

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

क्या अपमानजनक बात कहूं वह बहुत बड़े आदमी हैं। इस तरह से अराजकता की बात सदन में कहें ..

श्री अध्यक्ष : खत्म फरमायें। बहुत देर हो गई है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जो वाकेआत कहे हैं वह गलत हैं। इसको सही करना चाहिये .... ..

श्री भानुकुमार शास्त्री : अखबारों में आया है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अखबारों की कुछ विशेष पॉलिसी होती है, कुछ इन्ट्रेस्ट होते हैं उसके मुताबिक समाचार तैयार करते हैं। आप स्वयं इन्फर्मेशन कलेक्ट करें। यह सब वाकेआत गलत है...

श्री अध्यक्ष : अब काफी बात हो गई।

श्री रामकिशन : केवल एक बात कहना चाहता हूं....

श्री मीठालाल मीणा : मैंने आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके बैठ गया था और आपने इनको इजाजत दी थी। मैं दो मिनिट ही लूंगा। मैं तो बहुत कम बोलता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : माननीय अध्यक्ष, एक मिनिट हमको भी दें क्योंकि कांग्रेस का नाम आया था ...

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस का नाम आ गया तो खड़े हो जायें यह कोई चीज नहीं है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : इस विषय में चर्चा की है माननीय सदस्य ने तो हमें स्पष्टीकरण करने का मौका देना चाहिए।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप लोग ज्यादा गर्मी ले रहे हैं।

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अखबार वालों ने कुछ गलत समाचार दे दिये हैं मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। यह सही है कि अखबार वालों ने जहां तक रिपोर्ट के आधार पर समाचार दिये हैं सही हैं। न तो मेरा काम्युनिस्ट पार्टी से और न जनसंघ से विरोध है। अलवर में पहले भी आज से 10 दिन पहले भी हुआ था कि सड़कों पर निपटा जायगा। अलवर में मीटिंग हुई थी और जो भी वातावरण बना वह गलत था, और 15 तारीख का शाम को जो वातावरण बना था तो कोई भी पार्टी हो सरकार को सचेत होकर समय पर कार्यवाही करना चाहिए। अलवर में यह वाकया दो बार हो चुका है और अश्रुगैस तक छोड़ने की नौबत आ गई। दूसरे शहरों में भी वह फैले और किसी विशेष पार्टी को लेकर इस तरह की परम्परा बने, चाहे कोई पार्टी दोषी हो जो 15 तारीख को वारदात हुई है, गलत नारे भी लगाये गये हैं। तो जो गलत नारों की बात है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : नारे कहां लगाये गये हैं?

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये। बहस में क्यों पड़ते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय गिरधारीलाल जी बतायें, नारे कहां लगाये गये हैं ? किन अखबारों में आये हैं ?

श्री मीठालाल मीणा : तो इस प्रकार से नारे लगाना, उत्तेजना फैलाना, यह उचित नहीं है। इससे सारे राजस्थान में इस प्रकार का वातावरण फैल सकता है। यदि इसे समय पर नहीं रोका गया तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो जाय कि राज्य सरकार को रोकना भी कठिन हो जाय। और यह सरकार के लिए एक सरदर्द हो जाय। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो दूसरे राज्यों में गलत वातावरण हो रहा है, वह सरकार के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। तो जो गलत कार्य करने वाले है, उन पर उचित समय पर ध्यान दें।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने जानकारी की बात कही है, उसके सम्बन्ध में, मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि जिलाधीश ने क्या व्यवस्था दी है ? पुलिस कैसे पहुंची ? लेकिन एक बात सही है कि जो जुलूस निकला है, उसमें उन लोगों के पास हथियार थे। यह मुझे टेलीफोन पर सूचना मिली है। मैं चाहता हूं कि ऐसी घटनायें अधिक नहीं फैलें। सभी दलों का जहां तक मतभेद का प्रश्न है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जयप्रकाश की बात कर रहे हैं तो जरा सोच समझ कर करें। जहां तक उनके सिद्धान्त और कार्यक्रम की बात है, उस पर कोई भी बात हो सकती है। नीति और व्यवहार पर हो सकती है। लेकिन अगर उनके बारे में व्यक्तिगत बात करेंगे तो उत्तेजना फैलेगी। मैं जहां तक भारतीया जी का सवाल है उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। आप कितने प्रगतिशील है, राजमाता का देहावसान हो गया है तो आप बाल देकर आये हैं। यह आपकी प्रगतिशीलता है। बाल देना भी कोई प्रगति है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजमाता को बाल देकर आये हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि राजमाता को बाल देकर आये हैं ?

अध्यक्षीय घोषणाएं जनता मोर्चा नामक ग्रुप का निर्माण

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय घोषणाएं।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित सदस्यों ने मुझे यह सूचित किया है कि वे विधान सभा में अपने अपने सम्बन्धित दलों को छोड़कर एक जनता मोर्चा नामक नव गठित दल में सम्मिलित हो गये हैं। उन्होंने "जनता मोर्चा" को मान्यता प्रदान करने के लिए भी आवेदन किया है।

स्वतन्त्र दल

(1) श्री लक्ष्मणसिंह
(2) श्री मूलचन्द सामरिया
(3) श्री गोरधनसिंह
(4) श्री बेगाराम
(5) श्री भोमाराम
(6) श्री केशरदेव
(7) श्री लक्ष्मीनारायण

समाजवादी दल

(8) श्री गुरदयालसिंह सन्धु
(9) श्री विट्ठल भाई
(10) श्री जीयिंग

जन संघ

(11) श्री गुमानमल लोढ़ा
(12) श्री भानुकुमार शास्त्री
(13) श्री गिरधारीलाल भार्गव
(14) श्री अजीत सिंह
(15) श्री मनोहरलाल

निर्दलीय

(16) श्री राजा मानसिंह

मैं, उक्त जनता मोर्चा नामक दल को विरोधी दल के सदस्यों के एक ग्रुप के रूप में मान्यता प्रदान करता हूं और भविष्य में ये माननीय सदस्य अपने अपने भूतपूर्व दलों के सदस्य न रह कर जनता मोर्चा नामक विधान सभा ग्रुप के सदस्य ही रहेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो निवेदन किया........

श्री अध्यक्ष : वह आया नहीं है। उनके दस्तखत होकर नहीं आया है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र लिखित प्रतिवेदन

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं, पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मार्च, 1971 को समाप्त हुये वर्ष के लेखे (वर्ष 1970-71) एवं उन पर अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

आपत्तियां-लेखे समय पर न रखे जाने पर

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि 70-71 के लेखे इस समय रखे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इनका उपयोग क्या है ? मैंने निवेदन किया कि जब बजट सत्र होता है। माननीय सदस्य विभागों पर बहस करते है तो अगर यह अनुदान के लेखे भी दे दिये जायें तो आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर इनका उपयोग भी है। वर्ना अध्यक्ष महोदय, इनका कोई उपयोग नहीं हैं। लोग ले जायेंगे। रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा को मखौल बनाना चाहते हैं। यह सदन का अपमान है। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि बजट सत्र के पूर्व ही यह आगे जो बजट सत्र हो आयन्दा के वर्ष में आंकड़े हमको मिल जाने चाहिये। जिससे कि बजट सत्र में उनका उपयोग किया जा सके। नहीं तो यह निरर्थक है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में निवेदन करता हूं कि इस पर कई बार अध्यक्षीय व्यवस्था हो चुकी है। यह सदन का प्रिविलेज है। जो दस्तावेज पेश किये जायें सदन के माननीय सदस्य उसका उपयोग करें। माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि अब यह निरर्थक है। बेकार है अब इनका पेश करना। इसलिए पहले की रूलिंग के संदर्भ में राज्य सरकार को एक बार और आगाह किया जाये।

श्री रामकिशन : आगाह ही क्यों।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : आप ताड़ना करने के लिए कहना चाहते हैं लेकिन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मैं वह नहीं कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों के मत को समझ कर राज्य सरकार को यह कहा जाये कि भविष्य में ऐसा न करें।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर कागजात वक्त पर पेश नहीं करने के मामले सदन में माननीय सदस्यों ने रखे हैं। इस सम्बन्ध में सभी ने राय दी है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जो काम जिस समय होना चाहिए, उस समय होना चाहिए, ताकि उनका लाभ वक्त पर मिल सके। भविष्य के लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, उस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। आयन्दा यह नहीं होना चाहिए। और वक्त पर पेश करना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो उसकी वजह बता देनी चाहिए।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : पहले।

श्री अध्यक्ष : ताकि क्षमा प्रदान की जाय।

मन्त्री जी द्वारा वक्तव्य।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इतने माइल्ड वे से सरकार सुधरेगी नहीं। न यह क्षमा करने के लायक है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था फरमाई है। लेकिन जो पुरानी रिपोर्ट है, वह तो रखनी ही पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट को नहीं रखने का प्रश्न नहीं है। भविष्य की बात कही है।

श्री मीठालाल मीणा : माफ किया जायेगा।

श्री रामकिशन : आपका मतलब है ...

— ध्यानाकर्षण प्रस्ताव —

(विद्युत वितरण व्यवस्था के संबंध में)

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय विद्युत मन्त्री महोदय का ध्यान, बिजली वितरण व्यवस्था को भाखरा की बिजली व्यवस्था से जोड़ देने के कारण राजस्थान के बड़े कारखानों पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर

12-39 म. प.

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आकर्षित करता हूं।

श्री मीठालाल मीणा : और निवेदन करता हूं कि इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, गिरधारीलाल भार्गव, और माननीय सदस्य मीठालाल जी ने जो भाखरा सिस्टम और चम्बल अणुशक्ति सिस्टम को समानान्तर से जोड़ा है उससे जो राजस्थान के उद्योगों पर विद्युत का जो असर पड़ा है, उस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है:—

भाखरा-देमू-बदरपुर विद्युत व्यवस्था का चम्बल-सतपुड़ा-राजस्थान अणु शक्ति

(श्री हीरालाल देवपुरा)

विद्युत व्यवस्था से समानान्तर जोड़ने का प्रश्न गत दो तीन वर्षों से विचाराधीन था। समानान्तर जोड़ का ट्रायल 4-5 नवम्बर, 1974 और 5-6 दिसम्बर, 74 को किया गया। यह ट्रायल इसलिए आवश्यक समझा गया था कि समानान्तर जोड़ करने से पूरे सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन ट्रायलों के नतीजे से राजस्थान व भारत सरकार के अभियन्ताओं में कुछ मतभेद थे। मध्य प्रदेश के अभियन्ता भी भारत सरकार के अभियन्ताओं के विचारों से सहमत नहीं थे। 16 जनवरी, 75 को सचिव, उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, ने एक मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया जिसमें हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान सी. डब्ल्यू. पी. सी. व भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड के प्रतिनिधियों के अलावा केन्द्रीय विद्युत आयोग ने भाग लिया। इस मीटिंग में सचिव, उर्जा मंत्रालय, ने भारत सरकार के द्वारा लिये गये निम्न निर्णय विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को बताये:-

(1) चूंकि भाखरा विद्युत गृह व राजस्थान अणु शक्ति विद्युत गृह केन्द्रीय योजनाएं हैं अतः उनको समानान्तर जोड़ में चलाना होगा।

(2) अणु शक्ति विद्युत केन्द्र से औसत 40 लाख युनिट प्रतिदिन होने की स्थिति में 15 लाख युनिट बिजली प्रतिदिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा को मार्च 75 के अन्त तक देनी होगी।

(3) मार्च के पश्चात विभिन्न राज्यों की आवश्यकता पूरी करने के बाद में यदि सम्भव हो तो बालको एल्युमिनियम कम्पनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ मदद भाखरा चम्बल व अणु सिस्टम से मध्य प्रदेश को दी जा सकेगी।

(4) भाखरा व चम्बल अणु शक्ति सिस्टम समानान्तर जोड़ पर की एक तरफा कार्यवाही नहीं समझी जानी चाहिए, बल्कि यदि आवश्यक हुआ तो भाखरा सिस्टम से राजस्थान को भी उसी प्रकार मदद पहुंचाई जा सकेगी जिस प्रकार केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय अन्य राज्यों को राजस्थान अणु शक्ति विद्युत केन्द्र से मदद पहुंचाना चाहता है।

उक्त मीटिंग में राजस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा यह बताया गया था कि राजस्थान किसी भी समय भाखरा व चम्बल सिस्टम को समानान्तर जोड़ में चलाने के विरुद्ध नहीं रहा है। जो कुछ भी आपत्ति राजस्थान की ओर से इन सिस्टम को समानान्तर जोड़ में चलाने के लिए रखी गई थी वह केवल सिस्टम को प्रत्याशित खतरों से बचाने की दृष्टि से थी। राजस्थान की ओर से यह भी कहा गया था कि इस प्रकार विद्युत का आदान-प्रदान किस ऑथोरिटी द्वारा किया जायगा व कितनी बिजली किस को किस प्रकार मिलेगी—उसके सम्बन्ध में व्यौरेवार विस्तृत आवश्यक आदेश होने चाहिए। राजस्थान के पास केवल दो उत्पादन केन्द्र हैं जिनका उत्पादन इस सिस्टम के उत्पादन के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। अतः राजस्थान हिसार-खेतड़ी पावर लाइन से बिजली के प्रवाह को कंट्रोल करने में तकनीकी रूप से असमर्थ है। इन मीटिंग में मध्य प्रदेश द्वारा यह भी माना गया था कि वे गांधी सागर व राणा प्रताप सागर के विद्युत केन्द्रों के बीच लाइनों पर विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करेंगे। इन मीटिंगों में

Page No 60

(60)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

राजस्थान के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि राजस्थान की विद्युत आवश्यकता पिछले वर्षों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है और किसी प्रकार से अतिरिक्त विद्युत उर्जा राजस्थान के पास उपलब्ध नहीं होगी जिसे पड़ोसी राज्यों की कमी को पूरा करने के लिए जा सके ।

इस वर्ष राजस्थान में विद्युत उर्जा की आवश्यकता कहीं अधिक रूप से बढ़ गई है। इससे पहले जब भी राजस्थान के पास आवश्यकता से अधिक उर्जा उपलब्ध रहती थी तब राजस्थान ने पड़ोसी राज्यों (हरियाणा उत्तर प्रदेश आदि) को सहायता दी है-चाहे ऐसा करने के लिए राजस्थान को भाखड़ा से अपने हिस्से के मुकाबले कम उर्जा ही लेनी पड़ी हो । राजस्थान के लिये विद्युत उर्जा की दैनिक आवश्यकता के इस वर्ष के लिये जो अनुमान केन्द्रीय जल विद्युत आयोग व सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी द्वारा लगाये गये हैं, नीचे दर्ज किये जा रहे हैं। इस आवश्यकता को राजस्थान द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वह भी दर्ज है। इस प्रकार जो विद्युत उर्जा राजस्थान में प्रतिदिन औसतन उपलब्ध हुई उसके आंकड़े भी नीचे दिये गये हैं।

जनवरी 75-सी. डब्ल्यू. पी. सी का अनुमान, जो सेंट्रल बोर्ड द्वारा अनुमान लगाया गया 69.5 लाख यूनिट पर डे। राजस्थान विद्युत मण्डल का अनुमान था 77 लाख यूनिट, एक्चुअली जो कन्जम्पशन हुआ राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा वह है 75.6 लाख यूनिट पर डे। फरवरी 75-सी. डब्ल्यू. पी. सी. ने 74 लाख यूनिट प्रतिदिन का अनुमान लगाया, राजस्थान विद्युत मण्डल का अनुमान 83 लाख यूनिट प्रतिदिन था, और एक्चुअली जो कन्जम्पशन किया गया राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा वह 84.54 लाख यूनिट प्रतिदिन। मार्च 1975-12 मार्च, 1975 के फिगर दे रहा हूं, सी.डब्ल्यू. पी. सी. का अनुमान था 78 लाख यूनिट प्रतिदिन, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का अनुमान था 86 लाख यूनिट प्रतिदिन और राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा एक्चुअली कन्जम्प्शन किया गया है 88.33 लाख यूनिट।

उपरोक्त आंकड़ों को देखने से यह प्रतीत होगा कि केन्द्रीय जल विद्युत आयोग द्वारा लगाये गये अनुमान बिल्कुल ही कम रहे हैं। इन कम अनुमानों को ध्यान में रखते हुए ही कदाचित केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हुआ है कि यदि राजस्थान अणु शक्ति विद्युत केन्द्र औसतन 40 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उत्पादन करता रहे तो निश्चिय ही राजस्थान के पास कुछ न कुछ उर्जा राजस्थान की आवश्यकता से अधिक रहेगी जिसे पड़ोसी राज्यों को भाखरा व चम्बल सिस्टम को समानान्तर जोड़ में चलाने पर दी जा सकेगी। उपरोक्त तथ्यों को केन्द्रीय सरकार के सामने रखने के बाद भी सचिव, उर्जा मंत्रालय ने यह तय किया कि चम्बल-सतपुड़ा अणु शक्ति सिस्टम व भाखड़ा-बदरपुर, देसू सिस्टम को समानान्तर जोड़ में 27 जनवरी 75 से चलाया जाय। यह सिस्टम समानान्तर जोड़ में 27 जनवरी, 1975 से चल रहे हैं।

27 जनवरी, 1975 को समानान्तर जोड़ में उपरोक्त सिस्टम के चलाने के बाद ही नार्दन रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तथा केन्द्रीय विद्युत अधिकरण के अधिकारियों

(श्री हीरालाल देवपुरा)

के साथ राजस्थान के अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। उन्हे राजस्थान की ओर से बताया गया कि दरअसल में राजस्थान के पास किसी भी प्रकार से विद्युत ऊर्जा सरप्लस में नहीं है। जैसा कि ऊपर बताये गये आंकड़ों से सिद्ध होता है। वस्तुस्थिति यह है, राजस्थान की आवश्यकता भी चम्बल योजना के विद्युत केन्द्रों से अधिक उत्पादन करके ही पूरी की जा रही है, यद्यपि इस प्रकार अधिक उत्पादन करने से गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांधों का जल स्तर कम करना पड़ रहा है। राजस्थान की आवश्यकता पूरा करने के लिए लोड स्टेगरिंग भी करना पड़ रहा है। जब कभी अणु शक्ति विद्युत केन्द्र बन्द हो जाता है तो विद्युत उपभोग में अस्थाई कटौती भी लागू करनी पड़ रही है।

जहां तक अणु शक्ति विद्युत केन्द्र से विद्युत उत्पादन का सम्बन्ध है पहले यह बताया गया था कि इस केन्द्र से औसतन 40 लाख यूनिट प्रतिदिन उत्पादन हो सकेगा। इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि समानान्तर जोड़ से पूर्व-नवम्बर 1974 में अणु शक्ति केन्द्र से औसत उत्पादन केवल 37.6 लाख यूनिट प्रतिदिन हुआ था जबकि समानान्तर जोड़ के बाद फरवरी, 1975 में इस केन्द्र से औसतन उत्पादन 29.60 लाख यूनिट प्रतिदिन रहा और मार्च 1, 1975 से 12 मार्च, 1975 तक औसतन उत्पादन 29 30 लाख यूनिट प्रति दिन रहा।

सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत् उत्पादन पहले बताये गये औसतन 44 लाख यूनिट प्रतिदिन के बजाय 45.66 लाख यूनिट उत्पादन प्रतिदिन जनवरी 1975 में 28.1-75 से 31-1-75 चार दिन तक भी रहा है। इस केन्द्र से फरवरी 1975 में औसत उत्पादन 45.90 लाख यूनिट प्रति दिन रहा और मार्च 1975 में 1-3-75 से 12-3-75 तक औसत उत्पादन 45.04 लाख यूनिट का रहा है।

चम्बल योजना के विद्युत घरों-जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर से डिजाइन के अनुसार 35 लाख यूनिट प्रतिदिन उत्पादन होना चाहिये। इसके बजाय यह तय किया गया कि इन तीनों विद्युत् घरों से औसतन 46 लाख यूनिट प्रतिदिन उत्पादन किया जाय। परन्तु बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये प्रतिदिन निश्चित 46 लाख यूनिट के बजाय जनवरी, 1975 में, 28-1-75 से 31-1-75 तक इन तीनों विद्युत् घरों से औसतन 56.61 लाख यूनिट का प्रतिदिन उत्पादन हुआ। फरवरी, 1975 में औसतन प्रतिदिन उत्पादन इन तीनों विद्युत घरों से 55.91 लाख यूनिट का रहा। मार्च 1975 में 1-3-75 से 12-3-75 तक इन तीनों विद्युत् घरों से औसतन उत्पादन प्रतिदिन 53.15 लाख यूनिट का रहा।

राजस्थान ने अपना पूरा हिस्सा जनवरी 28, 1975, जहां तक भाखरा से बिजली लेने का प्रश्न है, से 31-1-75 तक 29.64 लाख यूनिट तथा फरवरी में 48 लाख यूनिट तथा मार्च 12 तक 99.2 लाख यूनिट होता है, वह पूरा उपभोग किया है। इसके अतिरिक्त जो भी उर्जा समानान्तर जोड़ के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ओर प्रवाहित हुई है, उसका हिसाब होना बाकी है जिसका उपभोग राजस्थान व मध्य-प्रदेश, दोनों, प्रान्तों में हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होगा कि भाखरा व चम्बल सिस्टम को समानान्तर जोड़ में चलाने मे राजस्थान की बिजली–उपलब्धि में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आयी है और ना ही इस कारण राजस्थान के उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है।

जो कुछ भी दिक्कत राजस्थान के उपभोक्ताओं को, विशेष कर औद्योगिक उपभोक्ताओं के सामने 10–3–75 से आई है वह मूलतः अणु शक्ति विद्युत केन्द्र के अकस्मात बन्द हो जाने के कारण है। इस केन्द्र से मिलने वाली उर्जा की कमी होने के कारण मण्डल के सामने खपत को कम करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसके अतिरिक्त अणु शक्ति विद्युत् केन्द्र के बन्द होने के बाद ही दिनांक 13–3–75 को 10.33 बजे राणा प्रताप सागर की मशीन नं. 4 में भी कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण बन्द करना आवश्यक हो गया दिनांक 14–3–75 को जवाहर सागर की मशीन नं. 3 भी 10.41 बजे बन्द हुई और बाद में मशीन नं. 1 भी कुछ खराब होने के कारण बन्द करनी पड़ी। मशीन नं. 1 वापिस 14–3–75 को 10.21 को चालू की गई और मशीन नं. 3 को दिनांक 15–3–75 को 10.19 बजे चालू किया गया जिससे भी उपभोक्ताओं की कठिनाई बढ़ी है।

राजस्थान की औसतन आवश्यकता मार्च 1975 के प्रथम सप्ताह में करीब 90 लाख यूनिट्स प्रतिदिन थी। यह समय फसल को पानी देने के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और मण्डल ने यह प्रयत्न किया है कि जहां तक संभव हो सके कुओं को दी जाने वाली बिजली में किसी प्रकार की कटौती न की जाय जिससे खड़ी फसल को हानि होने से बचाया जा सके। अतः अणु शक्ति केन्द्र के बन्द होने पर विवश होकर मंडल को कारखानों के उपयोग की बिजली पर कटौती लगानी पड़ी है। फिर भी कारखानों को रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक आंशिक रूप से बिजली सप्लाई की जा रही है यह स्थिति निश्चित रूप से अस्थाई हैं और अणु शक्ति केन्द्र के पुनः विद्युत् उत्पादन आरंभ करते ही कारखानों को 10 मार्च से पहले वाली स्थिति के अनुसार बिजली देना प्रारम्भ कर दिया जायगा और वे जो कठिनाई आज अनुभव कर रहे हैं उससे उन्हें राहत मिल जायेगी राणा प्रताप सागर की चौथी मशीन 16–3–75 से चालू हो गई है।

"राजस्थान अणुशक्ति विद्युत् केन्द्र के 10–3–75 को बन्द होने के बाद में यह संभावना थी कि राजस्थान अणु शक्ति विद्युत केन्द्र दिनांक 12–3–75 को वापस विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ कर देगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और वे एक एक दिन का समय चालू करने के लिये परिस्थितियां वश बढ़ाते रहे। वर्तमान में स्थिति यह है कि राजस्थान अणु शक्ति विद्युत केन्द्र के संकेत के अनुसार दिनांक 20–3–75 को प्रातः से विद्युत उत्पादन चालू होने की संभावना है। विद्युत् की कमी को कुछ सीमा तक पूरा

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करने के लिये, जयपुर, जोधपुर, अलवर तथा भरतपुर के ताप विद्युत् घर भी चालू कर दिये गये हैं।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्षजी, मंत्रीजी ने सारे तथ्य दिये और अपनी विवशता बताने की कोशिश की। आपके अभियन्ताओं ने जो केन्द्रीय सरकार के ऊर्जा सचिव को यह तथ्य पेश किये हैं, क्या उन्होंने इन तथ्यों को मंजूर किया है और उन्होंने माना है कि जितना विद्युत का उत्पादन होता है, उसका राजस्थान में उपयोग हो जाता है तो प्रश्न यह है कि जितना उत्पादन आप कर रहे हैं, केन्द्रीय सरकार उसको मानती है और केन्द्रीय सरकार यह मानकर आपको अधिकार देगी कि आपका जो उत्पादन है, उसका आप ही प्रयोग करें और जबर्दस्ती राज्य के बाहर विद्युत न भेजें ? दूसरा प्रश्न है जो राणा प्रताप सागर की बिजली 10/3 को चालू हो गई तो आपको निश्चितरूप से मालूम है कि कारखानों के लिए टेम्परेरी विद्युत देते हैं रात को 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक, उनसे उद्योग को कितना नुकसान हो रहा है, आपको मालूम है. लेकिन कब तक रहेगी यह समस्या ? आपने कभी सोचा है कि स्थाईरूप से हल निकल सकता है ताकि मशीनरी खराब न हो ? ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ कर मशीनों में गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसी कमजोरी तो मशीनरी में नहीं है कि जो आपको मालूम न हो ? इस बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करें कि आपके पास फालतू विद्युत है या नहीं। केन्द्रीय सरकार कहती है कि फालतू है आप कहते हैं कि नहीं है, तो स्पष्टीकरण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्रीजी ने बहुत आंकड़े दे दिए। मुख्य मंत्रीजी ने एक बार कहा था कि हमने बिजली जोड़ दी है, खींच कर ले आयेंगे। बड़े ताकतवर हैं कि बिजली जोड़ दी, हम खींच कर ले आयेंगे। रोजाना समाचार पत्रों में पढ़ने को समाचार मिलता है कि इस व्यवस्था के कारण न आम जनता सुखी है न कारखानेदार सुखी हैं न तो कुओं पर बिजली देने वाली बात आपने कही। जयपुर जिले में 18 जनवरी 1975 से आपने जो अग्रिम योजना थी कि 7-7 हजार खम्भे लगायेंगे, वह भी बन्द कर दी तो अकाल राहत कार्यों के लिए जो कुएं बने हैं उनको भी बिजली नहीं। साधारण योजना में भी नहीं, अग्रिम योजना में भी नहीं। पिछले बार 7 बजे जब दुकानें बंद होती थी, उस समय भी बिजली आपके पास सरप्लस थी, 7 बजे दुकानें बन्द करके लोग घर की ओर भागते थे और काफी उद्योग बन्द हो गए। उस समय भी आपने उदारता की नीति के कारण उत्तरप्रदेश, पंजाब और हरियाणा को बिजली देते थे। घर में तो आदमी भूखों मरे और पड़ोसी हर प्रकार से सुखी हो, यह समझ में नहीं आता। राजस्थान में जिस समय सरप्लश बिजली थी उस समय भी आपने उद्योगों को सुविधाएं नहीं दी और उस कारण सरप्लस बिजली का आपने उपयोग नहीं किया। दूसरों को बांटी तो वह समझता है कि इसका पेट भरा हुआ है। उस आधार पर भारत सरकार ने आपसे कहा कि विद्युत दूसरे राज्यों को दे दो। किसान दुखी, उपभोक्ता दुखी, व्यापारी दुखी और यहां राजस्थान में जो उद्योग लगने वाले

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

थे वे नहीं लग पाए। अब चूंकि बिजली की हालत उद्योगपति देख रहे हैं तो राजस्थान में उद्योग अब नहीं लगेंगे। यहां मार्च से ट्रिपिंग हो रहा है। इस कारण से कारखाने बन्द हो रहे हैं, ले आफ हो गए। मजदूरों के सामने रोटी और रोजी की समस्या खड़ी हो गई। दिये तले अन्धेरा। जयपुर में औद्योगिक बस्तियां चाहे कामानी की हो, चाहे मेटल की हो, चाहे नेशनल बाल बियरिंग हो, वहां भी इस प्रकार की हालत हो गई। मैं कहता हूं आपके यहां बिजली की कमी है, आप कहते हैं कमी नहीं हैं, आपने विज्ञप्ति निकाली थी कि शादी विवाह में झालर नहीं लगने देंगे। बिजली आपके पास बहुत ज्यादा है तो फिर वह रोक कैसे लगाई कि लोग सजावट नहीं करें? आपका आदेश था कि सरकारी प्रतिष्ठान नीयोन साइन नहीं लगायेंगे लेकिन मयूर का जल रहा है, रोडवेज केन्द्रीय वर्कशॉप पर भी जल रहा है। आपने आदेश इसलिए निकाला कि बिजली की कमी थी तो शादी विवाह के अवसर पर कोई लड़की का विवाह हो, 10-15 आदमी भोजन करते हों तो अन्धेरे में मुंह का ग्रास नाक में चला जाए, यह तो अव्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे साबित होता है कि राजस्थान में बिजली की कमी थी। विश्वकर्मा औद्योगिक बस्ती की यही हालत है। दो दिन पहले मंत्री महोदय ने यह कहा था ट्रिपिंग हो गई। कितनी बार बिजली जाती है? राजस्थान विधान सभा में ही देखिये, दिन में दो तीन बार बिजली चली जाती है, आपके पास बैटरी की व्यवस्था है, उससे आ जाती है तो अलग बात है। बैटरी की व्यवस्था न हो तो माननीय सदस्य कई बार मेजें थपथपायें कि हीरालाल देवपुरा कहां हैं। आप तो अन्धेरे में भी जुगनू की तरह चमकते हैं, बाकी लोगों का तो विधान सभा से निकलना मुश्किल हो जाए, यदि इस प्रकार की वैकल्प व्यवस्था न हो। ट्रिपिंग के कारण उत्पादन को धक्का लगा है। एक मिनट की ट्रिपिंग के कारण 45 मिनट उत्पादन को नुकसान होता है। यह बिलकुल साफ है 45 मिनिट का उद्योगों को नुकसान हो जाय। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं 13 कारखाने लगने वाले थे उन्होंने विद्युत् बोर्ड के सामने एप्लीकेशन दी उन्होंने कहा हमारे पास बिजली नहीं है इसलिये यहां पर कारखाने नहीं लगाये, और, इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, एक एक कारखाना 12-12 लाख का जनरेटर स्वयं लगाना चाहते थे लेकिन उन्होंने जवाब दिया विद्युत् देंगे नहीं और उन्हें कहा जाता है जनरेटर लगाने की कौनसी आवश्यकता है? फिर कहते, उपाध्यक्ष महोदय, हम बड़े उदार है, पड़ोसियों को सीरनी बांटना चाहते हैं। अपना पेट भूखा है, हम भूख से मर रहे हैं, राजस्थान में जो उद्योग लगाना चाहते हैं लगा नहीं सकते हैं और स्वयं का अपना जनरेटर फार्मर लगाना चाहे, उसकी आप अनुमति नहीं देते हैं और दूसरे राज्यों को बिजली देने को आप तैयार हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट है। शहरों में 50 प्रतिशत जो उद्योग है उनको केवल आप बिजली सप्लाई कर सकते हैं और जो 50 प्रतिशत हैं वे आज दूसरे साधनों पर चल रहे हैं। राजस्थान का उद्योगपति यह कहे कि हम यहां उद्योग लगाना चाहते हैं उनको आप इजाजत दें नहीं। मेरा निवेदन है केन्द्रीय सरकार के दबाव के कारण कोई

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

फैसला किया है और माननीय मन्त्री जी ने कह दिया सदन में चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, और कह कर सन्तोष यहां पर करा दिया....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

पर माननीय मन्त्री जी सदस्यों को इस प्रकार सन्तोष होने वाला नहीं है। राजस्थान का विकास रुकेगा और राजस्थान का विकास रुकेगा ही नहीं, बल्कि जो राजस्थान को रेवेन्यू होने वाली थी वह आय भी राजस्थान की रुक जाने के कारण, चन्द दिनों में सदन समाप्त हो जायगा और फिर हमारे वित्त मन्त्री जी श्री चन्दनमल जी वेद जो बहुत एक्सपर्ट हैं, पिछले साल तो 19 ऑर्डिनेन्स लाये थे, अबकी बार 29 ऑर्डिनेन्स लायेंगे और ऑर्डिनेन्सों के जरिये जनता पर टैक्स लगायेंगे और फिर राजस्थान का जो मजदूर है आज उनके दिमाग में भी अनिश्चितता है। राजस्थान में उद्योग लग जाते तो राजस्थान का विकास बढ़ता, राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ती, राजस्थान की पूंजी राजस्थान में रह जाती इसलिये माननीय मन्त्री जी सदन में सच्ची बात कहियेगा और अच्छी बात कहियेगा और आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो एक ज्ञापन बना कर सारे विधायकों को इकट्ठा करके भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी के पास चलें और कहें कि राजस्थान ने आपका क्या बिगाड़ा है ? मैं समझता हूं यहां पर कोई धरना देने की बात हो तो धरना दिया जाय, भूख हड़ताल करने की स्थिति हो तो भूख हड़ताल की जाय। हम सब आपके साथ हैं लेकिन भूला भटका वक्तव्य देने से कोई लाभ नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का जो ध्यान आकर्षण, प्रस्ताव है वह बिलकुल अलग है। मैंने जो स्टेटमेंट दिया है वह राजस्थान में बिजली समानान्तर स्तर पर देने की बात है और माननीय सदस्या का झुंझुनूं जिले के लिये स्पेसिफिक है। जो वहां दिक्कतें है उसका जवाब तो मेरे पास अभी होगा नहीं। मैंने समानान्तर की दृष्टि से राजस्थान के उद्योगों को....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप समय बता दीजिये कब दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप जो मौजूदा मुद्दा है, उस पर बोलना चाहती हैं क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : That may be settled in the chamber of the Hon'ble Speaker.

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है मैं समझता हूं वे ऑथोरिटि हैं इसलिये कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह सदन दो बातों से चिन्तित है। एक तो राजस्थान को अब बिजली नहीं मिल रही है और साथ साथ आपने देखा होगा जो बजट

Page No 66

(66)

(श्री रामकिशन)

प्रस्तुत किया उसमें राज्य में जो पेड-अप केपिटल है वह कम हो गई और यह लिखा है कि राजस्थान से कारखाने बाहर चले गये और जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें बिजली की कमी बताई है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं जितनी उत्पादन क्षमता है उतने उपभोग को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन सदन को यह आश्वासन दें कि राजस्थान को जरूरत के मुताबिक जो बिजली है वह हर सूरत में मिलती रहेगी। हम दूसरे राज्य को बिजली दे रहे हैं। इधर भरतपुर के किसानों की मांग है तो रात को बिजली दी जा रही है जितना टाइम फिक्स कर रखा है तो रात में बिजली लें। इसका मतलब है बिजली की कमी है। अगर हमारे पास सरप्लस बिजली है—उत्तर प्रदेश, हरियाणा को बिजली मिलती है मुझको उससे कोई नाराजगी नहीं है। वहां अगर बिजली की कमी है तो देनी ही पड़ेगी आखिर वे भी हमारे हिन्दुस्तान के ही तो अंग हैं और हमारे यहां ज्यादा हो तो देनी भी चाहिये लेकिन हमारे कारखाने यहां से हट रहे हैं, कारखाने बिजली की कमी से दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। जैसा अभी माननीय भार्गव साहब ने कहा अलवर की दो-तीन मिसालें दी हैं, मेरी भी जानकारी में है वहां से कारखाने दूसरी जगह गये हैं तो मेरा निवेदन है कि कोई कारखाना बिजली की कमी की वजह से हटना चाहे तो नहीं हटने दिया जायगा हम आपसे यह आश्वासन चाहते हैं। दूसरा आश्वासन जब बिजली का ग्रिड बनाना चाहे तो जब दूसरे राज्य हमसे बिजली लेना चाहते हैं तो फिर इधर पानी का ग्रिड भी बनाया जाय और ज्यादा पानी हमको देने की कोशिश करें।

हम यह नहीं चाहते हैं यहां बिजली हो और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कारखाने बन्द हो और देश के कल्याण के लिए यह उचित भी नहीं है लेकिन ये दो आश्वासन जरूरी है। सरकार ने स्वयं ने माना है कि जो कारखाने गये हैं उसमें कारखाने जाने का कारण बिजली की कमी है। इसकी स्थिति क्या है, स्पष्टीकरण करें तो सदन को सन्तोष होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : मान्यवर जैसा केन्द्र की सरकार को पावर नेशनल असेट का कन्सेप्ट है, हम स्वीकार करते हैं मगर पावर सरप्लस हो इरीगेशन वाटर के लिए। मान्यवर, दिल्ली स्टेट, पंजाब, हरियाणा को फायदा मिले हमें कोई ऐतराज नहीं। यह डेफिसिट स्टेट है। पावर पंजाब, हरियाणा में सरप्लस है। हमारे सारे हेड वर्क्स दूसरों के कन्ट्रोल में रहे, मैनेजमेंट हमारे हाथ में नहीं। जब सेन्ट्रल के डाइरेक्शन आये नेशनल असेट के रूप में तो हम एग्री करें मगर मैनेजमेंट में आपका पूरा शेयर हो चाहे पावर के लिए हो या चाहे इरींगेशन के लिए हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा और जो उनके स्टेटमेंट से सुना उससे मालूम होता है जो हमारे मन के अन्दर भावना घर कर गई थी कि राजस्थान की बिजली दूसरे प्रान्त में दे रहे हैं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजस्थान में बिजली की कमी हो गई तो मैं आगाह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि आज भी राजस्थान में बहुत सी जगह, जैसा माननीय झुंझुनूं से आने वाली सदस्या ने कहा तो हमारे जिले में भी रात को बिजली मिल रही है और जब अधिकारियों से बातें करते हैं तो यह सूचित किया जाता है कि बिजली की कमी है इसलिये आपको रात में बिजली देंगे। 6-7 घन्टे के लिये बिजली काट रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विभाग की तरफ से आपको सूचना मिली है वह बिना आधार के है, झूठी तो कहने से रहा, लेकिन आज बहुत बड़े इलाके में काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको 7-7, 8-8 घन्टे बिजली घट रही है। भरतपुर, झूंझुनूं की स्थिति आज यह है कि एक तरफ राजस्थान के अन्दर बिजली की कमी है और दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि राजस्थान सरकार पर दबाव पड़ रहा हो और पंजाब, हरियाणा को बिजली देनी पड़ी आपने गलत परम्परा डाली कि पहले आपने उनको बिजली दे दी। देनी नहीं चाहिये थी। वे लपक गये हैं और बार बार मांग कर रहे हैं। सरकार से मैं चाहता हूं कि वह कड़ा रुख अपनाये। केन्द्र का राज्य सरकार पर कितना ही कड़ा दबाव पड़े दूसरे प्रान्तों को बिजली देने के लिये रजामंदी नहीं देना वरना राजस्थान के अन्दर जो भी उद्योग है वे चौपट होने की स्थिति में आ जावेंगे। राजस्थान ही ऐसा प्रान्त है कि जहां पर बिजली मौजूद है और जिसके लिये इन्डस्ट्रियलिस्ट्स आकर्षित हो रहे हैं। नये नये उद्योग स्थापित करने के लिये। जब उनको मालूम होगा कि राजस्थान को बिजली नहीं मिलेगी तो उद्योग नहीं लगायेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पर-केपिटा बिजली का कन्जम्प्शन कितना है? बिजली की कमी के कारण बड़े बड़े कारखानों में लेआफ हो रहे हैं। क्या यह भी सच है कि बहुत से कारखानेदारों की दरख्वास्तें बिजली के बारे में विचाराधीन हैं? वे इसलिये नए नहीं हो रहे हैं कि बिजली की कमी है? ऐसी स्थिति में, यह बात सही है कि भारत सरकार से समझौता करना चाहते हैं और जो उनको 15 लाख यूनिट बिजली देना चाहते हैं यह अपने आप में एक खुदकशी का कदम होगा। बिजली की कमी है, काश्तकार सफर कर रहे हैं, कारखानेदार सफर कर रहे हैं, फिर प्लानिंग कर रहे हैं। पर केपिटा कम है और दूसरे प्रान्तों को दे रहे हैं तो क्या यह खुदकुशी का कदम नहीं है?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट बताया है, दोनों सिस्टमों, भाखरा और चम्बल को समानान्तर रूप से जोड़ने से क्या असर, क्या प्रभाव पड़ा है, यह मैंने आपको आंकड़ों से बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य इसकी टेक्निक को ही नहीं समझ पाये हैं और मैंने जो बताया उसको गलत बता दिया। गलत आपने कहा है, मैंने कोई गलत नहीं कहा है। बिजली समानान्तर जोड़ने से इधर उधर प्रवाहित होती है माननीय

Page No 68

(68)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मुख्य मंत्रीजी ने ठीक ही कहा है कि समानान्तर जोड़ने से नदर्न ग्रिड से राजस्थान को बिजली दिलायी जा सकती है। मेरे आंकड़े साबित कर रहे हैं कि समानान्तर जोड़ने से राजस्थान सरकार दूसरे प्रान्तों को बिजली नहीं दे पायेगी। इन सिस्टमों से भाखरा से हमको अधिक बिजली मिली है। यह मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। जबकि माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि समानान्तर जोड़ देने से सारी बिजली हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दे दी। उन्होंने माना है और हमने कहा है कि बिजली हमारे यहां पर सरप्लस नहीं है। जो बिजली चाहिये उसमें भी कमी है और उसको पूरा करने के लिये गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से एक्स्ट्रा ओवर ड्रा कर रहे हैं। और अपनी जरूरतों को मीट आउट कर रहे हैं। भारत सरकार ने हमारे यहां जो कन्जम्प्शन हो रहा है उसको भी नीचे आंका है। समानान्तर जोड़ देने से यह साबित कर दिया है कि राजस्थान के पास बिजली सरप्लस नहीं है। बिजली है कहां जो ले लें ? यह तो स्वतः आयी है और हमने उसको कन्ज्यूम किया है।

कठिनाई राजस्थान की यह है कि अणुशक्ति केन्द्र है वह अचानक स्टाप हो जाता है। बिजली आधा घन्टे में वापिस आ जाती है। उससे अहसास नहीं हो पाता है कि कोई असर पड़ा है। कभी 36 घन्टे बन्द रहती है, कभी दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह दिन बिजली नहीं आती है। तो 20 पर्सेन्ट कम हो जाती है। 150 से 200 मेगावाट की कमी हो जाती है। उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। उस सूरत में इन्डस्ट्रियल सेक्टर पर कट इंपोज करना पड़ता है। लो शेडिंग होता है। कहीं 17 और कहीं 8 जिस जिस एरिया में खपत है, इन्डस्ट्रियल लोड जिस प्रकार का है, उसी प्रकार से लो शेडिंग देखना पड़ता है। इसका असर इण्डस्ट्रीज पर पड़ता है। यह मैं इनकार नहीं करता। यह भी मैं कहना चाहूंगा कि जितनी बिजली काटी गयी है, बीस तारीख के बाद मैं पहले वाली स्थिति में आ जावेंगे।

आज राजस्थान में बिजली को लेकर एग्रीकल्चर में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ट्रीपिंग की शिकायतें आती हैं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गलत इन्फोर्मेशन दी है। समझने की बात है। काश्तकार चौबीसों घन्टे तो नहीं चलाता। काश्तकार बिजली पर्टीकुलर आवर्स में ही चाहता है जबकि हम कहते हैं कि टाइम जो निश्चित किया हुआ है उसी पर ले लीजिये। कहीं पर बिजली 2 से 6 बजे तक और कहीं बिजली 8 से 12 बजे तक चलती है। इसलिये यह करना पड़ा है बिजली का कन्जम्पशन काफी हो गया है। हमने कुओं पर काफी बिजली दे दी इसका कारण यही था कि अधिक लाभ उठा सकें। 24 घन्टे तो कुए नहीं चलते हैं। दिक्कत केवल यही है कि पर्टीकुलर आवर्स पर ही कुआं चलाना चाहते हैं, पर्टीकुलर आवर्स पर कुएं चलें इसको चलाने के लिये हमारे पास क्षमता नहीं है कि उनको उन्हीं घन्टों में बिजली दे सकें। 24 आवर्स में सिस्टेमेटिक वे में बांटना होता है और उसके अनुसार ही बिजली देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्रीपिंग के बारे में बात कही। हमारी लाइन इतनी सक्षम

(श्री हीरालाल देवपुरा)
नहीं हो पायी है कि यह नहीं हो, क्योंकि एक्सपान्शन की ओर ध्यान दिया है, लोड फैक्टर 100 से 200 तक दिया। यह फैक्ट है कि यह एक्सपेन्शन के कारण है। ओवर लोडेड लाइन हो गयी है। ट्रान्सफोर्मर्स की केपेसिटी बदल रही है और दूसरी टेक्निक के आधार पर कदम उठाना चाहते हैं वह उठा रहे है जिससे बिजली का कट जाना, लाइन कट जाना, यह इस वजह से हुआ कि दूसरी जगह दे रहे हैं इससे हो गया है यह कहा गया, मैंने साफ कहा है कि कहीं बिजली नहीं जा रही है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नेशनल इन्ट्रेस्ट है। पहले दी थी, ऐसी स्थिति में थे, सरप्लस थी बिजली। हरियाणा उत्तर प्रदेश में दी। बिजली यदि है तो देने में आज भी ना नहीं है। आज हम यह कहते हैं कि हमारे पास बिजली ज्यादा नहीं है। और जो आर्गुमेंट दिया करते थे कि कम है, कमी है, उसको नहीं माना गया तो समानान्तर जोड़ने से यह साबित कर दिया कि विद्युत की राजस्थान में कमी है, सरप्लस नहीं है। और यही कारण है कि भारत सरकार जिसने यह कहा था कि अणुशक्ति केन्द्र 40 लाख यूनिट जनरेट करता है, 25 लाख राजस्थान के लिए रखकर 25 पर्सेन्ट वे उपयोग में सीधा लेना चाहते थे, बावजूद उन्होंने हर चन्द कोशिश की, वे नहीं ले पाये सीधा। इसलिये कि सरप्लस नहीं थी। समानान्तर लाइन थी तो वे कर सकते थे। अणुशक्ति केन्द्र को लिख दिया, भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड को भी लिखा गया। वे कर नहीं पा रहे हैं। प्रवाह हो नहीं पाता है। इस प्रकार का अब कोई खतरा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहते है कि उद्योगपतियों को बिजली नहीं दी जाती है और इस कारण यहां पर उद्योगपति उद्योग लगाने के लिये राजी नहीं हो पाते हैं, और लोग यहां से उद्योग लगे हुए हैं उन्हें बन्द कर रहे हैं। तो मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करदूं कि राजस्थान सरकार ने जब जब भी बिजली उद्योगपतियों ने उद्योग लगाने के लिये मांगी तब उन्हें बिजली दी है कभी बिजली नहीं देने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हमारे पास जिस केपेसिटी में बिजली है वह हम दे सकते हैं। आज किसी उद्योग लगाने के लिए भारी क्षमता वाला ट्रान्सफॉर्मर्स चाहिये तो वह हम कैसे कह सकते हैं। हमसे जब कभी भी बिजली के बारे में उद्योगपतियों ने बात की तो हमने यह कहा कि हमारे पास 33 के. वी. लाईन, 11 के. वी. लाईन, 132 के. वी. लाईन की क्षमता वाला उद्योग अगर आप लगायें तो लगा सकते हैं या फिर आप उद्योग जो लगावें वह आप अपने खर्चे से उस क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगावें कि जिससे 33 के. वी. लाईन, 11 के. वी. लाईन और 132 के. वी. लाईन के ट्रान्सफॉर्मर से काम चल जावे। आपको उसके बराबर लेवल करना पड़ेगा। यह तो हमने कहा होगा, लेकिन यह नहीं कहा कि आपको बिजली हमारे से नहीं मिलेगी। अगर कोई इस प्रकार की रुकावट बिजली की आयी हो तो मैं कह नहीं सकता अन्यथा हमने उद्योगपतियों को हमेशा यहां पर एनकरेज किया है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष, महोदय, कि हमारे यहां पर सदन में माननीय सदस्य इस बात को बहुत ही एग्जेजरेट करके कहते

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है कि उद्योगपतियों को बिजली नहीं देने की वजह से यहां पर वह लोग उद्योग नहीं लगाते है। और कोई अगर उद्योग लगा भी लेते हैं तो फिर उसे क्लोज करके चले जाते है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बार बार कहना उचित नहीं होता है। क्योंकि ऐसा अगर आप बार बार कहेंगे तो मैं सोचता हूं कि लोग अगर इस तरह से बार बार सुनेंगे तो आते होंगे तो यहां उद्योग लगाने में आना उनका बन्द हो जायेगा। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि इस ओर संयम बरतने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कोटा से आते हैं उन्होंने जो बात कही थी उसके जवाब में मेरा यही निवेदन है कि वह हमारे द्वारा कन्ट्रोल नहीं होता है वह तो भारत सरकार द्वारा कन्ट्रोल होता है। वैसे यह सही है कि हमारे पास बिजली की कमी है और वह पक्ष हमने भारत सरकार की पास रखा है और अब वह मान भी गये हैं कि राजस्थान बिजली के अन्दर कमी वाले ऐरिया में आता है। पहले इस बारे में मतभेद था वह अब समाप्त हो गया है। हालांकि आंकड़ों के बेसिस पर तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन हमने जो बात अभी रखी थी उसको उन्होंने मान लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो आप सही मान लें और हम भी कहते हैं कि बिजली के अन्दर हम सरप्लस नहीं है यह तथ्य सही है। लेकिन हम चम्बल से बिजली लेकर अपनी कमी को पूरी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले विधान सभा में प्रश्न के जवाब में, मैंने कहा था कि बिजली की कमी है। और सी. पी. डब्ल्यू. सी. और प्लानिंग कमीशन से और केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति नहीं मिली है इसलिये हम अपना थरमल पावर नहीं लगा सके हैं। यही कारण है कि कोटा का जो थरमल प्लान्ट है उसको चलाने में रुकावट आ रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप उसे कब तक चालू कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें। I have closed it.

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी स्थिति थी वह मैंने आपके सामने रखी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये मैंने क्लोज कर दिया है।

अनुदान की मांगे, मांग सं. 8 व 9 की प्रस्तुती

अनुदानों की मांग माननीय मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 8 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,38,62,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(श्री परसराम मदेरणा)

मांग संख्या 9

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,92, 37,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 8 व 9 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव: (हवा महल, जयपुर):

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर):

1. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक की व्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये)

2. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में भू-राजस्व वसूल किये जाने में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरलाल (कामां)

श्री मीठालाल (लालसोट)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

3. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीशों व अन्य अधिकारियों के अधिकतर दौरे पर रहने से जनता का कार्य समय पर न होने पर चर्चा के लिये)

4. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-अभिलेख सुधार योजना की असफलता पर चर्चा के लिये)

5. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 363 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि अवाप्ति हेतु देय मुआवजों के भुगतान में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)

6. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालय में कार्य कुशलता में तेजी लाने के बारे में चर्चा के लिये)

7. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को सरकार की नीति के अनुसार अभी तक पास बुकों का वितरण न होने पर चर्चा के लिये)

8. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में वन विकास एवं वन संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

9. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जंगलों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)

10. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगल में कोलकंडी के ठेके दिये जाने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)

श्री मनोहरलाल (कामां) :

11. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहाड़ी में सब तहसील के स्थान पर तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निष्क्रान्त कृषि भूमियों को लोगों में ऐलोट कर अथवा भूमिहीनों को कीमत न देकर व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी प्राप्त कर लेने व जांच हो जाने पर भी कोई कार्यवाही न करने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल (लालसोट) :

14. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा उप-जिला कार्यालय को क्रमोन्नत कर जिला मुख्यालय में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(लालसोट, जयपुर) स्थित तहसील कार्यालय के जीर्ण भवन को बदल कर नया भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी चारागाहों पर अनाधिकृत कब्जों को हटाने में विभागीय असफलता के बारे में चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के विभागीय पटवारियों कर्मचारियों को अपनी स्वयं की घरू तहसील में रखा जावे या नहीं इसका स्पष्टीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खुद काश्त गिरदावरी दर्ज करने की व्यवस्था को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा खुद काश्त गिरदावरी पुनः दर्ज करने से अधिकांश पटवारियों द्वारा किसानों की खुली लूट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के वन क्षेत्रों की रक्षा में विभागीय असफलता के बारे में चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के विभिन्न वन क्षेत्र स्थानों से कृषि योग्य उपजाऊ भूमि निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री मीठालाल)

23. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के वन क्षेत्रों से लकड़ी व चारे की चोरी रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग से कृषि योग्य भूमि निकलवाने में विभागीय असमर्थता के बारे में चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के लालसोट वन क्षेत्र के फोरेस्ट गार्डों का एक साल में पांच पांच बार स्थानान्तरण करके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) :

26. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में सेटलमेन्ट नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

27. माग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीनगर ग्राम में तहसीलदार द्वारा सरकारी नाले को आवण्टन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल बोसावड़ा (फागी):

28. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में भू-राजस्व लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में भू-राजस्व वसूली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में नये वनों की और स्थापना कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वनों का विकास कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वनों को संरक्षण देने हेतु विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सुरडा (फतेहपुर):

33. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालय में कार्य शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा गिरदावरी की खाना पूर्ति हल्के में न जाकर अपनी मर्जी से कर दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री झाबरमल-सूंडा)

कर दिया जाय (सभी जिलों में बन्दोबस्त कराने पर होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वनों की अनियमित रूप से कटाई पर चर्चा के लिये)

श्री दीपंकर (लाडनूं):

37. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं तहसील की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री का तहसील कार्यालयों में अभाव पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीघोड़ी समान करने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 363 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धार्मिक तथा शिक्षा संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों के व्यवहार से किसानों की परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अपीलीय अधिकरण में मुकदमें निपटाने में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों का ठेका न देने के बाबत चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर):

44. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल द्वारा केसों को निपटाने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दोबस्त कार्य के अन्तर्गत अभी तक पास बुकें नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 295 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर चिड़िया घर के पशुओं व पक्षियों के लिए क्रय किये जाने वाले पोषाहार का दुरुपयोग किये जाने से पशु-पक्षियों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) :

48. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन की दोष पूर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

49. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन द्वारा जनहित की उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

50. मांग संख्या 8, शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व वसूली की दोष-पूर्ण कार्य पद्धति पर चर्चा के लिये) ।

51. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के विकास में वनों को अधिक प्रभावशाली बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

52. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):

53. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 200 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर तहसील क्षेत्र काश्तकारों के भू-राजस्व रेकार्ड को मौके कब्जों के आधार पर पूर्व बन्दोबस्त में हुई गलतियों के दुरुस्त करने के लिये स्केलटन स्टाफ उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये) ।

54. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 295 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पब्लिक एण्ड रीलीजियस अन्डोनमेन्ट एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापारियों के पास जो धर्मादा फंड होता है उसको क्रियान्वित करके उपलब्ध राशि के योजनाओं में उपयोग पर चर्चा के लिये) ।

55. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छतरगढ़ जिला बीकानेर) की पुरानी एवं वास्तविक आबादी को आबादी क्षेत्र में घोषित करने पर चर्चा के लिये) ।

56. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर तहसील की (संवत् 2021 से 2030 तक) सेटलमेन्ट में हुई गलतियों को दुरुस्त करने हेतु कम से कम एक गिरदावर व पांच अमीनों की पार्टी तैनात की जावे ताकि उक्त पार्टी क्रमिक तौर भू-सर्वे व राजस्व रेकार्ड कब्जे के अनुसार दुरुस्त करने पर चर्चा के लिये) ।

57. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 308 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लिफ्ट कैनाल के दोनों किनारों पर बालू मिट्टी से बचाव हेतु शैल्टर बैल्टस कायम करने उपयुक्त स्थान पर नर्सरी कायम करने जलाने की लकड़ी पैदा करने हेतु गांवाई जंगल लूणकरणसर से सूरतगढ़ सड़क के दोनों किनारों पर शैल्टर बैल्टस कायम करने हेतु चर्चा के लिये) ।

(76)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा):

58. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सर्वे नहीं कराने से काश्तकारों को होने वाली कठिनाईयों पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालय बीकानेर में स्थानीय कर्मचारियों एव अधिकारियों के तबादलों के विषय में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व तहसील के कर्मचारियों के लूणकरणसर के लम्बे अर्से से हुए तबादले के बावजूद रिलीव न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में काफी तादाद में पड़ी काबिल काश्त भूमि को अराजी घोषित करके भूमिहीन हरिजन किसानों को अलाट करने पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में काश्तकारों को पास बुके वितरण नहीं की गई उसे वितरण कराने के लिये, चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को भूमि आवण्टन में हुई अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 304 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिनांक 22 फरवरी, 1975 को तहसील लूणकरणसर में सीलिंग द्वारा प्राप्त भूमि हरिजनों एवं फौजियों को दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 9, मुख्य, शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वनों की ओर वनों की रक्षा की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पास गाढ़वाला जोड़बीड़ के पाले की सही ढंग से देखभाल नहीं हो रही है और न ही सही ढंग से निलाम करके कटाई की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा किये जा रहे घोटाले पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के गाढवाला, कानासर, बिच्छवाल महाजन के चारागाह केन्द्रों में उस क्षेत्र के अकाल पीड़ित मवेशियों को चराने के लिये चर्चा के लिये)।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

69. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के इस अकाल वर्ष में बीकानेर जिले से अकालपीड़ित लोगों द्वारा अपने खेतों में से काट कर बाहर भेजे जाने पर वन विभाग द्वारा टैक्स वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा):

70. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर परिषद की सीमा में वर्षों से खेती करने वाले कृषकों को बेदखल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 295 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(जोधपुर नगर के उम्मेद पब्लिक पार्क में स्थित जन्तुआलय के सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशन गंज):

72. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक दृष्टि से कोटा जिले की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की अव्यवहारिकता से किसानों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी. एफ. ओ बारां के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचारों से क्षेत्र में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि योग्य वन भूमि को काश्त करने के लिये परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां रेलावन तहसील किशनगंज में प्लान्टेशन स्थापित करने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

77. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेन्ज शाहबाद में भैंसा घाट कूप के निर्माण कार्य में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील शाहबाद जिला बारां में वन भूमि पर नाजायज काश्त कराई उससे व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां वन मण्डल में किसानों द्वारा जलाने की लकड़ी नियमानुसार प्राप्त करने पर भी विभाग के कर्मचारियों द्वारा परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामगोपाल)

80. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वारां की स्टार्च फैक्ट्री में तेन्दू पत्ते को जलाने से रोकने में वन विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

81. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन को सशक्त बनाने पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की वसूली में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन उत्पादन के राष्ट्रीयकरण पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग का पुनःसंगठित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

85. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूरे राजस्थान में पास बुकों के वितरित न होने पर चर्चा के लिये)।

86 मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विहार गेम्स सेंचुरी के विकास न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

87. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में नामान्तरणकरण के मामलों को शीघ्र निपटाने के विषय पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रवृतियां अधिक बढ़ रही है, जिलाधीशों द्वारा उन पर कोई रोक नहीं है, अतः उसकी रोक पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में अयोग्य एवं बेईमान अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानान्तरण के द्वारा भेजकर जिला प्रशासन को बिगाड़ने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 8, मुख्य, शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की बाड़मेर तहसील जिसका क्षेत्रफल दस हजार वर्ग किलोमीटर एवं आबादी साढ़े तीन लाख है और जहां रेवेन्यू इन्सपेक्टर सर्कल अधिक है उक्त तहसील को अधिक तहसीलों में विभाजित करने में राजस्व विभाग द्वारा ढिलाई एवं लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

91. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटे अनाज एवं गेहूं की लेवी की वसूली में रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पक्षपात एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1973-74 एवं पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहिले वर्ष में कम प्रावधान होने के कारण वनों में अधिक क्षति हो रही है, जिसके कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा बाड़मेर जिले की शिव तहसील में गढ़रा रोड़ से गिराब जाने लिए करीम का पार, मेंदूसर कुआ, छामरली आदि से होता हुआ कदीम से सार्वजनिक रास्ते को तारबंदी द्वारा बन्द करके ग्रामों की जनता के लिये कठिनाई पैदा किये जाने के कारण उनमें घोर असन्तोष हैं, जिस पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) :

95. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भवानी मण्डी में एस. डी. एम. कोर्ट कायम किये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीदौरा) :

96. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की वसूली में आदिवासियों के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार एवं बड़े भूपतियों के साथ पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलाभकर भूमि से भू-राजस्व समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में हुए सेटलमेंट एवं देव भूमि के पर्चे देने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में व्याप्त शिथिलता, भ्रष्टाचार एवं उसमें सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्र कुमार (पाडवा) :

100. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में जिला प्रशासन में सुधार करने पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (बारां):

101. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांगरोल तहसील में अन्ता सब तहसील राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों को परेशान किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलों को बढ़ावा दिये जाने व वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री गोपीलाल (दीपन्दा):

103. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलों में समय पर नामान्तरण व कृषकों को गलत पास बुकें देने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा कृषकों व अन्य व्यक्तियों को समय पर योग्य लकड़ी न देने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

106. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में जिला प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों की उदासीनता व लापरवाही व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश झालावाड़ द्वारा भूमिहीनों को आवंटित भूमि से बेदखल कर देने के कारण चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में पटवारी व रेवेन्यू इन्सपेक्टर आदि के द्वारा अनियमिततायें करने पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में वन विभाग की काबिल काश्त भूमि को भूमिहीनों में बांटने हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सन् 1974-75 में पंचायत क्षेत्र (चारागाह) जिला झालावाड़ के तेंदू पत्ता जो वन विभाग द्वारा तोड़ा गया उसके मुआवजे की रकम अभी तक न देने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में सन् 74-75 में वन विभाग द्वारा तेंदू के पत्तों के व्यापार में किये गये घोटालों की चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़)

112. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनधिकृत कब्जे हटाने हेतु चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी के लिए पटवार घरों के निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर व चूरू के कृषकों को राजस्थान नहर पर भूमि आवंटन करने पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छत्तरगढ़ ठिकाने के काश्तकारों को अनूपगढ़ क्षेत्र में अपनी जमीन न मिलने व सरकार द्वारा कोई फैसला न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मालगुजारी में होने वाली बढ़ोतरी पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों की लापरवाही से समय पर वसूलियां न करने पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व के मामलात में पैरोकारी ढंग से न करने के कारण मामले खारिज होने और उनसे होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चारागाह सुधार के लिए कोई सुनियोजित प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

120. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में चरागाह एवं वन लगाने में असफल प्रयास तथा खास रक्षित स्थानों के सुधार पर चर्चा के लिए)।

121. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के काटे जाने से होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिए)।

श्री करन सिंह (डीग):

122. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को समय पर नामांन्तरण करण व खातेदारी न मिलने पर चर्चा के लिए)।

123. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश में वनों की रक्षा एवं अधिक वन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) :

124. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को पास-बुक देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

125. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन भूमि को काश्त के लिए दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (मोहरी बाजार, जयपुर) :

126. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एग्रीकल्चर रिफोर्म्स को सरकार द्वारा उचित प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

127. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन सम्पदा की चोरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

128. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों को भू-राजस्व में से हिस्सा देने पर चर्चा के लिये)

129. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर तहसील के किसानों पर अनियमित रूप से लगान बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर तहसील में पुराने आबाद गांवों से बीस गुना लगान आबादी में बदलने के नाम पर लगाने पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर क्षेत्र के वनों की कटाई और वनों की समाप्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की बेरहमी से चोरी से कटाई को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन सम्पदा का हो रहा ह्रास पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

134. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेटलमेंट विभाग को समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व वसूली की प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तेंदु पत्ते के टेण्डर में फेर बदल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) :

137. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान जिला प्रशासन में जन प्रतिनिधियों को जोड़ कर उनकी भूमिका सारपूर्ण तरीके से परिभाषित करनी चाहिये और बल विकासोन्मुख प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की दिशा में होना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में वर्ष के अधिकांश काल में वेगवती हवाओं से भूमि की संरक्षण के लिये व तापांश को घटा कर जलवायु में सुधार लाने के लिये वनस्पति पर जो सैनिक कार्मिक ठेकेदारों तथा जन साधारण द्वारा प्रहार किया जाता है उस सम्बन्ध में वांछित ध्यान विभाग का न होने से जनता में असन्तोष सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

श्री चेतराम (टोडा भीम) :

139. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के प्रशासन में अधिक सुधार पर चर्चा के लिए)।

140. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के राजस्व सम्बन्धी कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां डी० एस० ओ० वन विभाग के कार्यालय में फैले भ्रष्टाचारों पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के वन के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री उमेदीलाल (हिण्डोन) :

143. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व वसूली में की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

144. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में खाली पड़ी हुई भूमि को काबिल काश्त के लिये दिये जाने व बकाया पड़ी हुई भू-राजस्व आदि पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के पास गाढवाला जोड़बीड़ के वन की विभाग द्वारा सही ढंग से देखभाल नहीं करने व उसका विकास न करने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) :

146. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में

(८५)

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

उच्च अधिकारियों का व्यवहार अन्य अधीनस्थ राज्य कर्मचारियों के साथ सद्व्यवहार नहीं है–इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

147. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग को सेवा भावी बनाने एवं काश्तकारों की भूमि सुधार सम्बन्धी समस्याओं को हल कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

148. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के विकास एवं वन विभाग को ईमानदारी एवं सेवा भावी बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) :

149. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व के हिसाब से ग्राम घवली के उप ग्राम नया बास (तहसील विराटनगर) को पृथक ग्राम कायम किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

150. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील विराटनगर के सहायक जिलाधीश के क्षेत्र के मुकदमें स्थानान्तरण किए जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)

151. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब डिवीजन कोटपूतली में एक नवीन तहसील शाहपुरा मनोहरपुर में स्थापित किये जाने की चर्चा के के लिये) ।

152. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराटनगर तहसील में नियुक्त पटवारी एवं गिरदावरों के द्वारा किये गये अनियमित कार्यों से उत्पन्न परेशानियों की चर्चा के लिये) ।

153. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराटनगर तहसील के अनेकों ग्रामों में वन विभाग की वर्षों से कब्जा शुदा भूमि को नियमन नहीं किये जाने की चर्चा के लिये) ।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

154. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार से व्याप्त स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

155. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समय-समय पर भू-राजस्व वसूल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

156. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में कृषकों को पास बुकें वितरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

157 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में अन कमाण्ड क्षेत्र में किये गये अनधिकृत कब्जे कृषि योग्य भूमि को रेगुलेराइजेशन नही किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में राजस्व विभाग की भूमि को समय पर आवण्टन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की तहसील केशवराय पाटन के ग्राम उतराना में भूमि आवण्टन गत वर्ष होने पर भी अभी तक पट्टे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के भूमि हीनों को हुई भूमि आवण्टन का समय व मौके पर पट्टे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में वन विभाग की कृषि योग्य भूमि नहीं निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में गत कई वर्षों से बन्द कलोजरों को समय पर नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की वन सम्पदा नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की वनो वन समिति की बैठक समय पर नहीं बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) :

165. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर मे अनेक भूमिहीनों को आवंटित भूमि सम्बन्धी विविध मुकदमों में वर्षों से परेशान होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बैर के विभिन्न बड़े बड़े चरागाह पर अनधिकृत कब्जे हटाने में अधिकारियों की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर):

167. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 304 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुप

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

कम कर दिया जाय (सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत आने वाली जमीनों के बेचान को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा):

168. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के दो जिले बनाकर बारां व छबड़ा सब-डीवीजन जिसमें 4 विधान सभा क्षेत्र आते हैं, अलग जिला बारां में कायम किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 262 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल का बैंच कोटा में कायम किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि योग्य वन भूमि को राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की जाकर भूमिहीनों में अलोट किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तेन्दू पत्ते व्यापार में कोटा डिवीजन में की गई अनियमितताओं के सन्दर्भ में चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा):

172. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा में सब डिवीजनल अधिकारी का कार्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (पाली):

173. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में खेती-हर मजदूरों के भयंकर शोषण को रोकने हेतु उन्हें भूमि आवंटित की जाये—उस पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 304 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील में सीलिंग कानून से बचने हेतु बेनामी व फर्जी बेचानों की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के सादड़ी व देसूरी वन-क्षेत्रों में नये वन (वृक्ष) लगाने की आवश्यकता तथा अनावश्यक कटाई रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं)

176. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी नीति के अनुसार किसानों को अभी तक पास बुक नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले में

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

नियुक्त कुछ पटवारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के लिये)।

178. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लगान की दरों का समानीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनार्थिक जोतों का लगान समाप्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा झुंझुनू शहर के बीड की सुरक्षा में की जाने वाली अवहेलना पर चर्चा के लिये)।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां):

181. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीशों द्वारा जप्त शुदा साइकिलों व अन्य सामानों की निलामी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के विकास हेतु समुचित व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थासिंह (नदबई):

184. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर की राजस्व समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर की वन समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा):

186. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीनों को स्थायी आवंटन करने के सम्बन्ध में एवं उनको आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पूर्व):

187. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में जिला प्रशासक की त्रुटि पूर्ण नजरिये के कारण रोडवेज बस स्टेण्ड के न बनने पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन अधिकारी जो लम्बी अवधि से एक स्थान पर जमे हुए हैं उनको स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमराज चौधरी (नोहर) :

189. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू प्रबन्धक के अन्तर्गत तहसील नोहर जिला गंगानगर में की गई अनियमितताओं की चर्चा के लिये)।

श्री भैरूंलाल (ककलेरा) :

190. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाहियों के कारण कृषक वर्ग पर आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाने वाली मनमानी से कृषकों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकार का भूमि पर नाजायज कब्जों से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से वन सम्पदा को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी से काश्तकारों को कृषि औजार हेतु दी जावे वाली लकड़ी प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले के वनों का कोयला सरकार द्वारा ठेका दिया जाने के फलस्वरूप, जलाऊ लकड़ी की कमी हो जाने से जन साधारण को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में वन विभाग से जलाऊ लकड़ी का महसूली चिट्ठी काश्तकारों को न दिये जाने से काश्तकारों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के अधिकार की कृषि योग्य भूमि को राजस्व विभाग को हस्तान्तरित कर भूमिहीन कृषकों को आवंटित की जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रतीराम यादव (तिजारा):

198. मांग संख्या 8 मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के तिजारा सब डिवीजन में बन्दोबस्त में की गई धांधली पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री रतीराम यादव)

कम कर दिया जाय (दफा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत चल रहे केसेज को समाप्त करके किसानों के जायज कब्जों को रेगुलेराइज करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर और भरतपुर जिलों में निष्क्रमणार्थी भूमि के पार्टीशन से पहले के काश्तकारों के खातेदारी हकूक देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की समतल भूमि को भी वन विभाग में बनाये रखने की नीति कृषि उत्पादन के हित में नहीं है, इसके बारे में चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा)

202. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के काश्तकारों को पास बुक देने में विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पचपदरा के गांव बीठूजा में किसानों को आवंटित काश्त योग्य भूमि को नाप कर कब्जा देने और तरमीम करने में राजस्व कर्मचारियों द्वारा भारी भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की वन नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)

205. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमीन के नाजायज कब्जों एवं नाजायज फसलों की जांच करने की चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुराने कब्जों के आधार पर खातेदारी हकूक देने के बारे में चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 223 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाजायज कब्जों के आधार पर रहवास भूमि एवं लाटे एवं बाड़ों के नियमन करने की चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाजायज कब्जों को नियमन करने के बकाया जिला जालौर के मामलों के बारे में चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि की तहसील सांचौर में कब्जा दिलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर प्रक्रिया जामबन्दी पटवार सर्किल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(९०)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

211. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसको दूर करने के उपायों पर चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन को पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर के वन बीड़ों में अच्छा घास पैदा कर फाडर बैंक स्थापित करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में रणखार क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा सुधार कर घास उगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के दोनों ओर वन विभाग द्वारा लगाए गए जिला जालोर में, पेड़ों की सुरक्षा की चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर की फोरेस्ट रेंजों में वन बीड़ों को खुला कर चरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में वन विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वन्य जीवों का शिकार बन्द कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिरणों की सेंचरीज बनाने के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री राजेन्द्र भारतीया (बून्दी) :

220. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिलाधीश द्वारा नव जीवन मण्डल को बिना किसी अधिकार के सन् 1972-73 में कालोनी बनाने के लिए भूमि दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में अभी तक विभाग द्वारा भू-राजस्व कार्य पूरा न करने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

(श्री राजेन्द्र भारतीया)

222. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के कई भागों में किसानों को अब तक पास बुकें राजस्व विभाग द्वारा वितरित न करने के कारण उस कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले के किसानों को अब तक पास बुक्स नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले की पूर्ण वन सम्पदा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में तेन्दू पत्ता कई बीड़ी बनाने वाली सहकारी समितियों को सहूलियत से न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वन उपज को बेचने में हुई भारी अनियमितताओं के विषय में चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में वनों के कटने से व वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वनों के काटने को रोकने में असफल रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा वन उपज के लिये कार्पोरेशन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सुरेश चन्द्र (कोटपूतली) :

229. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली में एस. डी. ओ. कोर्ट के भवन की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गिरदावरी में होने वाली अनियमितताओं के कारण गिरदावरी बन्द करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व सम्बन्धी मुकदमों का काफी अर्से तक निपटारा न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) :

233. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 92

(92)

(श्री विजयसिंह राठौड़)

कम कर दिया जाय (कृषि योग्य आवंटित भूमि का कब्जा दिलवाया जाये, इस पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन्स गिरदावरी में पटवारियों की मन-मानी पर चर्चा के लिए)।

235. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू रीसेटलमेंट में बचाव दरों पर चर्चा के लिए)।

236. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन सम्पदा को बेरहमी से नष्ट करने पर चर्चा के लिए)।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर):

श्री मनोहरलाल (कामां):

237. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनियमितताओं व उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

238. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबू पर्वत पर वन सम्पदा को नष्ट होने से रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर):

239. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के कृषकों द्वारा अपनी कृषि भूमि को अन्य जातियों को बेचे जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा):

240. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि आवंटन के तरीकों में सुधार लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर):

241. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

242. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा नियोजित ढंग से कटाई न करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

श्री हाजी खान मोहम्मद (पिड़ावा)

243. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ में सेटलमेंट होने में गड़बड़ी किये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री रावतराम आर्य (छापर):

244. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री रावतराम आर्य)

कम कर दिया जाय (कस्बा छापर जिला चूरू के पुराने काश्तकारों को बेदखल करके रिज़ाइन एरिया घोषित किया जा रहा है और काश्तकारों के वाजिब हक खत्म किये जा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए) ।

245. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ़ तहसील के सैटलमेंट के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

246. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की दफा 91 के अन्तर्गत पेन्डिंग सरकारी जमीन पर नाजायज मुकदमात के जल्द फैसले किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

247. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

248. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग में पदोन्नति के लिये हरिजन (अनुसूचित जाति) के अधिकारियों की उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

श्री शंकरलाल (पाली) :

249. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में भूमि आवंटन, सीलिंग बेदखली व अन्य मामलों में सरकारी पैरवी हेतु समुचित व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (बैनाना) :

250 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सर्वेक्षण व बन्दोबस्त के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) :

251. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि सुधार कानूनों की व्यवहारिक रूप से हुई दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

252. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वनों के समाप्त होने व इसमें विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये) ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर):

253. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर के बिहड़ों एवं बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

254. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम खण्डीप तहसील गंगापुर के 235 भूमिहीन परिवारों को 1280 बीघा सन् 1969 में आवंटित भूमि का शीघ्र कब्जा दिलवाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) :

255. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 304 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान मे भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय परिवार के अधिक सदस्य अंकित करना और उसकी शिकायत करने या अपील करने पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि के स्थानान्तर का समय पर दर्ज न करने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में दो वर्ष पूर्व जो भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा रिकार्ड तैयार किया था वो अधिकतर गलत है उसकी दुरुस्ती पर चर्चा से लिये)।

258. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अपील अधिकारी जिसका इस समय 15 दिन जयपुर व 15 दिन बीकानेर में कार्यालय चल रहा है, प्रतिमाह 10 दिन जयपुर, 10 दिन बीकानेर और 10 दिन गंगानगर में (गंगानगर के राजस्व मुकदमों के अधिक होने के कारण) चलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में किसानों की भूमि पर जो सड़क बनाने हेतु अवाप्ति की गई थी उसको लम्बे अर्से से मुआवजा न दिये जाने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

260. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दोबस्त विभाग द्वारा जिला गंगानगर में इस बार जो रिकार्ड तैयार किया गया है वह अधिकतर गलत है उसको ठीक कराने हेतु चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि के नामान्तरण ना दर्ज करने के कारण भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण करने में बाधा, पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में किसानों द्वारा जो भूमि खरीद की गयी है उसके नामान्तरण पर सरकार द्वारा लगी रोक को हटाये जाने पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगा नगर क्षेत्र तहसीलों में भूमिहीनों से भूमि की जो अधिक कीमत वसूल की गयी थी वो किसानों को वापस न लोटाने पर व्यापक जन असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 304 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि की अधिकतम

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

सीमा निर्धारित करते समय गलत स्टाम्पों से गैर राजस्थानियों के नाम बिक्री दिखलाने पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कार्यरत भू-अभिलेख निरीक्षक जो तहसीलदार नायब तहसीलदार पदों पर कार्य कर रहे हैं और गलत सूची तैयार होने के कारण समय समय पर उन्हें रिवर्शन करना और उनके द्वारा उच्च न्यायालय की शरण लेने पर गलत आश्वासन देना बार बार नियमों में परिवर्तन करना और नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के कार्यरत भू-अभिलेख निरीक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिकायें पेश करते समय भू-राजस्व (अभिलेख) नियम, 1957 नियम 171 "ए" के अन्तर्गत जिलों में राजस्व मण्डल द्वारा सूचियां तैयार करने का आश्वासन बार बार दिये जाने पर भी नियमानुसार सूचियां तैयार न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भोलाराम (नीम का थाना) :

267. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 253 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

268. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व पटवारियों को होम तहसीलों से सामुहिक तबादले करने की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा खसरा गिरदावरी के खाना कास्त कब्जा परिवर्तन आदि में पुन: प्रविष्टियां करने के आदेश पर चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों द्वारा देहातों में मंजूरशुदा रास्तों पर अनाधिकृत कब्जों को तुरन्त हटाने पर चर्चा के लिये) :

271. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जनजाति की भूमियों पर स्वर्ण जाति के अवैधानिक कब्जों के हटाये जाने के बारे में राजस्व अधिकारियों की निष्क्रीयता पर चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन प्रमाण-पत्र के प्रमाणिकरन के बारे में राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनाई गई ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री केदार नाथ)

कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमा द्योतक चिन्हों के खेतों की सीमा पर होने पर व उनके गलत लगे होने पर उनकी दुरूस्ती आदि में ढिलाई के रवैये पर चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील राजस्व अधिकारियों पर वर्ष में 120 दिन व 90 रात्रि के दौरे करने की पाबन्दी होने से अनावश्यक खर्च पर चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिलिंग सम्बन्धी मामलों पर एस. डी. ओज. द्वारा मौके पर जाकर फैसला न करने के कारण बड़ी तादाद में विचाराधीन मामलों की बाबत चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लैंड रिकार्ड इन्सपेक्टरों की वरिष्ठता सूची राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा सेवा नियमों के विरुद्ध बनाई गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :

277. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप जिले की वनविहार गेम सेन्चुरी का बजट बढाने एवं उससे पर्यटकों को ज्यादा सुख सुविधायें दिलाने के क्रम में चर्चा के लिये)।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) :

278. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में वनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

279. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील के पहाड़ों में नया जंगल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री गौरीशंकर (खानपुर) :

280. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में वनों की सम्पदा की क्षति पर चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी) :

281. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम-कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) :

282. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा से वन विभाग की जमीन रेगुलेराईज करने के बाबत चर्चा के लिये)।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) :

283. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 304 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर में सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि का जल्द आवण्टन कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

284. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम घोरीमना जिला बाड़मेर में वन कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से रोहिड़ा का वृक्ष काट कर ले जाने व उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

285. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर के डी. एफ. ओ. का कार्यालय जोधपुर में न रखा जाकर बाड़मेर में ही रखा जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 8 व 9 पर विचार एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं बाद में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उस क्षेत्र में 1927 में और 1946 में दो बार बन्दोबस्त हुआ। मैं गंग कैनाल वाले एरिया से आता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले दो बार जो बन्दोबस्त हुए थे वह इतने अच्छे बन्दोबस्त हुए थे कि उसके मुकाबले का कभी भी बन्दोबस्त नहीं हुआ। इसके लिए तो मैं यह भी कहूंगा कि उसके मुकाबले का बन्दोबस्त सिवाय पंजाब के कहीं आपको अच्छा नहीं मिल सकता। इससे अच्छा रिकार्ड आपको कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने के बाद और इन पिछले 18 सालों में जो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कैनाल एरिया में और गंग कैनाल एरिया में जो सेटलमेंट हुआ है वह सारे का सारा सेटलमेंट गलत हुआ है। वहां पर लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है आज इन एरिया में सैटलमेंट जो गलत हो गया है उसमें तबदीली करने की जरूरत है। इसके अलावा मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह सुझाव है कि राजस्थान कैनाल ऐरिया में सीलिंग लागू किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में 1966 में गंगनहर एरिया में बन्दोबस्त शुरू हुआ। और वह बन्दोबस्त उपाध्यक्ष महोदय, 8 साल तक चलता रहा है। उसमें बहुत समय ज्यादा लगा है। वह आठ साल तक तो चलता रहा और अभी भी चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आठ साल में भी आपका बन्दोबस्त गंगनहर एरिया में पैमाइश नहीं कर सका। और वहां के उदाहरण आपको ऐसे दूंगा कि लोगों ने वहां पर पैमाइश नहीं की और आपके अधिकारियों ने बिल किये हैं। एक नहीं सैकड़ों जगह पर पैमाइश नहीं की वहां पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। इसके लिये मैं वहां के कलेक्टर के पास गया और उनको कहा कि वहां पर सही ढंग से पैमाइश नहीं हुई है और वहां पर कई झगड़े पैदा हो गये हैं।

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

इसलिये चूंकि बन्दोबस्त सही ढंग से नहीं हुआ है इसलिए उस एरिया में दुबारा पैमाइश की जानी चाहिये। वहां पर इस तरह से बन्दोबस्त किया गया है कि आपने किसी को मिलकियत में एक मुरब्बे में 25 बीघा से लेकर 40 बीघा तक जमीन अलॉट की है। इसके अलावा कहीं पर एक मुरब्बे में 25 बीघा और 10 बीघा उसमें खाली और रख दिया और कुल मिलाकर वह 35 बीघा हो जाती थी। पहले जो सन् 1946 में बन्दोबस्त किया गया था उसमें सभी ढंग से किया गया था। खाला भी ठीक ढंग से रखा हुआ था। हर चीज लिखी जाती थी जैसे फलां नम्बर का किला है उसमें 18 बीघा लैण्ड और उसके साथ में दो बिस्वा छूट खाली के लिये दी जाती थी। पर अब की बार ऐसी कोई रियायत नहीं की है। इस प्रकार जो दो बीघा या और जितने भी बीघा खाली छोड़ी जाती वह उस खसरा नम्बर के मालिक के पास रहती थी। जिससे कि वहां पर कोई रास्ता निकालना हो, नहर निकालने की बात हो। काम आता हो लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि नहरी इलाके में कोई रास्ता निकलने की जगह नहीं, वहां पर कोई मिलकियत का पता नहीं चलता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं किसी और का नही मेरा ही देता हूं कि वहां पर क्या किया गया है जैसे एक मुरब्बे में जमीन है उसमें उन्होने किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 वगैरहा लिख दिया अब उसमें किसी का आठ नम्बर का किला दूसरे का ही आता है। किसी का 1, 2, 3 और बाद में 8 किसी दूसरे चार और पांच अगर मेरे हैं तो वहां पर सेटलमेंट गलत होने की वजह से बहुत दिक्कत आगयी है। मैंने देखा कि 4 और 11, 12 मेरे है तो बाकी बीच में किसी दूसरे का है मैं कलेक्टर साहबान के पास गया उनसे कहा कि चार बिस्वा तो मेरे हैं और पांच किसी दूसरे का है तो क्या मैं गैर की जमीन पर कब्जा करूं क्या, क्योंकि पंच खतौनी में बात ही दूसरी है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बिना आब्जेक्शन रेज किये ही जमीन अलॉट कर दी जिससे कि काफी गड़बड़ियां उस क्षेत्र में पैदा हो गयीं। उसमें आब्जेक्शन रेज करने चाहिये। और वहां पर जो सेटलमेंट में हुआ है वह गलत हुआ है। वह ठीक होना चाहिये। नहीं तो आज जो वहां पर सेटलमेंट का रिकार्ड है वह ठीक नहीं है। न तो वहां पर आब्जेक्शन का फैसला हुआ है और न ही कोई सही बन्दोबस्त वहां पर हुआ है। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और बहुत से ऐसे हैं जिनमें कि सेटल ही नहीं किया गया। केसेज पैन्डिंग पड़े रहे। अगर मैं उदाहरण देने लगूं तो मैं अपने गांव के पांच, सात केसेज का उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ गरीब लोगों की जमीन थी। मेरे पास एक गांव है उसके अन्दर वह गरीब हरिजन 10 बीघा जमीन काश्त करते थे। किसी को नाराजगी थी और उसके पास दस बीघा में से तीन चार बीघा ही रहने दी और बाकी की जमीन मुस्तकिल में ले गये। इस तरह से राज्य सरकार के जहां तक इन्तकाल का संबंध है 1966 में बन्दोबस्त विभाग के शुरु होने से पहले बहुत से इन्तकाल दर्ज किये जा चुके थे लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने सारे इन्तकाल इसलिए खारिज कर दिये कि उनके बन्दोबस्त में कुछ

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

नहीं आया, लेकिन जो इन्तकाल दर्ज किये गये वह गलत दर्ज किये गये और बहुत सी हालात में तो दर्ज ही नहीं किये गये। इसलिए मैं राज्य सरकार की जो आज भी इन्तकाल दर्ज किये जा रहे हैं उनके लिए मेरा यह निवेदन है कि सरपंचों को अधिकार मिले हुए हैं कि वह इन्तकाल दर्ज करें। लेकिन सरपंच पटवारी को बुलाकर कह देते हैं कि तुम इन्तकाल करके मेरे सामने पेश करो। वह नहीं मांग सकता और मांगे तो पटवारी देता नहीं। तहसीलदार जायेगा तो पहले उस को खुश करना होगा। पटवारी इन्तकाल दर्ज करे, पटवारी को खुश करना होगा और वह खुश हो जायेगा तो गिरदावर को खुश करना पड़ेगा। सब खुश हो जायेंगे तो पंचायत को कह देंगे कि तुम साइन कर दो। पंचायत तो सिर्फ साइनिंग मशीनरी है। यह इन्तकाल हो गया। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो इन्तकाल करने का तरीका है वह भी गलत है। जहां मैंने बन्दोबस्त विभाग की बात की बन्दोबस्त विभाग को चाहिये था कि सारे इन्तकाल दर्ज करता उनको चाहिये कि जिस एरिया का उन्होंने बन्दोबस्त किया था उस एरिया में जो सीलिंग एरिया था उसको अलग मेन्शन करते लेकिन वह अलग मेन्शन कहीं भी नहीं किया गया। आज क्या हो रहा है। सीलिंग में आप देख लें कि सीलिंग में कई मालिक हैं। तो वह अपने परिवार को दिखा देते हैं। नाबालिग बच्चों के नाम आज खाते बने हुए हैं। आज तक सरकार के ध्यान में लाने के बावजूद सरकार [illegible] की और म्यूटेशन नहीं [illegible] तो मैं राज्य सरका[illegible] बातें कह रहा हूं [illegible] करना चाहता हूं विभाग के मुतल्लिक। देखता हूं कि हमारे जो लेण्ड रेवेन्यू के इन्सपेक्टर्स हैं वह इस विभाग से खुश नहीं हैं। लेण्ड रेवेन्यू में क्या हो रहा है? इन्सपेक्टर्स के साथ क्या बर्ताव हो रहा है? जिनको सीनियोरिटी लिस्ट में लाना होता है तो कालोनाइजेशन विभाग से लाकर उनको यहां धकेल दिया जाता है। किसी को कालोनाइजेशन विभाग से लाया जाता है तो किसी को सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट से लाकर सीनियोरिटी दे दी जाती है और उसी का कारण है कि आज राजस्थान में बारबार कर्मचारियों को रिट की शक्ल में हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि 57 रिटें इस समय पेन्डिंग हैं लेकिन जो भी पिछड़ा की गई वह समय समय पर वह विश्वास दिलाया गया कि हम सीनियोरिटी लिस्ट दुबारा तैयार करा रहे हैं और उन कर्मचारियों ने रिटें वापिस ले ली तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जो सीनियोरिटी लिस्ट तैयार की गई थी वह गलत साबित हुई। मैं देखता हूं कि चार दफा सरकार सीनियोरिटी लिस्ट तैयार कर चुकी है और आखिरी घोषणा होने वाली है जो कि 15 फरवरी को तैयार की गई है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके कर्मचारी आपसे खुश नहीं हैं। तो इन हालात में, मैं अर्ज करूंगा कि आपको इस विभाग की ओर कुछ ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड के कामों से किसान खुश नहीं हैं। रेवेन्यू के बहुत से ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं जो कि ज्यादातर जयपुर में ही रहते हैं और जो अजमेर जाना उचित नहीं समझते और रेवेन्यू बोर्ड में जो

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

कुछ हो रहा है वह भी उचित नहीं है। एक व्यक्ति जाता है और स्टे आर्डर ले आता है, दूसरा जाता है तो स्टे आर्डर खारिज करवा लाता है। तीसरा आदमी जाता है वह स्टे आॅर्डर ले आता है और चौथा आदमी जाता है और उसको खारिज करवा लाता है। एक ही मामले में कई दफा स्टे आर्डर जारी होते हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यही हालात इस समय अपीलेन्ट आॅथोरिटी का है। अपीलेंट आॅथोरिटी का काम भी सन्तोषजनक नहीं है। उनके पास बहुत केसेज पेन्डिग हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार अगर उचित समझे तो हमारे गंगानगर के केसेज सबसे ज्यादा हैं तो हम यह चाहेंगे कि गंगानगर के केसेज ज्यादा होने के कारण अपीलेंट आॅथोरिटी का कम से कम दस दिन गंगानगर में हेडक्वार्टर होना चाहिए।

फिर मैं अर्ज करूंगा कि इस विभाग में जमीनों की खरीद-फरोख्त होती है और उसका तहसीलदार ही रजिस्ट्रार है। उनको चाहिए कि जब भी जमीन की बिक्री हो उसकी एक सूचना उसी समय पटवारी कन्सर्न्ड को भेजे और उसका इन्तकाल जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करूंगा कि तहसीलों में भ्रष्टाचार बहुत जोरों पर है। रेकर्ड में बहुत हेराफेरी की जा रही हैं और जमीनों का ठीक तरह से परमानेन्ट अलोटमेन्ट नहीं हो रहा है। मेरे सामने एक केस है। मैं बहुत लम्बा नहीं करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि गंगानगर में 1966 के बाद करीब करीब जितने भी एलोटमेन्ट हुए हैं वह 90 पर्सेन्ट बोगस हैं, 90 पर्सेन्ट गलत है। मैंने एक 37 टी०बी० का हवाला दिया था। उसकी सन् 60 में एलोटमेन्ट की गई और 65 तक कब्जा नहीं दिया। मार्च, 1965 में वह मालीराम नाम के आदमी को चक नम्बर 86 एलोट हो गई। कोई पार्टी इन्ट्रेस्टेड थी और वह चाहती थी कि हमको मुख्तयारनामा वे दे तो हम खरीद लें। वह अपीलेंट अथोरिटी में गये और वहां से हार गये और उसके बाद ए. डी. एम. के पास आये ए. डी. एम. ने 15 जून, 1966 को वह जमीन उस आदमी को जिसको एलोट की गई थी और जिसके कब्जे में एक साल तक रही उसके नाम से खारिज करके उसके नाम एलोट कर दी। एलोटमेन्ट से पहले उन्होंने मुख्तयारनामा आम हासिल किया जिसमें लिखा हुआ था कि यह जमीन क्योंकि मैं खुद नहीं लेना चाहता हूं और फलां आदमी लेना चाहता है और वही इसकी रकम दाखिल करेगा इसलिए मेरा मुख्तयारनामा मेरे भाई के नाम से कर दिया जाये। बहादुरसिंह के नाम से रजिस्ट्री हो गयी और उसके बाद 11 हजार रुपये दाखिल किये और जो मुरब्बा उस गरीब को मिलना चाहिए जिसकी कि कीमत आज 10 लाख रुपया है अनटाइटल्ड पर्सन उसको लेकर चला गया।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि रोशनलाल को कोई अधिकार नहीं था कि वह जमीन का एलाटमेन्ट करे। यह रोशनलाल जी एस. डी. एम. थे रायसिंहनगर के अन्दर और जो अधिकार उन्हें मिला हुआ था 22-8-60 को वापिस ले लिया गया। उसके बाद भी वह जमीन का बंटवारा करते रहे और उन्होंने गरीबों की जमीन ऐसे लोगों को दी [illegible] होने लेने के बाद बेच दी। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। अगर वह ज्यादा करेगा तो उस पर बिक्री

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

का नाम लेकर 200 या 250 रुपया पेनल्टी लगा दी जायेगी जब कि ऐसा करने का जिलाधीश को भी कोई अधिकार नहीं है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं 15 मिनट पूरे करके ही हटूंगा। मैं उससे एक मिनट भी आगे नहीं बढूंगा। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि उस समय की जो एलोटमेन्ट थी बहुत से हरिजनों की एलोटमेन्ट आगे चली गई। कई इलाकों में तो मौके पर कब्जा है और बहुत से हरिजनों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया 67-68 का यह वाकया है। उन्होंने फाइलें जयपुर में भेजी हाई पावर कमेटी के दफ्तर में। कलेक्टर कहता है कि वह हाई पावर कमेटी के पास फाइलें सन् 70 में गई और आज तक वह मिसलें आई नहीं हैं और आ भी जायं तो मैं उस पर सुनवाई करूंगा और छ: महीने बाद फैसला करूंगा। पांच छ: साल तो यों हो गए, सात साल हो गए और उसके बाद अपील में जायेंगे, तो पांच साल और हो जायेंगे, इस तरह से बारह बारह साल लग जायेंगे, यह कोई तरीका नहीं है। यह कलेक्टर के वर्ड्स हैं। कलेक्टर कहता है कि इन गरीबों को फायदा पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को फौरन गौर करके खास कानून बनाना चाहिए।

तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हरिजनों की जमीनों का सम्बन्ध है सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। लोकल अधिकारी जो हैं जिन लोगों से उनकी नाराजगी हो जाती है उनके केसेज कोर्ट में दायर करके जमीनें खारिज करवा देते हैं और जिन लोगों से उनका लेनदेन चलता रहता है उनकी जमीनें चलती रहती हैं। तो इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग के अन्दर बहुत सी खामियां हैं जिनको सरकार को दूर करना चाहिए। म्यूटेशन की ओर खास ध्यान देना चाहिए। बन्दोबस्त में जो गल्तियां है उसको सुधारने के लिए तहसीलवाईज अफसरों को भेज कर उनको जल्दी दुरुस्त करवायें और जो बहुत सी उलझनें पैदा होती हैं उन उलझनों को दूर कराने के लिए कार्यवाही करना चाहिए। तो यही शब्द कहते हुए मैं अपने ये सुझाव आपके सामने रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, एक साल पहले जब इस मांग पर यहां बहस हुई थी माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि राजस्थान रेवेन्यू लॉज़ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो बिल तैयार किया गया और जिसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया, एक कम्प्रिहैं-सिव लॉ के रूप में यह टीनेंसी बिल हमारे सामने पेश होगा। मान्यवर 62 में उस कमीशन की घोषणा की गई और 65 या 66 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। मान्यवर, उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बिल आया, वह सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया। एक सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। दुबारा फिर बिल आया और दुबारा फिर उसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया और उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने हैं। इन आठ नौ सालों के अन्दर अलग हुआ उनमें जो चेंजेज लाने थे, जिनका असर

(श्री केदार नाथ)

होना था लैंड रिलेशन्स में वह असर आज समाप्त हो गया । इसके बाद मान्यवर, हमारे प्लानिंग कमीशन ने पैनल किया और टास्क फोर्स की रिपोर्ट सामने आ गई। उन्होंने राज्य सरकार को सीलिंग लॉ को सही तरीके से जो इम्पलीमेंट करने में कोताई बर्ती है, जो पोलिटिकल विल का लेक रहा है उस पर काफी कोसा है। फिर अब हम, मान्यवर, स्पष्ट रूप से आपके मार्फत यह जवाब चाहते हैं राज्य सरकार से कि वह कब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बिल हमारे सामने पेश होगा। कब राजस्थान का जो कम्प्रीहेंसिव कम्पलीट टीनेंसी बिल कानून के रूप में सामने पेश होगा। क्या आप समझते हैं कि इस साल के अन्दर और चेंजेज आपको इनकोर्पोरेट करना है और आज जो साशियो-इकोनॉमिक रिलेशन्स में चेंजेज लैंड रिलेशन्स में हो गई हैं, जो इफेक्ट इण्ट्रोड्यूस हो गए हैं उनके आधार पर आप क्या चेंजेज करना चाहते हैं ? मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया एलीमेंट इण्ट्रोड्यूस हो गया, कैपिटलिस्ट एलीमेंट और वह ऑफिसर्स जो रिटायर होने के बाद जमीनों के मालिक बन गए, दूसरे राजस्थान में और शहरों के आस पास आपको खुद को अन्दाजा है कि कितने लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया है। नये फार्मर्स क्रियेट हुए हैं, क्या वह सब-टीनेंट नहीं हैं ? क्या वह शेयर क्रॉपिंग नहीं है ? क्या टिल्लर नहीं हैं लैंड पर ? आप कौन से नए रिलेशन्स कायम करना चाहते हैं ? मान्यवर, अभी इस हाऊस में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुख और एम. एल. एज., एम. पीज. ने अपने टेन्योर में जितनी जमीनों का, राज्य सरकार की जमीनों का उनके लिए एलॉटमेंट कराया है उनकी जांच की जावेगी । एक कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट हमारे सामने अभी तक नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूं इन 15 सालों में कितने कितने आफिशियल्स ने, कितने एम. एल. एज और एम. पीज. ने और कितने दूसरे लोगों ने जिनका अपना सोशल स्टेटस है, इकोनोमिक स्टेट है और सरकार में जिनका हिस्सा है और इकोनॉमिकली रिसोर्सफुल हैं, राज्य सरकार की कितनी जमीनों पर एनक्रोचमेंट किया है ? मान्यवर अनकमाण्ड लैंड जितनी है राज्य सरकार की उसके लिए हमने यहां कह दिया कि जितना एनक्रोचमेंट 71 तक हुआ है हमने उसको रेगुलराईज कर दिया सिवाय कमाण्ड एरिया के। सबको कह दिया। आप मान रहे हैं कि जितने एनक्रोचमेंट हुए हैं 99 फी सदी वे लोग हैं जो असरदार हैं, सोशल स्टेटस जिनके पास है, इकोनॉमिकली रिसोर्सफुल हैं और पोलिटिकल पावरफुल हैं। गरीब हरिजनों को आपने कितनी एलॉट की इसकी कोई सूचना नहीं है। सात आठ लाख एकड़ जमीन जो आपने एलॉट की उसमें हरिजनों को कितनी एलॉट की ? मान्यवर, अभी आपने बजट स्पीच में और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के मार्फत हमें यह इंडीकेशन दिया है कि इतने ट्राइबल, इतने हरिजनों की जमीन गैर ट्राइबल और गैर हरिजनों के पास गई ट्रेस पास के जरिये, बेचान के जरिये, उन सबको नल एण्ड वाइड कर दिया। आपका मौजूदा कानून का सेक्शन 42 है जो इसको नल एण्ड वाईड करता है और आपके इस टीनेंसी लॉ के 175 सेक्शन में तहसीलदार को पावर्स हैं

(श्री केदार नाथ)

कि वह कैसे इन्स्टीट्यूट करे और हरिजनों से जो जमीनें गई हैं और गैर हरिजनों के पास वह वापस उनके पास आ जायेंगी। आपके खुद के बोर्ड आफ रेवन्यू के फैसले हैं कि जब तक हरिजन जिसने उसकी कीमत ली है बेचान के सिलसिले में, जब तक टेबल पर पैसा नहीं देता उसका कब्जा न दिलाया जाय। सूद का प्रोसीजर बहुत लम्बा है। अगर आपके दिल में इसके लिए कुछ करने की मंशा है, इमीजियेटली कुछ करना चाहते हैं तो कलेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दीजिये। वह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के मार्फत आफिस क्रियेट करे और जिन हरिजनों से गैर हरिजनों ने कब्जा ले लिया है, मौके पर जाकर आपकी पुलिस फोर्स के जरिये उनको कब्जा दिलायें। पैसे की जगह दीवानी दावा करके वे अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, पैसे के लिए दीवानी दावा करें। अगर आपकी मंशा सही है, आपकी पोलिटिकल विल है, आपका इरादा है हरिजनों को फायदा पहुंचाने का तो आज ही राजस्व मंत्रीजी यह घोषणा करें कि मौजूदा कानून में जो सेकुना है उसको दूर करने के लिए कलेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दें और गैर हरिजनों से जमीनें लेकर हरिजनों को, ट्राइबल कम्युनिटि को जमीनें दिलायें। आपने अलाटमेंट करने के बाद एसेसमेंट नहीं किया कि कितनी जमीनें हरिजनों के पास कब्जे में रहीं और कितनों को राहत मिली। अलाटमेंट कागजों में हो गया। मेरे पास पचास बीघा जमीन और दो बीघा सरप्लस सीलिंग में आ जाती है तो दो बीघा हरिजन को एलाट कर दी। दो बीघा जमीन पर न उसको राहत मिली, न पानी मिला, न वाटर कोर्स मिला, कहां उसकी झुग्गी झोपड़ी बनेगी, कैसे खेती कर पायेगा और आपने केवल कागजों में एलॉटमेंट कर दिया? भरतपुर, अलवर और गंगानगर इलाकों में ऐसे काफी रकबे हैं जहां आपने इन वर्गों के लोगों को एलॉट कर दिया, दो बीघा, तीन बीघा, पांच बीघा, मैं इसको ठीक नहीं समझता। आप इनको 15 बीघा से कम मत दीजिए ताकि वह इकोनॉमिक होल्डिंग हो, काश्त कर सके और इसके लिए आप एक ड्राईव कीजिए जैसा आपने लोगों को प्लाट देने के लिए किया, 26 जनवरी तक प्लाट देने के लिए एक कैम्पेन ड्राईव किया कि सारे राजस्थान में जिनके पास मकान नहीं है रूरल एरिया में उनको पांच साढ़े पांच लाख प्लाट आपने दिए। यह अच्छी चीज है। ऐसा ड्राईव कैम्पेन कीजिए कि जिन हरिजनों की जमीनें गैर हरिजनों के पास चली गई हैं, फलां तारीख तक उनको कब्जा मिल जाएगा, जिन हरिजनों के पास जमीनें नहीं हैं उनको एलाटमेंट किया जायगा और अगर ट्रांसफर हो गई हैं गैर हरिजनों के पास तो उनका कब्जा मिल जायगा। एक डेफिनेट डेट फिक्स करिए, एक डेट लाईन तय करें तब तो मैं समझ सकता हूं कि आप वाकई हरिजनों के प्रति वफादार हैं, हरिजनों के प्रति ईमानदार हैं और ईमानदारी से फॉलो करते हैं।

मान्यवर, इसके साथ-साथ अभी आपने नई चीज निकाल दी। हमने 63 के बाद गिरदावरी में काश्त का खाना आपने हटा दिया क्योंकि पटवारियों के बारे में आपके पास बहुत शिकायतें आईं कि इसमें बहुत पैसा चलता है और अब आपने खुदकाश्त में एक खाना और लगा दिया और हिदायत दे दी कि मौके पर जाकर

(श्री केदार नाथ)

सरपंच, पंच या देहात के मुखिया को साथ लेकर काश्त लिख सके। वैसे तो मान्यवर, टेक्निकली सरकार की यह चीज ठीक है और हम आप जानते हैं कि आज गंग केनाल भाखड़ा और राजस्थान केनाल या अलवर भरतपुर वगैरा जहां पर भी इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है, इरिगेशन होता है, ट्यूब वेल्स से इरिगेशन होता है वहां के लोगों को सब-टीनेंट रखने पड़ते है। वह उनके शेयर क्राप्स के रूप में, नौकर के रूप में काश्त करने के लिए रखना पड़ता है। मान्यवर, इसका क्या तरीका निकाल दिया कि हमारे जितने बड़े जमींदार हैं वे ही सब टैनेंट हैं शेयर क्राप्स हैं, मगर कागजों में नौकर नाम लिखा दिया जिससे कि उनके नाम से काश्त न हो जाय। इसलिए अब फिर आपने शुरू कर दी। अब कौन सा सेफगार्ड है, कौन सी सेफगार्ड प्रोवाईड की है कि वह पैसा नहीं लेंगे। अब कौन से प्रिकॉशन्स ले लिए कि पटवारी जो पहले गड़बड़ करता था अब नहीं करेगा। मैं पटवारी एज ए होल बात नहीं करता लेकिन इन्डिविजुअल तौर पर करीब हम और आप सभी मानते हैं कि गड़बड़ है। इसलिए इतने सेफगार्ड तो आप लीजिए कि सही काश्त दर्ज हो, मौके पर जायं, पंच सरपंच और देहात के मुखिया साथ हों और मान्यवर एक बार एन्ट्री गलत दर्ज हो गई तो फिर सूट ही करना पड़ता है एस० डी० ओ० के पास। यह केस ही होगा बड़ा लम्बा प्रोसीजर है। मान्यवर, मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि सेफगार्डेड यूनिफार्मिटी सभी जगह कीजिये। 35% ऐसे आदमी हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करते हैं इतने कानून बनने के बाद भी 125 से 30% के बीच में इस प्रकार के लोग हैं जो इन्टरमीडियरीज एब्सेन्टी लैन्डलोर्ड हैं जो वहां पर रहते भी नहीं हैं और खेती दूसरे ही करते हैं और जमीनों के मालिक बने बैठे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन लोगों को सेफगार्ड देना पड़ेगा। मान्यवर, एक बार पहले भी मैंने यह निवेदन किया था कि हमारे जो रेवेन्यू मजिस्ट्रेट हैं, आज उनकी इमेज राजस्थान में ठीक नहीं हैं और आज मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि चेयरमैन यहां रहता है लगातार इसलिए उसको रेवेन्यूबोर्ड के सारे केसेज हैण्डल करने में काफी दिक्कत आती है। माननीय रेवेन्यू मन्त्री जी, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी आज इम्पेक्ट है आज कोई भी जाकर स्टे आर्डर ले आता है यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, एक मिस्टर मातादीनजी हैं वह काफी ईमानदार भी हैं ऐसा उनके बारे में कहा जाता है अपीलेट ऑथोरिटी हैं हमारे इलाके में। आज यह हालत है कि कोई भी पैसे देकर स्टे ऑर्डर ले आता है। आज ऐसी इमेज हमारे यहां पर अपीलेट ऑथोरिटी की है, मेरा निवेदन करना है कि माननीय रेवेन्यू मन्त्रीजी आज मजबूत आदमी हैं, आपके होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कोई शोभा की बात नहीं है। उसमें आप तबदीली लावें और चेयरमेन को आप हिदायत कर दें, वह भले ही अजमेर में रहे परन्तु एक बेसिक जो चीज है जजमेन्ट में यूनिफार्मिटी आनी चाहिए। मान्यवर, सारे राजस्थान के बारे में आप यह भी बतावें कि कितने लोगों को जमीनें अलॉट की गई कितनों ने एन्क्रोचमेन्ट किया और उनको रेग्यूलराइज कर दिया

(श्री केदार नाथ)

गया। हम यह भी चाहते है कि जितने भी एम. पी., एम. एल. ए. हैं, जिला परिषद् के प्रमुख हैं, पंच और सरपंच हैं, मन्त्री हैं मन्त्रिमन्डल के सदस्य हैं उन सबने कितनी जमीनें पिछले दस साल में बनाई हैं, कितनी खरीदी हैं और कितनी अलाटमेन्ट के जरिये उन्होंने प्राप्त की हैं, इसके लिए एक कमीशन बैठाया जाना चाहिए, पहले भी बैठाया गया था एक कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट भी आई थी परन्तु उसका कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए अब एक ऐसा कमीशन बैठाया जावे और जितनी भी जमीनें हमारे पास हैं, हमारे टेन्योर के वक्त खरीदने से या अलॉटमेन्ट से या एन्क्रोचमेन्ट से अलॉट हुई ईमानदारी से सबका एकाउन्ट पेश कर दिया जावे तो यह राजस्थान में एक नई मिसाल होगी सारे देश के लिए। हमें जरूरत नहीं है नया कमीशन बैठाने की या हाई पावर कमेटी की या और किसी की। इससे मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो आज भ्रष्टाचार नजर आ रहा है उसमें काफी फर्क पड़ेगा और राजस्थान में एक नई हवा बन सकेगी और जो बेसिक चेन्ज हम समाज में लाना चाहते हैं उसमें भी सहायता मिलेगी। दूसरी बात मान्यवर जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर के बाद सेटलमेन्ट होने शुरू हो गये हैं। इसमें भी बीस-बीस साल लग जाते हैं। कुछ एन्ट्रीज गलत हो जाती हैं तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई न कोई भी एजेन्सी तहसील स्तर पर भी अवश्य होनी चाहिए जो कि कोई गलती हो उसको दुरुस्त किया जा सके चाहे आप इसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दे दीजिये या और कोई ऐसा व्यक्ति तहसील स्तर पर होना चाहिए जो इन चीजों को देख सके। इसके अलावा जो सेटलमेन्ट का प्रोसीजर है, वह काफी समय तक नहीं निपटता है, सो यह भी गलत है। जितना भी आपका स्ट्रक्चर है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर पटवारी जो भी है, हमारे यहां कई केसेज ऐसे हैं कि पार्टीशन के बाद जो लोग मुसलमान अपनी जमीनों को छोड़कर पाकिस्तान चले गये थे, हमारे अनूपगढ़ में या सूरतगढ़ में ऐसी बहुत सी जमीन थी, राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाला कि कौन कौन लोग ऐसे थे जो जमीनों को छोड़कर चले गये। रेवेन्यू रेकार्ड में और कॉलोनाइजेशन के रिकार्ड में आज ऐसी बहुत सी जमीनें हैं, जो लोग रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट के पास आये उनके रिकार्ड में भी, उन जमीनों को इवेक्यू प्रॉपर्टी मानी गई है। परन्तु उनके रिकार्ड में यह जमीन अलाट कर दी गई है, और काफी झगड़े हुए हैं, इस डबल अलॉटमेन्ट से, हाईकोर्ट तक लोग गये हैं, इनका निपटारा किया जाय और सेन्टर से भी इनका निपटारा कराया जावे।

मान्यवर, एक बात और इन्स्पेक्टरों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें शक नहीं कि इन्स्पेक्टर पटवारी के बाद बनाये जाते हैं, या जो मैट्रिक और डिप्लोमा होल्डर होते हैं उसको बनाते हैं जितने भी जगह आई आपने वेकैन्सीज फिल अप कर दी और फिर बाद में कइयों को सरप्लस भी डिक्लेयर कर दिया गया परन्तु उनकी सीनियोरिटी कहां तय की गई। जिस दिन से वे वहां आये उसी दिन से उनकी सीनियोरिटी तय की जानी चाहिए, इसका सीनियोरिटी का नॉर्म कोई तय किया जाना

(श्री केदार नाथ)

चाहिए। अन्त में मैं एक बात और निवेदन करता हुआ कि हमारे सामने प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है सबडीनेन्ट के बारे में और उसको सेफगार्ड देने के बारे में, उसके अनुसार जल्दी से केसेज को निपटाया जाना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि 30% से ज्यादा लोग इस प्रकार हैं जो स्वयं खेती-बाड़ी नहीं करते और जो पैसा आता है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए वे इस प्रकार की जो कार्यवाहियां करते हैं? उनके पास सीलिंग की जमीनें हैं सीलिंग कानून जो आपका बना वह मैंने पहले भी निवेदन किया था उसका कोई परपज साल्व नहीं हुआ है, उसका असली जो परपज था वह डिफीट हुआ हैं। केवल 2 पर्सेन्ट जमीन ही हमको इससे प्राप्त हो पायी है। 33 हजार एकड़ जमीन हम एलाट कर पाये हैं। तीन साल तक जो आपका एस. डी. ओ. का केडर है उसकी इन्टेग्रिटी में लोग शक करते हैं और जो वकील एपाइन्ट किये गये हैं वह इतने चीप हैं कि जिसके पास एक बीघा जमीन भी सरप्लस आ गई हो मामूली सी बात है कि वह परचेज कर सकता है। इसलिए ऐसे कामों के लिए इस प्रकार का बन्दोबस्त होना चाहिए कि उनकी इन्टेग्रिटी एबांड डाउट हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटमोशन पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व के बारे में मेरे कटौती के प्रस्ताव है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में आजादी के पहले सेटिलमेंट हुआ था। उसके बाद कोई सेटिलमेंट नहीं हुआ इसके कारण से किसानों के साथ में ज्यादती हो रही है। वहां की स्थिति ऐसी है कि भूमिहीन लोगों ने जहां पर छोटे छोटे खन्दों पर, भूमि पर कब्जा किया वहां पर पटवारी लोग और इस विभाग के कर्मचारी लोग किसानों के साथ में ज्यादती कर रहे हैं। जैसे कि कडाणा बांध से प्रभावित लोग हैं। वहां पर विभाग के लोग किसानों पर ज्यादती कर रहे हैं। भूमिहीन लोगों ने जहां पर कब्जा किया है, वहां पर 31 दिसम्बर, 1971 के तहत इन भूमिहीनों के कब्जे की भूमि को रेगुलराइज कर दिया जाना चाहिये था परन्तु इसका फायदा इन किसानों को नहीं मिला—रिकार्ड में कोई सुधार नहीं हुआ जबकि वहां पर किसानों के कब्जे चल रहे हैं। इस प्रकार जिन किसानों ने वहां पर जो फसल पैदा की है उसको सरकार जप्त कर रही है। बांसवाड़ा जिले के 1052 गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। रेगुलराइजेशन न होने के कारण किसानों को इस जमीन से हटाया जा रहा है और जहां पेटे तालाब में किसानों ने काश्त की है, इस दुष्काल के समय में अनाज पैदा किया है वहां पर भी सख्ती से इन किसानों की फसलों को जब्त किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के छोटे छोटे आदिवासी किसानों के साथ आज भी यह ज्यादती हो रही है। इन गरीब आदिवासी किसानों ने 50/- 50/- 20/- 20/- रुपये किलो का बीज लेकर चना, बोया है। थोड़ा बहुत पैदा हुआ है तो उस फसल को सरकार जब्त कर रही है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता

(श्री नाथू राम)

हूं कि इन आदिवासी किसानों ने इस दुष्काल में जो अनाज पैदा किया है, उसको सरकार जब्त न करे और आज ही वायरलैस से कलेक्टर महोदय को आदेश दें कि जो पटवारी लोग, इन किसानों की फसलों को जब्त कर रहे हैं, उनको रोक दे वरना यह इन गरीबों के साथ सरासर अन्याय होगा और उत्पादन में भी कमी होगी। नाले में, तालाब के पेटे में नमी होती है और उस नमी में किसान लोग, आदिवासी अनाज पैदा करते हैं, इस तरह से वह पैदा होना बन्द हो जायेगा। इससे सरकार को भी नुकसान होगा और किसानों को भी नुकसान होगा।

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय डूब में आने वाला उसमें प्रभावित क्षेत्र है। वह किसी किसी गांव में एक-दो बीघा भूमि कहीं पर दो-तीन बीघा जमीन डूब में आने वाली है, परन्तु उन गांवों में इसके अलावा जो हजारों बीघा दूसरी जमीन है, उसका विकास कार्य भी सरकार द्वारा रोक दिया गया है। नाजायज कब्जे वाली भूमि का सरकार ने कर लेना बंद कर रखा है, और खातों का स्थानान्तरण बन्द कर दिया तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए जिलाधीशों को आज ही आदेश जारी किये जायं कि जिस गांव में जो जमीन डूब में आ रही है, उसको छोड़कर, जहां पर किसानों का कब्जा है वह किसानों को दी जावे। इससे किसानों को राहत पहुंचेगी। जिस गांव का जो क्षेत्र डूब में आ रहा है, ऐसा एक-दो बीघा है, सिर्फ लिस्ट में आ जाने से क्या होता है, बाकी तो सारी जमीन बचती है। इसलिए जहां पर भूमिहीन किसान काबिज है, दस साल से उनका कब्जा चला आ रहा है उनको वह जमीन एलॉट कर दी जानी चाहिये। परन्तु ऐसे डूब वाले गांवों में भी एलॉटमेंट सरकार ने बन्द कर रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जिलाधीशों को आदेश दे कि डूंगरपुर–बांसवाड़ा जिलों में, मैं केवल बांसवाड़ा की ही बात नहीं कर रहा हूं, जो पेटे की जमीन है, प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर कानून के जरिये जो विकास कार्य बन्द कर दिये हैं, वह कानून हटाया जाये और उन सारे गांवों को जमीनों का विकास कार्य बन्द कर दिये हैं, वह कानून हटाया जाय और उन सारे गांवों की जमीनों का विकास कार्य प्रारम्भ किया जाये। यह ज्यादती आज वहां के गरीब आदिवासी किसानों के साथ हो रही है। विकास कार्य रुक जाने से इन लोगों को बैंक से ऋण नहीं मिलता और न ही और किसी प्रकार की सुविधा मिल पा रही है। इस प्रकार यहां के किसान सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं। इस प्रकार के आदेश जारी कर देने से इन किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, वह नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पेटी–तालाब में किसानों का कब्जा 25/25 साल से चला आ रहा है। वहां पर किसान काश्त कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। आजादी के पहले से वे वहां पर काबिज है और खेती कर रहे हैं, किन्तु सेटिलमेंट न होने से उनको वहां से हटाया जा रहा है और जो फसल उन्होंने वहां पर पैदा की है उसको जब्त किया जा रहा है। मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन छोटे-छोटे तालाबों के पेटे में जिन किसानों का दस साल से कब्जा चला आ

(श्री नाथूराम)

रहा है उन किसानों को मुस्तकिल खातेदारी हक दिये जाएं जिस तरह से भूमिहीन किसानों को कब्जा होने पर कब्जा मिल जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में एक बागोरा तालाब है । दस साल में खाली हुआ वहां पर किसानों ने फसलें बोईं । लोगों ने इसकी भूमि को लेने के लिए, काश्त के लिए फार्म भर दिये लेकिन इनको एलॉटमेंट नहीं हुआ समय पर । इसमें तहसीलदार की गलती नहीं है । यह गलती एस. डी. ओ. की है पहले के नियमों के अन्तर्गत भूमि का एलॉटमेंट तहसीलदार करता था और तहसीलदार के साथ प्रधान, एम. एल. ए. और उस क्षेत्र का सरपंच होता था और वे सब मिलकर एलॉटमेंट करते थे । सरपंच को उस क्षेत्र की जानकारी होती थी । परन्तु अब यह एलॉटमेंट का अधिकार एस. डी. ओ. को होने से समय पर इसका एलॉटमेंट नहीं हो पाता है । एस. डी ओ. के पास काम ज्यादा रहता है । उनको ज्यादा काम होने के कारण समय नहीं मिल पाता है और इस कारण समय पर ऐसी जमीनों को काश्तकारों को ऐलॉट नहीं हो पाती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि एस. डी. ओ. को जो यह अधिकार दिया गया है, वह वापिस तहसीलदार को दिया जाय और तहसीलदार के साथ, एम. एल. ए. प्रधान और उस क्षेत्र के सरपंच की एक कमेटी एलाटमेंट की बना दी जाये । जिस गांव में जो भूमि एलाट के लिए हो, उसको ये सब मिलकर ऐलाट करे तो समय पर ऐलाटमेंट हो जायगा । इससे किसानों को राहत मिलेगी । पैदावार होगी और आज जो फसलें तहसीलदार जप्त कर रहा है, वे जप्त होने से बच सकेंगी । इस लिए यह जो एस.डी.ओ. को अधिकार है वे तहसीलदार को मिलने चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन की शिथिलता के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं । आज जिलों में पटवारी, अमीन किसानों के साथ मनमानी कर रहे हैं । किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं । कडाणा पुर्नवास में जिन गांवों का सैटिलमेंट हुआ, वहां पर अमीनों ने किसानों से हजारों रुपये रिश्वत के लिये । इन लोगों ने किसानों में आंतक पैदा कर दिया–तुम्हारी जमीन डूब में आ रही है । इसकी शिकायतें जिला प्रशासन को की गई परन्तु इस ओर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की जांच होनी चाहिये जहां जहां पटवारी और अमीन ने मिलकर किसानों के साथ ज्यादती की है, वहां पर जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा ताकि किसानों का नुकसान न हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भयंकर दुष्काल है, वहां पर किसानों के साथ सरासर भयंकर ज्यादती हो रही है एक-एक दो-दो बीघा जमीन जहां पर किसनों के पास है, वहां पर ट्यूब वैल्स खोद कर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये । ये ट्यूबवैल्स कृषि विभाग द्वारा खोदे जाएं । इससे किसानों का हित होगा, उत्पादन बढ़ेगा और वे अनाज पैदा कर के सरकार को भी राहत देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने 1966-67 में

(श्री नाथू राम)

अलाभकर भूमि से भू-राजस्व समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए इस घोषणा को वापिस ले लिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटे छोटे किसान हैं और उनके पास केवल दो-तीन बीघा जमीन है, वहां पर सरकार ट्यूब वैल खोदे और सरकार उन क्षेत्रों में कृषि-उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करे। ट्यूब वैल को खोद कर सरकार वहां की जमीन का फायदा उठावे तब जो भू-राजस्व इन छोटे किसानों से सरकार वसूल करती है, वह उचित होगा और इस भूमि से उन किसानों को भी फायदा होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो अलाभकर जोत से भू-राजस्व समाप्त किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वसूलियां हो रही हैं, उनमें पक्षपात किया जा रहा है। बड़े बड़े किसानों से वसूलियां समय पर नहीं होती है। दूसरी तरफ जो गरीब किसान हैं उनको धमकाकर वसूली करली जाती है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। गरीब किसानों के पास खाने को पैसा नहीं है। इधर उधर सस्ते में अनाज बेचकर उन्होंने भू-राजस्व जमा कराया, लेकिन जो बड़े बड़े किसान हैं, उनके उपर लाखों रुपयों की भू-राजस्व बकाया है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भू-राजस्व की वसूली का वह ऐसा कानून बनावे जिससे छोटे किसानों को राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने भूमि-सुधार के कई कानून बनाये हैं, लेकिन गरीब किसानों को फायदा नहीं मिलता है। 31 दिसम्बर, 1971 से पहले जिन्होंने कब्जा किया उनका तहसील से रेग्युलेराइजेशन होना चाहिये। हजारों केसेज ऐसे हैं तहसीलों में और उनकी जमीनों का दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं। रेकार्ड में जिन लोगों ने कब्जा नहीं किया उनकी पटवारी को पैसा देकर रेकार्ड में एन्ट्री हो जाती है और जिन किसानों का भूमि पर कब्जा है उनको हटा कर जिन्होंने कभी हल नहीं पकड़ा उन लोगों को जमीनें दे दी गई। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई कानून बनाएं तो जिला प्रशासन को समय पर किसानों के साथ कानून का पालन करायें, नहीं तो गरीबों के साथ अन्याय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले का सेटिलमेंट नहीं हुआ है। आज आजादी को 27 साल हो गये। अब तो सेटिलमेंट कराइये। जिन लोगों ने कड़ा मेहनत करके भूमि सुधारी है और दो फसली भूमि बनाई है उस भूमि से किसान को भी फायदा होगा और राज्य सरकार को भी आमदनी होगी। यह मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम गोपाल।

श्री राम गोपाल (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर राजस्व और वन विभाग की मांगों के ऊपर विचार हो रहा है। सर्वप्रथम मैं वन विभाग की मांगों के ऊपर जिस पर मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर बोलना चाहूंगा।

(श्री राम गोपाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग की ओर से जो विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट हमारे सामने वितरित की गई है उसका हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महसूस हुआ इन आंकड़ों के देखने से जिसमें मैं समझता हूं कि जितने शब्द है शायद उससे थोड़ी ही मात्रा में ही आंकड़े होंगे, और जब हम अध्ययन करते हुए उसके अन्दर से गुजरे तो ऐसा मालूम पड़ा कि हम जंगल के अन्दर से गुजर रहे हैं, और जिस प्रकार से बबूल और खैर आदि के कांटे प्रकार जंगल में नजर आते हैं जंगल के अंदर चलते हुए ऐसा महसूस हुआ। किन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रगति रिपोर्ट पढ़ने के बाद में यह निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि राज्य सरकार ने वन विकास कार्यक्रम के लिए इसके अन्दर जो योजनाएं निर्धारित की है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के लिए, दुर्भिक्ष सहायता के लिए जो चारे का कार्यक्रम है, वन्य जंतुओं के संरक्षण के कार्यक्रम की जो योजना दी गई है, नदी घाटी भू-संरक्षण योजना इसके अन्दर ली गई है। तेन्दू पत्तों के राष्ट्रीयकरण की जो योजना हमारी सरकार ने बनाई है उसकी प्रगति को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से यह हमें मानना पड़ेगा कि सरकार ने उपलब्धि की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन उपलब्धियों को देखते हुए मुझे राज्य सरकार की सराहना करनी पड़ेगी, और उसे धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

आगे उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार अपनी नीतियां निर्धारित कर देती हैं, किसी भी कार्यक्रम की नीति निर्धारित करती है उसी प्रकार से वन विभाग के अन्दर जन-कल्याण को देखते हुए राज्य सरकार जो प्रगति के कदम बढ़ाती है उसके अन्दर सरकार की स्पष्ट नीति होती है कि हमारा लक्ष्य जन-कल्याण का है, और उसकी हमें प्राप्ति होनी चाहिए। किन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह मानना पड़ेगा कि इसमें जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं चाहे वह किसी भी स्थान पर मौजूद हों, किसी भी स्थान पर कार्य-सन्नद्ध हों, अगर उस नीति को कार्यान्वित करने में सहयोग की उनके अन्दर भावना नहीं होती है, उपाध्यक्ष महोदय, तो निश्चित रूप से हमें यह मानना पड़ेगा कि हम लक्ष्य की प्राप्ति जो करना चाहते हैं, वह प्राप्ति हमें अधूरी होगी, उस उपलब्धि को हम अधूरा ही कर पायेंगे।

हमारी जो राष्ट्रीयकरण की नीति सरकार ने निर्धारित की है, सरकार ने सोच समझ कर तेंदू पत्तों की राष्ट्रीयकरण की नीति को हमारे सामने लागू किया। यह निश्चित रूप से मानना पड़ेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस नीति से हमें लाभ हुआ है। जन-कल्याण के लिए यह फायदेमन्द है, हमारे लोगों के लिए फायदेमन्द है। जब पिछले साल की प्रगति के आंकड़े हम देखते हैं तो निश्चित रूप से फायदा हुआ है। इसका हमने स्वागत किया है और फिर भी स्वागत हमें करना पड़ेगा। किन्तु, उपाध्यक्षजी, यहां यह कहना पड़ेगा कि जितनी उपलब्धि हमें प्राप्त करनी चाहिये थी उसे हम नहीं कर पाये हैं। प्रश्न यहां यह उठता है हमारे सामने कि लक्ष्यों का प्राप्ति हम क्यों नहीं कर पाये ? माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं और राज्य सरकार का

(श्री राम गोपाल)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्दर कई प्रकार के अधिकारी हैं जिन्हें कदम से कदम मिलाकर सरकार को सहयोग देना चाहिए था हमारी उपलब्धियों की प्राप्ति में, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देना चाहिए था वह न देकर सरकार को गुमराह किया है, सरकार को धोखा दिया है, श्रमिकों को धोखा दिया है, उनका शोषण किया है, और स्थिति यह हैं कि जो लक्ष्य हमें प्राप्त होने चाहिए थे उनमें हमें विफलता मिली है। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि हमने पूर्णरूप से लक्ष्य प्राप्त किये हैं। हमें विफलता भी मिली है, हमें यह भी मानकर चलना है। इस प्रकार की जो कमजोरियां इसके अन्दर हैं उनको हमें दूर करना पड़ेगा। यह हमारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तेंदू पत्तों की राष्ट्रीयकरण की नीति के अन्दर इसी संदर्भ में बोलते हुए, आपके समक्ष माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए और इसी बात पर इस समय अधिकारीगण भी इस सदन के अन्दर मौजूद हैं, कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर भी ऐसे अधिकारी हैं वन-मण्डल के अन्दर जिन्होंने राष्ट्रीयकरण की नीति को असफल करने का प्रयास किया है, जो उनका उत्तरदायित्व है उसको निभाने का प्रयास नहीं किया है। ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं जिनसे हमारी जनता में असन्तोष व्याप्त हो। हमारी जनता के अन्दर दिन प्रति दिन उनके बारे में असन्तोष की ज्वाला भड़कती रहे। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे वारां मण्डल के अन्दर जो वर्तमान डी० एफ० ओ० हैं जिनका नाम तो बड़ा मोटा है, लेकिन उनके काम बड़े खोटे हैं। माननीय मंत्री महोदय, नाम उनका रामचन्द्रजी है जो बड़ा मोटा है, लेकिन उनके काम बड़े खोटे हैं। उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राष्ट्रीयकरण की नीति से सभी लोगों को फायदा होना चाहिए, सरकार को उससे ज्यादा रेवेन्यू मिलना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नीति हमने इसलिए निर्धारित की है कि चोरियां बन्द हो जायं और आदिवासियों को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने ठेकेदारों को, धनीमानी लोगों से सांठगांठ की है और सांठगांठ करके हजारों रुपयों का घोटाला किया है, और श्रमिकों को जो फायदा होना चाहिए उनको पूरा फायदा नहीं दिया है, राज्य सरकार को जो रेवेन्यू की प्राप्ति होनी चाहिए, लाभ होना चाहिए थी वह प्राप्त नहीं हो पाया है। सरकार को धोखा देकर उसने हमारी राष्ट्रीयकरण की नीति को असफल किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना के तौर पर कहना चाहूंगा कि जिन जिन व्यक्तियों का ठेका हुआ सब मिलाकर 50 हजार रुपये का धोखा है। वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिसकी सूचना राज्य सरकार को भी दी है शायद राज्य सरकार के पास पहुंच गई होगी और नहीं पहुंच पाई है तो मन्त्री महोदय नोट कर लें—

6,000 रुपया इकाई देवरी व बोल खेड़ा डांग श्री प्रकाशचन्द कस्वा थाना से, 6 हजार रुपये इकाई नं० 37, 40 श्री मोहम्मद इसहाक बीडी वाले से, तीन हजार

(श्री रामगोपाल)

रुपया यूनिट केवलवाड़ा श्री रणछोड़दास से, तीन हजार यूनिट मिसरोद श्री गोविन्दराम लक्ष्मणदास से, दस हजार रुपये श्री रिषभ चन्द कोलारस वाले से, 6 यूनिटों का डेढ़ हजार रुपया श्री प्रकाशचन्द्र कोलारस वाले से, यूनिट नं० 49 का, दो हजार रुपया श्री भरतलाल बाटला यूनिट नं० 41, 54, 27 व 29 का, दो हजार पांच सौ रुपया श्री बद्रीलाल एण्ड कम्पनी हरनावदा यूनिट नं० 43 के, दस हजार रुपया श्री ईद मोहम्मद से इनके यूनिट नं० 47 श्री अब्दुल गनी के नाम से था व यूनिट नं० 51 श्री घासी के नाम से था। 6 हजार रुपया श्री शंकरसिंह, रामसिंह से यूनिट नं० 46 का इस प्रकार 50 हजार की राशि की रिश्वत ली है। मैं समझता हूं और भी राशि मिलेगी और राज्य सरकार को धोखा दिया है। ऐसी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूचना है, राज्य सरकार को दी है। शायद पहुंच गई होगी उस अधिकारी ने एक पत्थर की दीवार बना रखी है—वह व्यापार मण्डल की है। उसने जो दीवार बनाई है बहुत ही कम खर्चे में बनाई है लेकिन उसके बाद जो दीवार बनी है बजट में उसके लिए काफी रकम खर्च की गई है और जो काम होने लगेगा वह नहीं हो पायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो जांच अधिकारी ईमानदार जाने वाला था उसको तुरन्त चेंज करके दूसरा नियुक्त किया गया है। तहसील किशनगढ़ में जो प्लान्टेशन में गबन घोटाले किये हैं वह किस प्रकार से किये हैं उसके बाद में बताना चाहता हूं 1900 बीघा रकबा है उसमें माननीय मन्त्री महोदय ऐसा रकबा है जिसमें तीन गांव हैं उनको राजस्थान सरकार ने पट्टे दिये हैं जिसमें आदिवासी लोग हैं, हरिजन लोग हैं और गरीब लोग हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्लान्टेशन बनाये उसके अन्दर कहा है सरपंच की सांठ-गांठ से पैसे ले लिए कि तीनों गांवों को प्लान्टेशन में लिया जायगा और अब जो प्लान्टेशन में लिया है उसका खसरा नं० 80 और 81 हैं। पब्लिक में असन्तोष है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में बात की है उन्होंने मांगा था अगर इस प्रकार की बात है तो नहीं होनी चाहिए। मैं सदन में रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजस्व विभाग के माध्यम से पट्टे वितरित किये हैं इस प्रकार गांव में जो बरबादी हो रही हैं उस प्लान्टेशन को आपको स्टे कर देना चाहिये। आज की तारीख में घोषणा कर देना चाहिये और स्थानीय परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए जहां फारेस्ट का स्थान है प्लान्टेशन करायें हम विरोध नही करेंगे।

उस प्लान्टेशन में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घोटाला हुआ है जिस व्यक्ति ने पैसे मांगने का प्रयास किया और नहीं दिये तो उनके मकानों में आग लगाने की कोशिश की है और शायद 2-3 झोपड़ियों में आग लगा दी है उसकी एफ. आई. आर. किशनगंज थाने में दर्ज है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं जो तेन्दू पत्तों का काण्ड हुआ उसकी चौकीदारी में जो नियुक्त था उससे मिलकर यह काण्ड किया गया है। आज राज्य की जनता में असन्तोष है। इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि निश्चित रूप से सांठ-गांठ के अनुसार जो अग्नि काण्ड हुआ है उसमें इसका हाथ है क्योंकि जनता को भ्रम है कि जो अग्निकांड हुआ था उस अग्निकांड को काबू पाने के

(श्री रामगोपाल)

लिये जो प्रशासन को मदद करनी चाहिये थी वह नहीं कर पाये ।

शाहबाद पंचायत समिति है वहां की जनता ने रिपोर्ट की है । मेरे सामने सरपंच ने रिपोर्ट की है—इल-लीगल जंगल की भूमि की । उसकी जांच की है और ऐसी जानकारी मिली है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसने जो जांच की है मौके पर जो कब्जा था उसने सरकार को उस प्रकार की रिपोर्ट नहीं दी है । सरकार को धोखा दिया है । जो सरपंच है उसने सही रिपोर्ट दी है उसने स्थान का निरीक्षण करके रिपोर्ट दी है । उन दोनों रिपोर्ट्स में कन्ट्राडिक्शन मिलता है । इससे स्पष्ट है कि निश्चित रूप से सांठ गांठ करके किया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 5–6 तहसीलें पड़ती हैं वहां की समस्त जनता में असन्तोष व्याप्त है । राज्य मन्त्री जब पहुंचे थे किशनगंज तहसील में मेरे हैडक्वार्टर पर तो जनता की मांग थी कि किसानों को लकड़ी मिलनी चाहिये, लकड़ी के अभाव में उनका चारा समाप्त हो जाता है और बाद में किसानों का खाने का साधन समाप्त हो जाता है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक रिश्वत नहीं दे देते हैं तब तक किसानों का लकड़ी नहीं देते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों ने जंगलों का बुरी तरह सफाया कर दिया है ।

इन समस्त कांडों को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी राज्य सरकार को लिख कर दिया था कि सारे जंगल स्वाहा हो चुके हैं । इसकी जांच करने के लिए अधिकारी भी गये थे और उसका टेलीग्राम भी मेरे पास आया था । मैं कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं शाहबाद में 12 से 4 बजे तक चार घण्टे बैठा रहा, लेकिन वे अधिकारी साहब नहीं आये और मेरे से बात नहीं की । मैंने यह कहा है कि ठेकेदार ने सांठ गांठ की है ।

इस प्रकार ट्रेसपास वन भूमि पर हो रहा है । किसानों में असन्तोष है । इस प्रकार की सूचना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी दी थी····

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

....इस प्रकार मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आप निश्चित रूप से उसकी सी. आई. डी. से जांच करवायें । मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो जनता में असन्तोष है, जो जनता में ज्वाला भड़क रही है उसको जब तक आप सी. आई. डी. से जांच नहीं करवायेंगे तब तक सन्तोष नहीं हो सकता है । आज जनता में भारी असन्तोष है, बारां की जनता में असन्तोष है । इस प्रकार सख्त कदम उठा कर आपको भ्रष्टाचार को मिटाना पड़ेगा और हमारी सरकार की जो नीति है उसमें अधिकारियों को सहयोग और प्रयास करना पड़ेगा और जनता को यह सिखाना पड़ेगा कि जो भ्रष्ट अधिकारियों का काम है, उसका वह विरोध करें । हमारी सरकार को यह देखना पड़ेगा । इसलिए मेरी मांग है कि इसकी सी. आई. डी. से जांच करायें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ कहा गया है, वनों के बारे में । थोड़ा सा मैं और निवेदन करना चाहता हूं शाहाबाद के बारे में । वहां पर सहरियों को भूमि एलॉट की हुई है । वहां पर काफी भूमि पड़ी हुई है । 15-16 वर्ष से वहां पर पगले हैं ।

Page No 114

(114)

(श्री रामगोपाल)

सरकार ने वहां पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रिलीज कमेटी बनाई है। आज वह जमीन खेती के लिए नहीं बना पाये हैं। उनके ऊपर मुकद्दमे चलते हैं। उनके लंगोटी तन पर है नहीं, कपड़ा तन पर है नहीं, फिर भी कानून के लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। यह कमेटी यह निश्चित कर दें कि यह स्थिति है, इस प्रकार की जमीन है। एक हजार एकड़ है या एक हजार बीघा है। आदिवासियों के लिए वह रिलीज करना चाहिए। इसमें क्या होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो नाजायज कल्टीवेटर हैं, उन्होंने किन्हीं परिस्थितियों में कर ली। सरकार उसे कानून के अनुसार कर लें। वन सम्पदा जो आज बहुमूल्य सम्पदा है, वह समाप्त होती जा रही है। सरकार से मेरा निवेदन है कि उस भूमि को तुरन्त रिलीज कराया जाये और गरीबों को जमीन दी जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बैल बजाई है। एक दो प्रश्न और निवेदन करना चाहूंगा। मैंने एक प्रश्न किया था लेकिन प्रश्न काल समाप्त होते ही वह प्रश्न समाप्त हो गया। राजस्व मण्डल के बेंच के लिए था। पिछले समय में माननीय मंत्री महोदय ने····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामगोपाल : कोटा डिवीजन और रामगंज मण्डी है। मैं वहां राजस्व मण्डल की बेंच के लिए मांग करता हूं। ओंकार लालजी और बोहराजी ने प्रश्न दिया था डग और पिड़ावा में एस. डी. ओ. क्वार्टर नहीं होने से और वहां की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की होने के कारण से दूर दूर से लोगों को झालावाड़ में आना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उनको सस्ता न्याय नहीं मिल सकता है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा वह अपने जवाब में इस प्रकार का आश्वासन दिलायें। भवानी मंडी में हैडक्वार्टर स्थापित किया जायेगा।

जो हमारा कोटा जिला है, उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की होने के कारण वह एरिया बहुत दूर निकल जाता है। ऐसी स्थिति में वहां पर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति क्रियेट होती रहती है। कलेक्टर और राज्य सरकार के दूसरे अधिकारी हैं, वह वहां पर दौरा नहीं कर पाते हैं। इसके कारण वहां पर जो विकास की स्थिति होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। अत: मैं कहना चाहूंगा कि बारां सब-डिविजन में छबड़ा है वहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर नहीं करें तो ए. डी. एम. हैडक्वार्टर तो कर दें ताकि जनता को सस्ता न्याय मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, माननीय मन्त्री महोदय, उन पर गौर करने की कोशिश करेंगे। डी. एफ. ओ. के बारे में मैंने जो मांग की है, माननीय मन्त्री महोदय से कि सी. आई. डी. से जांच कराई जाय, उनको पूरा करने के लिए सदन में आश्वासन देने का कष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री नत्थासिंह : आपके इलाके का रामसिंह सफाया कर आया और मेरे इलाके का सफाया लक्ष्मण सिंह कर आया ।

श्री मीठालाल मीणा : यह बैठे बैठे बोलने की गलत परम्परा है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा-महल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषकों की जो परिभाषा कानून में दी है, वह यह होनी चाहिए कि जो स्वयं खेती करे। मौजूदा खेती करने वालों में कृषक बहुत हो गये हैं । कई राजनैतिक नेता भी कृषक हो गये हैं । अब सरकार जो राजा महाराजाओं की जमीन है, उसको लेने की घोषणा करती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नेता हो । उनके पास जितने भी भवन हैं, जितनी भी भूमि है उसके लिए एक निर्धारित समय घोषित कर दिया जाय कि वह अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें । वह जो निर्धारित सीमा है, उतनी उनके पास रखी जानी चाहिए । उससे अधिक है तो वह गरीबों में बांटी जायं । उसके तहत में राजनेता और मन्त्री नहीं आते हैं, तो उनसे भी छीन कर जमीन बांटी जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में 136 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं । समय समय पर मन्त्री महोदय ने उनको रेग्युलराइज करने की घोषणा की है। 1967 में मथुरादास माथुर ने घोषणा की। फिर 8-3-69 में कृषि भूमि को परिवर्तित करने की घोषणा की। जिसमें 12 लाख की आय सरकार की आंकी गई है । फिर भी लोगों की जमीन रेग्युलराइज नहीं हुई। उसके बाद गत सत्र में हाई पॉवर कमेटी की घोषणा की गई । वह भी नहीं हुआ है । उसके बाद में जयपुर शहर में भूमि परिवर्तन करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई । जो सहकारी समितियां हैं, उनका मास्टर प्लान में परिवर्तन कर दें । मैं समझता हूं कि मुख्यमन्त्री की कमेटी ने भी कोई कार्यवाही नहीं की है। न सोसाइटीज के बारे में बजट में कुछ बताया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य (श्री रामगोपाल) अपना भाषण समाप्त करने के बाद आपने पोस्ट भाषण चालू कर दिया है ?

श्री मीठालाल मीणा : बाहर निकाल दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को आज ही घोषणा करना चाहिए । सरकार ने स्वयं ही माना है कि कृषकों की भूमि लेकर मकान बनाये हैं । वहां पर लोगों को पानी के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं । लेकिन कन्वर्सन अधिकारी हैं उनके यहां चक्कर लगाते हैं । अपील में जाने का अवसर नहीं देते हैं । 6–8 मील उनका दफ्तर है । तारीख पर जाते हैं तो तारीख बदल देते हैं । जयपुर शहर में 136 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं । उनका भविष्य अधर में झूल रहा है । उनको पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं । इसके बारे में मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

दूसरा निवेदन मैं यह करूंगा कि जो भूमि के पट्टे लोगों को दिये गये हैं । उनमें संशोधन करने की, घोषणा की है । मैं उसको पुनः रखना चाहता हूं । सरकार ने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

घोषिणा कर दी है, 26 जनवरी, लेकिन वह बेचारे घोषणा करने के बाद भी मारे मारे फिरते हैं। अनुसूचित जाति को जो पट्टे दिये हैं, उनमें न तो आवंटन अधिकारी की मुहर लगी है। आवंटित किसे की गई है ? न नाम है, न अंगूठा है, न दस्तखत हैं, न नक्शा बताया गया है। जमीन, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बताई गई हैं, कि कोई खोज करके ही पहुंच जाये, जहां बड़े बड़े बहुत भयंकर नाले हैं। उसमें लाखों मन मिट्टी डाल दें तो भी समतल नहीं होगी। वहां पर सड़कें पहुंची नहीं हैं, वहां पर पीने का पानी पहुंचेगा नहीं। आपने वाहवाही लूटने के लिए 26 जनवरी तक की घोषणा की थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को देने की, वह केवल मात्र राज्य सरकार का धोखा था, स्टन्ट था। राज्य सरकार वास्तव में गरीबों को जमीन देना चाहती है तो ऐसे पट्टे न दे, जो मेरे पास 17-18 मूल पट्टे मौजूद है। उपाध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दें तो मैं यह सदन की टेबल पर रख सकता हूं वरना माननीय मंत्री को दिखा दूंगा, यह मूल पट्टे मौजूद है, यह पट्टे हैं बनवासी, जमुआ रामगढ़ के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के, वह मारे-मारे घूम रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उनकी सुनवाई हो, इसके लिए राज्य सरकार को एक महकमा बनाना चाहिए। आपने वाहवाही लूटने के लिए पट्टे बांट दिये, उनको पट्टे मिल गये तो वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो, वहां पर सड़कों की व्यवस्था हो, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार ने गांवों में जो रहने वाले हैं, उनके लिए घोषणा कर दी। लेकिन जो शहरों में रहते हैं, जयपुर में 110 कच्ची बस्तियों के लिए 21 अगस्त, 1971 को राज्य सरकार ने घोषणा की, लेकिन उसके बाद नियम नहीं बनाये। आज यू. आई. टी. उन लोगों के खिलाफ मुकद्दमें बनाती है। वह कोर्ट में कहती है कि यह मुख्य मंत्री ने फैसला किया है लेकिन राज्य सरकार ने नियम नहीं बनाये हैं। वह नियम नहीं बनाती है इसलिए इनको बेदखल किया जा रहा है। नारी के नाके में आज वर्षों से रहने वाले मीणाओं के घरों पर बुलडोजर घुमा कर उनको बेदखल किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक तरफ मुख्य मंत्री जी घोषणा करें, उसका सरकार पालन नहीं करें और दूसरी तरफ इस प्रकार मकानों पर बुलडोजर घुमा कर लोगों के घरों को नेस्तनाबूद किया जाय-मेरा निवेदन करना यह है, कई बस्तियों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं, उनमें गरीब लोग रहने वाले हैं, राज्य सरकार ने जिस प्रकार से गांव वालों को पट्टे दिये हैं, भले ही नकली पट्टे दिये हों लोग आपसे जमीन ले लेंगे, लड़ कर ले लेंगे, झगड़ कर ले लेंगे, वह चुनाव के वक्त ले लेंगे। कहेंगे, जमीन दो तब वोट देंगे। अपने आश्वासन को कार्यान्वित नहीं करोगे तो वह वोट नहीं देंगे और इससे आपकी कुर्सी हिलेगी। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को जो कच्ची बस्तियों में, गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, और उनके जो मकान बने हुए हैं उनको रेगुलेराइज करना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को घोषणा करनी चाहिए, निश्चित रूप से उनको जमीन मिलेगी और उनको सहूलियत मिले। गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लिए आपने 26 जनवरी, 1975 तक की घोषणा की थी, उसी तरह से आप 21 अगस्त, 1971 तक शहरों के लिए घोषणा करें, लेकिन आप नियम न बनायें, तो यह शहर वालों के साथ अन्याय होगा। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को 21 जनवरी, 1975 तक के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इसे लागू करना चाहिए। आखिर यह समाजवादी सरकार है, फिर गांव और शहर में अन्तर क्यों है? उनको भी इसी प्रकार से निशुल्क जमीन के पट्टे, और उनको जमीन दें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मन्त्री जी, राज्य कर्मचारियों के बारे में आपने केन्द्र के समान महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, सेवा निवृत्ति और पेंशन के सम्बन्ध में संशोधन कर दिया है। मेरी मांग है, जो राज्य कर्मचारियों की मांग है, चाहे किसी के पास मकान हो या चाहे मकान नहीं हो, प्रत्येक राज्य कर्मचारी को मकान भत्ता मिलना चाहिये। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारियों के सारे वेतन को मिला कर वेतन मूल मान लिया है, उसी प्रकार से राज्य सरकार को मानना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके राज्य कर्मचारी हैं, जिनके पास मकान नहीं है, वह गली-गली, मोहल्लों मोहल्लों में रहते हैं। वह आखिर कहां चले जाये? आपको निश्चित रूप से घोषणा करनी चाहिये, 26 जनवरी 1975 तक जिस तरह और लोगों के लिये तिथि निर्धारित की है, उसी प्रकार 26 जनवरी, 1975 जो राज्य कर्मचारी ऐसे थे, जिनके पास मकान नहीं था, राज्य सरकार उनको जमीन मुहैय्या करेगी मकान बनाने के लिए। यह भी मैं आपसे घोषणा कराना चाहूंगा। आज आपके राज्य कर्मचारी मारे मारे फिरें, उनको मकान न मिले तो उनको मकान देना आपका कर्त्तव्य है। जो नीति निदेशक तत्व हैं उनमें भी कहा गया है कि राज्य सरकार मकान देगी, शिक्षा की व्यवस्था करेगी। इस नाते अगर आप 26 जनवरी, 1975 तक के लिए विचार नहीं कर सकें तो आगे 15 अगस्त आने वाला है, उस तिथि तक आप घोषणा करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान के सैनिक हैं उनके बारे में, उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिये, हिन्दुस्तान की भूमि की सुरक्षा के लिए कुर्बानी की, और माताएं-बहिनें, जिन सैनिकों ने कुर्बानी दी, उसके फलस्वरूप विधवा हो गई हैं। उन सैनिक और विधवाओं के लिए राजस्थान पंचायत एक्ट में संशोधन करके ऐसे सैनिकों को और ऐसी विधवाओं को जमीन मुफ्त में मिले इस प्रकार की घोषणा आप करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा आप से, महंगाई भत्तों की बात को लेकर आपने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान राज्य के कर्मचारियों के भत्ते किये, लेकिन सेवा निवृत्त कर्मचारियों को जिस प्रकार चालीस रुपये माहवार पहले मिलते थे, 1-10-74 को उसको 60 रुपया कर दिया है। लेकिन इससे पहले जो रिटायर हो गये, उनको आज भी चालीस रुपये मिल रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि चालीस के बजाय 60 रुपये देने की घोषणा आपको करनी चाहिए।

इसके बाद मेरा निवेदन है, स्वतंत्रता के बाद भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए

Page No 118

(118)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

केवल एक रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि रखी गई है। कितने अफसोस की बात है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि दें। मेरी मांग है कि कम से कम पांच रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि होनी चाहिए।

इसी प्रकार से, माननीय मन्त्री जी, राज्य में कई लोग सस्पेन्ड पड़े हुए हैं, उनको पांच पांच, दस दस वर्ष हो गये हैं। वह आखिर में मुकद्दमा जीतते हैं और सरकार से वेतन लेते हैं, हर्जाना लेते हैं। आपने कहा था, विधान सभा में यह घोषणा की थी, ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की थी। यह घोषणा बाहर भी की थी, राज्य कर्मचारियों के मामलों में फैसला लेने के लिये ट्रिब्यूनल बनायेगी। लेकिन वह ट्रिब्यूनल कहां है? घोषणा के आधार पर राज्य सरकार ने मान लिया है कि वह ट्रिब्यूनल बनायेगी, ऐसा ट्रिब्यूनल बनायेगी जिससे तत्काल राज्य कर्मचारियों के मामलों में फैसला हो, क्योंकि पांच-पांच दस-दस वर्ष तक सस्पेन्ड रहने पर वह अनुपयोगी हो जाते हैं, शतरंज खेलते रहते हैं, चौपड़ खेलते रहते हैं, कहीं पर कोई नौकरी कर लेते हैं। वह बेकार और परेशान न रहें, इसलिए ट्रिब्यूनल बना कर तुरन्त ऐसे मामलों पर फैसला कराना चाहिए, ताकि तुरन्त उनको काम पर लिया जाय और तुरन्त उनके वेतन का भुगतान हो।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, जयपुर का जिला प्रशासन बिल्कुल, मैं समझता हूं, अयोग्य है। अयोग्य इसलिए है कि जयपुर शहर की खाद्यान्न सलाहकार समिति की बैठक वर्ष भर में कई बार बुलानी चाहिए। लेकिन आज तक एक बार ही बैठक बुलाई गई है। आखिर राज्य जिला प्रशासन खाद्यान्न सलाहकार समिति की बैठक बुलाये नहीं, विधान सभा में कहें तो आप मानें नहीं, खाद्यान्न सलाहकार समिति की मीटिंग हो नहीं पाये और गेहूं के वितरण का काम, मोटे अनाज को बांटने का काम, चीनी बांटने का काम, कपड़ा वितरित करने का काम, सीमेंट बांटने का काम, वनस्पति घी बांटने का काम—यह पूरा काम जिला प्रशासन का है। पहले तो आप अपर्याप्त मात्रा में देंगे, फिर नियमित रूप से नहीं देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण आज दो महीने हो गये हैं, होली का त्यौहार आ रहा है, लोगों को चीनी नहीं मिल रही है, बाजार में चीनी महंगी मिलती है—यह खेद का विषय है, आखिर इन मांगों को मनवाने का सदन में कौनसा तरीका होगा? राज्य सरकार गरुड़ पुराण पढ़ने से नहीं मानेगी तो भागवत पुराण पढ़ूं तब मानेगी? यह खेद का विषय है, राजस्थान के अन्दर····

एक माननीय सदस्य : भागवत पुराण पढ़ने से जनता का कल्याण होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब शहरों के अन्दर वह ज्वार बांट रही है, जिसमें धतूरे के बीज मिले हुए है और जो अकाल राहत कार्यों पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनको दिया जा रहा है, वह अब शहर में जबर्दस्ती दिया जायगा तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय····

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य को निर्देश दें, चीनी की मांग पर···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसका जिला प्रशासन से सम्बन्ध है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या मांग में यह विषय है ?

श्री उपाध्यक्ष : चीनी का मीठा सब्जेक्ट है ।

श्री मीठालाल मीणा : मांग पर बाद में कहेंगे, अभी तो भूमिका बांध रहे हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चीनी का सब्जेक्ट जिला प्रशासन के नीचे है । आप पढ़ लें, मैं मांग से दूर नहीं जा रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : जी०ए०डी० से निकाल दिया जिला प्रशासन ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज की मांग है, उसमें जिला प्रशासन, सचिवालय, और अन्य सेवायें हैं । बिल्कुल क्रम से, वैज्ञानिक ढंग से बोल रहा हूं ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज आप क्वालिटी इन्सपेक्टर का क्या उपयोग कर रहे हैं या नहीं ? मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह बड़ा गम्भीर विषय है, लोगों को खराब अनाज मिले, दो महीने से चीनी नहीं मिले, होली के अवसर पर भी नहीं मिले । मैं कहूंगा, चाहे आप खराब काम कहें, लेकिन कोई न कोई प्रकार का कार्य इस विधान सभा में किया जायगा, जिससे राज्य सरकार झुके । जयपुर के लोगों को चीनी का अभाव है, होली के अवसर पर भी चीनी न मिले, गेहूं खराब मिले, तो आखिर हम चुने हुए जन प्रतिनिधि होकर यहां पर आये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार बार बार सदन में घोषणा करती है, इतना तेल जब्त कर लिया है, इतनी चीनी जब्त कर ली है, इतना गेहूं जब्त कर लिया है । आप जब्त किये हुए माल का वितरण जनता में क्यों नहीं करते हैं, जब कि वह माल सड़ गल रहा है । इस प्रशासन का यह रवैया है, चाहे वह माल सड़ जाय, खराब हो जाय लेकिन वह जनता में वितरित नहीं हो । आपने जयपुर शहर में, राजस्थान में जो माल जब्त किया है, होना तो यह चाहिए कि जो माल जब्त किया है, उसको जनता में आप वितरित कर दें और सड़ने-गलने से उसको बचायें । मैं निवेदन करना चाहूंगा, जयपुर शहर में रेजगारी की समस्या थी, यहां पर साठ बोरी रेजगारी की पकड़ी गई । वह आज भी गोदाम में पड़ी हुई है लेकिन जनता को नहीं मिलेगी । इस प्रकार जो अन्य सामान राज्य सरकार पकड़ती है- उसके बारे में राज्य सरकार ने गम्भीरता से विचार नहीं किया है ।

मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जैसा कल मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन किया था, भगवान मिलना आसान है, गोविन्ददेव जी के दर्शन करना आसान है, लेकिन जयपुर शहर के लोगों को राशन कार्ड के दर्शन करना मुश्किल है । तीन-तीन महीने चक्कर खाने के बाद भी राशन कार्ड के दर्शन आज नसीब नहीं होते हैं । जिस राशन कार्ड पर खाद्यान्न मिलेगा, जिस पर कपड़ा मिलेगा, और वस्तुएं मिलेंगी, सीमेन्ट मिलेगा, — वह चीजें नहीं मिल पा रही हैं । इस भगवान रूपी राशन कार्ड पन्द्रह-पन्द्रह रुपये खर्च करने के बाद तीन तीन महीने चक्कर खाने के बाद भी दर्शन नहीं मिल रहे हैं । आपका जो जिला प्रशासन है, इसको जयपुर की सात एरिया में, जोन में विभाजित करके व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को आसानी से राशन कार्ड मिले किसी को वृद्धि करानी है किसी को नाम घटाने हैं, अस्थाई कार्ड लेना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हो तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस महंगाई के समय में 15 रुपया तीन महिने के लिए खर्च करना, यह बहुत ही खर्चीला काम है।

जयपुर शहर में 8 लाख की आबादी है, औद्योगिक बस्तियां हैं, अन्य कई क्षेत्र हैं और हालत यह है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जयपुर शहर में एक भी फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं है। गर्मी का मौसम आ रहा है, किसी औद्योगिक बस्ती में आग लग जाए, कच्ची बस्ती को आग लग जाए, झोंपड़ी जल जाए तो एक भी गाड़ी अच्छी हालत में नहीं है। 8 गाड़ियां नगर परिषद के पास थीं। 7 तो पहिले ही खराब थीं बाकी एक जो थी वह जलती हुई ट्रक को खींच लाई तो वह भी खराब हो गई। जो एक गाड़ी थी वह कच्चे में नहीं जा सकती थी इसलिए कि उस गाड़ी का नाम था हुस्न बानू कच्चे में वह जायगी तो हुस्न बिगड़ जाएगा। रोम जल रहा है और सरकार मस्ती से बैठी हुई है।

इसके अलावा 300 पानी के हाइड्रंट्स होने पर भी खेद का विषय है कि केवल एक ही स्टेशन घाट दरवाजे पर है, वही स्टेशन आग लगने के समय काम आती है। जहां औद्योगिक बस्ती में आग लग जाए तो वहां पर गाड़ी एक्सीडेन्ट्स करती आएगी, वहां से पानी भर कर आयगा, सारे रास्ते में पानी फैल जाएगा फिर समाचारपत्रों में आएगा आग पर काबू पा लिया गया।

सिविल डिफेंस के लोग जो कलेक्टरी के नीचे हैं, तो जो आपकी गाड़ी है उनके द्वारा क्यों नहीं उसकी व्यवस्था करते? क्यों नहीं नगर परिषद् को देते? क्यों नहीं सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का फिक्सेशन करते? आपने यहां पर अन्य सुविधाओं की बातें कहीं हैं तो फिर जब अनाज महंगा है, रोटी महंगी है, राज्य सरकार को अन्य स्थानों की तरह जयपुर में भी रैन-बसेरा स्थापित करना चाहिए। राजा महाराजाओं के जमाने में लंगर चलते थे, उसमें अनुदान देते थे। तो आप भी इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे लोगों को एक रुपये में एक टाइम रोटी सब्जी मिल जाए, सुबह और शाम अलग अलग समय पर मिल जाए तो यह समाज की सेवा होगी।

राज्य सरकार इस ओर भी ध्यान नहीं दे रही है कि फालना में भूमि हड़पने की घटनाएं हो रही है, नक्शा मेरे पास है। इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर दी गई है लेकिन बड़े बड़े राजनेता इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने के बावजूद भी अपना प्रभाव डालकर बैक डेट में रजिस्ट्रियां करवाकर इंडस्ट्रियल एरिया को नाश करने की ओर लगे हुए हैं, जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। समय समाप्ति सूचक घंटी

राज्य सरकार जो पासबुक भेज रही है वह अभी तक सभी जगह नहीं भेजी हैं। नामांकन कराने के लिए लोगों को कठिनाई होती है। भूमि आवंटन में लोगों को कठिनाई होती है। जिन सवर्ण लोगों ने दूसरे लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है उसमें राज्य सरकार निष्क्रिय है।

अब मैं वन विभाग की मांगों की ओर आता हूं। सरकार ने पक्षियों की रक्षा करने के लिए घोषणा की थी, चिड़ियाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए घोषणा कर दी लेकिन सरे आम बंदूक द्वारा चिड़ियाओं को

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मार रहे हैं। राज्य सरकार ने तीतर को भी प्रोटेक्टेड पक्षी बताया था लेकिन जयपुर होटल में चले जायं, राजस्थान होटल में चले जायं लोग हजारों की संख्या में तीतर के मांस का उपयोग करते हैं। यह कहां से आता है ? बड़े बड़े लोग जानवरों को बुरी तरह से मारते हैं। आपने घोषणा की थी कि जैसलमेर में नेशनल डेजर्ट पार्क बनायेंगे। लेकिन जब सारे पक्षी समाप्त हो जायेंगे तब पार्क बनायेंगे ? जनवरी में यू. ए. आर. के लोग आए थे। जैसलमेर में जो पार्क एरिया बना था वहां पर उन्होंने शिकार किया। राज्य सरकार मौन रही। चीफ वाइल्ड लाइफ कन्जरवेटर ने एक पत्र रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखा कि इस प्रकार क्यों हुआ ? राज्य सरकार बिल्कुल मौन बैठी रही। मेरा निवेदन है कि वृक्षों को काटा जा रहा है। शेर चीतों को मारा जा रहा है, सरकार मौन बैठी हुई है। एक फ्लाइंग स्कावड बनाया केवल 7 व्यक्तियों का। राजस्थान सारे में भेजने के लिए केवल 7 आदमियों का उड़न दस्ता क्या कर सकता है ?

घोषणा की गई कि महावीर के 2500 वें निर्वाण दिवस पर शिकार पर विशेष प्रतिबन्ध लगायेंगे लेकिन सरकार स्वयं शिकार करा रही है। राज्य सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। टाइगरों की संख्या धीरे-धीरे घट रही है। आज हालत यह है कि जयपुर के चिड़ियाघर में पशु और पक्षी धीरे धीरे मर रहे हैं। उनके भोजन के लिए कुछ नहीं पहुंचाते हैं, जानवर दुखी हैं। जयपुर का चिड़ियाघर हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध था उसकी धीरे धीरे हालत बिलकुल खराब हो रही है। वहां के कर्मचारियों में भयंकर असंतोष है, 12-13 वर्ष की नौकरी होने के बाद भी उनको स्थाई नहीं किया गया। एक आदमी को तो 10) प्रति मास वेतन दिया जाता है।

राजस्थान में इस प्रकार से जो अलग अलग ऐसी सैंक्चूरीज बनाना चाहते हैं पर्यटन केंद्र बनाना चाहते हैं, राज्य सरकार इस ओर भी उदासीन है भरतपुर में कौन कौन से किस किस प्रकार के पक्षी मिलते हैं, राज्य सरकार ने आज तक सूची नहीं बनाई। इतना ही नहीं अमेरिका की एक सोसाइटी के लोग यहां आए थे और अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार लगाना चाहते थे लेकिन जब देखा कि यहां कौन कौन से पक्षी मिल सकते हैं तो उन्होंने विचार बदल दिया। आज राजस्थान के वन बिल्कुल उजड़े हुए हैं, शेर और चीते सवाई माधोपुर से भी चले जा रहे हैं, बड़े बड़े जागीरदार शिकार करते हैं। राज्य सरकार की यदि यही अकर्मण्यता की नीति रही तो शेर तो क्या गीदड़ वहां आना पसन्द नहीं करेगा।

तो मैंने राजस्व, वन, जयपुर शहर में फायर ब्रिगेड, गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर चिड़ियाघर, कच्ची बस्तियों के लोगों को पट्टे देने के बारे में, राशन कार्ड इत्यादि के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे आशा है कि वह जयपुर की भलाई के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करेंगे। जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा राशन कार्ड नहीं मिले, चीनी नहीं मिली तो इस सम्बन्ध में जरूर घोषणा करेंगे। जयपुर की जनता को राहत दिलाने के लिए यदि आपको किसी प्रकार का

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अप्रिय काम करना पड़ता है तो भी करना चाहिए, इस तरह की घोषणा राज्य सरकार को करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतिराम।

श्री रतिराम (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने राजस्थान में भू-प्रबन्ध के नाम से भू-प्रबन्ध नहीं किया है उसने भूप्रबन्ध के नाम से भ्रष्टाचार, और इस प्रकार की अनियमितताओं की कार्यवाही की है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहां पर उपाध्यक्ष महोदय, भूप्रबन्ध के नाम पर किसानों के ऊपर भारी लूट हुई है इसके लिये तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इसके लिये राजस्व मन्त्री जी को मैं एक सर्टिफिकेट इतना ही देना काफी समझता हूं कि वह अपने कर्त्तव्य-पालन में बुरी तरह से असफल रहे हैं। और चूंकि इस भ्रष्टाचार और किसानों के साथ जो लूट हुई है उसका इनके पास कोई इलाज नहीं है इसलिये मैं उन बातों पर अधिक समय खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं तो दो बातें विशेषरूप से कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में दो सब डिविजन एक तो किशनगढ़ दूसरा सब डिविजन तिजारा है वहां पर चार-पांच साल पहले सेटलमेन्ट शुरू हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, वह सेटलमेन्ट पूरा ही नहीं हुआ और वहां पर कह दिया कि इस एरिया में सेटलमेन्ट समाप्त हो गया है वहां पर किसानों से पूरे ऐतराजात भी नहीं मांगे कि थोड़े से लोगों से ऐतराजात मांगे। उन्होंने बेचारों ने ऐतराजात भी पेश किये लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गयी, और किसी में सुनवाई किये बिना ही राज्य सरकार ने जो बढ़ा हुआ लगान लगाया है वह उन पर लागू कर दिया इसके खिलाफ भी लोगों ने ऐतराजात पेश किये, लेकिन उनको बिना सुने ही यह कह दिया कि तुम्हारे सुनवायी खत्म हो गयी है। इसके अलावा फिर हमारे यहां पर जो लैण्ड रेवन्यू अभी बढ़ा है वह भी उन पर लागू कर दिया। तथा आज उन लोगों से बढ़ा हुआ लगान वसूल किया जाय तो मेरा निवेदन यह है कि आपका यह कौनसा न्याय है? यह आप कौनसे कानून से बिना ऐतराजात को सुने, बिना सेटलमेन्ट को क्लोज किये, आपने डिक्लेअर ही नहीं किया कि यहां पर सेटलमेन्ट क्लोज कर दिया है और आपने काश्तकार से वसूलियां लैण्ड रेवेन्यू की शुरू करदीं? आज उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल से वसूलियां हो रहीं हैं। कोई सुनता ही नहीं है। तो मेरा मन्त्री महोदय से यह पुरजोर निवेदन है कि इस प्रकार की अनियमितताओं की तरफ तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये। आज जो इस तरह से गैर कानूनी कार्यवाही की जा रही है उसे तुरन्त रोकने के आदेश दिये जावें। अगर आप इस तरह के गैर-कानूनी वसूलियां नहीं रोकेंगे तो किसानों को राहत नहीं मिल पायेगी। इसके लिये मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि या तो आप इन वसूलियों को बन्द कीजिये या फिर आप जब तक उनके ऐतराजात नहीं सुने जावें और उनका फैसला नहीं हो तब तक उनसे यह वसूलियां तुरन्त सस्पेन्ड की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके लिये आपका पटवारी समाज दोषी है। यह पटवारियों ने लूट मचाई है।

(श्री रतिराम)

आप उनको रोकें और आज जो वह लूट काश्तकारों से वसूल कर रहे हैं उन्हें रोकें। उपाध्यक्ष महोदय, पटवारियों ने बिना सेटलमेंट का फैसला हुए उन बेचारे गरीब काश्तकार से बढ़ा हुवा लैण्ड रेवेन्यू की वसूली करनी प्रारम्भ करदी है।

उन पटवारियों ने इसके अलावा एक गड़बड़ और की उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां किसानों ने गेहूं बोया था वहां पर चने लिख दिया, और जो की जगह चना लिख दिया और इस प्रकार काश्तकार ने बोया कुछ ही और उसने लगान की वसूली अलग ही पदावार पर की है। जबकि काश्तकार ने वह फसल बोई ही नहीं है। इस प्रकार की भयकर स्थिति आपने बेचारे-काश्तकारों के साथ पैदा करदी है।

इसके अलावा आपने कॉमर्शियल क्रॉप्स पर जो टैक्स लगाया है वह भी पटवारियों ने किसानों के साथ अन्याय किया है। वहां भी बहुत मारी लूट आपने किसानों पर मचाई है। उसके लिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये मन्त्री महोदय तहसीलदारों को आदेश दें कि वह मौके पर जाकर इसकी जांच करे। और वहां पर पर्चे वगैरह नहीं दिये गये हैं वहां पर किसानों को पर्चे मिलने चाहिये। और जिन जिन काश्तकारों ने जो भी एतराजात उठाये हों उन्हें वहां पर तहसीलदार मौके पर जा कर जांच करें और जब काश्तकार सैटिसफाई हो जावे तब उससे आपको लैण्ड रेवेन्यू की वसूली चाहिये। नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आज काश्तकारों के साथ लूट मची हुई है :

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार ने कुए बनाने के लिये किसानों को लोन दिये थे लोगों ने कुएं बनवाये और किन्हीं के बाकी भी रह गये। लोगों के मन में उमंग थी कि हमारे कुए बन गये है इसलिए हमारे ज्यादा खेती होगी। उपाध्यक्ष महोदय, पटवारियों ने जिन जिन लोगों ने कुए बनाये उनकी जमीन का रेवेन्यू चाही जमीन के हिसाब से लगाना शुरू कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, जब कि कानून यह है कि सिचाई के लिये जब तक काश्तकार उस कुए के पानी से सेटिस्फाई नहीं होजाय उसकी अच्छी तरह से परीक्षण नहीं करले कि यह पानी उसकी सिचाई के अन्दर उसकी फसल को माफिक आता है या नहीं तब तक आपको चाहिये कि उस जमीन के रेवन्यू के बारे में कोई तबदीली नहीं करें, लेकिन यहां पर ऐसा किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार पानी कुए से जो निकलता है वह खारा पानी निकल जाता है जिससे जो फसल काश्तकार बिना कुए के पैदा कर लेता है बरसात के पानी से उससे भी बहुत कम फसल पैदा होती है। बरसात के पानी से कई बार फसल बहुत ऊंची हो जाती है, और ऐसा भी हो जाता है कि कुए के पानी फसल को माफिक नहीं आता है। इसलिये जैसा कि राजस्व का नियम है कि तीन साल तक परीक्षण करके जब यह अच्छी तरह से देख लिया जाय कि काश्तकार को उस कुए का लाभ मिल रहा है तो उससे वह लगान लेना चाहिये, उसके पहले नहीं लेना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार किसान की जमीन नदी के कटाव में आजाती है। जिससे कि उसकी जमीन में पैदावार नहीं होती है या वहां पर उसके कुए में खारा पानी निकल

(श्री रतिराम)

आता है जिससे कि वहां पर पैदावार नहीं होती है। इसके लिये वह जमीन में खाद वगैरहा देता है लेकिन वहां पर कुछ बोता नहीं है। खाद वगैरहा वह इसलिये देता है कि उसकी जमीन ठीक हो जावे। लेकिन होता ऐसा है कि पटवारी उस बगैर जमीन के उपर फसल पैदा किये ही उस पर लगान लगा देता है। इस तरह से किसान के साथ आज बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। वह तो बेचारा जहां उसके यहां पर खारा पानी निकलने की वजह से खाद वगैरहा डालना है लेकिन पटवारी चुपचाप में ही उस पर लगान लगा देता है। किसान ने फसल ही पैदा नहीं करी तो आपने लगान किस बात का लगायें, पर कोई पूछने वाला नहीं और किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह से मेरा यह निवेदन है मन्त्री महोदय को कि ऐसे मामलों पर ध्यान दिया जाय। इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि वह अपने पटवारियों और रेवन्यू अधिकारियों को हिदायत दें कि वह इस तरह की कार्यवाही को तुरन्त रोकें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। वह धारा 91 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत जो केसेज हैं, अनधिकृत रूपसे जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जे कई सालों से किये हुए हैं उनके बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में लैण्ड रेवन्यू विभाग में आपको सबसे ज्यादा केसेज मिलेंगे तो 91 केसेज मिलेंगे। जो आज राजस्थान की हर तहसील में सैकड़ों की तादाद में चल रहे हैं। इसके संबंध में कई बार सदन में मैंने निवेदन किया और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी निवेदन किया कि इनको रेग्यूलराइज कर दिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये सदन में कई बात राज्य सरकार ने भी इस ओर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा लेकिन आज तक इस संबंध में 91 केसेज को रेग्यूलराइज नहीं किया गया। कई बार निवेदन किया गया है कि आज जितने भी इस बारे में केसेज चल रहे हैं जिसमें कि लोगों के कब्जे जायज और उनके खिलाफ में मुकदमा चल रहे हैं उन्हें रेग्यूलराइज किया जावे।

(3-02 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : समाप्त करिये अब आप।

श्री रतिराम : सभापति महोदय, मुझे 15 मिनट का समय दिया गया है। मुझे थोड़ा समय और दिया जाय। सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम हमारा अलवर भरतपुर जिले में इस बात की है कि हमारे यहां से मेव भाई तो चले गये और उनके बदले शरणार्थी लोग आये और उन्होंने वहां पर जमीनों पर कब्जा कर लिया। वहां पर भूमिहीन लोगों को, आदिवासियों, को जमीन दे दी गयी। उन लोगों को पट्टे भी मिल गये उन्हें खातेदारी राइट भी मिल गये लेकिन सभापति महोदय, उन शरणार्थियों के आने से पहले जो लोग उस जमीन को काश्त करते थे उन्हें यह जमीन एलोट होनी चाहिये। ऐसे मैं आपको सैकड़ों की तादाद में केस बता सकता हूं। जो मेरी निगाह में है मेरे पास उनकी फाइल बनी हुई हैं अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी फाइल

(श्री रतिराम)

मन्त्री महोदय को सबमिट करने को तैयार हूं। मैं उन्हें वह सबमिट कर दूंगा कि इस तरह के केसेज हैं कि अलवर भरतपुर में पार्टीशन के पहले जिनकी जमीनें मुसलमान जोतते थे और जिनको खातेदारी राइट्स थे, न जमीनों के इनको खातेदारी राइट्स नहीं दिये गये हैं। पहले वालों को मिल गया, बाद में नहीं मिला, इसका क्या कारण है? ऐसे मामलों की इन्क्वायरी करवाकर उन्हीं के मुताबिक खातेदारी राइट्स दिये जायं।

इसी तरह से अनुसूचित जाति और जन-जाति तिजारा से सम्बन्धित बात कहना चाहता हूं कि सब जगह ऐसे मामले हैं। 13 हजार बीघा के लगभग जमीन हरिजनों को बांटी गयी, भूमिहीनों में बांटी गयी अगर आंकड़े उठा कर देखें तो कुछ हजार बीघा जमीन हरिजनों के पास है जिस पर काश्त करते हैं, बाकी की जमीन हड़प गये वहां के बड़े बड़े किसान, जमींदार। इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने घोषणायें की हैं, नरोरा में रावतभाटा में कि ऐसी जमीनें जो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की हड़पी गयी हैं उनको तुरन्त दिलवायेंगे, मैं यह उम्मीद करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसका सर्वे करायें जाय जांच कराय और उनको वापिस दिलाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह कहा गया कि सभी किसानों को पास बुकें दी जावेंगी, यह घोषणा बहुत अच्छी हुई है और कहीं कहीं तो किसानों को ये मिल भी गई हैं। लेकिन सभी काश्तकारों को एक साथ मिलती तो बहुत अच्छा रहता। किस वजह से एक साल में सारे काश्तकारों को एक साथ नहीं बांटी गयी अगर बांटते तो सारे किसानों को लाभ मिलता? सूक्ष्म में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यस्तर पर सारे किसानों को तुरन्त पास बुकें बांटी जायं, उसमें उनकी गिरदावरी भी दर्ज की जाय ताकि किसान को पूरे तौर पर पता लग जाय कि इतनी जमीन है, इतने में गेहूं बोया है, लेवी देना है, वे ईमानदारी से लेवी भी चुका देंगे और किसी प्रकार से पटवारी और रेवेन्यू आथोरिटी के लोग गड़बड़ियां नहीं कर सकेंगे। यह पास बुक उनको बहुत मददगार होगी। यह छोटीसी मदद है जो किसान को तुरन्त दी जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनिट में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। केवल वन विभाग पर एक ही पॉइन्ट पर मैं कहना चाहता हूं। यह भूमिहीनों की राजस्थान में हमेशा से मांग है कि वन विभाग में हजारों एकड़ ऐसी जमीन पड़ी हुई है जगह जगह पर जो बिलकुल समतल है, उपजाऊ है और एक पेड़ भी वहां नहीं खड़ा है वन विभाग का, ऐसी जमीनों को वन विभाग से छुड़ा कर ट्रान्सफर कराया जाय और भूमिहीनों और हरिजनों में बांटी जाय ताकि कृषि उत्पादन बढ़ सके। उस ओर सरकार की ढिलाई है। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में मांग करूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन घोषणाओं के तहत भी और भूमिहीनों की जायज मांगे हैं उनके तहत भी इस आने वाले साल में यह काम पूरी तरह से हाथ में लेना चाहिये। इन्हीं

(श्री रतिराम)

शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय....

श्री दीपंकर : इधर की ओर से भी काफी बोलने वाले हैं।

श्री मीठालाल मीणा : आप बोलना चाहते हैं, आप बोलिये।

श्री दीपंकर : नहीं, नहीं, आप बोल लीजिये।

श्री मीठालाल : सभापति महोदय, काफी बातें इस सम्बन्ध में भार्गव साहब ने रख दी हैं, लेकिन मैं दूसरी तरह से इन कटौती प्रस्तावों पर बोलना चाहूंगा सारे जिले के दृष्टिकोण को रखते हुए माननीय राजस्व मंत्रीजी, जितनी भी चीनी आदि दूसरी चीजों का वितरण होता, है और जितनी मदें हैं, वे बड़ी महत्व रखने वाली है। लेकिन सही रूप से जिले का प्रशासन नहीं हो रहा है। समय पर न तो सही रूप में इनका वितरण होता है। इसका एक मात्र कारण हैं कि 17 तहसीलों का एक जिला है, इसमें जयपुर शहर भी शामिल है और बहुत बड़ा जिला हैं। इसलिये इसको दो जिलों में बांट दिया जाय और दौसा को क्रमोन्नत किया जाय और हैडक्वार्टर बना दिया जाय। आर्थिक दृष्टि से आपके सामने समस्या आवेगी नहीं क्योंकि जयपुर जिला वैसे भी दो प्रशासनिक अधिकारियों में, दूसरे विभाग के, बंटा हुआ है। कृषि प्रसार अधिकारी दो हैं। इसी प्रकार शिक्षा की दृष्टि से भी। अन्य विभागों के भी हो सकते हैं। अफसरों को एक दो को हटा कर इधर-उधर किया जा सकता है और इसी प्रकार कर्मचारियों को हटाकर दौसा तब्दिल किया जा सकता है। इससे अधिक खर्चा भी नहीं आवेगा और प्रशासनिक और न्यायिक दृष्टि से जनता को तुरन्त न्याय मिलेगा इसलिये निवेदन है कि दौसा को जिला मुख्यालय बना दिया जाय ताकि समस्यायें हल होंगी और जिला प्रशासनिक कार्य पर भी समय पर काम हो सकेगा।

राजस्व विभाग में पटवारियों को तहसील स्तर पर ही रखा जाय और बाहर न भेजा जाय। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने वक्तव्य भी दिया था कि सरकार विचार कर रही है। किसी जगह किसी पटवारी को तहसील से बाहर भेज दिया और किसी को नहीं। इसके लिए तुरन्त निर्णय लें ताकि पटवारी वर्ग में भ्रांति फैल रही है वह दूर हो सकेगी।

गश्त गिरदावरी को दस साल से बन्द कर दिया गया है। बड़ा भारी इससे भ्रष्टाचार फैल रहा है। अधिकारी कई तरीकों से किसानों को दबाकर भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। काश्तकारों को सुविधा के बजाय असुविधा हो गयी किसानों को बड़ी भारी कठिनाई हो रही है। इसलिए शीघ्र ही राजस्थान लेवल पर इसका निर्णय करें।

कानून के अमेंडमेंट के लिए कहा था हम शीघ्र ही लावेंगे और अलग से इसके लिये सत्र भी बुलायेंगे। कब होगा? सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लें।

(श्री मीठालाल)

चरागाह के मामले हैं, मैं यह कहूंगा कि इसमें प्रगति हुई है, सवाई माधोपुर के मामलों में तो कहूंगा कि प्रगति हुई है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं, जिसमें जयपुर जिला भी है उसमें विशेष कोई प्रगति नहीं हुई है और आज भी 5101 एकड़ में कार्यवाही चल रही है और अनधिकृत कब्जा हटा रहे हैं, लेकिन समस्या का सही हल नहीं निकला है। एक किसान अतिक्रमणकारी है, कब्जा नहीं हटाता है, कोई विशेष कानून बना कर अनधिकृत कब्जा शीघ्र हटाया जाय, कई जगहों पर फसलें बरबाद की हैं, कुर्क की हैं, कब्जे में ले लीं और कई जगह नीलाम भी किया जाता है। इस मामले में नीलाम की कार्यवाही एक सही चीज नहीं है। इससे भ्रष्टाचार फैलता है। गांव के लोग ही नीलाम में भाग लेते हैं। 100 की फसल के 10 रुपये ही देते हैं और ले लेते हैं। चरागाहों के मामले में माननीय मन्त्रीजी के क्या विचार हैं और कोई कानून इसके लिए बनायेंगे उसके लिये निश्चित रूप से अपने उत्तर में आप बतायेंगे। दूसरे जो प्लाट्स हरिजनों को दिये हैं मैं इसका समर्थन करता हूं और यह बड़ी अच्छी बात है कि जो हरिजनों को इतने प्लाट दिये, लेकिन कई जगह आपके तहसील स्तर के अधिकारी या जिला अधिकारी उन स्थानीय आदमियों से मिलकर पट्टे ऐसे स्थानों पर दिये हैं कि जैसे चारागाह है और कई लोगों ने अपने होने वाली संतानों के नाम से भी पट्टे ले लिए और वह इस नीयत से लिये गये हैं कि चारागाहों पर आगे जाकर अनधिकृत कब्जा किया जा सके, और चारागाह के आसपास की भूमि पर कब्जा उनका हो जायेगा। इस नीयत से प्लाट दिये गये हैं और इसके बारे में सरकार को सतर्क रहना चाहिए और जो उपर्युक्त स्थान बता रहे हैं वहां नहीं देकर चारागाह में प्लाट दिये हैं तो मेरा निवेदन है कि जिन व्यक्तियों ने पट्टे प्राप्त कर लिये हैं उनकी नीयत से सरकार सतर्क रहे और अनधिकृत रूप से चारागाह की जमीन है उस पर कब्जा नहीं होने दें।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ दूसरे जो आम रास्ते है जो कि सरकारी रेकर्ड में आम रास्ते दिखाये गये हैं उनके ऊपर भी कई किसानों ने अनधिकृत कब्जे करने शुरू कर दिये हैं। आपके रेकर्ड में हैं और आम रास्ते हैं वहां दीवारें लगाकर कब्जे कर लिये हैं और उससे आम जनता को बड़ी परेशानी हो रही है, किसानों को तो हो ही रही है। तो आप तहसीलदारों को ऐसे निर्देश दें कि जहां ऐसी कार्यवाही हो रही है वहां तत्काल कार्यवाही करके ऐसे कब्जों को शीघ्र हटा दें और कहीं ऐसा न हो कि कोर्ट में जाकर स्टे करा लायें और आपकी नीति को फेल कर दें।

सभापति महोदय, हमें एक प्रगति रिपोर्ट दी गई है और इसमें भूमि के आवंटन के लिए कुछ उल्लेख किया है और मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इसमें जितना होना चाहिए उतना सही रूप से नहीं हुआ। इसमें आपने कुल 18604 एकड़ भूमि को लोगों में भू-आवंटन किया है और कुल जमीन है आपके 2,37,772 एकड़ लेकिन आवंटियों को आपने केवल 18604 एकड़ ही दी है जिसमें 15086 आवंटी ऐसी है कि जिनको आपने अभी तक कब्जा नहीं दिया है। तो आपने 18604 को एलॉट किया और इसमें 15608 को

(श्री मीठालाल)

कब्जा दिया नहीं तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की उपलब्धि नहीं है। दूसरे इसमें उल्लेख है कि 19,56,644 एकड़ भूमि उपलब्ध है और उसमें से आपने 2,37,772 एकड़ जमीन दी है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को भी अन्य लोगों के मुकाबले में मैं समझता हूं कि कम मिली है जो कि 25 पर्सेन्ट के लगभग है। इसके अलावा आपने 30 संस्थाओं को भी जमीनें दी हैं। मैं समझता हूं कि कुल जमीन का आधा हिस्सा तो आपने इन संस्थाओं को ही दे दिया है। 38,546 एकड़ भूमि आपने इन 30 संस्थाओं को दे दी। तो यह न्यायिक दृष्टि से और जो आवंटियों को कब्जा नहीं दिया मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं हैं और इसमें सरकार शीघ्र कदम उठाकर जिन लोगों को भूमि एलॉट की है उनको शीघ्र से शीघ्र कब्जा दें।

दूसरे पटवारघर बनाने के बारे में आपने एक नीति बनाई थी और उसमें 5 लाख 8 हजार रुपया एलॉट भी किया था और इसमें से 4 लाख 59 हजार रुपया खर्च भी कर दिया लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं कि सरकार ने वह नीति त्याग दी है। तो जो अधूरे पटवारघर हैं और जो आप रुपया इसमें खर्च कर चुके हैं उनकी क्या स्थिति होगी और वह किस ढंग से कार्य करेंगे और उनकी आगे क्या नीति है, क्या वह पैसा बेकार जायेगा या उनको पूरा करवाया जायेगा? इसके बारे में माननीय मंत्रीजी अवश्य निर्णय करें।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मुझे वन विभाग के बारे में भी दो शब्द कहने हैं। आपने इसके व्यापार में फायदा कमाया है और ठेकेदार और अधिकारी मिलकर जो भ्रष्टाचार करते थे वह काफी हद तक दूर हुआ है और सरकार को काफी फायदा भी हुआ है लेकिन इसमें कई जगह जैसा माननीय सदस्यों ने बताया कि भ्रष्टाचार भी है उस सम्बन्ध में सरकार को कुछ उचित कदम उठाने चाहिए। दूसरे सरकारी वन क्षेत्रों के अन्दर काबिले काश्त भूमि है और उनको दूसरी भूमि में तब्दील करने के सरकार के नियम भी हैं लेकिन वह नियम हमारे सक्षम नहीं है और जो आपकी कमेटी है उसका कार्य भी इतना ढीला है कि वन क्षेत्रों की जमीन को दूसरी भूमि में तब्दील बहुत ही कम हो रही है। इसलिए इसमें जितनी कृषि योग्य भूमि जंगलात में है उसको निकाल करके वह भूमि किसानों को आवंटित कर दी जाये तो उपयुक्त रहेगा। इसके साथ ही साथ वन क्षेत्र हमारे अधिकतर पहाड़ों के आसपास होते हैं और ऐसे स्थानों पर जमीन में पानी ज्यादा होता है। तो वहां समस्या यह है कि ऐसे वन क्षेत्रों में कोई पेड़ पौधे भी नहीं हो सकते वहां पर कुए बनाने के लिए किसानों को सरकार सुविधा दे दें तो अच्छा हो। ऐसे कई केसेज कोर्ट में चल रहे हैं और आगे जा कर किसानों के पक्ष में फैसले हो जाते हैं तो ऐसा निर्णय क्यों नहीं ले लिया जाये कि जिससे किसान लोग आपकी इजाजत लेकर वहां पर कुएं बना लें, क्योंकि वहां न तो आपके पेड़ पौधे हैं और न चारा है। खाली जमीन पड़ी है उसमें कुए खोदकर किसान अपनी निचली भूमि पर पानी ले जा सकते हैं उससे सरकार को भी फायदा रहेगा और किसानों को भी रहेगा और उपज भी इससे बढ़ेगी।

Page No 129

(129)

(श्री मीठालाल)

सभापति महोदय, अपने राज्य में भौगोलिक स्थिति के कारण पहाड़ ज्यादातर सूखे हैं और उन पर पेड़ पौधे कम हैं, लेकिन उनको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जहां जंगल हैं वहां उन्हें काटा जा रहा है और लकड़ियों के लिए सरकार ठेका भी देती है, लेकिन जो नंगे पहाड़ खड़े हैं उनके ऊपर पेड़ या पौधे लगाने की सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है जिससे वहां नये ढंग से जंगल बन सकें और उससे राज्य को फायदा हो सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे स्थानों पर जहां जंगल नहीं है और नंगे पहाड़ खड़े हैं वहां नये जंगल बनाने के लिए सरकार शीघ्र कार्यवाही करें।

दूसरे सवाई माधोपुर में टाइगर वंश क्षेत्राय योजना है उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि उसमें कई गांव ऐसे ले लिये, पचासों गांव के आसपास के किसानों के गांव ले लिये हैं जिसमें सैकड़ों वर्षों से जानवर चरते आ रहे थे और उनको चराई की सुविधायें थीं वह सारे के सारे गांव टाइगर वंश वृद्धि योजना के अन्तर्गत ले लिये और अब समस्या यह है कि गांव वाले अपने पशुओं को लेकर कहां जायें ? तो जिन गांवों में पहले से ही चराई की सुविधायें थी और आसपास पशुओं को चरा सकते थे उनको चराने की सुविधाएं दी जायें। मुझे मालूम है कि किसानों का डेपुटेशन आपसे आकर मिला है, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है और अधिकारीगण नाजायज तरीके से उन किसानों को कहीं सुविधाएं दे रहे हैं और कहीं नहीं दे रहे हैं। तो इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि जिससे अधिकारी इस समस्या को अपने लेबल पर नहीं सुलटा कर राज्य लेवल पर सुलटा दिया जाये जिससे भ्रष्टाचार नहीं हो।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं बहुत ही कम समय लूंगा।

दूसरे वन क्षेत्रों के बारे में जो नियम हैं उनके तहत चराई की सुविधायें दे रखी हैं, लेकिन अधिकांश वन क्षेत्रों में जो राजस्थान के पशु होते हैं वह चरने के लिए जाते हैं और बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। आपके नियमों के अनुसार तो चरा सकते हैं लेकिन वह कहते हैं यह हमारा इलाका है और हम नहीं चराने देंगे। इसके बारे में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि कोई भी पशु चराई देकर चरा सकते हैं और दूसरी तरफ नियमों के अन्तर्गत आपने अपनी विज्ञप्ति में अपना खसरा नम्बर दे रखा है कि इन गांवों को सुविधायें दी जाती हैं कि किसी भी क्षेत्र से आकर कोई पशु चरा सकता है तो उन गांवों को सुविधायें दे रखी हैं उसका क्या तात्पर्य है ? जो अलग सुविधा दे रखी है उसको समाप्त कर रखी है। जो उस क्षेत्र के बाहर का आदमी है वह चरा सकता तो और उस क्षेत्र का आदमी नहीं चरा सकता फिर इसका स्पष्टीकरण सरकार करें दोनों चरा सकते हैं या क्या ?

दूसरे, सभापति महोदय, जयपुर जिले में जो वन-मण्डल अधिकारी हैं उनमें फारेस्ट गार्ड है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनका एक वर्ष में 5 बार, 6 बार, 7 बार स्थानान्तरण कर देते हैं। मैं समझता हूं गरीब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को बड़ी तकलीफ

(श्री मीठालाल)

होती है। एक ट्रान्सफर का लेटर मिलता है, दूसरा ट्रान्सफर का लेटर मिलता है, तीसरा ट्रान्सफर का लेटर मिलता है। माननीय सभापति जी आप देखें कि क्या हो रहा है ? जहां तक मुझे मालूम हैं भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। एक वर्ष में 5-5, 6-6 बार स्थानान्तरण हो जाता है। अगर किसी नियत से होते हैं तो उसमें आपको निर्णय लेना चाहिये।

अन्त में, सभापति महोदय, इस बारे में गत साल भी आश्वासन दिया गया था जो तहसील का कार्यालय बना है वह सैकड़ों वर्ष पुराना बना हुआ है बरसात के दिनों में स्वयं तहसीलदार जी अपने निवास स्थान पर जाकर पेशी लेते हैं। आखिर सुधारने के लिए लाखों रुपये लगा देंगे तो भी कुछ नहीं होगा आपने जवाब दिया था सुधार के लिए कार्यवाही कर रहे है। जिसमें बरसात के दिनों में खड़े रहने को जगह नहीं है। उसका आधा हिस्सा, माननीय सभापति महोदय, गिर भी चुका है और यह कार्यालय कस्बे के उस भाग में है जहां बस्ती उजड़ चुकी है। अभी जो और नये कार्यालय बने हैं वहीं पर तहसील का कार्यालय भी शीघ्र बनाने का निर्णय लेना चाहिये।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) : सभापति महोदय, राजस्व और वन विभाग की मांग के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह दूसरी तहसीलों के लिये और दूसरे जिलों के लिए माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है उसी तरह मेरी तहसील में भी और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रेवेन्यू विभाग की तरफ से काफी गड़बड़ियां हैं। तहसील, मैं समझता हूं प्रशासन का छोटे से छोटा यूनिट है और गड़बड़ियां भ्रष्टाचार और घोटालों को उस लेवल पर बन्द कर दें तो सारे प्रदेश पर इसका असर पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको बताऊं जो जमीनों का एलॉटमेंट हुआ है, मेरी तहसील में सन् 1970 में एलॉटमेंट हुए उन एलॉटमेंटस की जमीनों की सुपुर्दगी 75 में भी नहीं हुई है- एक बड़ी खेदजनक स्थिति है। अगर मान लीजिये सबसे पहले एलाटमेंट को पटवारी ने रिकमन्ड कर दिया और एस. डी. ओ. व तहसीलदार के सामने जो एलाटमेंट कमेटी होती हैं उसमें एलाटमेंट के कागज उन गरीबों के रख भी दिये जो शिड्यूल्ड कास्ट के है और उन पर विचार करके एलाट भी कर दिया। फिर एलॉटमेंट करने के बाद सुपुर्द नहीं हो 5-5 साल तक इस प्रकार की गड़बड़ियां आज तक चल रही हैं। इसके लिये अभियान चलाया जाय। मैं समझता हूं कि रेवेन्यू मंत्रीजी कुछ ऐसे आदेश दें कि उनको तत्काल कब्जा दिया जाय, एक विशेष अभियान चलाकर इस प्रकार की कार्यवाही की जाय। न तो वे लोग आज तक काबिज हैं और न दूसरे फार्म ही भर कर दे सकते है क्योंकि उनके नाम पर रेकार्ड में जमीन है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बाद में लोगों ने जो दूसरा तरीका निकाला है कि नाजायज कब्जा कर लिया जाय और जमीन नहीं है तो रेगुलराईज हो जायगी। पटवारी से मिलकर रिपोर्ट करवा देते है कि जमीन नहीं है और जो नाजायज तरीके से कब्जा किया था उसको रेगुलराईज कर दिया जाय।

(श्री विजय सिंह)

आज सभापति महोदय, यह होता है कि जो वाजिब तरीके से जमीन मांगता है उसको मिलती नहीं है और जो गलत तरीके से, गलत रास्ते से कब्जा करके जमीन पर अधिकार कर लें उसको बाद में रेगुलराईज कर दिया जाता है। कानून के जरिये से इस राज्य में कोई चीज मांगे तो नहीं मिलती है और गैर कानूनी तरीके से अख्तियार कर लें बक डोरएन्ट्री करले तो मैं समझता हूं वह बाद में उसी की हो जाती है। मैं समझता हूं यह लोकतन्त्र को बदनाम करने वाली बात है।

मेरे क्षेत्र में कम से कम 160 तालाब हैं उन तालाबों के पेटे में हर साल जमीन एलॉट होती है। जब पानी सूख जाता है तब एलॉट होती है तो जो लाभ काश्तकार को मिलना चाहिये वह लाभ उनको नहीं मिल पाता है इसलिये समय पर एलॉटमेंट के लिये आदेश होने चाहिये ताकि पेटे में काश्त हो सके और जो खाद्यान्न की समस्या है उसमें योगदान मिल सके। इससे काश्तकार को लाभ मिलेगा और सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी।

सभापति महोदय, इसके अलावा नदियों के पेटे की जमीनों की भी समस्या है। हमारे भीलवाड़ा जिले में काफी नदियां हैं। मेरी खुद की तहसील में तीन नदियां बहती हैं। उन नदियों की पेटे की जमीन में ककड़ी, खरबूजा और तरबूज बोये जाते हैं, लेकिन हमारे यहां एक विशेष जाति के लोग हैं वे ही नदियों के पेटे की भूमि में, काश्त कर सकते है, दूसरे लोग उस प्रकार की काश्त को नहीं कर पाते हैं, लेकिन एलॉटमेंट नियमों के अन्तर्गत केवल भूमिहीन ही उसको बो सकते है इसलिये भूमिहीनों को वह जमीन दी जाती है, ये लोग इसमें काश्त नहीं कर सकते हैं इसलिये दूसरी जाति में जो एलॉटमेंट होता है तो उसमें फिर ब्लेक चलता है जिसके नाम भूमि एलॉटमेंट होता है उससे वे ले लेते हैं जो लोग इसके खास पेशेवर हैं और माहिर हैं जो रीवर बेल्ट में खेती कर सकें उनको प्राथमिकता दी जाय तो मै समझता हूं ब्लेक नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा और बीच में नफा खाने वाले न हो और खिर बेड फालतू नहीं पड़े रहे जिससे सरकार को भी ठीक रेवेन्यू मिले। इस प्रकार नाजायज कब्जे ऐसे लोगों के हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जमीनों वालों को तो नाजायज कब्जे से हटाया नहीं जा रहा है और जिसके पास कम जमीन होती हैं उसको हटाने की कोशिश पहले की जाती है। इसलिये जिसके इकोनोमिक होल्डिंग से ज्यादा जमीन पर कब्जा है उसको अविलम्ब हटाया जाय। जिलाधीशों को आदेश देकर इस प्रकार के कब्जे तुरन्त हटाये जाने चाहिये।

सभापति महोदय, वैसे हमारी जमीनों की किस्में बदलती रहती हैं कभी सॉइल इरोजन से, कभी कुआ खोदने से कभी अन्य कारण से जमीन की किस्म बदल जाती है, कहीं तालाब बन गया तो पीवान होकर जमीन की किस्म बदल गई। इसलिये सैटिलमेंट विभाग द्वारा उस जमीन की सारी किस्में सैटिलमेंट रेकार्ड में रिवाईज की जाती है। सैटिलमेंट होता है 20 साल में तो उस सैटिलमेंट के द्वारा वहां के लोगों को किस्म के बारे में काफी परेशानी हो जाती है। मौके पर अच्छी

(श्री विजय सिंह)

तरह समझते नहीं है और जहां पर मरजी हुई वहां बंजड़ जमीन लिख दी, जहां मरजी हुई चाही लिख दी जिस काश्तकार ने जिस ढंग से सेटलमेंट वालों की सेवा दी उसी ढंग से जैसी मरजी हुई वैसे ही जमीन की किस्म लिख दी। मैं समझता हूं इससे ज्यादा बेहतर यह हो कि उसको रेगुलराईज वे में एस० डी० श्रो०, को तहसीलदार को, पटवारी को इस प्रकार की हिदायत दे दी जाय कि रेगुलर वे में काम करते रहें जमीन की किस्म बदले और कि उसका रेकार्ड ठीक करवादें तो यह विभाग जो सफेद हाथी वाली बात है कि हमारे ऊपर एक वजन है वह नहीं रहे और जिस जिस तरह किस्म बदलती रहेगी वह अपने आप से रेवेन्यू के रेकार्ड पर आ जायगी।

एक निवेदन और है, सभापति महोदय, हमारे यहां जो सेटिलमेंट हुआ उसमें दिक्कत यह हुई कि दुगुना लगान हो गया। मैंने माननीय मन्त्रीजी से निवेदन किया और माननीय मन्त्रीजी ने असिस्टेंट सेटिलमेंट अफसर को भेजा और आदेश दिया बताया कि मौके पर कैंप लगा कर क्या जमीन थी और क्या लगान बढ़ गया उसको ठीक से करें। लेकिन वह कैंप लगने से हमको उल्टी दिक्कत हो गई। इसमें दिक्कत यह हुई कि पहले तो यह था कि कोई भी आदमी असिस्टेन्ट सेटलमेंट आफिसर के हैड क्वार्टर पर जाकर गरजमन्द आदमी होता वह ठीक करवाता था लेकिन अब वह कैंप में जाकर दोनों पार्टियों में से जिसने ज्यादा पैसे दिए उसके अनुसार उनका सारा रिकार्ड तब्दील करवा दिया। यह एक दूसरी दिक्कत आ गई है। इस तरह का कोई न कोई फुल-प्रूफ होना चाहिए। इस तरह से तब्दीलियां एनमॉस ही पूरे के पूरे गांवों में हुई है जिससे उनका कोई हित नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से जमीनों की किस्मों में सही दर्ज करने के बारे में आप रवैय्या रेवेन्यू का जो है, सेटलमेंट का भी है और जैसा कहा गया कि काश्तकार खातिरदारी वगैरह करके गलत इन्द्राज करवा लेते हैं, लेकिन दूसरा जो रेवेन्यू का स्टाफ है वह भी जमीनों की किस्मों के बारे में मुख्तालिक तौर पर अपने विचार और अपनी स्वेछानुसार करते रहते है।

हम काश्तकारों को क्या देते हैं ? देते तो कुछ भी नहीं। हम उनको सीमेंट नहीं दे पाते, लोहा नहीं दे पाते, डीजल नहीं दे पाते, बिजली नहीं दे पाते। उनके जरूरत की कोई चीज नहीं दे पाते, यहां तक की बीज तक भी ठीक प्रकार से मुहैय्या नहीं करा पाते और उन पर उप कर और लगा दिया। अभी गन्ने की फसल की समस्या है। मेरी तहसील के अन्दर एक मेवाड-भोपाल सागर शुगर मिल है। उस मिल के द्वारा सारा गन्ना भीलवाड़ा जिले का, चित्तौड़ और उदयपुर जिलों का लिया जाता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहां पर जो मशीनरी है वह पुरानी है, पुराना प्लाण्ट है जिसकी वजह से गन्ने की सारी फसल खप नहीं पाती, पूरा गन्ना क्रश नहीं कर पाते और उस क्षेत्र के जो इण्डीजुग्रल क्रशर्स हैं उनको भी एलाऊ नहीं करते जिससे न वे अपने गन्ने का गुड़ बना पाते हैं, न खाण्ड-सारी बना पाते हैं और गन्ने को फसल खड़ी खड़ी सूख जा रही है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं खास तौर से इस बारे

(श्री बिजयसिंह)

में निवेदन करूंगा कि अगर काश्तकारों को आप कुछ दे नहीं सकते, अगर उनका गन्ना नहीं उठा सकते तो उप-कर तो मत लगाइये! उप-कर लगाना काश्तकारों को और ज्यादा परेशान करना है। अभी कोई काश्तकारों का कोई संघ भी नहीं है, अगर इस तरह से आप मजदूरों के साथ करें तो वे अपनी आवाज उठा सकते हैं और आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन काश्तकारों का कोई संघ नहीं है न उनके पास कोई दूसरा जरिया है कि जिसकी वजह से वे आप तक पहुंच सकें। माननीय सदस्य जरूर आप से कहते हैं जिन पर आप गौर करें और जो जेनुइन शिकायतें हैं उनका हल निकालना चाहिए, काश्तकारों को बड़ी परेशानी है।

माननीय सभापति महोदय, जिस गिरदावरी की वजह से भी मेरे यहां खास तौर से परेशानी है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं काफी सालों से किसान रहा हूं प्रधान रहा हूं और आपके यहां सदन का सदस्य भी हूं। आम लोगों की शिकायत है, सरपंचों की शिकायत है कि बिना उनसे पूछें जिसवार कर लिया जाता है। पटवारी स्वयं ही करके ले जाते हैं और तहसीलदार मान लेते हैं। और उस आधार पर बाद में अकाल घोषित होता है या अकाल घोषित नहीं होता है फिर हासिल वसूल होता है या हासिल नहीं होता है या सस्पेंशन हो जाता है, यह सारा का सारा जिसवार के माध्यम से होता है, और उसमें जनता के रिप्रजण्टेटिव्ज और खास तौर पर सरपंच इन्वॉल्व्ड होते नहीं और जब कि राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश है कि उनके दस्तखतों के बिना जिस गिरदावरी की रिपोर्ट सब्मिट नहीं की जाय लेकिन बराबर मुतवातिर हो रही है और मुतवातिर शिकायतें कर रहे हैं ऊंचे अफसरों के पास में लेकिन अभी तक किसी तरह की रिलीफ मिली नहीं।

इसके साथ साथ मैं और भी निवेदन किया चाहूंगा कि पटवारियों के ऊपर जो वजन है, वैसे पटवारियों के बारे में आम तौर पर कहते हैं कि बड़ी बदमाशी करते हैं, ये गांवों के अन्दर लोगों के साथ बड़ा अत्याचार करते हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ कानून पटवारी ओवर लोडेड है इसका भी ध्यान रखना चाहिये। 36 तरह के ऐसे रजिस्टर हैं जो एक एक पटवारी को मेंटेन करना पड़ता हैं। अगर मान लीजिये कि किसी पटवारी के पास दस गांव एक पटवार सर्किल में हैं तो 360 रजिस्टर तो उनके मेंटेन करने ही पड़ते हैं। जैसे ढाल बांच है, स्याह है, खसरा, खतौनी, जमाबंधी, ये कुल मिला कर 36 रजिस्टर हैं। इसके अलावा सेन्सस का कार्य आया तो पटवारी करता है, लेवी का काम आया तो वह भी पटवारी को करना पड़ता है। दूसरा कोई पशु गणना का काम आया तो वह भी करना पड़ता है। इस तरह से वह ओवर बर्डन आदमी है। अगर वह 18 घण्टे रोजाना काम करे मुतवातिर एक प्रकार से तो मैं समझता हूं कि वह काम पूरा हो सकता है वरना काम पूरा नहीं कर पाता।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, अभी थोड़े में ही समाप्त करता हूं।

(श्री विजयसिंह)

इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि इतना ज्यादा काम होने की वजह से जिन कामों में उसे विशेष लाभ होता है उन कामों को तो ठीक करता है और दूसरे काम सफर करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि 36 रजिस्टर ही मेंटेन बराबर करता हो या दूसरे कार्यों में बड़ी तत्परता या दिलचस्पी से काम करता हो यह बात भी नहीं है। इसलिए दिलचस्पी और तत्परता से काम नहीं कर पाता, क्योंकि वह ओवर बर्डन्ड है और इससे असन्तुष्ट भी हैं। इसलिए कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए, जरूरी बातों को रखा जाय। एक ही चीज पर जमीन पर टाईटिल किस आदमी का है और कितनों का टाईटल है, इस एक काम के लिए दस दस पांच पांच रजिस्टर हैं। उस पर अनावश्यक रूप से बहुत टाईम खर्च करना पड़ता है और पटवारी वास्तव में बहुत ओवर बर्डन है जिसे कम करना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करूंगा कि आजादी के 27 साल बाद तो कम से कम अबसेंटी लैंड लॉर्डिज्म खत्म करना चाहिए। टीनेंसी बिल पेश हुआ था, दो दो कमेटियां पहले बनीं, जैसा पहले माननीय सदस्य ने कहा था कि दो दो प्रवर समितियों को यहां पर रिपोर्ट्स पेश हो गई उसके बाद भी कम्प्रीहेंसिव टीनेंसी बिल नहीं आया तो क्या हम समझें कि सरकार इच्छा नहीं रखती। माननीय सभापति महोदय, हम एबसेंटी लैंड लॉर्डिज्म को खत्म करना चाहते हैं तो इस बिल को जल्दी लाकर पास कराना चाहिए। इस बिल में काफी प्रावधान हैं जिससे यह चीज खत्म हो सकती है इसलिए उसमें जल्दी करना आवश्यक है।

इसके अलावा मैं दूसरा निवेदन यह करूंगा कि यह जो भूमि के कन्वर्सन की, जो आबादी में लेने वाली बात है, मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है। मेरे यहां पर एक जमीन है जिसके ऊपर ऐसे लोग आकर बस गए हैं जिनके पास रहने को जमीन नहीं थी और पंचायत ने बाकायदा सरकार से जमीन मांगी लेकिन वह पंचायत की दरख्वास्त का डिस्पोजल होने से पहले ही उन पर केसेज चला दिए गए और आज बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। मांडल के चौराहे पर अजमेर और भीलवाड़ा मार्ग पर यह जमीन है, उससे काफी लोग जिनके पास रहने को जमीन नहीं थी उन पर काफी केसेज चल रहे हैं और जलील हो रहे हैं वे लोग।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि जो अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स हैं उन का एलाटमेंट नहीं होना चाहिए। जो एलाटमेंट हम करते हैं कभी कभी दो बीघा, पांच बीघा एलॉटमेंट कर दिया जाता है। आपने जमीन तो उसको दे दी लेकिन उससे कोई गरीबी मिटने वाली बात नहीं है। अगर गरीबी मिटाने वाली बात करना है तो इतनी छोटी छोटी अनइकोनॉमिक जमीनों का एलाटमेंट नहीं करके इकोनॉमिक जमीनों का ही एलॉटमेंट करना चाहिए वरना गरीबी मिटाने वाली बात नहीं कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा अब मैं वन विभाग के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। एक तो

(श्री विजयसिंह)

यह कि जो फारेस्ट रिलीज कमेटी बनी हुई है उसको और एक्टीवाइज करना चाहिए। कई भूमियां ऐसी हैं जो फारेस्ट से निकल कर खेती योग्य बनाई जा सकती हैं और खेती के लिए काम में ली जा सकती हैं लेकिन उन जमीनों को फॉरेस्ट से छुड़ा कर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सुपुर्द नहीं करने से उन जमीनों का उपयोग सही तौर पर नहीं हो रहा है। हमें इस बात के लिए बहुत खुशी है कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय फॉरेस्ट के भी मन्त्री हैं और राजस्व के भी मन्त्री हैं इसलिए वे चाहें तो उनके दोनों डिपार्टमेंटों का सामंजस्य बैठा कर उन जमीनों को जो खेती योग्य हों वह खेती योग्य रखें और जो बंजड़ जमीनें हों, उनको फॉरेस्ट के काम में लें। दूसरा इसके अलावा जो छोटी छोटी जमीनें हैं जहां पर मुख्तलिफ तौर पर काफी जंगल लगे हुए हों वे फॉरेस्ट पेडोवस पंचायतों को सुपुर्द करना चाहिए जिससे पंचायतों की माली हालत भी सुधरे और चूंकि पंचायतें वहां की लोकल बॉडी होती हैं वे देख भाल भी ठीक तरह से कर सकती है। विभाग की तरफ से उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, छोटे छोटे फॉरेस्ट तैयार हों और पंचायतों की हालत में भी सुधार आवे।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, एक बात घास के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे अकाल के टाईम में फॉरेस्ट से, जंगलों से घास नहीं काट सकते। कम से कम मन्त्री महोदय इसके लिए यह कर दें कि चराई पर वहां पर मवेशी छोड़ दें जिससे सरकार को भी रेवेन्यू मिले और मवेशी भी नहीं मरें। इस तरह का प्रबन्ध कर देना चाहिए। तहसीलों के बारे में आम शिकायत है और जो भी माननीय सदस्य बोलते हैं सरकारी कर्मचारियों की शिकायत करते हैं, लेकिन हमारे यहां माननीय मन्त्री जी आप तो बहुत जोरदार मंत्री हैं और जोरदार मन्त्री होते हुए छोटी छोटी शिकायतें नहीं मिटा सकें तो फिर बाद में हम क्या समझें? मैं यह निवेदन करूंगा कि आप जैसे जोरदार मन्त्री हैं ऐसा ही जोरदार एक्शन लें और जितनी भी इस तरह की अनियमिततायें हैं और जो गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियां करने वाले लोगों को सजा दें जिससे सरकार की इमेज खराब न हो। बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्नसिंह। आप दीपंकर जी को टाईम देना चाहेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं बोलूंगा साहब, मुझे जाना है।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये सरकार का ध्यान दो तीन प्रस्तावों की तरफ दिलाना चाहा है। सभापति महोदय, पिछले सत्र के अन्दर और इससे भी पहले सत्रों के अन्दर यह बात इस सदन के अन्दर काफी जोरदार उठाई गई थी कि सरकार ने सीलिंग के तहत कितनी जमीन हासिल की और इसको कितने भूमिहीन लोगों के अन्दर वितरित किया गया? जो आंकड़े हमारे सामने आये हैं वह काफी आशाजनक आंकड़े नहीं हैं और उसके लिए कितने ही कारण हम लोगों को बताये जाते हैं यहां पर। सभापति महोदय, यह तो एक तरफ बात चल रही है कि सीलिंग के तहत जमीन

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हासिल कैसे की जाए और यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है। मैंने माननीय मन्त्री महोदय को भी इस बारे में जानकारी दी थी और माननीय सदस्यों को भी जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान में इस समय दो सीलिंग कानून चल रहे हैं। यह बहुत बड़ी एक विडम्बना है कि जो नया सीलिंग कानून बनाया गया है, जिसे नये कानून की नीतियों के तहत, जिसके ऊपर दिल्ली में डिस्कशन हुआ, कांग्रेस हाइ-कमाण्ड ने डिस्कस किया, हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने इस कानून का अध्ययन करके इसको स्क्रूटिनाइज किया, लीगल एक्सपर्ट्स ने उसमें कई खामियां बताई और उसके बाद एक ऑल इण्डिया पैटर्न के ऊपर नया सीलिंग कानून राजस्थान में बनाया गया। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस नये सीलिंग कानून के तहत जितने भी जमीनों के सीलिंग के मामले आयेंगे वह नई सीलिंग कानून से गवर्न नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सरकार की तरफ से एक ऐसा सरक्यूलर निकाला गया है जिसके तहत जिलों के अन्दर जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं कि जो भी सीलिंग के मामले पड़े हुए हैं और जो नये मामले आने वाले हैं, जिन लोगों ने अभी तक सीलिंग के रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं उन सब के लिए पुराने कानून के तहत ही कार्यवाही की जायेगी। माननीय मन्त्री महोदय मैं यहां तक समझ पाया हूं, क्या यह प्रजातन्त्र का मखौल नहीं है? क्या इससे सरकार की इन्कम्पीटेन्सी जाहिर नहीं होगी? इस सदन में कानून बनाया गया, माननीय सदस्यों ने इतने डिस्कशन्स किए माननीय सदस्यों ने इतनी कड़ी मेहनत की और उसके बाद इस कानून को बनाया गया, परन्तु अब आप नया कानून भी रखेंगे और पुराने कानून के तहत कार्यवाही करेंगे, तो मन्त्री महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दो कानून साथ-साथ कैसे चलेंगे? माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि आप कौन से कानून के तहत कार्यवाही करना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि पुराना कानून प्रोग्रेसिव नहीं था, वह भी काफी मेहनत के बाद बनाया गया था, हम उसके विरोधी नहीं है। इसलिए फिर आप क्या सोच-समझकर इस कानून को यहां लाये थे और अब आप इसका क्या करने जा रहे हैं और क्या आदेश निकालने जा रहे हैं? इस बारे में सरकार की क्या नीति है? अगर आप ऐसा करने जा रहे थे तो इसको विधान सभा के सामने लाना चाहिए था और माननीय सदस्यों को कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए था। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से और सभी इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी इस बारे में चिन्तन करिये कि आखिर सरकार क्या करने जा रही है और नया कानून आज बेकार साबित होने जा रहा है यह मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं।

दूसरी बात आज जो जमीनों का एलॉटमेन्ट होता है उसमें कितने लोगों को कब्जा मिलता है, कितने लोगों को पजेशन दिया जाता है, इस बारे में क्या प्रक्रिया आप बनाने जा रहे हैं? आपका जो एलॉटमेन्ट का एक्ट है उसमें बेसिकली कई प्रकार की कमियां हैं जिसकी वजह से जिन लोगों को जमीनों का कब्जा मिलना चाहिए उन लोगों को कब्जा नहीं मिलता। परन्तु जो घोषणा की गई थी, माननीय मन्त्री महोदय, गांधी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

शताब्दी साल में, इसके अन्तर्गत करीब 23-24 हजार बीघा जमीनों का अलॉटमेंट तो हो गया, परन्तु कब्जा कितने लोगों को मिला, अगर जिन लोगों को कब्जा मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला तो उसकी वजह क्या है, कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं ? माननीय मन्त्री महोदय, सवाल यह है कि जन प्रतिनिधियों के मन के अन्दर तो यह भावना है यह उनकी इच्छा है कि उनके इलाके के हरिजनों को, आदिवासियों को, उनके इलाके के गरीब लोगों को जमीनों का एलॉटमेंट किया जायगा, लेकिन आपकी जो सरकारी मशीनरी है उसका इस कानून को अमल में लाने के लिए गरीब लोगों के प्रति कोई सहयोग नहीं होने की वजह से आज कई लोगों को जिनको कब्जा मिल जाना चाहिए था, उनको नहीं मिल पाया है जबकि उनको जमीन का लालच दिखाया गया आज उनके साथ धोखा किया जा रहा है। सैकड़ों हजारों लोग कचहरियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और जगह-जगह मुकद्दमेबाजी चल रही है और मुकद्दमेबाजी में जो कुछ भी सामान उनके पास था रहा सहा वह सब बिक चुका है, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। हमने की थी कि उन लोगों को कानूनी मदद भी देंगे, आपने कितने लोगों को कानूनी मदद दी जिनको कब्जा नहीं मिला ? माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे इस बारे में जानकारी चाहता हूं। और आप इनके बारे में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? जिनको जमीनों का कब्जा नहीं मिलेगा आप उनको किस प्रकार की कानूनी सहायता देना चाहेंगे ? आपके पास इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाकर कार्यवाही की जाय और उनको कानूनी मदद दिलायी जाय। आज आपके जो एस. डी. ओ. और ए. डी. एम. आवंटन में बैठते हैं उसके बाद वह लोग रास्ता बताते हैं। मान लीजिए आज आपका जो कलेक्टर है उसने जो फैसला कर दिया, वह भी एक सीनियर स्केल का आई. ए. एस. ऑफिसर होता है उसकी अपील उससे जूनियर स्केल के आफिसर जो आर. ए. एस. होता है उसके वहां होती है उसके ऊपर ए. डी. एम. या कलेक्टर स्टे आर्डर इस्यु कर देता है इसलिए यह आपका कार्यक्रम फेल हो रहा है। इसके क्या कारण हैं ? आपकी भू-आवंटन की जो पालिसी है, इसमें कई इरेंग्युलरीटीज होती हैं उसको रोकने की व्यवस्था कीजिये, लेकिन जो स्टे आर्डर दिये जाते है, लोगों को परेशान किया जाता है, इसलिए गरीब लोगों के लिए कानूनी सहायता का प्रावधान करिये, अन्यथा उनको जमीनें मिलेंगी नहीं, इसलिये उनको राहत दी जानी चाहिये।

माननीय मन्त्री महोदय, मैं एक बहुत बड़ी समस्या जो काश्तकारों को इस समय फेस करनी पड़ रही है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी जो नया कानून बना है, उस नए कानून के तहत फिर टिफन का काम शुरू हो गया है, सभापति महोदय, अब इससे क्या हुआ। पहले जो यह बिमारी थी, जो खत्म हो चुकी थी वह आज भी गांवों के अन्दर किसानों को परेशान किया जा रहा है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, पटवारी ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया है, पटवारियों के लिए एक प्रकार से पुनः जागीर लगा दी गई है। यहां पर हमारे पटवारियों के लिए, संवत् 18 से

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

31 तक लोगों ने राहत की सांस ली थी, पहले उनको हर साल परेशान किया करते थे, आज कई जगह झगड़े हो रहे हैं और हारी बीमारी है और झगड़ा है। अब पटवारी ने कहना शुरू कर दिया कि गड़बड़ी की तो मैं तेरी जमीन दूसरे के नाम कर दूंगा। काश्तकारों को यह डर लगा कि कोई खेत को दबा लेगा। दूसरे के नाम खेत इसने दिखा दिया तो वह उसके खेत को दबा लेगा। इस सब को आप सभी जानते हैं। आज यह कार्यवाही पटवारी के द्वारा हो रही है। तो मन्त्री महोदय, से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आपने किसलिए शुरू किया? अब तक क्यों बंद कर रखा था? किस लिए इस प्रक्रिया को आपने जारी किया। मैं इसकी जानकारी चाहता हूं। मैं जानता हूं, मन्त्री महोदय, यह दलील देंगे कि यह लेवी के लिए किया है। इससे यह मालूम पड़ेगा कि किस ने काश्त की है ताकि उससे लेवी वसूल की जाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय कि इस प्रक्रिया के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। जो खातेदार हैं उसका ही यह जिम्मा रखा जाए कि वही लेवा देगा, लेवी की वसूली उससे की जाएगी। चाहे काश्त किसी और ने की हो, या और कोई और कर रहा हो, इससे जो भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, वह बंद होगा, पहले पटवारी का भ्रष्टाचार आपने काफी हद तक बन्द कर दिया था। इस प्रक्रिया से उसको बढ़ावा दिया है। श्रीमन्, इसको रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ सोचना होगा। काफी गड़बड़ी हो रही है झगड़े हो रहे हैं। मैं जब अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जाता हूं तो लोग मुझसे मिलते हैं, इसकी शिकायत करते हैं।....

श्री विजयसिंह: आपका मतलब शिजनी से है...

श्री प्रद्युम्नसिंह: आई डोन्ट नो। एन्ट्री से हैं।

श्री विजयसिंह: जिस गिरदावरी...

श्री प्रद्युम्नसिंह: यह तो काश्त की है, क्या क्या है....परन्तु यह तो एन्ट्री हो रही है...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं, जिनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। इसलिए पांच मिनिट और दें

सभापति महोदय, एक बात माननीय मन्त्री महोदय को मैंने सदन के बाहर भी कही है, सदन के बाहर भी उस बात की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है और यह काफी लोगों की समस्या है अतः इसके लिए मैं फिर से यहां, इस सदन के अन्दर आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने पहले जिलाधीशों को यह अधिकार दे रखा था जमीन का कनवरजन चरागाह का सवाई चक में करने का अधिकार जिलाधीशों को दे रखा था। किन्हीं कारणों से जब इसकी शिकायतें आपके पास आई होंगी, सरकार ने इस आदेश को वापिस ले लिया। मैं इसके पक्ष में हूं। मेरे क्षेत्र में छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं लोगों के पास। तो वहां पर चरागाह के लिए जमीन नहीं है।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आपने समय समय पर नियम बनाये, कानून में तब्दीलियां की और इससे लोग इन जमीनों पर, चरागाहों पर कब्जा करके बैठ गये। इसके बाद वह जमीन रेगुलराइज हो गई और वह जमीन उनको ऐलॉट भी हो गई। अब झगड़ा यह है कि सेटलमेंट ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कम्पेक्ट लेन्ड चरागाह की नहीं है। कहीं कहीं पर एक एक बीघा, दो बीघा, डेढ़ बीघा, ऐसी जमीन है। वह लोगों के खेतों के बीच में आ गई है। इसको आपने चरागाह डिक्लेअर कर दिया। ये छोटे छोटे चरागाह किसी किसी के खेत के बीच में पड़े हुए हैं और किसी ने उन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। हर साल ऐसे लोगों पर पेनल्टी लगती है। वे लोग इस पर कब्जा छोड़ते नहीं हैं और जुर्माना अदा कर देते हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले के अन्दर जहां पर कि ऐसी जमीन दस बीघा से कम हो और जो खेतों के बीच में आ गई है, रकबों के बीच में आ गई है, उनको आप चरागाह के अन्दर नहीं रखें। इससे यह समस्या खड़ी हो रही है कि इन पर नाजायज कब्जे हैं और इन कब्जों से लोगों को परेशानी है। न तो किसी की मवेशी वहां पर चर सकती है। इससे राज्य सरकार का नुकसान भी हो रहा है और काश्तकारों को परेशानी भी हो रही है। इसलिऐ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो ऐसी स्माल होल्डिंग्स हैं उसको आप निकाल दीजिये। आशा है मंत्री महोदय इसके लिए उचित कार्यवाही करेंगे।

हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या जंगलात की आ रही है। आप पेड़ों को रिजर्व रखना चाहते हैं। मेरे इलाके के अन्दर कई जगह ऐसा हो रहा है, इसका पता नहीं है। धौलपुर के अन्दर जो बागात हैं उनको काटा जा रहा है। आप इसकी जांच कराइये। आज जलाऊ लकड़ी भी दस रुपये मन बिक रही है और इमारती लकड़ी का भाव तो आसमान को छू रहा है। हजारों बाग के बाग काट के बेचे जा रहे हैं। इस तरह आप अपनी रेवेन्यू से भी हाथ धो रहे हैं। पेड़ लगाने की बात तो दूर रही, कटाई भी ठीक से नहीं हो रही है। इसलिए इसका भी आप इन्तजाम करें और जंगलों को नष्ट होने से बचाइये।

सभापति महोदय, एक समस्या हमारे यहां और है और मैं सोचता हू कि ऐसी ही समस्या दूसरी जगह भी होगी। पहले राजाओं, महाराजाओं के जमाने में हमारे इलाके के अन्दर मन्दिरों को माफी की जमीन, जागीर की जमीन दी जाती थी। ऐसी जमीन माफी के नाम पर मन्दिरों के नाम पर रहती थी। हमारे यहां पर यह माफी की जमीन पुजारियों ने हड़प ली है और पुजारी इस जमीन का खातेदार हो गया है और खातेदार बनने के बाद वह पुजारी इस जमीन को बेच रहा है। गांव के लोग इकट्ठा होकर इसकी शिकायत करें तो कार्यवाही हो सकती है वरना एक-दो आदमी तो कार्यवाही नहीं कर पाते। वे सोचते हैं, हमारी जमीन नहीं है, मन्दिर की हैं। इसलिए कोई व्यक्तिगत तौर पर इसमें दिलचस्पी नहीं ले पाता है। इस किस्म के झगड़े हमारे यहां पर पैदा हो रहे हैं आपका कानून इस बारे में यह है के पहले कलेक्टर के यहां पर एप्लीकेशन दें, वहां पर

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

लिटीगेशन चले और उसकी अपील है बोर्ड आफ रेवेन्यू जब जाकर यह मामला समाप्त हो पाता है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आप कोई ऐसी प्रक्रिया निकालें कि इसका सीधा सेटलमेंट हो जावे। जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं है। आज पुजारी के नाम खातेदारी दर्ज हो जाने से उसको बेचने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस लिए इसका सेटलमेंट ठीक करा दिया जाय पुजारी के नाम पर खातेदारी दर्ज न हो ताकि यह जमीन बेची न जा सके। इसको रोकने के लिए सरकार क्या सरल तरीका निकालने जा रही है जिससे कि तहसील लेवल पर, एस. डी. ओ. लेविल पर ही इसका हल हो जाये और बोर्ड तक न जाना पड़े, इसके सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय, से जानकारी चाहूंगा। आशा है मन्त्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे।

आखिर में, पास बुक के वितरण के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप इसके वितरण के लिए क्या करने जा रहे हैं? आपने इसके वितरण के लिए लक्ष्य निर्धारित किये थे, परन्तु आज तक इनका वितरण नहीं हो पाया है। मेरा निवेदन है कि इस मामले पर युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जाये और सभी काश्तकारों को ये पास बुकें मिलें। परन्तु इन पास बुकों को बैंक स्वीकार नहीं करता है। वह कहता है इसकी कोई लीगल सेक्योरिटी नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार इन पास बुकों को लीगल सेक्योरिटी दे परन्तु शर्त यह हो कि जब गिरदावरी हो, हर साल, उस वक्त काश्तकारों को अपनी पास बुकें पेश करनी होंगी, पटवारी के आगे और रिन्युअल कराना होगा। साल भर के दौरान अगर कोई जमीन का बेचान करेगा तो उसकी एन्ट्री होगी पास बुक में। मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप कार्यवाही करेंगे और जल्दी से जल्दी इन पास बुकों को वितरण कराने की कार्यवाही की जाएगी।

अन्त में, सभापति महोदय मैं आपके जरिए मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान की सबसे बड़ी और उपेक्षित गेम सेन्क्चुअरी की ओर दिलाना चाहता हूं इसका नाम है वन विहार गेम सेंक्चुअरी....

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

दो मिनिट सर....

श्री सभापति : मैं पहले ही आपको काफी समय दे चुका हूं। जल्दी समाप्त करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, वन बिहार गेम सेंक्चुअरी राजस्थान की सबसे बड़ी नेगलेक्टेड गेम सेंक्चुअरी है। यह इतनी अच्छी गेम सेंक्चुअरी हैं, लेकिन सरकार की ओर से या फॉरेस्ट विभाग की ओर से इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस उपेक्षावृत्ति के कारण यह गेम सेंक्चुअरी आज समाप्त होने जा रही हैं। यहां पर पहले टाइगर्स पाये जाते हैं किन्तु कोचिंग होने के कारण टाइगर्स भी समाप्त हो गये हैं। आज के दिन स्थिति यह हो रही है कि वहां के अधिकारी जंगल में बैठ कर पेड़ कटवा रहे हैं। एक मील बिजली की लाइन हो जावे तो इसका विकास हो सकता है। आगरा वहां से एक मील की दूरी पर है। इसकी पब्लिसिटी भी होनी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

चाहिए। चालीस, पचास हजार का खर्चा होगा, इसका डेवलपमेंट करने में। थोड़ा सा विज्ञापन देने पर काफी संख्या में टूरिस्ट यहां पर आ सकते हैं। वहां पर पुराने जमाने का हिज हाईनेस का एक पैलेस भी, उसमें भी बिजली की व्यवस्था आप करें परन्तु इस तरफ ध्यान नहीं देने के कारण यह समाप्त हो रही है। आशा है आप इस ओर ध्यान देंगे। मेरा यह निवेदन है कि आप किसी बहादुर आदमी को वहां पर लगा दीजिये यह किसी बहादुर आदमी का ही काम है वर्ना ऐसे ऑफिसर बैठे रहते हैं धौलपुर में और गेम सेंक्चुअरी सम्भालेगा कौन जबकि ऑफिसर नहीं रहेगा। अब वहां पर लकड़ी कटवाना शुरू कर दिया है। धौलपुर में स्थिति यह है कि जो अपने सिर पर लकड़ी का लोड लाते हैं उनको तो पकड़ते हैं और उधर लकड़ी के ट्रक के ट्रक पास करवाते हैं। जो बेचारा अपने बच्चों को पालने के लिए 3-4 रुपये की लकड़ी सिर पर लाद कर लाता है उसको रोकते हैं और ट्रक के लोड गायब करते हैं। उस दिशा में कार्यवाही करते हैं।

मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस बात पर झगड़ा पड़ा हुआ है कि जंगलात की जमीन कौन सी है। फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि यह जमीन हमारी है और रेवेन्यू वाले कहते हैं कि यह जमीन हमारी है। जमीनों का डिमार्केशन रेकार्ड में नहीं है। आपको मंत्री महोदय, मैं इस महकमे में बड़ा एक योग्य, अनुभवी और काबिल मंत्री मानता हूं। आपके रहते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ज्यादतियां हैं इनको सुधारने की जरूर कृपा करें। इनकी बहुत शिकायतें दिन प्रति दिन आती जा रही हैं। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं थी।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

कोटा में खर्च कर रहे हैं और हजारों बीघा जमीन चम्बल के खादरों के रिक्लेमेशन की आपकी योजना थी। अभी आप उसको लेना चाहेंगे या भविष्य में लेना चाहेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि जो चम्बल रेवीन्स की जमीन आपने लोगों को इस आधार पर एलॉट की थी कि उसको अच्छा करेंगे और उस पर खेती करेंगे। जिन लोगों को 150 और 200 बीघा जमीन चम्बल रेवीन्स की आपने दी है वह सीलिंग की परिधि में आयेगी क्या ? सीलिंग लॉ पास होने के बाद जमीन का जो एलॉटमेंट हुआ है उसके बारे में कृपया जानकारी देने की कृपा करेंगे तो बहुत आभारी हूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता...

श्री दीपंकर : सभापतिजी, समय तो ....

श्री सभापति : इनके बाद।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सभापति महोदय, मैं वन विभाग के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। माननीय प्रद्युम्नसिंहजी ने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं, और उनमें से दो पर मैं भी कहना चाहूंगा। एक तो यह

Page No 142

(142)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

है कि सीलिंग के बारे में राज्य सरकार अपनी नीति निर्धारित करे, निश्चित करे। सीलिंग का पहले वाला कानून भी बना हुआ है और नया सीलिंग कानून भी बना हुआ है। किससे गवर्न होंगे नये से या पुराने से ? पुराने के भी केसेज चल रहे हैं और नये के भी केसेज चल रहे हैं। यह अवैधानिक स्थिति राज्य में पैदा कर दी है आपने। इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि स्थिति को स्पष्ट करें कि गवर्न किससे होना चाहते है।

आज पटवारियों को बड़ी हुकुमत सौंप दी गई है। इनमें शक्ति बहुत ही आ गई है और आज पटवारी एक गांव का राजा बना हुआ है। जब चाहा जिसका नाम चाहा खाते में डाल दिया और नहीं डालने के लिए रिश्वत और भ्रष्टाचार का रास्ता खुलता है। मैं समझता हूं कि आज वहां के आम ग्रामवासी जो आराम से सोये हुए थे उनके अन्दर अशान्ति पैदा करने का एक नया अधिकार पटवारी को लेकर दिया है। मैं चाहूंगा कि आप इसको ठीक कर दें।

तीसरी बात जो जंगलों के विकास की बात मूलभूत कही गई है। जंगलों का विकास हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति का उत्थान करने के लिए किया जाय। उत्थान महत्वपूर्ण है। जब इस विभाग को देखते हैं तो 20 वर्ष पहले जो विभाग का दृश्य आता था, और आज सारे उदयपुर के जंगलों को बेरहमी के साथ काटकर प्लेन कर दिया है। जिन पहाड़ों के पास हम पहुंच नहीं सकते थे, कोई व्यक्ति जा नहीं सकता था आज वे सारे के सारे ऐसे नंगे हैं कि जिनका पता नहीं चलता है। आज उनके कारण अकाल का सामना करना पड़ रहा है। जंगल साफ हो गये तो वर्षा पूरी नहीं होती है। और उसके साथ साथ कई दुर्गम परिणाम इन जंगलों के अन्दर आप लोगों ने कर दिये हैं। एक तरफ तो आप जंगल लगाने की तरफ पैसा खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जंगलों को काट रहे हैं। दोनों कार्य आपके साथ साथ चल रहे हैं। वह नहीं चलने चाहिये। जंगलों की सुरक्षा करना चाहिए और सुरक्षा रख कर आप उनको बढ़ायें।

दूसरे जंगलों के अन्दर जो जमीनें हैं खेती की वह किसानों को दी जानी चाहिए। एक तरफ तो अकाल हैं, भुखमरी है और दूसरी तरफ ऐसी भूमियां है जिनमें खेती हो सकती हैं। उनके बारे में ऐसी अव्यवस्था है कि उन भूमियों के बारे में जिलाधीश महोदय आपके पास लिख कर भेज चुके हैं और कहीं पर उन जमीनों पर काश्त के लिए अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया है लेकिन आज तक निर्णय नहीं होता है। वह लिखा पढ़ी 10-15 वर्ष से हो रही है। मैं बांसवाड़े (उदयपुर) के जंगलों का उदाहरण दूंगा कि जिलाधीश महोदय ने कई बार लिखा है कि फॉरेस्ट में ऐसी जमीनें पड़ी हुई हैं जो खेती के योग्य हैं और किसानों को दी जा सकती हैं, वनवासियों को दी जा सकती हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दी जा सकती हैं, लेकिन अव्यवस्था के कारण जमीनें पड़ी हुई हैं फॉरेस्ट में या अनधिकृत लोग उन पर कब्जा करके बैठ गये हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि सारे राजस्थान भर के लिए ऐसी एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करायेंगे कि जो

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

लैण्ड ग्रेबिंग हो रही है, अनधिकृत रूप से जो जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं प्रभावी लोग उसके बारे में जांच हो जाय और जो इस तरह से बैठे हुए हैं उनको हटाया जाय। इस प्रकार की सारी जानकारी आप कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका अच्छा उदाहरण हमारे सामने उपस्थित होगा।

एक घटना का जिक्र करते हुए मैं अपने विचारों को समाप्त करूंगा। मैं कई वर्षों से एक प्रश्न सदन के सामने रखता हुआ आ रहा हूं। राजस्व विभाग पहले दूसरे मन्त्री महोदय के पास था। पहले शायद आपके पास नहीं था। अलवर जिले में किसनगढ़ वास के अन्दर सन् 58 में जब नासर आये थे तो राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेज बनवाया था, और जब यह स्टेज बनाया था तो उसकी जमीन का पंचायत ने मास्टर प्लान बना लिया था। दो बिस्वा जमीन पर राज्य सरकार ने 7–8 हजार रुपया खर्च किया और फिर उस भूमि पर इतना खर्च करने के बाद फिर वहां के पद्मश्री, पंचायत के प्रधान, जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने उस पर नाजायज कब्जा 5–8–73 को कर लिया। उस कब्जा करने पर मुझे आश्चर्य तो यह लगता है वहां के सरपंच ने यहां के चीफ मिनिस्टर को टेलीग्राम भेजा है जिसमें लिखा है-

"Land and stage worth fifty thousand donated in honour of President Col. Nasser Public Property being grabbed Padmashri Suryadev Pradhan Panchayat Samiti Kishangarh matter still pending in Rajasthan Assembly. C.B.I. investigation requested.

यह टेलीग्राम भेजा था उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था उसके उत्तर में राज्य सरकार ने यह जवाब मुझे दिया है कि जिस व्यक्ति ने इस पर कब्जा किया है उस व्यक्ति ने गलत तरीके से अपने को लैण्डलैस बताकर और राज्य सरकार से जमीन अवाप्त की है। यह मेरा प्रश्न था 29-3-73 का इसी विधान सभा के अन्दर। मेरा प्रश्न था कि क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों ने राज्य सरकार से भूमि प्राप्त करने हेतु भूमिहीन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है? उसका राज्य सरकार ने उत्तर दिया है "जी हां। सर्व श्री सूर्यदेव सिंह, सहदेवसिंह एवं वासदेव सिंह पुत्रगण श्री बलवन्त सिंह जागीरदार, ग्राम दिलावरपुरा, जिला झुंझुनू के पास जागीर ग्रामों में कोई खुदकाश्त की भूमि नहीं थी। अत: उपरोक्त व्यक्तियों ने अपने को गलत रूप से भूमिहीन दर्शाते हुए खुदकाश्त भूमि प्राप्ति हेतु आवेदन किया था। इन व्यक्तियों के नाम उनके जागीर ग्रामों में खुदकाश्त भूमि नहीं होना प्रमाणित होने पर उन्हें भूमि आवंटित कर दी गई है" ... मुझे आश्चर्य है कि राज्य सरकार यह स्वीकार करती है कि गलत तरीके से यह बताकर जमीन ली है और फिर क्यों न उन पर कार्यवाही करते हैं? मुझे आश्चर्य होता है कि इस विधान सभा के इस पटल पर सन् 1970 में राज्य सरकार ने यह उत्तर दिया है। यह स्टेज वैसे का वैसा बना हुआ है, कुछ तोड़ा हुआ भी नहीं है। लेकिन आज इसके सारे के मिलने के बाद जो एग्रीकल्चर लैण्ड थी, कृषि की जमीन

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

थी उसका कन्वर्शन कैसे किया गया ? आबादी में उसको कैसे बदल दिया ? आपने कैसे मकान बनने दिया ? यह सारी जानकारी होने के बाद भी आज मकान कैसे खड़ा हो गया ? कन्वर्शन के कलेक्टर को क्या पावर्स हैं और कलेक्टर अपने अधिकार के अन्तर्गत किस ढंग से कर सकता है, कितनी भूमि को कर सकता है, कितना पैसा लेकर कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि जो जमीन का कन्वर्शन किया गया है और जिसकी रजिस्ट्री करवाई है उस रजिस्ट्री की एक ट्रू कापी मेरे पास में है जिसमें यह लिखा है—

"राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 व राजस्थान लैंड रेवेन्यू (कन्वर्शन आफ एग्रीकल्चरल लैण्ड फार रेजीडेन्शल आफ कार्माशियल परपचेज इन रूरल एरियाज) रूल्स, 1971 के नियम 11 के अधीन उन्होंने उसको 2400 वर्ग गज जमीन का कन्वर्शन किया है और कीमत शायद चार गुनी या तीन गुनी ऐसी कुछ ली है तो मेरा यह कहना है कि क्या कलेक्टर को इस प्रकार का अधिकार था कि इस तरह से उनको भूमि कन्वर्शन करके दे सकता था ?

यदि नहीं तो यह जिलाधीश महोदय ने उसको मंजूरी दे दी। वहां के सरपंच ने राज्य सरकार के पास आपत्तियां भेजी। तो राज्य सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया ? मैं राजस्व मंत्री से चाहूंगा कि वह जांच करायें और सरकारी जमीन से उस व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार हटायें।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, जो भी मांगे प्रस्तुत हैं, उनसे रेवेन्यू के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी से लेकर पटवारी तक सम्बन्धित हैं। पटवारी ही वह व्यक्ति है जो सही माने में रेवेन्यू की वसूली करवाता है। और, पटवारी जो खाते लिखता है, उसके लिए मैं यह कहूंगा कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, भारत की जनसंख्या गांवों में अधिक बसती है। बरसात करना तो ईश्वर के हाथ में है और जमीन बनाये रखना पटवारी के हाथ में है। हमारे यहां एक कहावत है, ऊपर कर्तार और नीचे पटवार। अगर पटवारी ने लिख दिया तो अपील में कहीं भी चले जावो, कहीं भी अपीलेण्ट अथारिटी में चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। वह इसी हिसाब से बनाकर रखता है। इसलिए जो जो पटवारी है, उनके विचारों को जनतन्त्र की प्रणाली से आप चलाते हैं तो वह पटवारी गांवों और झोपड़ियों से लेकर खेतों तक जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार की गतिविधियां जितनी अच्छी तरह से वह समझा सकता है, उनके विचार जितने पटवारी बना सकता है उतने कोई आपके अधिकारी नहीं बना सकता है। आपको इन्फार्मेशन सेण्टर फिजूल हैं। पटवारी ही सही माने में गिरदावरी करेगा। वही नामांकन करेगा। नामांकन करने में रिश्वत नहीं लेगा। और सही माने में जो भूमि है, उसके अधिकार में बनी रखेगा। अगर वह सही माने में जनता के साथ में सहयोग करता है तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं और सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि आप अगर पटवारी को प्रजातांत्रिक प्रणाली में ढाल दें पंचायत का सैक्रेटरी भी पट-

(श्री दीपंकर)

वारी को बना दें। जब यह सवाल आया था तो यह कहा गया था कि वह चोर है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वह चोर है लेकिन ऐसे ही आदमी काम करते हैं। गांवों में किसानों का जो काम पड़ता है, वह दो से ही पड़ता है। एक तो पुलिस है और दूसरा पटवारी। अगर पंचायत का काम भी पटवारी के साथ जुड़ जायेगा तो वह और भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पटवारी का जो प्रशिक्षण है, वह सही ढंग से करके उनको पंचायत का सैक्रेटरी भी बना दें। और इसके साथ साथ एक छूट और दे दें कि कम से कम उनको इधर उधर आने जाने का भत्ता भी दें। अभी पंचायतों के पास अधूरे कागज हैं। वहां पटवारियों के पास हजारों अधूरे पत्र पड़े हैं। नामांकन नहीं होता है। यह इसीलिए झगड़ा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पटवारियों को सैक्रेटरी बनाकर ज्यादा से ज्यादा पावर देना चाहिए। उस पर भी बालबच्चों और घर का उत्तरदायित्व है। इसलिए पटवारियों को खासतौर से आप नयी व्यवस्था में ढाल देंगे। तो उसके जरिये से होने वाले जो काम हैं, क्योंकि पटवारी ही सभी प्रकार के काम करता है। तहसीलदार लकड़ी मंगवाता है, घी मंगवाता है। और उसके जरिये से कई एजेण्ट के कार्य भी करवाता है। जो कुछ भी करवाना है तो वह पटवारी के जरिये से करवाता है। कोई गड़बड़ी करवाता है तो उसके जरिये से करवाता है। एक तरफ से पटवारी टॉप टू बोटम बना हुआ है। राजस्व जो बदनाम है, इस प्रकार से उसे बचाया जा सकता है। गिरदावरी का सवाल है। कहा तो यह जाता है कि वह सामने करता है, लिखा जाता है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि यह गांवों में लिखा जाता है। खेतों में जाकर नहीं लिखा जाता है। कितने में कौनसी फसल है, जो है, चना है, मोठ है, बाजरा है। खेत पर जाकर नहीं लिखेंगे तो गलत गिरदावरी हो जायेगी। आपके ऊपर से आंकड़े गलत हो जायेंगे। और आंकड़े गलत होने से लेवी लेने में गलती होगी। आपके आंकड़े गलत होंगे। जब तक पंच या सरपंच के साथ में मौके पर नहीं जायें तब तक वह गिरदावरी नहीं होती है। इस प्रकार से गिरदावरी सही होनी चाहिए। नामांकन के लिए अपीलें जिलाधीशों के यहां पड़ी हैं। अपीलाण्ट अॅथोरिटी के यहां पर हजारों पड़ी हैं। मेरा निवेदन है एक महीने, 15 दिन जो भी माने हों, एक महीना मानें या जो सीमा बनायें जिससे कि उनका निपटारा हो सके। किसकी जमीन किसके नाम है। जमीन किसके नाम है और काश्त कोई कर रहा है। नामांकन किसी के नाम है। इसीलिए झगड़े हो रहे हैं। इसलिए यह जो अतिक्रमण की 91 सेक्शन है, यह मखौल है। आपने तो यह कहा था कि इसके जरिये से डिस्पोजेशन करेंगे लेकिन होता यह है कि एक आदमी आज इतना समझ गया कि 91 को नोटिस आया। छोटा मोटा जुर्माना करवाया और निकलवाया। नोटिस निकला तो फसल को नीलाम करने के लिए और वह रात को फसल काटकर ले जाता है। इस प्रकार से दो तीन साल तक अतिक्रमण करते हुये वह खातेदार बन जाता है। इसके लिए एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा मेरा एक निवेदन यह है कि जो तालाब हैं। तालाबों के जो पायबन्द हैं। उनमें गायें चरती हैं। अब तो लोगों ने गायें छोड़ दी हैं। जो बची हैं, वही चरती हैं।

(श्री दीपंकर)

मेरा निवेदन है कि तालाबों के पायबन्दी की जो भूमि है, उसके लिए आप कोई योजना बनायें। वहां लोग खेती करते हैं। इसी प्रकार से हमारे लाडनूं में एक गांव है, मंगलपुरा वहां के बारे में सरकार की भी बदनामी हुई है। उसका कारण यह है कि वहां सेक्शन 91 काम में नहीं लाई गई। साढ़े 9 बीघा का एक आदमी को पट्टा दे दिया गया। यह वह आदमी जानते हैं। अगर इसी प्रकार से उसे निकालते जायें फिर 6 साल से जिसे कब्जा कर रखा है, उसको आप खातेदारी के राइट दे दें। इस तरह से तालाब के पायबन्द को आप दे देंगे तो जो पशुओं की संख्या है, वह कहां चरेंगे इनके बारे में बड़ा गम्भीर प्रश्न खड़ा हो जायेगा। उस समय आप इसके सिवाय कुछ नहीं कह सकते, आपका खरीदा हुआ पशु है, चाहे घर में रखो, चाहे खेत में रखो, हमारे पास जमीन नहीं है। यह परम्परागत व्यवस्था है, समाज में एक सामूहिक व्यवस्था रख दी गई थी, गांव के अन्दर सामूहिक जमीन चरागाह मानी गई थी। आपने सामुदायिक विकास की बात कर रखी थी तो यह लाजिमी बात है कि आपको चरागाह की व्यवस्था करनी चाहिये। आज चरागाह समाप्त हो रहे हैं, इससे मुश्किल हो जायगी, पशुओं को चराने के लिए कोई स्थान नहीं रह जायगा।

नागौर जिले में 1958 में सैटलमेंट हुआ था, उसके बाद में आबादी बढ़ी है, फेमिली इधर से उधर हुई हैं। घरों में बच्चे पैदा हुए, वह बड़े हुए उनकी शादी हुई, और मां-बाप से जमीन के टुकड़े लेकर खेती करने लगे, आज झगड़ा यह है कि उसको एक खेत माना जाय, दो माने जायं या चार माने जायं, क्या किया जाय? इस कारण बहुत बड़े झगड़े अदालतों में चल रहे हैं। वह तभी निपट सकते हैं, तभी उनको आप निपटा सकते हैं जबकि आप सेटलमेंट करवायें। नागौर जिले में 1958 के बाद सेटलमेंट नहीं हुआ है। इसलिए सेटलमेंट करवाया जाना चाहिये।

पास बुक के बारे में यहां पर चर्चा चली। मैं इसका पिष्ट-पेषण नहीं करना चाहता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कई तहसीलों में, जिला मुख्यालय पर पास-बुक के बण्डल मैंने पड़े देखे हैं। मैंने पूछा अधिकारियों से कि यह बण्डल कैसे पड़े हैं? उन्होंने कहा कि यह पास-बुक तैयार करनी पड़ेगी जो काश्तकार को पास-बुक देंगे, उसमें खेत का छोटा सा नक्शा बनाकर लगाना पड़ेगा, उसका नाम, गांव आदि उस पास-बुक में लिखना पड़ेगा। यह काम करने के लिए स्टॉफ नहीं है। सरकार ने घोषणा की थी, वह ठीक की थी। लेकिन जो पास-बुक देनी हैं, वह छपी हुई पड़ी है, बण्डल उनके पड़े हुए हैं, अब उन बण्डलों में से पास-बुक निकाल कर, तैयार करके काश्तकारों को देने का सवाल है। इसकी व्यवस्था करें और स्टॉफ लगायें, या और तरीके से करें ताकि पास-बुक बराबर मिले। यह व्यवस्था करने की आप महरबानी करें

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं समाप्त कर रहा हूं।

हरिजनों को भूमि दी गई है, उसके सिलसिले में जहां तक कलेक्टर से स्टे आता है वह देखा है, रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी से स्टे आता है, वह हमने देखा है। लेकिन,

(श्री दीपंकर)

सभापति महोदय, राजस्व विभाग का मंत्रालय है, उसने स्टे आर्डर दिया है। मेरी तहसील में तीन चार साल पहले अलॉट की हुई भूमि है, उस पर स्टे आर्डर का फैसला आज तक नहीं किया गया है। हरिजन लोग उस स्टे को लेकर बैठ गये, राज्य ने मना कर दिया है। उनके और समझ में नहीं आता है, जयपुर का कागज है, तो उस हुक्म को वह आखिर समझते हैं। आपके यहां कई मिसलें पड़ी हैं, हरिजनों को एलॉटमेंट कमेटी ने जमीन अलॉट कर दी, लेकिन उनको कब्जा नहीं मिला, उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया. चाहे कलेक्टर ने स्टे आर्डर दिया हो, चाहे रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी ने स्टे आर्डर दिया हो, चाहे राजस्व विभाग ने स्टे आर्डर दिया हो। किसी को जमीन एलॉट की है, गुजारे के लिए जमीन दी है, कितनी ही तादाद में दी है, तो उसका कब्जा भी दिलायें ताकि वह लोग उस पर आबाद हों और उपज बढ़ायें, कुछ करें। मेरा निवेदन है कि इस बारे में व्यवस्था होनी चाहिये।

काश्तकारों की परिभाषा है. वह स्पष्ट नहीं है। जिस तरह प्रद्युम्नसिंह ने महत्व की बात कही, दो तरह के कानून चलते हैं, दो तरह की व्यवस्थायें चलती हैं, यह व्यवस्थाएं आपको कहां ले जा रही है—इसको आपको स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा और स्पष्ट करना पड़ेगा। चाहे सरकारी नौकर हो. चाहे सेठ हो, चाहे कोई हो, वही मालिक है जो काश्त पर निर्भर करता है, जो काश्त स्वयं करता है, जमीन जोते उसकी—यह स्लोगन लगा कर जब तक आप कड़ा कानून नहीं बनायें, काम नहीं चलेगा। मैं कई बड़े बड़े सेठों के फार्म बता सकता हूं. जहां पर काश्त होती है, लेकिन सरकार को उसका रेवेन्यू नहीं मिलता है। क्योंकि वह जमीन आबादी में है, किन्तु उस पर काश्त होती है। ऐसे लोग आपकी नजर से बच कर रेवेन्यू नहीं देते हैं और काश्त करते हैं। ऐसे लोगों ने बड़े बड़े खेत, इस तरह के प्लाट घेर रखे हैं, रहने के मकान बना रखे हैं और अच्छे फलों के दरख्त लगा रखे हैं। फसलों के दरख्त वह लगायें लेकिन मौसम काश्त वह करते हैं, ज्वार, बाजरा, मूंग मोठ करते हैं, कई तरह की चीजें होती है—ऐसे आदमी आपकी नजर से ओझल न रहें—यह जरूरी बात है।

जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, यह सही बात है, जिस वक्त जागीर रिजम्प्शन हुआ, राजस्थान में एक सरक्यूलर निकला था और लोगों को लालच दिया गया था कि भूमिहीनों को जमीन मिलेगी: लेकिन गंगानगर में हजारों जमींदार ऐसे हैं, जिनको दो सौ ढाई सौ बीघा जमीन यहां है और गंगानगर में दो मुरब्बा, चार मुरब्बा जमीन उनको मिल गई है। यह राज्य सरकार को तय करना चाहिये, कमेटी बिठा कर, किन्हीं विभाग के अधिकारियों से जांच करवा कर कि एक जगह पर उनको सेटल करें. या तो गंगानगर में कर दें यहां सेटल हो या यहां पर सेटल करें। यह कानून के मुताबिक है, और फिर उनको जो यहां पर जमीन हैं, उसको लेकर दूसरों को दीजिये। यह नहीं हो कि दोनों जगह वह फसल करेगा, दोनों जगह वह कर नहीं सकता है। एक आदमी दो जगह पर जमीन को काम में ले रहा है और आपके यहां जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन मिल नहीं रही है। इसलिए इसके बारे में आपको फैसला करना चाहिये।

(श्री दीपंकर)

सवाल अब रह जाता है कि कुछ ऐसी भूमि हो जिनके ऊपर स्कूल हों, औषधालय हों, पोषाहार केन्द्र हो-ऐसी जो योजना है, इनके लिए भूमि प्राप्ति के लिए आपके यहां पर निवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं, कोई अस्पताल बनाना चाहता है, लेकिन साल भर तक उसको जमीन अलॉट नहीं हो। कोई स्कूल बनाना चाहता है, लेकिन अलॉट नहीं होती है। पोषाहार कार्यक्रम भारत सरकार से आया है, जिसका सहारा लेकर महाराष्ट्र में शक्ल बदल दी है। इस क्षेत्र में जितना काम करेगा, उतना पैसा भारत सरकार देने को तैयार है, यह युनीसेफ का प्रोग्राम है। एक पंचायत में एक बाड़ी लगाई जायगी, स्कूल में बाडी लगायी जायगी लेकिन जमीन नहीं दी गई है, तहसीलदार ने जमीन एलाट नहीं की है। इस कारण गांव का बाडी से कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है। जो बीज और खाद पंचायत समिति में पड़ा है, जिससे उपज बढ़ा सकते हैं, जैसे अन्न पैदा करते है, वैसे दाल पैदा कर सकते है; दाल भी अन्न का रूप है। इसके अलावा आप हरी सब्जी खाने का शौक पैदा करना चाहते हैं। यह जो कार्यक्रम है इसके लिए जमीन नहीं है। यह कार्यक्रम अब चलाया जायगा राजस्थान में यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके लिए ठीक व्यवस्था कीजिये। इसके लिए लाजिमी बात है, सरकार भू-खण्ड आवंटन करवाये। आप स्पेशल ओर्डर दीजिये, एस. डी. ओ., तहसीलदार को कि वह मौके पर जाकर, प्रधान या सरपंच को साथ लेकर मास्टर से पूछे, कहां बाड़ी लगाना चाहते हो, सरपंच को पूछे, कहां बाड़ी लगाना चाहते हो। इसके औजार आ गये हैं और एक एक घर में दिये हैं, यह अमेरिका के बने हुए हैं, एक एक औजार अस्सी अस्सी रुपये में आता है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री दीपंकर : जिला प्रशासन में जनता तहसील के सम्पर्क में आती है। वहां जो तहसील में व्यवहार होता है, वही जिला प्रशासन के सब अधिकारियों का होता है। उन्होंने अब तक एक ही पाठ पढ़ा है। अब दूसरा पाठ पढ़ा दें तो वह दूसरी बात कहें, नहीं तो दूसरी बात कहने से उनका मतलब नहीं। चीनी के मामले में कितने ही आर्डर निकलते हैं। एक एक दिन में चार चार आर्डर निकलते हैं, एस.डी.ओ., तहसीलदार और कलेक्टर के अलग अलग आर्डर निकलते हैं। होली का मौका है, चीनी का कोटा भोले आदमियों को नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप व्यवस्था करें। यह आपने नया महकमा खोला है, जिससे आपका सम्बन्ध नहीं है। फिर भी काश्तकार बरबाद हो रहे हैं, उनको मुश्किल हो रही है, इसलिए इसकी भी व्यवस्था, जॉइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी के आधार पर सम्बन्धित मंत्री महोदय से कह कर करा सकें तो अच्छा है।

एक बात मैं जंगलात के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जंगल अगर सही स्थिति में रहेंगे तो ऋतुओं का परिवर्तन भी अच्छा होगा, इसके साथ साथ बरसात भी समय पर होगी, काफी तादाद में होगी। इसके साथ साथ मांस चाहे कुछ लोग काम में लायें नहीं, लेकिन इसमें शक नहीं है कि अधिकांश लोगों द्वारा मांस का प्रयोग हो

(श्री दीपंकर)

रहा है। उनको निरोग पशु कोई मिल सकता है खाने के लायक तो जंगल में मिल सकता है। वहां भी काफी तादाद में संरक्षण करें तो हो सकता है, अन्यथा कई नस्ल है, हिरण है, छापर की ताल में उसे बचाया नहीं गया तो कैसे बसा पायेंगे (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) काले सींग का हिरण है....

श्री सभापति : प्लीज सम अप !

श्री दीपंकर : उसकी कमी होती जा रही है। शेर कम होते जा रहे हैं। सब तरह के पशु आपके जंगलों में कम होते जा रहे हैं। इनको आप बचा सकते हैं। मोर पक्षी का यहां सवाल आया है, मैं एक मिनिट अर्ज कर दूं, एक माननीय सदस्य ने रखा, मोर का शिकार लोग मिल कर कर लेते हैं। इसे आपने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। इस सम्बन्ध में आप कार्यवाही न करें और मोर जैसे पक्षी को मार डालें तो बात ऐसी होगी कि थोड़े दिनों में खाने वाले इतने बढ़ जायेंगे कि जंगलों के जानवरों को खा जायेंगे, और मैं समझता हूं कि चौपाये में केवल कुर्सी छोड़ेंगे, बाकी छोड़ेंगे नहीं। आज खाने वालों की इतनी संख्या बढ़ गई है, पहले धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर नहीं खाते थे, लेकिन आज तो शौक हो गया है, चौपाये के नाम पर कुर्सी और मांचा बचेगा, बाकी सबको खा जायेंगे। आप चाहें कि जंगलों की रक्षा हो, जंगल निर्धारित जगह पर हो, उनका विकास हो, तो जो जंगलों की रक्षा करने वाले आदमी हों, मैं निवेदन करूं, वहां की भी वही हालत है, छापर की ताल में कोई आदमी शराब की बोतल ले जाकर दे दे, जो छः रुपये, चार रुपये में मिलती है, वह ले जाकर दे दे रक्षक को और कहे मेरे मेहमान आ रहे हैं, एक हिरन दे दो। फिर भले ही दस मार ले जाय, कौन मना करता है ये जंगल के रक्षक हैं, इनको कुछ न कुछ देकर अपना काम निकाल देते हैं। फिर तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जंगलों की कटाई हो सकती है, किसी तरह से सहकारी समितियों के मारफत कटा कर सही तरीके से इलाज करो ताकि राज्य सरकार की आय बढ़े। वहां पर पक्षियों और पशुओं के पालन पोषण की बात हो, वह भी जरूरी है अन्यथा जंगलों की सम्पदा को मिटाना चाहते हैं ठेकेदारों के मारफत और मनमाने अधिकारियों की इच्छाओं पर छोड़ रखा है तो जंगलों का भगवान ही मालिक होगा बस समाज और राज का भगवान ही मालिक होगा।

श्री सभापति : श्री भेरूंलाल।

श्री भेरूंलाल (अकलेरा) : सभापति महोदय, मेरे वन और राजस्व के बारे में कटौती प्रस्ताव हैं। मैं पहले राजस्व के बारे में निवेदन करूंगा। जिला झालावाड़ में कितनी ही कृषि योग्य भूमि वन विभाग के अधिकार में है और वन विभाग उससे कोई लाभ नहीं ले पा रहा है। कई बार इस सदन में जिक्र भी आया और आज भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ऐसी भूमि को राजस्व में लिया जाकर भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित होनी चाहिए हमारे यहां लगभग 10 हजार बीघा जमीन वन विभाग के अधिकार में ऐसी उपजाऊ भूमि है और बार बार लिखने के बाद भी कोई उसका निर्णय नहीं लिया गया।

(श्री भैरूंलाल)

अगर यह जमीन काश्तकारों को आवंटित हो जाती है तो उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। वन विभाग को ऐसी जमीन से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उधर अन्न की समस्या भी हल हो सकती है।

दूसरी बात, आज से 4-5 साल पहले भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटित हुई। तहसील के रेकार्ड में तो आवंटित हुई किंतु पटवार कागजों में आज तक इंद्राज नहीं हुए और काश्तकारों को अतिक्रमणी मान उन पर पेनल्टी जारी है। काश्तकारों का जमीन पर कब्जा है परन्तु पटवार कागजात में इन्ट्रीज नहीं होने से हरसाल पेनल्टी देनी पड़ती है। तो आवश्यक सूचना सब संबंधित पटवारियों को पहुंचनी चाहिए कि जो भूमि आवंटित हुई भूमिहीन काश्तकारों को उसका पटवार कागज में अमल कराया जाए।

दूसरी शिकायत काश्तकारों को यह है कि खातेदार के मर जाने के बाद में उसकी जमीन को शीघ्र ही उसकी संतान के नाम पर लगा देनी चाहिए लेकिन कई केसेज मेरी तहसील में ऐसे हैं जिनको 10-10 साल हो गए उनके लड़के भी मर गए, तीसरी पीढ़ी चालू हो गई लेकिन आज भी वह खाता उस खातेदार के नाम है। इससे कृषक बैंक से ऋण नहीं ले पाते हैं। कई काश्तकारों को एलॉटमेंट कमेटी से भूमि एलॉट हुई, कब्जा हुआ, कुआं खोदा, जमीन साफ हुई लेकिन सेटिलमेंट वालों ने उस भूमि को किसी की जंगलात में किसी को चरागाह में निकाल दी और अब उन काश्तकारों को बेदखल कर रहे हैं। कलेक्टर झालावाड़ ने भी अपने यहां फाइल पर ऐसा फैसला दे दिया है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अब मैं वनों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। कोटा डिवीजन में परम्परा से ही काश्तकारों को लकड़ी 3) रु० गाड़ी के हिसाब से जंगलों से लाने का अधिकार है और अभी भी जितना कोटा और बूंदी में ला रहे हैं। लेकिन जिला झालावाड़ में जो यह सुविधा दी हुई थी उसको डी.एफ.ओ. झालावाड़ ने इस साल बंद कर दिया। काश्तकारों में इससे भारी रोष पैदा हो गया है उनको लकड़ी नहीं मिल रही है, इस कारण हम लोगों का वहां जाना मुश्किल हो रहा है वे कहते हैं कि हमने किसान मानकर आपको चुनकर भेजा है कि आप काश्तकारों का अधिक सुविधायें दिलवायेंगे लेकिन यहां देखने को यह मिला कि दी हुई सुविधा को भी सरकार वापस ले रही है।

तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ में तेंदू पत्ते की पहाड़ियां हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद ठेकों को समाप्त कर दिया, राज्य सरकार के सुपुर्द हुए लेकिन अभी तक भी उन पंचायतों को चरागाह के तेंदू पत्ते का मुआवजा नहीं दिया गया है। पंचायतों की आय का केवल यही स्रोत था लेकिन इस समय वह पत्तों से होने वाली आय से वंचित हैं इसलिए जल्दी से जल्दी यह मुआवजा दिलाने की कृपा करें। जिला परिषदों की मीटिंग में जब डी. एफ. ओ. से कहा जाता है तो वह कहता है कि हमने यहां से पंचायतों की लिस्ट बनाकर भेजी है, अब राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार से बार बार

(श्री भैरूंलाल)

निवेदन किया कि पंचायतों को मुआवजा न देने से कई पंचायतों में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए इसकी शीघ्र व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह। पहले श्री मोहम्मद गफ्फार अली को बोलने दीजिए क्योंकि इनको मीटिंग में जाना है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापतिजी, मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ सुझाव देना मुनासिब समझता हूं। समय कम है और आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। इस सदन में शेडयूल्ड कास्ट्स व शेडयूल्ड ट्राइब्स की जमीन का एलॉटमेंट एक बार नहीं अनेक बार हो चुका है और सुझाव आते हैं लेकिन उस दिशा में कोई सही कदम राज्य सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता। अभी कांग्रेस का जो कैम्प हुआ नरोरा में उसमें भी यह चीज तय की गई कि जिन हरिजनों को जमीन एलॉट की गई उन पर उनका कब्जा होना चाहिए। तो यह बढ़िया नारा हम और आप दे देते हैं लेकिन उसको जिस प्रकार से लागू किया जाए उस बारे में अमल हमारी तरफ से नहीं होता है। मैं सुझाव देता हूं कि आपको इस सिलसिले में एक हाई पावर कमीशन बिठाने का निर्णय करना चाहिए। यह मैंने पहले भी निवेदन किया था। उसके काम के स्कोप में यह हो कि जितने आज तक एलॉटमेंट्स हुए हैं शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, उन सब की लिस्ट मंगायें और फिर स्पाट पर जाकर असेस करे कि दरसल उनका कब्जा कितनी जमीनों पर है। अगर नहीं है तो अध्यादेश के जरिए आप जबर्दस्ती कब्जा करायें और जो लोग नाजायज कब्जा कर बैठे हैं उनको बेदखल करें। आप आए दिन अध्यादेश लाते हैं। जहां ताकत हासिल करने की जरूरत होती है वहां तो अध्यादेश लाते हैं लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि जो जनता और आम लोगों के हक में है उस बारे में भी अध्यादेश लायें। हमने यह भी सुझाव दिया था कि आप मुकामी लेवल पर विधान सभा सदस्य, पंचों इत्यादि की कमेटी बनायें उस हाई पावर कमीशन के तहत। उनकी रिपोर्ट के आधार पर जिन मुकामी आदमियों को एलाटमेंट हुआ है उसके बाद जमीन पर क्यों नहीं कब्जा मिला और कौन कौन लोग उस पर कब्जा कर बैठे हैं। इस सिलसिले में जल्दी से जल्दी कानून बनाना चाहिए और जो लोग भूमिहीन हैं या ऐसे हैं जिनको एलॉटमेंट कर चुके हैं, उनको कब्जा मिले।

दूसरी बात, आप अनइकानॉमिक होल्डिंग्स यानी छोटी छोटी जमीन उनको देकर आप जेरबार करते हैं। आपका दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि इतनी जमीन आप दें जिससे कि कम से कम शेडयूल्ड कास्ट्स व शेडयूल्ड ट्राइब्स का आदमी अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। छोटे छोटे टुकड़े देकर आप उनको और कर्जदार बनाना चाहते हैं। आपको यह नीति बदलनी चाहिए।

तीसरी बात, आपका जो सीलिंग कानून है वह बहुत ही डिफेक्टिव है, ऐबों से भरा हुआ है। किसी भी सीलिंग कानून को उठाकर देखें, उसमें थोड़ीसी बू आती है कि जो मंत्री उस समय सीलिंग कानून का

Page No 152

(152)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

था वह इस फिक्र में था कि मेरी जमीन बच जाए। उन्होंने कानून को इस तरह से बनाया कि उनको फायदा हो जाए लेकिन उससे बड़े जागीरदार तबके और रूलर्स को उसको फायदा हो रहा है।

तो मैं यह चाहूंगा कि आप इस पर पुन: विचार करें और सीलिंग कानून को विचार करके इसको रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू करें। नहीं तो आप जितनी जमीन मिलने की सोच रहे हैं उससे चौथाई जमीन भी आपके हाथ नहीं आने वाली है। नहीं तो आप आज यह कहते हैं कि ऐसा करने से यह कन्ट्रोडिक्शन पैदा हो जायगा, या यह नहीं होगा तो यह सिर्फ आप इसलिये अगर कह रहे हैं कि कुछ बड़े लोगों की जमीन बचाई जा सके तो फिर इससे आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है, अन्यथा आपको इस कानून को फिर से रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करके जो जमीन हाथ आवे उसे जल्दी से जल्दी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में और भूमिहीन किसानों में बांटा जावे। और उसका सही ढंग से काश्तकारों को दिया जाना चाहिये। नहीं तो आप जो कानून सीलिंग का लाये हैं उसके अनुसार आपकी कोई प्रतिष्ठा बढेगी मैं नहीं समझता। इसमें आपको कोई इज्जत नहीं मिलने वाली है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कुछ सीमित लोगों के लिये इस कानून का मखौल नहीं बनाया जावे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जितने भी ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको केन्सिल किया जावे।

सभापति महोदय, इस सदन में पहले भी जब रामचन्द्र चौधरी रेवेन्यू मिनिस्टर थे तब और उसके बाद भी राजस्थान केनाल और गंगनहर केनाल की जमीन के एलॉटमेंट में हुई गड़बड़ी के मुद्दे इस सदन में उठाये गये। मैंने श्री रामचन्द्र चौधरी से इस बारे में कहा कि आप भी उस जमीन को छोड़ दें और आपके विरोधी पार्टी वालों को भी यह कह देते हैं कि उसे जो उनके पास जमीन ज्यादा है वह भी छोड़ दें और इस झगड़े को खत्म कर दिया जाय। पर वह माने नहीं और मैं समझता हूं कि यह झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है। उन्हें जमीन का लोभ है। सभापति महोदय, इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि सन् 63 के बाद में जब से यह सीलिंग कानून बना है उसके बाद में जितने भी जमीन के ट्रांसफर्स हुए है उन्हें केन्सिल किये जावें। जितने भी राजा-महाराजा जितने भी बड़े बड़े जागीरदार हैं, जितने भी बड़े बड़े फार्मों के मालिक हैं जिनकी जमीन सीलिंग में आती थी और उन्होंने जमीन के ट्रान्सफर्स किये हैं उनको केन्सिल किया जावे। उनको खत्म किये जाने चाहिये। अगर आप सही मायने में वैलफेअर स्टेट कायम करना चाहते हैं तो आपको इन एक्स रूलर्स की जमीनें जो बड़े बड़े प्लाट्स हैं बड़ी जमीनें हैं, जिनको कि इन्होंने इल्लीगली ट्रान्सफर किये हैं उनको सीलिंग कानून को दुवारा रिट्रॉसपेक्टिव इफेक्ट से लागू करके इस तरह से कानून को चेंज करें कि यह सभी जमीनें राज्य सरकार के पास आ जावे और फिर उन जमीनों को राज्य सरकार को चाहिये कि भूमिहीन लोगों में बांट दें।

श्री नत्थासिंह : सभापति महोदय, पांच बज रहे हैं इसलिए सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय 8 बजे तक के लिये बढ़ाया जाय।

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

श्री केदारनाथ : आज तो बड़ी ज्ञान की बात कही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो सभापति महोदय, इस बारे में राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिये।

सभापति महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य श्री केदारनाथजी ने कहा कि जो रेवेन्यू लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू करना चाहिये। जो दास कमीशन ने अपनी सिफारिशें की हैं उन्हें लागू करना चाहिये। यह जो रेवेन्यू केसेज हैं वह ज्यूडिशियल कोर्ट्स में चले जाने चाहिये और जो रेन्वेयू अपीलेट आॅथोरिटी वगैरह से वह काम ले लेने चाहिये। नहीं तो होता क्या है कि रेवेन्यू कोर्ट्स तो एक बजे तक ही खुले रहते हैं बाकी ज्यूडिशयरी के जितने भी कोर्ट्स हैं वह कम से कम पांच बजे तक खुले रहते हैं। और दिन भर केसेज की सुनवायी होती हैं, लेकिन इसके दूसरी तरफ यह आपके ए. डी. एम. और रेवेन्यू अपीलेंट आॅथोरिटी के आफिस एक बजे बाद बन्द कर देते हैं जिससे कि वह केसेज वर्षों तक चलते रहते हैं। सभापति महोदय, जब कि हाईकोर्ट तक पूरे समय तक खुले रहते हैं लेकिन यह आपके रेवेन्यू कोर्ट्स हैं रेवेन्यू अधिकारियों के पास और दूसरे काम होने की वजह से वह लोग इसमें ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को चाहिये कि यह जितने भी रेवेन्यू केसेज हैं उन्हें ज्यूडिशियली में ट्रान्सफर कर देने चाहिये ताकि उनका निपटारा हो सके। इसके अलावा आपके जितने भी रेवेन्यू कोर्ट्स के अधिकारी हैं वहां पर करप्शन बहुत ही ज्यादा है। और आप इन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आप कुछ कर भी तो नहीं सकते। न तो यह पता पड़ सकता है कि किसने कितना भ्रष्टाचार किया इसलिए मेरी गुजरिश है कि आम जनता की राहत के लिये रेवेन्यू कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं वह इनपर लागू होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट और अर्ज किये चाहता हूं।

तो एक तो मेरा सुझाव है रेवेन्यू केसेज को ज्युडिशियली में दिया जाना चाहिये। नहीं तो मैं मेरा ही आपको तजुरबा देना चाहता हूं कि एक केस में एडवोकेट था जब मैं कलेक्टरेट में ए. डी. एम. साहब के आफिस में पेशी पर गया तो वहां पर वह हाजिर नहीं थे जब मैंने उनके चपरासी को पूछा तो उसने बताया कि साहब एक बजे गया है इसलिए समय समाप्त हो गया है। तो मैं मेरा इन्डिविजुअल मामला ही नहीं लेता कि वह केस क्यों खारिज हो गया बाद में लेकिन यह आम लोगों के साथ दिक्कतें पेश आती हैं इसलिए इसका कोई न कोई हल तो निकलना चाहिये इससे ज्यादा अच्छा हल क्या हो सकता है कि रेवेन्यू लॉ कमीशन की रिपोर्ट लागू किया जाना चाहिए। अब थोड़ा मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में अर्ज किये चाहता हूं। सभापति महोदय, आज हमारे यहां पर जयपुर से आमेर तक दोनों ओर बड़े दरख्त खड़े थे। आज उन्हें काट डाला गया है। सारा जंगल काटकर मैदान कर

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

दिया गया है। मैंने मन्त्री महोदय से इस बारे में लिखा पढ़ी की, और उनसे मिला भी था। किस तरह से आपके सरकारी अधिकारी लोगों ने साज-बाज से यह जंगल काट दिये गये हैं और इन जंगलों को काट कर लोगों ने व्यापार किया। एक तरफ आप जंगलों की रक्षा की बात करते हैं दूसरी तरफ आज इस तरह से बेतहाशा जंगलों को काटा जा रहा है। इस ओर मन्त्री महोदय से मैं गुजारिश किये चाहता हूं कि वह इस ओर कार्यवाही करे और इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स करके दोषी अधिकारियों को सजा दिलावे। आज हमारे यहां के लाखों रुपए के जंगलों को काट दिया गया। और वहां पर सफाचट मैदान कर दिया है। आज राजस्थान में हमारे यहां पर जयपुर में पहले जो बारिश होती थी। वह अब कम होती है उसका कारण है जंगलों को काटा जाना। इसलिये इन लोगों को सजा दी जानी चाहिये जिन लोगों की साजिश से यह हुआ है। इसके अलावा थोड़ा मैं तेन्दू पत्ते के व्यापार के बारे में गुजारिश किये चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे यहां पर तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके करने से राज्य सरकार को लाभ पहुंचा। हमने पहले भी कहा था कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा राज्य सरकार को भी लाभ मिलेगा। और इसमें राज्य सरकार को कामयाबी मिली जिसके लिये मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं। और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस काम को बड़ी सफलता से किया। लेकिन इसके अन्दर मेरे दो सुझाव और थे। एक तो यह कि आपको फॉरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीज कायम करनी चाहिए। जैसे पलंग बनाना है, और जो लकड़ी के बुरादा वगैरहा होता है उसको काम में लिया जाय। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें।

तीसरी चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि कुछ दिनों पहले एडजोर्नमेंट मोशन भी आया था उस सम्बन्ध में। कुछ बाहर के लोग आये थे तो तिलोर, एक जानवर होता है, जिसको रूस वाले पीजेन्ट कहते हैं, उनके पैरों में चिट्ठी बांध देते हैं "डू नोट किल मी" यह लिख कर और उसको कोई भी नहीं मारता। लेकिन यहां पर 400। 500 तिलोर मारे गये। लेकिन कोई पाबन्दी नहीं की। इस प्रश्न को उठाया था, जैनियों का धर्म है इसलिये उठाया हो लेकिन मैं इस नजरिये से नहीं कह रहा हूं। मेरा नजरिया यह है कि ये जानवर खत्म हो रहे हैं, लाइसेन्स मांगने के देकर खुश होने के लिए जाते हैं वे लोग बन्दूक लेकर, लेकिन यह नहीं देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन जानवरों को खत्म कर रहे हैं। आप जंगलों में जानवरों की फीगर देते हो, इतने रीछ हैं, बटेर हैं, ये सारे फीगर्स आपके फाल्स हैं। आपके लोग वहां पर रहते हैं उन्होंने सब जानवरों को खत्म करवा दिया। मैं यह नहीं कहता कि इस तरह के जानवर पालें जो खेतों को खराब करते हों, लेकिन जानवरों की जो रेस है उसको इस प्रकार से खत्म नहीं होने देना चाहिये। मैं जंगल देखने गया। फॉरेस्टर साहब ने कहा कि यह रीछ है। मुझे तो बन्दर नजर आ रहा है मैंने कहा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नजरिये में फर्क है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हां तो मान लीजिये, ठीक हैं। असल चीज यह है कि है या नहीं। चन्द सुझाव मैंने आपके सामने रखे आप उन पर गौर फरमावें।

जंगलात के बारे में एक केस आया। बेलेबल आफेन्स में पकड़े गये। उनको कहा कि बेलेबल है। तो कहा नहीं चार दिन बन्द रखेंगे। बेल रिफ्यूज करने के क्या कारण हैं तो कहा कि टाइम लग सकता है। आपके आफिसर्स छोटे 2 कानूनों को न जाने, प्रोटेक्शन जंगलात की न करें, जानवरों की रक्षा न हो तो फिर क्या करते हैं? इन्ही चन्द शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं। आखिर मैं मदेरना साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे जंगल में लकड़ियों की स्टिक बनती हो तो प्लेयर्स को देनी चाहिए और नहीं बनती है तो एक एक स्टिक और इनाम के बतौर दो-दो, चार-चार हजार रुपया हमारी ओर से भिजवाना चाहिये। हमारे मित्र गोपाल जी जोशी ने मिठाई खिलाई इसकी खुशी में, मैं चाहूंगा कि उनको मिठाईयां नहीं बांटी जाय, लेकिन उनको गवर्नमेंट की ओर से हैंडसम अमाउन्ट भी मिलना चाहिये इनाम के तौर पर। पंजाब की गवर्नमेंट ने पांच-पांच हजार रुपया दिया है।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह।

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव है दोनों विभागों पर मैं राजस्व के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा पहले। भूमि के प्रशासक भूमि की बात करने वाले और न्याय को तराजू की तरह से लागू करने वाले सदन के अन्दर यह बतायें कि 80 प्रतिशत जनता राजस्थान के किसान हैं उन पर पटवारी के द्वारा जो जुल्म-ज्यादती की जाती है और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो उनसे तंग होते हैं, मेरा यह विचार है कि प्रशासन को उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये, जिलाधीश हैं, एस. डी. ओज. है, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं; क्योंकि वे पटवारी लोग तो इस प्रकार की हरकतें करें और जिलाधीश सुनते रहें और किसानों की 27 वर्ष में भी कोई सुनवाई न हो तो मैं मानता हूं कि उन भ्रष्टाचार आदि में पटवारी लिप्त होते हुए भी वे दोषी नहीं हैं, क्योंकि बड़े अधिकारियों का हाथ है जो उनको इस प्रकार से संरक्षण देते हैं। यह मेरी मान्यता है।

पटवारी से किसान वास्तव में तंग है। छोटीसी चीज है गिरदावरी की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मौके पर भी जाते हैं, जिन्स में कितना खराबा है, यह देखने के लिये तो पहले पटवारी को प्रोग्राम देना चाहिये ताकि सरपंच, पंच, ग्राम पंचायतों के मौके पर जायं और गिरदावरी कराये, लेकिन यह नहीं होता है।

अधिक समय न लेकर मैं अजमेर जिले के मुद्दों पर ही निवेदन करना चाहूंगा। पांच वर्ष पहले भू-सर्वेक्षण नहीं करवाया। उस तरमीम की मान्यता न होने से बड़ा भारी असन्तोष है। पास बुकें जारी नहीं हो सकी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पांच सात साल में उस सर्वेक्षण होकर संशोधन

(श्री शंकर सिंह)

हो जायं फिर भी 91 के केसेज पुराने रेकार्ड पर ही लगाये जा रहे हैं। कबाड़ी खाने की तरह है। उसकी मान्यता न देने से पुराने रेकार्ड के अनुसार से केसेज चलायें जाते हैं। किसान जाता है तो कहते है कि रेगुलेराइज होगा, इन्द्राज होगा और कई प्रकार से हैरासमेंट किया जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा जब तक उस तरमीम को मान्यता अजमेर जिले में न मिले ऐसे 91 के अन्तर्गत केसेज को बन्द कर देना चाहिये ताकि काश्तकार हैरेस न हों।

रिसेटलमेन्ट करना जरूरी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिसेटलमेन्ट करना चाहिये। अजमेर जिला पहले केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत था। 40 पर्सेन्ट मालगुजारी ली जाती थी और 60 पर्सेन्ट माफ थी। राजस्थान में मिलने से यह माफ नहीं हो सके। इतना जरूर निवेदन करूंगा कि आज भी सेटलमेन्ट करा नहीं है, भू-संरक्षण के आधार पर "रिसेटलमेन्ट करवा रहे है, कुआ खुदवा लिया तो उस जमीन पर लगान चाही मान कर लगायेंगे या बारानी मान कर लगायेंगे ? दाखिल खारिज का जहां तक सम्बन्ध है, दो नम्बर लेने पड़ते हैं। पुराने के आधार पर एक लेता है और नए के आधार पर दूसरा लेता है। दोनों पर तस्दीक करवानी पड़ती है। जहां जहां इस प्रकार से समस्या है दो नम्बर लाने की उसको सुलझाना चाहिये।

ऋण प्राप्त करने के लिये अजमेर के काश्तकार से इसका विशेष संबंध है, क्योंकि पुराने रेकार्ड को मानते नहीं, नयी एन्ट्री है नहीं, जिलाधीश ने इतना जरूर कर रखा है कि पुरानी जमाबन्दी के अनुसार लोन मिल जाय। पुराने रेकार्ड के अनुसार जैसे 15 बीघा का खसरा है। चार भाई है, होता क्या है कि चार टुकड़े हैं, पटवारी गया, गिरदावरी की चार टुकड़े में होने से गेहूं लिख दिया चाहे तीन के गेहूं न हो। लेवी चार को देनी पड़ती है। तो मैं समझता हूं कि इससे काफी दिक्कतें हैं।

जहां तक सीलिंग का सवाल है सीलिंग राजस्थान भर में है लेकिन सीलिंग तो ऐसी वस्तु हो गई है कि हम कान्फीडेन्स में तो बात करें और छत पर करें। हम पहले तो हल्ला करते हैं कि यह कानून बनाने जा रहे हैं। इसी कारण हमारा सारा मकसद खतम हो जाता है। सीलिंग की भूमि के संबंध में हमारा यह था कि जो सीलिंग से भूमि बचेगी उसको हम अनुसूचित जाति और जन जाति को दे देंगे, लेकिन इतनी ढील देने का मतलब यह है कि उन्होंने अपना काम सारा कर लिया। किसी ने अपनी बेटी के नाम तो किसी ने अपने बेटे के नाम फालतू जमीन को कर दी। इसका मतलब यह है कि जो भूमि हमको सीलिंग के कब्जे में लानी थी उसका काम हमको आक्रमण के बतौर करना चाहिए था। तो इस संबंध में मेरा निवेदन है कि यही नहीं सभापति महोदय, बड़ों को कुछ नहीं कहा गया मगर जो छोटे किसान हैं और बरसों से अलग रह रहे हैं उसमें हिस्से भी हैं और उनके शरीर के बराबर उनके पास जमीन है और पटवारी लोग उनके ऊपर केसेज चलाते हैं। सभापति महोदय, अगर हम इस तरह से लापरवाही बरतेंगें तो न तो भूमिहीनों को दे सकेंगे और न किसान को ही लाभ दे सकेंगे। इसलिए मेरा निवे-

(श्री शंकरसिंह)

दन है कि इस प्रकार का भी अंकुश होना चाहिए। सभापति महोदय, एक किसान बारानी जमीन के ऊपर मकान बनाना चाहे तो उसके लिए प्रोसीजर बहुत लम्बा है। पहले उसको फार्म भरना पड़े, तहसीलदार उसको फारवर्ड करें, कलेक्टर से परमीशन हो और फिर राज्य सरकार को लिखना पड़े। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम इसके लिए ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि अपनी भूमि पर किसान मकान बनाना चाहता है, कुआ बनाना चाहता है और उसकी रखवाली करने के लिए कोई छोटा-सा मकान बनाना चाहता है तो इसके लिए कम से कम ऐसा प्रोसीजर हो कि उसको बारबार चक्कर नहीं काटना पड़े और उसको मकान बनाने के लिए बारानी जमीन पर इजाजत मिल जाये।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां तक चारागाह और आबादी भूमि का सवाल है, देखा यह गया है कि चारागाह की और आबादी को पत्थर गड़ाई नहीं करते हैं। राज्य सरकार के ऐसे आदेश है कि रेवेन्यू विभाग अपने स्तर पर जैसे केसेज निपटाते हैं और उनमें ग्राम पंचायतें विफल होती हैं तो एस.डी.ओ. को चाहिए कि ऐसे केसेज को निपटाये और पत्थर गढ़ाई चारागाह की और आबादी की होनी चाहिये।

इसके अलावा रेवेन्यू के सम्बन्ध में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यह देखना चाहिए कि अजमेर तहसील कार्यालय में कितने पटवारी हैं और कितने पटवार खाने हैं। आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को काफी आमदनी होती है लेकिन आप पटवारखाने नहीं बना सकते। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर आप ज्यादा बजट रखें और जितने हलके हों वहां पर पटवारखाना हो जाने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं रेवेन्यू के सम्बन्ध में इतना और निवेदन करना चाहूंगा कि नसीराबाद उप-तहसील के लिए स्वर्गीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी घोषणा की थी कि वहां पर उप-तहसील होनी चाहिए। और एडीशनल तहसीलदार का वहां पर हैडक्वार्टर होना चाहिए। माननीय मन्त्री महोदय भी स्वयं एक किसान सम्मेलन में आये थे और आपको भी मालूम है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला स्तर पर इस सम्बन्ध मे कार्यवाही हो चुकी है कि वहां उप-तहसील होनी चाहिये। उप-तहसील के लिए भवन के लिए कहा कि जनता भवन का प्रबन्ध करे और उसका किराया दे। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज ही सदन में यह घोषणा करें कि नसीराबाद में उप-तहसील की स्थापना होगी और एडीशनल तहसीलदार का वहां पर हैडक्वार्टर होगा।

मैं रेवेन्यू के अलावा, सभापति महोदय, वन विभाग की ओर जाना चाहता हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री शंकरसिंह रावत : मैं तो वैसे ही घबरा रहा हूं कि घण्टी न बज जाये। कम से कम इतना तो नहीं करें, मेरे प्रति सहानुभूति रखें।

वन विभाग का, सभापति महोदय, जहां तक सम्बन्ध है मैं आपसे और मन्त्री

(श्री शंकरसिंह रावत)

महोदय से निवेदन करूंगा कि जब वन है तो फिर विभाग की जरूरत क्या है ? यह तो वही हुआ कि ऐसा कौन दूकानदार होगा कि दूकान तो बन्द हो और मुनीम पैसे ले। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अजमेर जिले के पहाड़ों का और वनों का निरीक्षण करें। वहां पर नाग पहाड़ है जहां बांस के इतने घने जंगल थे कि कोई जा नहीं सकता था। आप सर्किट हाउस से देखेंगे तो अब आपको आदमी चलते मिलेंगे। अगर आप श्रीनगर की तरफ जायें तो वहां घाटी है और वहां पर वन काटकर खतम कर दिये। मैं किसी की शिकायत नहीं करता कि उसका ट्रान्सफर कर दो। मैं तो यह कहूंगा कि आप अपने ऑफिस का अवलोकन करें। आप वहां पर जायें और पूछें अपने डी. एफ. ओ. से कि यह पेड़ किस ने काटा। दांता पहाड़ी से एक ट्रक लेकर फारेस्ट वालों ने बेचा। आप किसको पदोन्नति देते हैं जो कि वहां से पैसा कलेक्शन करते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि आप उनको पदोन्नति दें जिन्होंने वनों की रक्षा की है। मैं किसी का ट्रान्सफर नहीं चाहता। आज राजस्थान अकाल से पीड़ित है। और दूसरी तरफ पेड़ कटवाकर आप वनों को खत्म कर रहे हैं। आपको यह देखना चाहिये और यह महसूस करना चाहिये कि यह पेड़ नहीं हैं, बल्कि यह हमारा परिवार है। एक पेड़ कटता है तो परिवार के एक आदमी का कत्ल होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वनों की कटाई इस तरह से हो जाये और किसान अपनी गाड़ी लाता है तो उससे 11 रुपये ले लेते है। रेन्जर वहां पर मनमाना करे लेकिन किसान से तो पैसा लेते हैं, लेकिन जो इसके लिए उत्तरदायी है वही वनों की कटाई करवाते हैं। मैं समझता हूं कि जो आज अकाल की छाया है वह वन विभाग की ही देन हैं। आप वन महोत्सव मनाते हैं, लेकिन ऐसे वन महोत्सव से क्या लाभ यह तो वही बात हुई कि विधवा आश्रम में परिवार नियोजन की फिल्म दिखाने से क्या लाभ। इससे तो फायदा होने वाला नहीं है। आप ऑफिसेज का निरीक्षण क्या करते हैं आप तो वनों का निरीक्षण करें। हमारे श्री निरंजननाथजी मन्त्री रहे थे और हम सुनते थे कि कई मंत्री स्कूलों में चुपचाप जाकर छापा मारते थे और आफिसेज में छापा मारते थे। आपका तो आफिस नहीं हैं, आपको तो पेड़ मिलेंगे। कम से कम आप छापा तो मारिये।

मैं समझता हूं कि इन्हीं शब्दों के साथ मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक तो नसीराबाद में उप-तहसील की स्थापना करें और दूसरे वनों की रक्षा करें और अजमेर जिले की चारों चौकियों पर बैठ जाइये। आज किसान को आप पकड़ लेते हैं तो 411 में बन्द कर देते हैं लेकिन विभाग का माल शहर में आता रहे, और आप देखते रहें। मैं समझता हूं कि इस पर अधिक ध्यान देंगे और जो भी मैंने सुझाव दिये हैं कि अजमेर में रि-सेटलमेंट करने जा रहे हैं वह जल्दी से जल्दी करवाएं। धारा 91 के केसेज बन्द कीजिए। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और सुझाव देना चाहता हूं कि भविष्य में या जहां आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा है और 91 के केसेज हैं तो इतने आदेश दें कि इस प्रकार के 5 से ज्यादा केसेज हों तो उसके लिए तहसीलदार जाये और वहीं निपटा दे।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल चौहान ।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय सभापतिजी, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, तीन चार चीजों के बारे में ही निवेदन करूंगा । राजस्व के सम्बन्ध में काफी चर्चायें हुई हैं हाऊस में, मैं सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में एक चीज निवेदन करना चाहता हूं । मेरा निर्वाचन क्षेत्र डग है और डग एक ऐसी जगह स्थित है जो बिल्कुल मध्यप्रदेश की सीमा पर है । इसका एस. डी. एम. हैडक्वार्टर है वह झालावाड़ में है । झालावाड़ में तहसील पचपहाड़, तहसील गंगधार और तहसील पिड़ावा के साथ सुनेल और पिडावा हैं इन सब गावों में इतने अधिक गांव है कि मैं समझता हूं कि जो एस. डी. एम. का हैडक्वार्टर झालावाड़ होने के कारण पूर्ण रूप से देख भी नहीं सकते । दौरा नहीं कर पाते और वहां की जनता के प्रति पूरा न्याय भी नहीं दे पाते । मैं माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा बहुत अदब के साथ कि वहां की जनता की कठिनाई को देखें, समझने का प्रयास करें और वहां की जनता को खासतौर से राहत मिल सकती है तो वह एक चीज है कि एस. डी. एम. का हैडक्वार्टर झालावाड़ के बजाय भवानी–मण्डी में कायम करें जिससे जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके ।

मान्यवर, यह ऐसा एक प्रसंग है कि सौ सौ मील से चलकर के झालावाड़ जनता पहुंचे अपने मुकदमों के लिए और दूसरा रेवेन्यू के लोग जिनका कि रात दिन तह–सील से और तहसील के अलावा अन्य कार्यो से सम्बन्ध होता है वह वहां पर पहुंचे, तारीख दें बदल जाती हैं, तारीखें बदलने के कई 2 कारण होते हैं और तारीखें बदलने से बहुत परेशानी होती है । मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक गांव इस क्षेत्र के अन्दर पड़ते हैं जिससे यह केस जस्टीफाईड बना है और उपयोगी बनता है कि झालावाड़ की जगह वह हैडक्वार्टर भवानीमण्डी में हो तो बहुत उत्तम रहेगा । माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय बहुत मानवीय दृष्टिकोण के हैं और जनता के प्रति उनका रुझान है वह स्वयं चाहते हैं कि जनता को राहत मिले ।

दूसरी चीज मैं निवेदन करता हूं जंगलात के सम्बन्ध में । इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जंगल कटते चले जा रहे हैं । हम जयपुर से कोटा निकलें तो बून्दी के पास सारा जंगल साफ हो गया । इतने भयंकर रूप से जंगल को काटा गया है कि जिसका कोई मिसाल और उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । बिल्कुल पहाड़ों को नंगा कर दिया गया है । कहीं भी कोई प्लाण्टेशन या हरियाली जैसी चीज नजर नहीं आती है । एक सामान्य सिद्धान्त है कि जंगल अधिक होते हैं तो वर्षा का उससे सम्बन्ध होता है और वर्षा वहां होती है । वर्षा होती है तो वह अधिक उपजाऊ जमीन के लिए काफी अच्छी साबित होती है और जहां हमारे राजस्थान के अन्दर अकाल की छाया पड़ी हुई है, उस अकाल की छाया के समय उनके यहां यदि वर्षा अधिक हो तो अधिक अन्न पैदा हो सकता है और इसके माध्यम से हम अकाल की छाया को मिटा सकते है शनैः शनैः ।

दूसरी चीज मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, कि हर जिले के

(श्री ओंकारलाल चौहान)

अन्दर फॉरेस्ट कमेटीज बनी हुई हैं। वह फारेस्ट कमेटीज नियमित रूप से मिलती नहीं हैं। इसके कुल तीन मेम्बर हैं कमेटी के, एक जिलाधीश, जिला प्रमुख और डी. एफ. ओ., साहब। मैंने स्वयं ने झालावाड़ में जाकर कमेटी की मीटिंग्स अटेंड की है। जिलापरिषद् की ओर वहाँ कई दफा यह मसला आया है कि या तो डी. एफ. ओ., साहब और दूसरे अधिकारी मिलते नहीं हैं। अधिकतर डी. पी. ओ. नहीं मिलते इस सम्बन्ध में अब भी मीटिंगें हुई हैं शिकायतें रही हैं। जब वह मीटिंग नहीं हो पाती तो आज जमीन कोई रबड़ तो नहीं, मान्यवर, जमीन कम होती जा रही है और जमीन की भूख बढ़ती जाती है। झालावाड़ जिला ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स और इस प्रकार की अन्य पॉपुलेशन आती है, जब जमीन नहीं होगी तो अलॉटमेंट कैसे होगा ? आपने हिदायत की कि एलॉटमेंट होना चाहिए, अच्छी बात है और एलॉटमेंट हो भी रहे हैं, लेकिन जब जमीन नहीं होगी तो एलॉटमेंट किस बात का होगा ? इसलिए, मान्यवर मैं निवेदन करूंगा कि जो फॉरेस्ट कमेटी है उसको नियमित रूप से मिलना चाहिए और ऐसी जमीन जो कृषि के योग्य हो वह जंगलात से रिलीज हो और उन लोगों को जो भूमिहीन हैं, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, उन शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब और दूसरे लोगों को भी जमीन मिल सके जिससे वे ठीक प्रकार से जीवन निर्वाह कर सकें।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, तेंदू पत्ते के बारे में। तेंदू पत्ते का जो आपने राष्ट्रीयकरण किया, बहुत स्वागत है इस बात का और बहुत ही, मैं समझता हूं, आपने उचित समय पर यह राष्ट्रीयकरण किया और उसका नतीजा सामने आया है। राष्ट्रीयकरण से सरकार की काफी आमदनी बढ़ी है और साथ ही साथ उन लोगों के प्रति भी जो मजदूर लोग यह काम करते हैं उनको भी लाभ हुआ है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीयकरण की नीति हमारी घोषित नीति है, उस नीति पर चलकर राजस्थान में ऐसा काम किया है जो सराहनीय कदम है।

एक चीज और कह कर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि जो राजस्थान के अन्दर एक बहुत अहम मसला है रेवेन्यू बोर्ड की बेंच का। रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर केसेज भी काफी होते हैं। मान्यवर, मैं इस पर अधिक जोर नहीं देते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड का दायरा है वह व्यापक किया जावे, दायरा बढ़ाया जावे। उसकी सीटिंग कोटा में रखी जावे और सर्किट बेंच अलग अलग क्षेत्रीय जगहों पर हों जिससे हरएक क्षेत्र को फायदा हो सके। कोटा, बून्दी, झालावाड़ तीनों जिले उस क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां की जनता के लोगों को बड़ी आसानी से न्याय मिल सकता है और सुलभता से न्याय प्राप्त करा सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि भवानी मण्डी के प्रति माननीय मंत्री महोदय अपना रुख अच्छा अख्तियार करें। माननीय मंत्री महोदय बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण के हैं, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि वह आज अपने उत्तर के

(श्री ओंकारलाल चौहान)

समय वह आश्वासन दें जिससे वहां की जनता को लाभ मिल सके और अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

श्री सभापति : श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, जैसलमेर जिले के अन्दर वैसे तो सही मायने में कोई वन नहीं हैं लेकिन बहुत सी जगह कुछ पेड़ हैं, वृक्ष हैं, जहां जहां पर धरती नीची है और छोटी छोटी पहाड़ियों से जहां पानी इकट्ठा होकर नीचे आता है छोटा मोटा वहां पर पेड़ों के झुण्ड भी खड़े हैं। लेकिन हाल ही में वहां पर जो सैनिक लोगों की गतिविधियां हैं वहां पर उनसे खतरा बनता जा रहा है जैसा कि माननीय मंत्री जी को मालूम है वहां पर करीब एक बहुत बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज बना हुआ है छः सौ स्क्वायर मील के अंदर और वहां से करीबन छोटे मोटे 35 गांव हटाए गए हैं जिनके पुनर्वास की समस्या भी अभी तक जारी है। अभी वहां पर दूर से बहुत सारी फौजी टुकड़ियां आती हैं और नाना प्रकार के हथियार और उपकरण प्रशिक्षण के लिए वहां पर सब आते हैं और वहां पर उनके बहुत बड़े बैरक्स, सड़कें वगैरे बनी हैं, सब तरह का प्रशिक्षण होता है, एटोमिक डिवाइस के विस्फोट होते हैं, बम भी डाले जाते है और फील्ड आर्टीलरी फायरिंग होता है और वह सब लोग इसके अन्दर नहीं जाकर जोधपुर और जैसलमेर की सड़क पर जहां पर भी वे ठीक देखते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं और अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। और वे रात को मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट के वक्त वे न तो लाईट लगाते हैं और उनके पास टैंक्स हैं, हैवी वेहिकल्स होते हैं, बड़े बड़े हथियार होते हैं, और वह चलते हैं तो उनके आगे कोई झोंपड़ी आवे, चाहे टांके आवे, चाहे वृक्ष आवे उसको तोड़ते जाते हैं और चले जाते हैं। अलावा इसके उनके पास बहुत बड़ी वेहिकल्स होने से जो बड़ी 2 जंजीर उनके पास होती है और वे खेत में जहां वृक्ष देखते हैं उसके चारों तरफ जंजीर डाली, उसको लगाया वेहिकल से और खींचकर नीचे डाल लिया और उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं। यहां तक कि बहुतसी गाड़ियां ठेकेदारों की होती हैं, वे ठेका उनसे ले लेते हैं, ठेकेदारों को मिला लेते हैं और इन गाड़ियों के अन्दर डाल कर ले जाते हैं। कीरन वगैरा के वृक्ष हैं जो काट कर ले जाते हैं और रायड़े के वृक्षों के बारे में तो यह भी कहते हैं कि सिपाही अपने घरों को ले जाते हैं। इस तरह से बहुत बड़ी क्षति पहुंच रही है। रेगिस्तान के अन्दर वैसे वृक्षों की बहुत ही जरूरत है और बहुत बड़ा भू-भाग रेगिस्तानी है, उस जगह की जलवायु की तब्दीली के लिए भी उनकी मौजूदगी जरूरी है। यहां पर लाखों रुपया खर्च करके एक तरफ सरकार यह काम कर रही है दूसरी तरफ यह सैनिक लोग इस तरह से वनों को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में बहुत बार शिकायतें की सब तरह से सब लेवल पर अभी तक पूर्ण फल नहीं मिला है।

इसके अलावा खेतों में जो मूवमेंट होता है तो धोरे पाले वगैरा तोड़ देते हैं जिससे वहां की भूमि दल दल हो जाती है और

(श्री भोपाल सिंह)

धरती उड़ने लगती है और बहुत बड़ी हानि होती है। यह मसला जैसलमेर का ही नहीं शेरगढ़ तहसील की भी यही स्थिति बनी हुई है। वहां की औरतें बच्चे वगैरा खेती के काम के लिए, पशुओं के लिए बाहर नहीं निकल सकती इसलिए यह होना चाहिए कि इन लोगों को वहां पर ठहराव करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, वह अपने क्षेत्र में ही जाकर काम करें, यहां, वहां नहीं। जहां कहीं खाली जगह देखी वे काम करने लग जाते हैं, तो मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

जहां तक वन की बात है वैसे वन को मैं तो मानता हूं कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए इस क्षेत्र में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ती है। यहां तक यह कहा जाता है कि कुल क्षेत्र का करीबन 33 पर्सेंट वन होना चाहिए और इतना होने पर ही ईंधन की आवश्यकता को, लकड़ी की आवश्यकता को, औद्योगिक लकड़ी की आवश्यकता को, घास सम्बन्धी आवश्यकता को और आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में केवल 11% क्षेत्र ही ऐसा है जो वन के नीचे है इसकी वजह यह है कि भूतपूर्व रियासतों में वनों का महत्व अधिक नहीं समझा गया और दूसरा इसका कारण यह रहा है कि वैज्ञानिक तरीकों से वनों की रक्षा नहीं की गई। लेकिन अभी हाल में पिछली योजनाओं में सरकार द्वारा कुछ कदम उठायें जा रहे हैं वनों के विकास के लिए, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत, डी.पी.ए.पी. के तहत और वर्ल्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम में फॉरेस्ट रिसर्च के जरिये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बहुत आवश्यकता है। करीब-करीब 60% पश्चिमी भाग में टीबे चलते रहते हैं, इससे चरागाहों और फसल को भारी नुकसान होता है, इससे आगे चल कर गांवों का जो बहुत अच्छी पैदा करने वाला इलाका है उसको भी तकलीफ होती है इसलिए इसके स्थायीकरण के लिए उपाय किये जाने चाहिए और खासतौर से घास के चरागाहों के डेवलपमेन्ट के लिए और उसके विकास करने में कहा जाता है कि सेन्टर बीड़ लगाये तो 3-4 पर्सेन्ट बढ़ोत्तरी पैदाइश में होती है। सेन्टर ब्रीड सड़कों के चारों तरफ जो पट्टी लगायी जाती है करीब करीब एक ही पंक्ति में जाती है जिससे वहां पर रेत इकठ्ठी हो जाती है इस लिए तीन-तीन पंक्तियों में लगाना चाहिए जिससे रेत रुक जाय। इस तरह से हमारे क्षेत्र के अन्दर इसको बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके लिए कदम उठाये जाने चाहिए। इसके अलावा माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फॉरेस्ट कार्पोरेशन की स्थापना भी की जानी चाहिए, जो डेजर्ट प्रेक्टिस चल रही है मैं आशा करता हूं कि उसके लिए जल्दी ही कदम उठाये जायेंगे।

दूसरी बात जैसा कि सभी लोगों ने कहा जैसलमेर के अन्दर एक रेअर बर्ड कुछ ही संख्या में रही है, अगर उसकी सुरक्षा नहीं की गई तो वह खत्म हो जायगी और दुनिया में कहीं भी इस प्रकार की बर्ड नहीं है। इसके अलावा दूसरी जो बर्ड्स हैं, चिन्कारा, ब्लेकपाट और किलोर इनको भी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। जैसलमेर का इलाका टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत

(श्री भोपाल सिंह)

ही आकर्षक जगह है, वहां पर टूरिस्ट भी काफी संख्या में आते हैं। वहां पर डेजर्ट पार्क होने से और भी पर्यटक और कई किस्म के लोग आते हैं आकर्षित होंगे इसलिए जरूरी है कि इसके अन्दर और कई प्रकार के काम होना आवश्यक है। एक निवेदन और मैं यह करना चाहता हूं कि जैसलमेर के अन्दर एग्रीकल्चर परपज के लिये जो भूमि एलॉटमेंट की बात थी वह बन्द कर दी गई है, वह ठीक है क्योंकि वहां की जलवायु उसके प्रतिकूल है। वहां पर पशु बहुत अधिक हैं परन्तु कुछ आदमी ऐसे भी है जिनके पास पशु नहीं है और कुछ लोग खेती भी करना चाहते हैं और वहां पर राजस्थान नहर का जो कमाण्ड ऐरिया है उसके अन्दर अस्थाई रूप से खेती के लिए, या एग्रीकल्चर परपज के लिए जमीन एलाटमेंट के लिए कुछ कदम उठाये जाने चाहिए।

एक मेरा निवेदन यह है कि जैसलमेर जिले में एक छायण गांव है उसका एक बास जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा फलोदी पंचायत समिति में पड़ता है, ये दोनों एक ही गांव है। परन्तु वहां पर दो तहसीलें और दो स्कूलें चलायी जाती है जो अलग-अलग पंचायत समितियों की है और दो पंचायत के हैडक्वार्टर हैं उसका नतीजा यह है कि जैसलमेर जिले में हैडक्वार्टर तो छायण में ही है परन्तु फलोदी की छायण ग्राम पंचायत का हैडक्वार्टर बारूं में है जो बहुत दूर पड़ता है जिसकी वजह से राशन और शक्कर के लिए काफी तकलीफ पड़ती है इसलिए वह चाहते हैं उसको जैसलमेर में ही मिला दिया जाय। इसके लिए पिछले कई सालों से कार्यवाही चल रही है परन्तु अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इसके लिए कदम उठा कर जैसलमेर में ही इसको मिला दिया जायगा।

बस, देट'स आल।

श्री सभापति : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, राजस्व विभाग और किसान का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है और वह एक दूसरे के पूरक भी हैं। किसानों को सेटलमेंट के द्वारा जो जमीनों के अधिकार स्थिर किये जाते हैं राजस्व विभाग उनकी निगरानी करता है। तो सबसे पहले मैं सेटलमेंट के बारे में ही सभापति महोदय, विभाग की उन नीतियों और अधिकतर जो उस विभाग के द्वारा तरीके हैं जिस पर किसानों का सम्बन्ध है, पर उनको कार्यान्वित करने के लिए जो कमियां हैं उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। उनमें सबसे पहले जो बात कहना चाहता हूं वह आज जब हम सेटलमेंट के रेकार्ड के अन्दर देखते हैं तो और जगह का तो मेरे को अनुभव नहीं है पर भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के टाइम में

(5.35 म० प०)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सभापति पदासीन)

सेटलमेंट जो हुई थी उस समय के रेकार्ड को और आज के रेकार्ड को अगर देखा जाय तो उसमें जमीन और आसमान का अन्तर मिलेगा। उसी के साथ साथ उस रेकार्ड के अन्दर अच्छी खूबियां थीं वह आज जो पैमाइश करते हैं उसमें नहीं है। पहले

(श्री लूणाराम सारण)

जरखी से नापा जाता था और आज राइट एंगल से नापते हैं, और रकबा कर्च्चा से निकालते हैं। पुराना सेटलमेंट इतनी सही होती थी कि उसमें एक इन्च का भी फर्क नहीं होता था और आज जो सैटलमेंट का काम किया जाता है उसमें कई प्रकार की खामियां नजर आती है। पर सभापति महोदय, आज न तो लट्ठी अक्स के ऊपर गट्ठा अंकित किया जाता है और न सीमा की मोड दी जाती है, इतना गलत सैटलमेंट हुआ है कि पटवारी उस नक्शे को मर्जी आए जिसकी तरफ कर देता है और दो पड़ौसियों को लड़ा देता है और अदालत में चक्कर बाजी होती है और मुकदमें होते रहते हैं। देखने में यह गलती मामूली सी लगती है परन्तु किसानों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की जमीन का जो सैटलमेंट होता है, निश्चित तौर से मैं यह नहीं कहता कि सब जगह गलतियां होती हैं, कहीं सही भी होता होगा तो लट्ठे अक्स पर गट्ठे पर अंकित होना चाहिए जिससे गलती की गुंजाइश नहीं रहे। इसी प्रकार से, सभापति महोदय, जो आज सैटलमेंट होता है और जो मिसले बन्दोबस्त बनती है उसमें फील्ड बुक नहीं होती है और खास तौर से जिसमें आज ये सारे रेकार्ड मिसल बन्दोबस्त से हटा दिये गये हैं। आज सेटलमेंट होता है तो उदाहरण के तौर पर एक सौ बीघा चक अलग अलग तारीखों से सात आदमियों को एलॉट हुआ है। पर पुराना नम्बर 1 है—उस पर सेटिलमेंट हुआ। होना यह चाहिये था जिस प्रकार से वह एलोटमेंट है उसके अलग-अलग कब्जे के हिसाब से पैमाइश होकर अलग-अलग नम्बर पड़ कर दर्ज होने चाहिये। पर, सभापति महोदय, देखा यह गया है कि सातों किसानों का एक ही नम्बर है, न हिस्सा खोला जाता है, उसको कितना एलॉट है, यह भी अंकित नहीं होता है। सब एक ही जगह नाम दर्ज होता है। चाहे वह कहीं का रहने वाला हो, चाहे वह एक जाति का हो, चाहे वह और किसी जाति का हो, और चाहे वह एक जगह नहीं रहता हो, सबको एक साथ दर्ज कर दिया गया है। बाद में झगड़ा होता है और कोई झगड़ालू प्रकृति का आदमी हो तो वह झगड़ा मिटता नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय, को सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जिन लोगों को इस प्रकार से, वैधानिक ढंग से जमीन एलॉट हुई है एक ही चक में और सेटलमेंट हो रहा है तो अलग अलग एलॉट है तो इस प्रकार से नाप होकर नम्बर अलग अलग पड़ना चाहिये।

दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं पहल मिसल बन्दोबस्त में 7 पीढ़ी का कुर्सीनामा होता था तो अब सेटलमेंट न होने के कारण साक्षियों के तौर पर 80/80 वर्ष के व्यक्तियों को ले अदालत में जाना पड़ता है। उनको अदालत में चक्कर काटना पड़ता है और यह सही तौर से मालूम नहीं है कि उन्होंने जो तस्दीक दी है, गवाही दी है वह गलत है या सही है। इसलिए कुर्सीनामा इसका भी सेटलमेंट के साथ मिसल बन्दोबस्त में होना चाहिये। अगर ऐसा हो जाता है तो पचास फी सदी विवाद कम हो जाएंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, रास्तों के बारे में, पगडंडियों के बारे में। पहले को रास्ते, पगडंडियां निकली हुई होती

(श्री लूणाराम सारण)

है। पहले की पगडंडियों के बारे में मिसल बन्दोबस्त में स्पष्ट होता था कि एक आदमी जिस पर पैदल जाते हैं वह पगडंडी कहलायेगी। यह उसकी व्याख्या रहती थी। परन्तु अब इनकी कोई व्याख्या नहीं है। अब इन पगडंडियों की परिभाषा बदल गई है। आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसा किसान हो जिसके पास बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी न हो। जबकि पुराने जमाने में ऐसा नहीं था····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तीन मिनट ही हुए हैं। मेहरबानी करके पूरा समय दें। माननीय सदस्य जो बातें कह चुके हैं उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा····

एक माननीय सदस्य : यह राजस्व की मांग है। समय मिलना चाहिये।

श्री लूणाराम सारण : सभापति महोदय, मैं सुबह से इन्तजार कर रहा हूं। समय ही नहीं मिला है मुझे····

श्री सभापति : अब जल्दी समाप्त कीजिये।

एक माननीय सदस्य : रसगुल्ले भी खाये हैं आज समय मिलना चाहिये।

श्री लूणाराम सारण : तो सभापति महोदय, मैं पगडंडियों के बारे में निवेदन कर रहा था। इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है और स्पष्टता नहीं होने के कारण इसके मुकद्दमें चलते हैं। यह सब इसलिए है कि पगडंडियों के बारे में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। मेरा निवेदन है कि इनकी व्याख्या स्पष्ट की जानी चाहिये ताकि जो मुकद्दमें चल रहे हैं, वे समाप्त हो सकें। ये मुकद्दमें काफी लम्बे समय तक चलते हैं। रास्ते कटे हुए होते नहीं है। यह हैरानी की बात है कि किसी के खेत में रास्ता जा रहा है, वह आगे दूसरे खेत में भी जा रहा है। ऐसे एक नहीं अनेक खेत हैं और एक दूसरे के खेत में से ये रास्ते जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जितने भी रास्ते हैं उनको सावधानी से काटा जाये और अंकित कर दिया जाये। किसान के खेत में से जब रास्ता जाता है तो उसके हित को नुकसान होता है और सब को अपने खेतों का स्वार्थ होता है और वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या हो जाये तो ये विवाद समाप्त हो सकते हैं और किसानों का मुकद्दमों में जो समय बर्बाद होता है वह बच जायेगा। इसी प्रकार से पगडंडियों के बारे में विवाद है। लगते हुए तीन खेत हैं। और ये तीनों खेत तीन गांव की सीमा में आते हैं और ये तीनों गांव तीन अलग अलग पंचायतों के अन्तर्गत हैं। क को जाना है ग की कांकड़ में ख के कांकड़ में होकर और ख उसको जाने नहीं देता है। एक समस्या है। क ग के गांव जाने के लिए रवाना होता है। ख नहीं जाने देता। पंचायत में केस जाता है परन्तु पंचायत उसका फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि वह खेत उसकी सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए विवाद सुलझता नहीं है। यह सब होना स्वाभाविक है। इस प्रकार का जो विवाद है उसके हल के लिए सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिये। सारी व्यवस्था हो जावे तो इससे बहुत फायदा किसानों का होगा····

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री लूणाराम : इसी प्रकार से, सभापति महोदय, कई सार्वजनिक सम्पत्ति है

(श्री लूणाराम सारण)

भूमि है। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक काम में आती है। यह मैं नोहर तहसील जिला गंगानगर के बारे में अर्ज कर रहा हूं। जिस समय सेटलमेंट हुआ मौके पर कोई गड़-बड़ी नहीं हुई फिर कारण सेटलमेंट के बाद बीकानेर चली गई तो वहां पर बालसिंह ऑफिसर था। लोगों ने बीकानेर जाकर जोहड़ करवा लिया। सार्वजनिक जो थे सब निजी खेत करवा दिया। इस प्रकार हालत यह है कि जो सार्वजनिक सम्पत्ति भूमि है, या किसी के अधिकार में भी कोई कमी है जब सेटलमेंट होता है, अगर उसके अधिकारों का परिवर्तन कराना है तो मालिक का परिवर्तन होता है। तो ऐसे मामलों के अन्दर जो खास कर सार्वजनिक सम्पत्ति है उसके अन्दर पंचायत के सरपंच, तहसीलदार राजस्व उनके साथ मिल कर, एक कमेटी के द्वारा इसका परिवर्तन करना चाहिये ताकि कोई गड़बड़ी न हो और कोई घोटाला न हो और इस प्रकार से जो कोई नोहर तहसील में गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच हो और गड़बड़ियां करने वालों को दण्ड दिया जाना चाहिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय,

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें। समय काफी कम रह गया है। बहुत से माननीय सदस्य बोलना बाकी हैं और सात बजे मंत्री महोदय का जवाब शुरू हो जायेगा। कृपया जल्दी समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : अभी तो ग तक पहुंचे हैं।....

एक माननीय सदस्य : यह तो फार्मूला बताया है।....

श्री लूणाराम सारण : काफी समय तो आपकी घंटी ने ले लिया।.... तो मैं इस बारे में निवेदन कर रहा था। अब मैं अतिक्रमण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें इतना ही निवेदन करूंगा क्योंकि कई माननीय सदस्य इस विषय पर बोल चुके हैं। इसकी जो धारा 91 है, उसकी जो कार्यवाही होती है, वह कार्यवाही पटवारी की रिपोर्ट पर आधारित होती है। अधिकारियों द्वारा यह नहीं देखा जाता है कि किसान ने अतिक्रमण भी किया है या नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब तक मौके पर जाकर के गिरदावर या नायब तहसीलदार मौका न देख ले, इसकी जांच न कर ले, तस्दीक न कर ले कि अतिक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है उससे पहले किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार पटवारी की रिपोर्ट के ऊपर अतिक्रमण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जानी चाहिये। कार्यवाही शुरू होने के पहले मौका देखना चाहिये।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, नामान्तरण का मामला है। इस बारे में मेरा इतना ही निवेदन है कि कोई किसान ऐसा नहीं है जो नामान्तरण जल्दी तस्दीक करना नहीं चाहता हो। पर होता यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डाटे। नामान्तरण तस्दीक न होने की सूरत में पैनल्टी किसान पर लगा दी जाती है। वह साल, दो साल पटवारी के पीछे पीछे फिरता रहता है और उसके बाद उसका नामान्तरण तस्दीक होता है। इस प्रकार पेनल्टी किसान पर नहीं लगाई जानी चाहिये। उसका कोई दोष नहीं है।....

एक माननीय सदस्य : समाजवाद आ रहा है...

श्री लूणाराम सारण : इसी प्रकार से एक और निवेदन करना चाहता हूं, दस साल जिस गैर खातेदारी एलाटी जिसको भूमि पर कब्जा किए हुए हो गये उसको सरकार ने खातेदारी के अधिकार दे दिये हैं-यह ऑटोमेटिक होता है, परन्तु, सभापति महोदय, इस पर पूरा अमल नहीं होता है। व्यक्तिगत तौर पर दरख्वास्तें मांगी जाती है और इसमें लूट मचायी जाती है। मेरा निवेदन है कि एक अभियान चलाया जाये और मंत्री महोदय एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर घोषणा कर दें और इसकी समुचित सूचना मंगा लें और उन लोगों की इतने समय में खातेदारी इन्तकाल तस्दीक करा ली जाय इस प्रकार के कार्य से प्रगति का कार्यक्रम बनाकर किसानों की लूट वन्द हो सकती है।

इसी प्रकार से दूसरा निवेदन यह है कि आज पटवारियों को हम दोष देते हैं···

श्री सभापति : आपका टाईम हो गया है।

श्री लूणाराम : उसमें बुराई न हो यह मैं अर्ज नहीं करता हूं। आपने उसके लिए न तो पटवारघर की व्यवस्था कर रखो है न जो सुविधा पहले गांवों के अन्दर चौकीदारी की थी वह कर रखी है। वह एक किसान से नहीं राजस्थान के 30 लाख किसानों से सम्बन्ध रखता है। आप इतना विकास तो कर रहे हैं लेकिन उसके पास पटवारघर तक नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यहां पर पास बुकों के बारे में चर्चा हुई है उसके बारे में इतनी ही चर्चा करना है कि सेटलमेंट का पट्टा है। उसकी जमीन को कोई छीन नहीं सकता। पासबुक जिस परपज के लिए बैंकों से कर्ज के लिए बनाई गई है वह तो उससे हल नहीं हुआ ··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

···तो ऐसी पासबुकें देना निरर्थक हैं जब तक की जिस परपज के लिए बनी है वह व्यवस्था उसके अन्दर न कर दें ··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं आपकी भावना को समझ गया हूं। मैं इतना कहकर आपकी भावनाओं का आदर करते हुए इसको बीच में ही छोड़कर खत्म करता हूं।

श्री सभापति : बहुत धन्यवाद।

श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री महोदय ने जब इस विभाग को सम्हाला तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि इसके अन्दर बदलाव आयेगा और एफिशियेन्सी बढ़ेगी, लेकिन, सभापति महोदय, आज भी इस विभाग का वही रवैया है। काश्तकार परेशान हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। विधान सभा के अंदर भ्रष्टाचार के मामले सामने रखते हैं तो उनको एवायड करते जा रहे हैं जैसा कि अभी रखा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतिक्रमण तहसीलों में हो रहा है। तहसीलदार और पटवारी लूट कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कभी कोई मामला पकड़ में आता है उस पर भी गौर न करें तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। सभापति महोदय, न तो गिरदावरी समय पर मिलती है, न ही

(श्री अजीतसिंह)

डिमान्ड स्लिप लगान जमा कराने की मिल पाती है, न नामान्तरकरण होता है, सारी परेशानियां है। किसान चिल्ला चिल्ला कर मर जाय तो कोई सुनने वाला नहीं है।

तहसीलों के अन्दर पटवारी के पास समय का अभाव है। उसके पास ओवरलोड वर्क है। इसलिए इसके वर्क लोड को जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने का है। जब तक आप यह नहीं देखेंगे कि कितना काम लिया जाय तब तक सारे काश्तकारों को सही तौर से सहूलियत दे पायेंगे इसमें शक है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा सभापति महोदय, कि एक तो पटवारी की जो उजरत है वह बढ़ाई जाय। उजरत नहीं बढ़ायेंगे तो 10 पैसे में कौन इन्ट्रेस्ट लेगा ? आखिर वह पैसा तो लेता ही है तो उसकी उजरत को आप रेग्युलेराइज कर दें या उसकी रेट्स को बढ़ा दें तो ढंग से काम होगा और जल्दी काम निकल जायगा। इतनी कम रेट उजरत की रखी है कि काम होता नहीं है। दूसरा, सभापति महोदय, न तो पटवारी के बिछाने के लिए जाजम दी जाती है, न पैसा आता है उसके लिए उसको तिजोरी दी जाती है, न रहने के लिए मकान है। उसके ऊपर पहले बहुत बड़ा दबाव था होम तहसील में रहने का वह भी निकल गया। होम तहसील से उसको हटा दिया गया तो अब उसको किस बात का डर रहा। पहले तो यह डर था कि शिकायत हो जायगी तो होम तहसील से हटा दिया जायगा। वह बन्द कर दिया गया तो वह बादशाह बन गया। दूसरा हथियार उसके हाथ में गिरदावरी का और दे दिया। जब तक नजराना देते रहेंगे तब तक आपके नाम कर देगा। नजराना बन्द हो जायगा तो आगे वाले के नाम लिख देगा या पहले के नाम लिख देगा। ऐसी बात नहीं है कि गिरदावरी के पट्टे नहीं है लेकिन फिर किसान मुकद्दमेबाजी और वकीलों के फन्दे में फंस जाते है। पहले से ज्यादा लोग परेशान होंगे। जो राहत दिलाना चाहते थे वह मिली नहीं और परेशानी बढ़ जायगी।

वसूली की व्यवस्था पुराने ढंग की ही लागू कर रखी है तो उसके अन्दर डिमान्ड स्लिप के अन्दर कुछ बदलकर और जिस तरह से और डिमाण्ड्स वसूल हो रही है जैसे कि आपका इरिगेशन विभाग कर रहा है उसी तरह से बैंकों के अन्दर या तहसीलों के अन्दर जमा कराने की व्यवस्था हो जाय, और बाकी रह जाय तो पटवारी वसूल कर ले। ऐसी सीधी व्यवस्था बनायें कि पटवारी यह लेकर न बैठ जाय कि मैं तब जमा करूंगा जब कि इतना पैसा नजराने का दो। नजराना लिये बगैर पटवारी लगान जमा नहीं करता है। यह बड़ी भारी समस्या आम काश्तकारों की है। न खाते समझाता है पटवारी और न नामान्तरकरण करता है। आप मर जाता है तो खाते बदले नहीं जाते हैं। इसको आज 3 फार्म दे रखे हैं पटवारी को भरने के लिए। तो 13 नम्बर के फार्म पर आप विचार करेंगे और इससे कोई फायदा नहीं है और जिनको बन्द कर सकते हैं उनको बन्द करें।

दूसरे विभागों की वसूली के बारे में बड़ी शिकायतें हैं। इसके अन्दर आपने पंचायत समिति की बकाया भी इनके जिम्मे रख छोड़ी है और दूसरे विभागों की बकाया भी पटवारी के माथे पड़ती हैं। इससे भी बड़ा एक संकट पैदा हो जाता है। काश्त-

(श्री अजीतसिंह)

कार पंचायतों में जमा करा देते हैं काश्तकार और पटवारी उनके पीछे पड़ता रहता है। जिन जिन डिपार्टमेंट का बकाया है वह अपने अपने वसूल करें। आपने कहां इस चक्कर में पटक दिया। बकाया आपकी वसूल नहीं होती है और काश्तकार को परेशानी होती है। पैसे भी दे दिये और पटवारी पीछे पड़ा रहता है।

चरागाह के सम्बन्ध में नये आदेश निकाले हैं, लेकिन उससे भी कोई लाभ मिला नहीं। मंत्री महोदय, यह चरागाहों के मामले ऐसे हैं कि जिनसे सारे बड़े बड़े लोग हैं वह फायदा उठा रहे हैं और गरीबों को उससे कोई फायदा नहीं है मैं यह निवेदन करूंगा कि चरागाह जो हैं वह पंचायतों की प्रॉपर्टी है। पंचायतें उनकी मालिक हैं तो वह धारा 4,47 के अन्दर पुलिस कार्यवाही करें। पटवारी को इसमें आपने कहां उलझा दिया। मालदार के सामने न तो सरपंच जाता है और न कुर्क कराने के लिए कोई खड़ा होता है। ऐसी हालत के अन्दर पंचायतों को इसके लिए जिम्मेदार बनायें कि वह पुलिस कार्यवाही करके उनको मिटाये। बाकी पटवारी के बस का रोग नहीं है कि वह चरागाहों को दूसरों से खाली करा दे।

दूसरे अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण का नोटिस देना चाहिए।

5.58 म. प.

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

काबिले काश्त जमीन जल्दी जल्दी एलाट कर दी जाय। अभी जो तरीका है कि काबिले काश्त भूमि को पटवारी को सुपुर्द कर नाजायज तौर से खेती करवाना यह उचित नहीं है।

इसके साथ साथ मैं तहसीलों की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। गिरदावर का पद है इसको खत्म कर दें, क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वह चार कागज अपने साथ लिए फिरता रहता है और कोई लाभ नहीं है। न गिरदावर का मकान बना रखा है जहां पटवारी बैठकर काम करे। दूसरा जब गिरदावरी का रेकार्ड कर दिया है तो वह बड़ी विचित्र बात है कि वह पटवारी का काम समझ पाता नहीं है और नई भरती करके उनको भेज दिया जाता है। जो होशियार पटवारी हैं उनको गिरदावरी का पद नहीं मिलता है। तो यह फालतू का खर्चा गिरदावर के पद का है। इसको अगर हटा दिया जाय तो काफी बचत होगी।

पहले तामीलों के लिए ऊंट वगैरह रखे हुए थे उनको हटाकर अब सिपाही रख दिये हैं तो या साइकल सवार रखे और जहां रेगिस्तान है वहां पर ऊंट सवार रखें तो तामील बराबर हो सकती है, वर्ना बड़ी परेशानी होती है। जो सिपाही आपने रखे हैं उनसे तामील हो नहीं पाती है और वह लोग पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं इसलिए सारे केसेज पेन्डिंग रह जाते हैं रेवेन्यू के। इसलिए तामील की ठीक व्यवस्था करायें।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि तहसीलों में टेलीफोन की व्यवस्था बड़ी आव-

(श्री अजीतसिंह)

श्यक है। बहुत सारा काम तहसीलों से पड़ता है। तहसीलदार से बात करने के जिला स्तर पर कई काम होते है, क्योंकि सारी पॉवर्स तहसीलों की तहसीलदार के पास होती है। उसको टेलीफोन नहीं दे रखा है जब कि पंचायत समितियों को और दूसरी जगहों पर टेलीफोन दे रखा है। पंचायत समितियां निष्क्रिय हैं जिनको कोई काम नहीं उनको टेलीफोन दे रखा है। और जहां वाकई में आवश्यक है, वहां पर टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां भी टेलीफोन की व्यवस्था हो। और जो मैंने निवेदन किया है उस बारे में एक अभियान चलाकर ये सारे रिकार्ड शील कराये जायें। ताकि लोन देने में काफी सुविधा मिले। और दूसरे काम कराये जा सकें। आज मैं खास खास मुद्दों पर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो लैण्ड रेवेन्यू की वसूली होती है उसका कोई उचित आधार नहीं है। किसी जिले में कुछ होता हैं, किसी जिले में कुछ। उपाध्यक्ष महोदय इसके बारे में एक तरीका बनाकर लागू किया जाये। कुओं की रेट इतनी ज्यादा हो गई है। इरिगेशन के हिसाब से सिंचाई की रेट ज्यादा है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं हैं। आप जमीन को ध्यान में लाकर तय करते है तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे यहां से टोंक जिले में बहुत ज्यादा हैं। तो वह हिसाब से होना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सैटिलमेंट रिकार्ड आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। 3 साल हो गये। रिकार्ड आज तक तैयार नहीं हुआ हैं। यह सरासर लूट है। यह सारा का सारा जो केस बनने वाला था वह कुछ भी नहीं है। कहां कब्जा है, कहां नहीं है। रिकार्ड में किसी के हैं। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी रिकार्ड तैयार कराया जावे। तहसीलों से दिलवाये जायें जिससे कि काम ठीक हो। दूसरा सवाल मैंने उठाया था, उनियारा है लेकिन हैड क्वार्टर अलीगढ़ है। उनियारा की बड़ी संख्या है। वहां म्युनिसिपैलिटी है। तो आप अलीगढ़ से हटाकर हैडक्वार्टर उनियारा में बनायें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। यह एक जबरदस्त धांधली आपने बना रखी है। इससे जनता को बहुत बड़ी परेशानी है। वहां पर बिल्डिंग भी नहीं है। वहां पर टेलीफोन की भी व्यवस्था नहीं हैं। उनियारा में हैं। क्योंकि तहसील के अन्दर काश्तकारों का काम पड़ता है। आपने एक छोटी सी जगह में लगा रखा है। आप इस बारे में ध्यान देंगे और मौके पर व्यवस्था करेंगे।

दूसरा मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कमाण्ड एरिया बनाते बनाते, उस कमाण्ड एरिया में चारागाह आ गया है। कई दफा यह सवाल उठाया था कि यह कमाण्ड एरिया में चरागाह आ गया है। उसको एलॉट कर देंगे। तो लाखों रुपया लगाकर नहर बनती है। उसके पीछे चरागाह नहीं रखेंगे तो यह कैसे होगा। जबरदस्ती लोग कब्जा लेकर काश्त करते हैं। मानते नहीं हैं। उसके अन्दर 24 गांव हैं। छोटा मोटा एरिया नहीं हैं। कमाण्ड एरिया का फैसला करवायें। चरागाह का फैसला करना है। इससे वहां की जनता को लाभ मिले। इससे आपको भी रेवेन्यू का लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का नाम कैसे आ गया? मेरा नाम पहले था।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा निवेदन यह है कि 2 साल से सरकार ने नया आदेश जारी किया है। खसरा को पटवारियों द्वारा करायें। इससे पहले जो व्यवस्था थी, वह सरकार ने बन्द कर दी थी। अब दो साल फिर जारी कर दी गई है। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इससे सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ है। बल्कि पटवारी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नई लाटरी खुल गई है। हर 6 महीने में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे किसानों को इतनी परेशानी है, इतनी लूट हुई है कि बयान नहीं कर सकते हैं। एन्ट्री में उसका नाम मौजूद हैं। पटवारी से मिल लिये। मौके पर तहसीलदार साहब गये, दो आदमी साथ ले लिये। जाकर उसकी एन्ट्री कर दी और पुराने सब खत्म हो गये। मैं निवेदन करूंगा कि अजीब तरीका चला है। इससे लोगों को क्या लाभ होना है? हमने अरबन कांग्रेस कमेटी में इस पर काफी विचार किया है। यहां तक कि जहां ऐसी कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं है, वहां भी पटवारी और तहसीलदार से मिल कर पैसे दे दिये हैं और नाम करा लिये गये हैं। इससे किसानों के अन्दर एक भगदड़ मच रही हैं। लोगों को यह अन्देशा है कि कहीं हमारा खसरा नहीं चला जाये। कहीं हमारा बदल नहीं दें। जो पहले से चले आ रहे हैं, वह इस अन्देशे से परेशान हो रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तूफान सा मचा हुआ है। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा, इससे कोई लाभ नहीं है। जब खसरा नहीं था तो कोई नुकशान नहीं था। जिस आदमी के नाम एन्ट्री चली आ रही है, उससे वसूल कर लें। फिर आप क्या चाहते हैं। हर छठे महीने में दिक्कत आती है। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई समझदारी की बात है। मैं इसी बात को कहने के लिए समय चाहता था। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : सदरे मोहतरिम, आज का सब्जेक्ट है यह उन लोगों का है जो देश की रीढ की हड्डी कहे जाते हैं, किसान और काश्तकार। आज काश्तकार इतने परेशान क्यों है इस आजादी के जमाने में? मेरा अर्ज करना यह है, मुझे सारे राजस्थान की जानकारी नहीं है, मेरा इलाका है पिड़ावा, वहां के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं। पिड़ावा तहसील है, इसमें दस बारह साल पहले बन्दोबस्त हुआ था। बेचारे किसान बड़े परेशान है, जमीन एक के खाते में है लेकिन बन्दोबस्त में दूसरे के नाम उसे कर दिया है। आज अर्ज यह है कि हजारों किसान परेशान है। जमीन एक की है, लेकिन कब्जा दूसरे का है। इस कारण मारपीट हो रही है। मुकदमेंबाजी हो रही है। उनको झालावाड़ जाना पड़ता है। पुराना जो इन्द्राज है, उसकी नकल लेनी पड़ती है। उसमें सैकड़ों रुपया खर्च हो जाता है। इससे काश्तकार काफी परेशान है। उनको बार बार झालावाड़ आना जाना पड़ता है, वकील करना पड़ता है। अदालतों की

(श्री जानमोहम्मद खां)

हालत यह है कि वहां से उनको जल्दी फैसला नहीं मिलता है। मुकद्दमों में जल्दी फैसला नहीं होता, इस कारण किसानों में आपस में दुश्मनी फैलती जा रही है। यह गलती किसान की नहीं है, गलती अमीन की है, इन्सपेक्टर की है, रेवेन्यू ऑफिसर्स की है। गलती इस राज्य के अधिकारियों की है तो फिर काश्तकार क्यों परेशान हों। मैं राज्य सरकार से चाहता हूं, मैंने अर्ज पहले भी किया था, इस समस्या का कोई हल निकालें। रेवेन्यू आफिसर बैठ कर कागजात को दुरुस्त करें। आज काश्तकार इससे परेशान है, काश्तकारों को इससे बड़ी तकलीफ है। इसके लिए मैं रेवेन्यु मिनिस्टर साहब को अर्ज करना चाहता हूं, पिड़ावा से झालावाड़ जाना पड़ता है तो वर्षा के जमाने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। अगर वह मुकद्दमे की पेशी पर हाजिर नहीं हो पायें तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। उनके मुकद्दमा लड़ने में हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं। वह झालावाड़ जाते हैं, तो पेशी बदल जाती है। फिर उनको वापस जाना पड़ता है, फिर एक शहादत ले ली, फिर कह दिया परसों आना। फिर वह वापिस जाते हैं। इस तरह बड़ी मुश्किल है। काश्तकारों का इसमें क्या दोष है? जिनको कि देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उनको आज कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी हालत पर रहम करना है तो आपको सोचना चाहिए, इनका कसूर क्या है। गलती की है गवर्नमेंट ने, गलती अमीन की है कि उसने पट्टा बदल दिया। इसलिए उनको दावा करना पड़ता है। कानून के तहत हजारों रुपये खर्च करके दावा करना पड़ा है और दावे के कारण जो पहले प्रेमी थे, वह दुश्मन हो गये। राज्य सरकार को इसके लिए आदेश निकालना चाहिए और उनकी तकलीफ को दूर करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब जब कोटा आये थे तो कोटा डिवीजन के एम.एल.एज. को बुलाया था। उस मीटिंग में भी मैंने कहा था, यह काश्तकारों की तकलीफ हैं, इन काश्तकारों को किसी प्रकार राहत मिले। उन्होंने यह बात कबूल कर ली थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मिनिस्टर साहब यहां हैं नहीं, जाने कहां पधार गये। काश्तकारों के सामने एक और तकलीफ है, इन्तकाल दर्ज नहीं होता है। दादा के नाम जमीन है, बाप का इन्तकाल हो गया, लेकिन रिकार्ड में अभी भी दादा का नाम दर्ज है। पोता रोता फिर रहा है, मेरी जमीन है। जमीन दादा के नाम है, बाप की जमीन है, लेकिन उसमें भी शहादत की जरूरत है। यह पटवारी की ड्यूटी है। वह बैठ कर इन्तकाल दर्ज करे। लेकिन वह मांगता है हजार रुपये। इतने रुपये काश्तकार कहां से लाये। इस प्रकार इन्तकाल के एक एक पंचायत में सैंकड़ों केसेज हैं। डाबल बोझ पंचायत है उसमें सैंकड़ों केसेज हैं। कलेक्टर के चेम्बर में जो मीटिंग इस सिलसिले में होती है उसमें भी हम यह कहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह काश्तकारों की जिम्मेदारी नहीं है, यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वह जल्दी से जल्दी इन्तकाल तस्दीक करायें। यह गरीब लोग हैं, इनको मुसीबत में डाल दिया है। जो एम. एल. एज. हैं प्रधान हैं, सरपंच हैं, बी. डी. ओ. हैं, इनकी मीटिंग होती है, सलाहकार समिति में जाते हैं यह कहने के लिए कि भूमिहीन

(श्री जान मोहम्मद खां)

लोग हैं इनको जमीन एलॉट की जाय। लेकिन उनको जमीन कोई नहीं देता है। पटवारी क्या करता है कि पैसा लेकर वह जमीन का नम्बर दे देता है। लेकिन मौके पर जाते हैं तो देखते हैं कि दूसरे के खाते की जमीन है, इस प्रकार के हजारों केसेज हैं। इस कारण हरिजन लोग पिटते हैं डण्डों से और मुकद्दमेबाजी होती है। पुलिस भी उनकी मदद करती है जिसका नाजायज कब्जा है। फिर फायदा क्या है उनको मुसीबत में डालने का, जब कि कब्जा नहीं दिला सकते, वह जाकर कब्जा नहीं ले सकते। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता, पटवारी कुछ नहीं कर सकता तो फिर फायदा क्या है ? मैं गवर्नमेंट को कहता हूं, मेहरबानी करके मौका देखने के बाद, मौका देखने तहसीलदार जाय, बी. डी ओ. जाय, उसके बाद में जमीन एलाट करनी चाहिए, तब तो कुछ फायदा हो सकता है।

एक मैं सुझाव पेश करना चाहता हूं, शायद राजस्व मंत्री जी को हंसी आये। सुझाव यह है, स्टेट का जमाना था, उस समय जमीन के नक्शे मोमजामे के होते थे। जबकि आज कल कपड़े के नक्शे होते हैं। उसको जरा खींच दें तो उसमें फर्क आ जाता है। यह कपड़े के नक्शे पटवारी लोगों के लिए सोने की चिड़िया है। आपने नक्शा बनाना शुरू किया है कपड़े का, यह बेकार की चीज है। स्टेट के जमाने में मोमजामे के नक्शे होते थे उनमें नाप में फर्क नहीं होता था। कपड़े के नक्शे को खींचने में सारे पैमाने गलत हो जाते हैं। इस तरह के नक्शों से एक की जमीन, कुआ या पेड़ दूसरे के खाते में बताया जा सकता है। यह पटवारी की मर्जी है, चाहे जितने जिसको दरख्त बता दे, कुआ बता दे। इस कारण रात दिन झगड़े होते हैं। इसलिए इसमें तरमीम होनी चाहिए। पहले मोमजामे के जो नक्शे थे, उसी तरह के नक्शे बना कर देने चाहिए। इससे झगड़े होते हैं। यह पटवारी की मर्जी पर है—यह कितनी बुरी बात है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं अर्ज कर रहा हूं।

यह इन्तकाल तस्दीक करने का मामला है, यह सरपंच के लिए जागीर बन गया है, हम अधिकारियों के लिए कहते हैं कि तहसीलदार रिश्वत खाता है। मैं समझता हूं कि सरपंच रिश्वत खाता है। हमारे इलाके में तमाम सरपंच बिना रिश्वत के इन्तकाल तस्दीक नहीं करते हैं। यह इन्तकाल उनकी एक जागीर बन गया है। वैसे ही तेरह साल हो गये, पंचायतों का चुनाव हुए आप चुनाव नहीं कराते हैं, यह दूसरे जागीरदार बन गये हैं। ऐसा आदेश निकालना चाहिए कि तहसीलदार इन्तकाल तस्दीक कर दे। आज इन्तकाल के मामले में बड़ी शिकायतें हैं।

आज का जमाना ऐसा है, आज कई मुसीबतें आ रही है, भुखमरी आ रही है, जब कि हमारा धार्मिक देश है हिन्दुस्तान। यहां मन्दिर को मानते हैं मस्जिद को मानते हैं। इन मन्दिर और मस्जिदों के नाम पहले और काफी जागीर थी, इसके ऊपर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। जिसने चाहा उसने कब्जा कर लिया है। जो मन्दिर की जमीन है, जो मस्जिद की जमीन है वह उसके पास रहनी चाहिए और जिन लोगों ने अपने नाम करा ली है मन्दिर-मस्जिद

(श्री जान मोहम्मद खां)

की जमीन, वह उनसे लेकर मन्दिर मस्जिद के नाम करानी चाहिए । इस कारण ही आज अकाल पड़ते है । मन्दिर मस्जिद को मानते हैं, भगवान को मानते हैं तो इसमें तरमीम होनी चाहिए, यह जमीन कितनी भी है मन्दिर मस्जिद की है, वह ऐसी जमीनें मन्दिर मस्जिद के नाम पर ही रहनी चाहिए । अगर मन्दिर मस्जिद के पास नहीं होगी तो अकाल पड़ते रहेंगे । जहां मंदिर हैं जहां जाकर लोग पूजा करते हैं, उनकी जमीन छीन ली है । यह एक मन्दिर मस्जिद की बात नहीं है । यह तमाम धार्मिक मामला है, इसलिए यह जमीन मन्दिर मस्जिद के नाम पर ही रहनी चाहिए और जिन लोगों ने अपने नाम कर ली है,उसको आप केन्सिल कर सकते हैं, उनसे वह जमीन बलपूर्वक ले सकते हैं । आप इस बात पर गौर कीजिये कि आज काश्तकार परेशान क्यों हैं, क्यों उनमें झगड़े हो रहे हैं ? (समय समाप्ति सूचक घन्टी) आपने काश्तकारों को अधिकार दे रखा है उसके बाद भी वे परेशान हैं। वह क्यों परेशान हैं, उन्होने किसका क्या बिगाड़ा है । जो हरिजन जाति के हैं, उनको आप जमीन अलॉट कर रहे हैं, वह एलाटमेंट आप जमीन देखने के बाद करें । नहीं तो वह मुसीबत मे पड़ते हैं और रात-दिन मारपीट होती है । पुलिस वाले उनकी मदद नहीं करते हैं । मेरी अर्ज हैं कि मौका देखने के बाद जमीन का एलाटमेंट करे । आज न सरपंच मौका देखता है, न एस.डी.ओ.मौका देखता है, न तहसीलदार मौका देखता है, कोई मौके पर जाकर नहीं देखता है । मेरी अर्ज है कि बिना मौका देखे एलाटमेंट करने की बात अकल की बात नहीं है ।

हमारी कमेटी कोटा डिवीजन में शाहाबाद, तहसील में सीतावाडी गई, हमारी कमेटी के चेअरमेन लोढ़ा साहब और हम सब सदस्य गये थे । वहां जैसा भयानक मन्जर मैंने नहीं देखा । हम सीतावाड़ी मंदिर की छत पर बैठे थे, नीचे हजारों लोग रो रहे थे, वह कह रहे थे, इशारे में कह रहे थे । यहां से आपकी मदद करने के लिए जायं तो उसकी समस्या का हल हो सकता है । सहरिया जंगल में रहने वाले को कहते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझ गया हूं ।

श्री जान मोहम्मद खां : वह कहते हैं कि हमारी कोई बात सुनता नहीं है । बीस बीस बीघा उन लोगों की जमीन थी, उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है उनके मसले हल नहीं होते हैं, न कलेक्टर उसको जमीन का कब्जा दिलवा सकता है । सहकारिता के नाम पर भी लाखों रुपया दूसरे लोगों ने ले रखा है । हमने कहा कि वर्मा जी को कोई मदद नहीं कर सके तो मिलट्री आ जाय वही तुम्हारा कब्जा करा सकती है । मेरी अर्ज है कि राजस्थान सरकार वहां पर मिलट्री तैनात कर दे तो उनको कब्जा मिल सकता है । नहीं तो आप बात करते रहें, वहां पर बन्दूक और पिस्तौल लिये लोग बैठे है, वह जमीन पर सहरिया लोगों को नहीं रहने देंगे । मेरी अर्ज है कि रेवेन्यू मिनिस्टर को वहां कुछ दिन के लिए रहना चाहिए, अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं तो वहां पर ऐसा भयानक अत्याचार हो रहा हैं जैसा कहीं नहीं हो रहा है, वहां के लोग रो रहें हैं।

श्री सभापति : बराये मेहरबानी आप तशरीफ रखिये ।

श्री जान मोहम्मद खां : मैंने कोटा डिवीजन के बारे में कहा है, मैं कोटा डिवीजन का रहने वाला हूं। वहां ऐसा मंजर हमने देखा, जो जमीन है उस पर उनका हक नहीं है, उस पर कब्जा और लोगों का है। ऐसे लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है।

सीताबाड़ी में सैंकड़ों वर्षों से किसानों को जंगलात से आराम था, अब गवर्नमेंट ने लकड़ी काटना बन्द कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : और भी माननीय सदस्य हैं।

श्री जान मोहम्मद खां : किसानों की दर्दनाक दास्तान है। यह बड़े ही अफसोस की बात है। एक बात और है, हमारे इलाके में जंगलात में 138 बीघा जमीन भूमिहीन काश्तकारों को एलॉट की है। लेकिन आज तक उनको कब्जा नहीं दिया, कोई सुनने वाला नहीं। जब उनको डेढ़ साल पहले एलाट कर दी तो क्या कारण है कि जमीन उसको अब तक क्यों नहीं दी गई? रेकार्ड में लिख दिया कि कब्जा दे दिया लेकिन किसी को कब्जा नहीं दिया। ऐसे अधिकारियों को भी बरखास्त करना चाहिए। कलेक्टर को लिखा है कि जो 138 बीघा जमीन ग्राम अगारिया की एलाट कर दी है उसका कब्जा तुरन्त दिलाया जाय। मैंने सुझाव दिया था कि आपका जो कपड़े का नक्शा है वह बिल्कुल गलत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थासिंह यादव।

श्री नत्थासिंह यादव (मदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वन विभाग और राजस्व विभाग पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं। बड़े जोर शोर से चर्चा चल रही है लेकिन मैं तो यह जो पासबुक राजस्थान में किसानों को नहीं बांटी है इसके पीछे राज है। जैसे एक किसान कोआपरेटिव से अपने खेत पर नलकूप लगाने के लिए और बैंक से पैसा लेने के लिए जाता है तो उस समय उस किसान को पटवारियों से 4-5 नकलें हासिल करनी पड़ती है। 4-5 नकलें लेना एक गरीब से गरीब काश्तकार द्वारा इसका मतलब पटवारी का 50) रु. का धंधा हो जाता है और 50) जब तक किसान नहीं देता है तब तक 4 नकलें नहीं मिलती हैं। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि राजस्थान के तमाम राज्य में पासबुक्स किसानों को इश्यु होनी चाहिए, उससे यह सुविधा होती है कि हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें नकलें होती हैं, नंबर होते हैं। इससे किसान को परेशान होने नहीं पड़ता है। इसलिए यह जो पासबुक वाला प्रश्न है, उसके लिए आज ही सदन में मंत्री महोदय घोषणा करें कि एक महीने के अन्दर या 15 दिन के अन्दर राजस्थान में हर किसान को पासबुक मिलनी चाहिए।

रेवेन्यू एपेलेट ओथोरिटी के जो अधिकारी हैं कुछ फैसला करते हैं और स्टे दे देते हैं, उसके बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गांधी शताब्दी से लेकर आज तक मुझे कटु अनुभव है कि भरतपुर जिले में, राजस्थान को तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन भरतपुर जिले में 50 हजार बीघा जमीन का एलॉटमेंट भूमिहीन किसानों को हुआ। मेरे ख्याल से 30 परसेन्ट वहां के लोगों को कब्जा मिल गया, 70 प्रतिशत कब्जा आज तक मौके पर नहीं

(श्री नत्थासिंह)

मिला है। एक तो एलाटमेंट दो तीन बीघा से ज्यादा किसी पट्टेदार को नहीं किया। इसलिए मन्त्री महोदय जब भविष्य में जो पट्टे होंगे उनके लिए लिमिट बना लें कि भरतपुर जिले में कम से कम 10 बीघा और बढ़िया जमीन हो तो 5 बीघे से कम कोई भविष्य में पट्टा न हो। पट्टा होने से पहले एक बात का जरूर आदेश दिया जाए कि जो फॉरेस्ट की लेते हैं चाहे सिवा चक की हैं, सबसे पहले तहसीलदार और कलेक्टर को आदेश पहुंचने चाहिए कि उस जमीन के 5-8 बीघे के प्लाट्स बनाए जाने चाहिए। जब पटवारी और गिरदावर डीमार्केशन कर दें उसके बाद एलॉटमेंट होना चाहिए। पटवारी सिवा चक की लिस्ट तहसीलदार को और एस० डी० ओ० को देता है कि हमारे गांवों में इतनी जमीन है। एलॉटमेंट कमेटी के सामने पहुंच जाती है। एलॉटमेंट कमेटी जब एलॉट करती है तो इधर तो किसान से कह दिया कि हम तुमको देंगे, पटवारी धंधा करेगा, उधर जमींदार से 100) प्रति बीघा के हिसाब से ले लेंगे और कहेंगे कि तुम कब्जा कर लो। दोनों तरफ तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर धंधा करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि भविष्य में जितने पट्टे हों, उस जमीन के प्लाट्स बना दिए जायं और प्लाट्स बनाने की जो कीमत होती है वह काश्तकार पर लगा दो, इससे किसान झंझट में नहीं पड़ेंगे।

दूसरी बात, जो राजस्व मंडल के अधिकारी बैठे हैं उनके लिए कहता हूं कि भरतपुर जिले में 50 परसेन्ट केसेज रेवेन्यू एपीलेट आथोरिटी अजमेर और एस. डी. एम. के पास चल रहे हैं उसमें यह होता है कि नियमानुसार पट्टे कर दिए। 15 दिन का पट्टा कमेटी ने नोटिस दे दिया, पंचायत को नोटिस दे दिया, तहसीलदार को दे दिया उसमें बता दिया कि इन नम्बरों का पट्टा कमेटी फलां तारीख को एलॉटमेंट करने वाले हैं, अगर एतराज है तो फलां तारीख को तहसील में आकर चेयरमैन के पास दरखास्त देकर अपनी शिकायत करो। उस समय कोई शिकायत नहीं आई और पट्टे कर दिए। जब कब्जे के लिए पटवारी गया तो जमींदार भाग जाता है 200 रु. प्रति बीघा जमीन का दिया है, वहां के एस.डी.ओ. ने रिपोर्ट की, एपेलेट आथोरिटी के लिए, पैसे दिए एक दम स्टे हो गया।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के दस हजार केसेज में स्टे दे दिया। जब उन लोगों से एतराज पूछा, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय कोई नहीं आया, लेकिन बाद में वह लोग रेवेन्यू बोर्ड में पहुंच गये या रेवेन्यू अपीलेट आॅथोरिटी के पास पहुंच गये और स्टे ले आये। इसलिये मेरा राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। और इसके लिये मैं मंत्री महोदय से सिफारिश करता हूं कि आपके जितने भी यह एस. डी. ओ., तहसीलदार और रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर और रेवेन्यू आॅथोरिटीज हैं उनके खिलाफ में इन्क्वायरी इन केसेज में की जानी चाहिये और बाद में इन सभी को सजा दी जाय तथा इन्हें जेल के सींकचों में बन्द किया जाना चाहिये। क्योंकि यह सारे के सारे इसके लिये दोषी हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कौनसी जमीन के बारे में आप कह रहे हैं।

श्री नत्थासिंह : कृषि भूमि के बारे में। आज यहां पर सदन में भूमिहीन लोगों को पट्टे बांटने के बारे में कहा गया कि लोगों को पट्टे बांटे गये हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें काफी घोटाले हुए हैं। मैं ज्यादा उदाहरण न देकर एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं जो कि अभी हाल की घटना है, नयी घटना है। एक पार्टी रेवेन्यू बोर्ड में 15 फरवरी को पहुंची और वहां जाकर उसने रेवेन्यू बोर्ड से स्टे ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, उस जमीन के लिये उस व्यक्ति का लेना देना नहीं था, कोई खसरा नम्बर नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड ने स्टे दे दिया। यह 28 बीघा जमीन के बारे था इसमें 14 परिवार इफेक्ट हुए। उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना मेरे भरतपुर में निर्वाचन क्षेत्र पीपल्दा का किस्सा है वह जमीन हरिजन को दी गयी थी लेकिन उस पर रेवेन्यू बोर्ड ने स्टे दे दिया नतीजा यह हुआ कि वहां पर जो फसल थी वह काट ली गयी और राज्य सरकार के अधिकारी आकर उस फसल को ले गये। मैंने उसके लिए मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा खुद जाकर मुख्य मंत्रीजी से मिला उन्होंने एक पुलिस के अधिकारी को मेरे साथ भेजा और वह सारी फसल सुपुर्दगी में दी गयी तो इस तरह से गड़बड़ियां रेवेन्यू बोर्ड करता है। इन्हें रोका जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ आता हूं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में मेरी जानकारी ज्यादा है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यहां पर आज हमारे राजस्थान में जंगलात काटे जा रहे हैं और मंत्री महोदय मेरे साथ चलें मैं उन्हें बताऊंगा कि किस तरह से जंगलात को काटा जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे साथ चलें और मैं उन्हें भरतपुर ले जाकर दिखाऊंगा कि किस तरह आज जंगलों का विनाश किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिला यू. पी. से मिला हुआ है उधर धौलपुर से उसकी सीमा लगी हुई है और इसके अलावा उसकी सीमा मध्यप्रदेश को लगती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी यू. पी. की सीमा जो कि हमारी सीमा से बिल्कुल नजदीक है आप देखेंगे कि हमारे यहां पर सीमा जो है वहां तो जंगलों को बिलकुल काट दिया गया है और उसी के पास जो सीमा मध्यप्रदेश की या उत्तर प्रदेश की सीमा पर आप देखेंगे कि वहां कितने घने जंगल खड़े हैं। और हमारी सीमा जहां से शुरू होती है वहां पेड़ों को मोटा कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के मन्त्रीजी बैठे हैं और सामने ही सी. सी. एफ. साहब बैठे हैं, उन्हें बता दें कि किस तरह से हमारे यहां की जंगलों की हालत खराब हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर के जंगलों से 50 हजार मन लकड़ी काटी हुई मैं आपको आज वहां पर लकड़ी की टालें खड़ी है। जैसा कि दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि आप मेरे साथ चलें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज धौक की लकड़ी करीब 50 हजार मन काटी हुई आपको बड़े बड़े ठेकेदारों की दूकान पर और टालों पर दिखाई देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही आपके फारेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी साजिश से होता है मैं आपको एक लक्ष्मणसिंह नाम के फारेस्ट ऑफिसर के बारे में निवेदन करूंगा कि इसने हमारे यहां के सारे के सारे जंगलों को

(श्री नत्थासिंह)

काटकर रिश्वत लेकर उन्हें बरबाद कर दिया। इस डी. एफ. ओ. के समय में, उपाध्यक्ष महोदय, रोजाना सैंकड़ों ऊंटों पर लकड़ी मध्य प्रदेश और यू.पी. में जाती थी। उसकी शिकायत की तो सी. सी. एफ. साहब ने उनकी ट्रान्सफर करदी। मैंने उनका कहा कन्ट्रोल करो। अब जो दूसरा फारेस्ट ऑफिसर आया है उसको मैं नहीं जानता और उसको देखा भी मैंने नहीं उसने ऊंटों से तो लकड़ी भेजना बन्द कर दिया। लेकिन अब नये डी. एफ. ओ. के वक्त में लकड़ी के ट्रक भर भर के मध्यप्रदेश और यू.पी. को जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, राज के सात आठ ट्रक लकड़ी के भर कर जंगलों को काट काट कर भेजा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा भरतपुर, करोली, हिन्डौन के एरिया में जो जंगल थे सब जंगलों को काट दिया गया है। आज एक कारण और है वह है कि आपने जंगलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जब ठेकेदार थे तो वह लोग अपने जंगलों में किसी को घुसने नहीं देते थे क्योंकि अगर दूसरे लोग जंगल काट कर ले जावे तो उनको नुकशान होता। लेकिन अब राज्य सरकार व्यापार कर रही है कौन फिक्र करे। व्यापार मंडल में लोग घुस गये हैं व्यापारी वर्ग इसमें घुस गया है और बैंक डोर से जंगलों को कटा कटा कर दूसरे प्रान्तों में भेज रहे हैं। आज हमारे यहां के अच्छे से अच्छे जंगलों को काट कर सारी लकड़ी यू.पी. और मध्य प्रदेश को जा रही है। आज हमारे राजस्थान में जहां डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली, भरतपुर, उदयपुर की तरफ लूट मची हुई है। और सरे आम जंगल काटे जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप चल कर हमारे साथ देखें। और इसके लिए एक इन्क्वायरी विजीलन्स कमीशन के द्वारा करायें। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब कभी भी इन लोगों के खिलाफ में कोई इन्क्वायरी करने मौके पर जाते हैं तब यह डी. एफ. ओ. वगैरह जो कि फॉरेस्ट आफिसर है वह उन लोगों से जोरों से दावत देते हैं, वहां पर स्कॉच की बोतलें रात को खुलती हैं और उन्हें मुर्गे वगैरहा खिलाते हैं और इसके अलावा यह फारेस्ट आफिसर इन्क्वायरी करने वालों को थैलिये भेंट करते हैं इसका नतीजा यह होता है कि जो एन्क्वायरी करने जाते हैं वह, मामले को रफा दफा कर देते हैं। और माफ करना वह उल्टा चोर कोतवाल को डाटने वाला हिसाब हो जाता है। इसलिये कोई शिकायत भी करे तो क्या होता है? सभी जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लेकिन अगर आप की इच्छा है कि दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाय तो आप मेरे साथ दो दिन का दौरा भरतपुर और करौली का रखें। इसमें आप एक दिन करौली और एक दिन भरतपुर चले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार जंगल काटा जा है। बड़े बड़े ठेकेदार जंगलात महकमें के आफिसर उसमें मिले हुए हैं जो अपने सामने जंगलों को कटवाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक जंगलात के अधिकारी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं कि पहले वह क्या था और आज क्या है। इस व्यक्ति का नाम है भरतसिंह। उसने फारेस्ट डिपार्टमेंट में लाखों कमाये हैं इन्हीं जंगलों को कटा कटा कर बेचा है। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी सी स्कीम में पांच लाख

(श्री नत्थासिंह)

की तो कोठी है इसके अलावा बहुत ही ठाटबाठ से रहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके पास यह पैसा कहां से आया। जिसके पास पहले कुछ नहीं था वह मामूली व्यक्ति सरकारी तनख्वाह में कैसे लाखों रुपये की कोठी बना सकता है आखिर वह अपने बच्चों को भी पढ़ाता होगा उसकी फीस लगती होगी, खाने पीने का भी खर्चा होता होगा फिर कहां से इस व्यक्ति के पास इतने पैसे आये कि उसने इतनी बड़ी जायदाद पैदा कर दी है। मैं इसका जवाब दूं कि आपका जो फॉरेस्ट का व्यापार मंडल और ठेकेदार हैं यह सभी इसके सोर्स पैसा कमाने का है। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ-गांठ से आज हमारे यहां के जंगलों का नाश हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरे को अन्त में यही निवेदन करना है कि जिन लोगों के खिलाफ में मैंने चार्जेज लगाये है चाहे वह रेवेन्यू अधिकारी हो चाहे फारेस्ट अधिकारी हो उनके खिलाफ में जांच कराकर उनके विरुद्ध राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। अन्त में आपने मुझे जो फारेस्ट विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मांगों पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और दस मिनट जो मैंने सदन का समय लिया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग और वन विभाग की सम्बधित मांगें आज सदन में पारित होने जा रही हैं। मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा,

उपाध्यक्ष महो
ठीक ढंग से
को और मज
पूर्ण रूप से
कि वह भी
से चला सकते
उपाध्यक्ष महो
चाहूंगा कि अ
जिला और इ
आप देखे तो इ
हमारे सामने उ
नियत संख्या
हमारे यहां प
लेकिन वे चारा
मवेशियों के का
किसानों के का
गाहों की भूमि
ने जबरन से अ
रहे हैं। उस
बार-बार सरका
भी रेवेन्यू विभा
किसी प्रकार से
चरागाहों से
देना चाहते। इ
कि प्रत्येक तहस
कराया जाय, म-
जाय, कितने मवे
हैं, किस तहसी
की आवश्यकता
अनुसार उनके
परिवर्तन करके
भूमिहीन या मज
कोई जीवन या
उनको अलॉट क
दय, तो मेरा ऐ
राजस्थान के ग

वस्था में हैं,

है कि अनु-
के लोगों को
ती है लेकिन
है कि सवर्ण
—क वह किसी
चाहे अनुसूचित
—स धन आदि की
ीन एलॉट नहीं
है तो उस पर
—इसलिये राज्य
र तहसीलदार,
. डी. ओ. को
य एलाटमेंट की
का साथ उनको
नरण बुला कर,
हाथ में दे दिया
साथ दिये जांय
ोनों पर कब्जा
दार को आदेश
जमीन दिलादी
भी जाति के हों,
र सकता है।

यह भी निवेदन
'तों को मिला
ासतों के राजा-
टिंग में, सभाओं
ाम भी हैं, राजा
जो जमीनें हैं,
कर गरीबों में
नको लेकर यही
भूमिहीनों और

गरीबों में बांट दी जाय तो हमारे राजस्थान में गरीबों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, गरीब लोग जिसके लिये ज्यादा ख्वाहिसमन्द हैं उनको एलॉट कर दी जाय तो उनका जीवन-यापन अच्छी तरह से हो सकता है।

साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि ऐसे लोगों को जमीन तो दे दी जाती है लेकिन उबड़-खाबड़ जगहों पर जमीन मिलती है। सरकार की ओर से ऐसे नियम बनाये जायं कि उनकी जमीन को समतल कराने के लिये सरकार से उनको अनुदान दिलाया जाय। गरीबों का भला करना चाहते हैं तो वे लोग आसानी से उस समतल भूमि पर जाकर रोजी रोटी कमा सकते हैं।

दूसरा निवेदन यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि मान लें कि ऐसी जमीन में किसान कुआं खुदवाना चाहता है, मजदूर या भूमिहीन कुआं कुदवाना चाहता है उस जमीन पर, या विकास के कार्य करना चाहता है तो उसको भी हमारी सरकार की ओर से या बैंक की ओर से या कोई कार्पोरेशन स्थापित करके अनुदान दिलाया जाय, या इसके लिये कोई अलग से फण्ड स्थापित किया जाय, वह केवल मात्र इसी बात का हो कि ऐसे किसान जिनको नयी जमीन एलॉट हुई होती है, उनको कुए की आवश्यकता है तो उस फण्ड से उनको अनुदान दिला दिया जाय तो यह समस्या तुरन्त मिट सकती है। इस प्रकार की स्थिति लाकर उसको कार्यान्वित कर दें तो वास्तव में गरीबी हटाने का जो नारा हमने लगाया है, समाज को उठाने का नारा लगाया है उसमें सफल हो सकते हैं।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

कई जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं। जिन का कोई मालिक नहीं है। उदाहरणस्वरूप कई जंगलात इस ढंग के हैं कि जहां जाकर उसको कोई सम्हालता नहीं, किसी प्रकार की मेड़बन्दी नहीं हुई, पेड़ उस जंगल में किस प्रकार से खड़े हैं किसी अधिकारी को मालूम नहीं, यदि ऐसी जमीन जंगलात में है, काश्त करने योग्य है तो ऐसी जमीन को अपने अधिकार में लेकर कन्वर्शन करके एलॉट कर दें तो साधारण और गरीब लोगों को वह एलॉट हो सकती है और उसमें वे रोजी रोटी कमा कर खा सकते हैं।

साथ-साथ, मेरा निवेदन यह भी है कि कोई भी भूमिहीन अनुसूचित जाति या जन जाति का हो या साधारण मजदूर हो, उसको जमीन एलॉट कर दी जाय, ऐसी जमीन पर ग्राम वाले या अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले दो चार आदमी, मिल कर स्टे ले आये, अधरभूल में वह जमीन पड़ जाय, न इधर की रहे और न उधर की, किसान परेशान होता है, लालायित होता है कि जमीन उसको एलॉट हो जाय तो वह रोजी-रोटी कमा सके, मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जमीनों का सर्वेक्षण करा लिया जाय, कि उसका कब एलॉटमेन्ट करवा दिया गया, किस किस व्यक्ति को किस-किस नाम से अलॉटमेंट करवा दिया गया और किस विभाग का उसके बारे में स्टे आया है और किस व्यक्ति के द्वारा आया है, इस प्रकार के सर्वेक्षण के बाद ऐसी रुकावटों को हटा कर एलॉट कर दिया जाय। ऐसे भी आदेश प्रसारित कर दिये जायं कि दुबारा आपत्ति आने पर

उसकी अपील नदय, अगर राजस्व विभाग को
प्रकार की समस्[उ]धारा जाये तो किसान वर्ग
भूमिहीनों की [दू]र वर्ग दोनों ही को उसका
हो सकती है। [ला]भ हो सकता है। जिससे
[अ]पना जीवन-यापन ठीक ढंग
मेरा यह नि[वेदन] है। उदाहरण के स्वरूप
कि हमारे 25 [ग]या, मैं आपको निवेदन करना
सर्वेक्षण कराया [आ]ज हमारे राजस्थान में हर
में रेवेन्यू ज्यादा [एक] तहसील के क्षेत्र में जाकर
चुकाया जाता है [इस] प्रकार की समस्या आकर
होंगे और ज्याद[उप]स्थित हो जाती है कि कई
किसानों के दिन [से] कई मीलों की संख्या में
केस पर उनको अ[गर] चारागाह मौजूद है।
है। इस सर्वेक्ष[चारा]गाह, जो सही रूप से न
दो महीने के [का]म आ सकते हैं और न ही
कायम किये जा [पे]ड़ आ सकते हैं। कई चरा-
लग जाय तो उन[प]र किसान और कई लोगों
जाना और दो रो[अ]पने अधिकार स्थापित कर
वापिस आना ये [अ]धिकार को हटाने के लिये
फिजूल बरबाद हो[क]र कोशिश भी करती है तो
उन दिनों को [ला]ग के कर्मचारियों से मिलकर
लगा सकता है। उनसे तालमेल बिठाकर उन

(समय-स[मा]प्त[अ]तिक्रमण दूर नहीं करने
[इ]सके लिये मेरा निवेदन है
दो मिनिट और। [त]ह[सी]ल में चरागाह का नाप
[म]वेशियों की संख्या गिन ली

श्री उपाध्यक्ष: [जा]ती उस तहसील में मौजूद
गये हैं। अन्य भी[...]
[उस]के में फिर कितने चरागाहों

श्री जयकिश[न]: [क]हे मवेशियों की संख्या के
मिनिट। [चा]रागाहों को सिवाय चक में
जो किसान या मजदूर

जिन जिन तह[सी]ल [म]जदूर हैं, जिनके पास और
वह मोबाइल कोर्ट [जीव]न के साधन नहीं हैं, यदि
केसेज का वहां पर [क]र दी जाय, उपाध्यक्ष महो-
दिक्कत को सरक[ार] [ऐ]सा मानना है कि हमारे
दूसरा यह निवेदन [ग]रीब लोगों के लिये आसानी
होती है तो रेवेन्यू

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

सुनने का अधिकार है, ऐसे मामलों में अधिकार तहसीलदार को दे दिये जायं तो कठिनाई हट सकती है और केसेज हट सकते हैं। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारी तहसील के अन्दर या प्रत्येक जिले में पेटे बन्दी के झगड़े बहुत ज्यादा फैले हुये हैं। ऐसे पेटेबन्दी की जमीन हर साल जिन लोगों का कब्जा रहता है हर साल उन्हीं को दुबारा एलॉट कर दी जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पेटेबन्दी भूमि का सर्वेक्षण कराने के पश्चात् हम यह देखें किस व्यक्ति के पास भूमि अधिक है और अधिक अतिक्रमण कर रखा है, इस प्रकार का सर्वेक्षण कराने के पश्चात् उनके ऊपर जो कब्जा है उनको हटा दिया जाय और जो भूमिहीन है, मजदूर हैं उनको एलॉट कर दी जाय तो इस प्रकार उनकी समस्या दूर हो सकती है। कई जगह 91 के केसेज चल रहे हैं और तहसीलदार भी उसमें तारीखें डाल देते हैं, एस. डी. ओ. के पास जाते हैं तो वहां भी तारीखें डाल देते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं तो वहां भी तारीखें डाल देते है, तो इस प्रकार के केसेज का सर्वेक्षण कराया जाय। संख्या के आधार पर अतिक्रमण सच्चा है या झूठा है। किसी के पास 50 बीघा जमीन है और उसने 10 बीघा पर और अतिक्रमण कर रखा है तो यदि 10 बीघा वाली अतिरिक्त कब्जे वाली भूमि का कब्जा हटा दिया जाय और वह 10 बीघा जमीन भूमिहीन को दिलवा दी जाय तो भी समस्या हल हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था 20-8-74 को, प्रश्न यह पूछा था अब तक जयपुर जिले में कितनी भूमि एलॉट हो गई है। माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया 4893 एकड़ भूमि अलॉट हो गई उसमें जब मैंने कब्जा देने की बात पूछी तो बताया गया 1060 लोगों को कब्जा दे दिया गया। बाकी रह गये 1737, माननीय मंत्री महोदय ने बताया अब इस 6 महिने के अन्दर केवल मात्र 76 लोगों को कब्जा देना बाकी है इसलिये मैं उनको धन्यवाद तो नहीं दे सकता क्योंकि वे मुझ से बड़े हैं लेकिन मैं आभार प्रदर्शित कर सकता हूं कि यदि इस प्रकार की गतिविधि विभाग में चलती रही तो जो इधर-उधर भटक रहे हैं उनको रोजी-रोटी का लाभ हो सकता है।

राजस्व के बारे में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की प्रगति करें कि मजदूर वर्ग किसान वर्ग है उसका भला हो सके.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट और बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पहले ही दो मिनिट दे दिये गये हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : बस, एक मिनिट में समाप्त करता हूं। एक मेरा निवेदन यह है कि वनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है क्योंकि जंगलों का रक्षण नहीं करेंगे तब तक कई प्रकार की विपत्तियां हमारे सामने आ सकती हैं। जैसे कोयले की, लकड़ी की समस्या रहती है। आज के प्रगतिशील युग में लकड़ी से कई प्रकार की चीजें बनाकर उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है वनों का जितना संरक्षण किया जाय उतना बहुत बढ़िया है।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

वन विभाग में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे बैक डोर से व्यापार मण्डल में ठेकेदार घुस गये हैं। यदि प्रत्येक वनों का संरक्षण करके यदि वास्तविकता से देखें और रक्षा की जाय तो अच्छा हो। गरीब आदमी दो लकड़ी काट कर अपना जीवन-यापन करता है और उसको तो हम सजा दे सकते हैं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े डाकू, काला बाजारी करने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति ट्रक के ट्रक भर कर बाहर भेज देते हैं तो इन पर क्यों नहीं कन्ट्रोल किया जाता है। यदि इन पर कन्ट्रोल किया जाय तो दिक्कत मिट सकती है।

एक मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आज कल कार्पोरेशन बन रहे हैं तो मेरा निवेदन है वन विभाग का भी कार्पोरेशन बना दिया जाय और उन्हीं के द्वारा उसका सर्वेक्षण किया जाय तो प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक जिले में अलग-अलग समितियां नियुक्त कर दी जायं और उन समितियों के आधार पर ही वनों का संरक्षण ले लिया जाय। इस प्रकार किया जाय तो मैं समझता हूं वनों का विकास बहुत ज्यादा हो सकता है और वनों का विकास होने से हमारे राजस्थान प्रदेश का भी विकास हो सकता है जो लकड़ी बिके उसका मूल्य मिले या पैसे मिलें उसको राजस्थान के विकास कार्यों में खर्च करके हम आसानी से अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की और वन विभाग की कतिपय मांगों की आज सदन में चर्चा हो रही है। मैंने भी अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। सबसे पहले दफा 91 के अन्तर्गत, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके की काफी प्रोसीडिंग चलती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारी लोग किसानों को, हरिजनों को और गरीब लोगों के लिये मैं समझता हूं दफा 91 के नोटिस के साथ में जो नक्शा हो वह संलग्न हो तो मैं समझता हूं पटवारी लोग जो धान्धली मचाते हैं वह न हो, इस प्रकार सरकार करने की कोशिश करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में सीलिंग में कुछ जमीनें रिज्यूम हुई हैं। मैं चाहता हूं उस जमीन को काश्तकार को दी जाय। अभी जिन लोगों को जमीन एलॉट की गई है उसमें सरकारी कर्मचारी या उनके रिश्तेदार या उनके मिलने वाले ही हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के जो आवेदन-पत्र थे उनको दफ्तर में दाखिल कर दिये गये। इसलिये मेरा निवेदन है सीलिंग की जमीन जो रिज्यूम की गई है उसको दुरुस्त किया जाय····

एक माननीय सदस्य : उस कमेटी के आप मेम्बर होंगे?

श्री भीमसेन : अभी सदन चल रहा है, पीछे से एलॉट कर दी। मैं समझता हूं वह जमीन शिड्यूल्ड कास्ट वालों को एलॉट किया जाना चाहिये। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं राजस्थान में जो व्यापारी अनाज के हैं और चाहे किसी के हों उनके पास जनता का पैसा जिसे हम धर्मादा कहते हैं वह मैं समझता हूं करोड़ों रुपयों में है। इस धन को मैं चाहता हूं राजस्थान

(श्री भीमसेन)

सरकार अपने हाथ में ले और उस धनराशि को अगर राज्य सरकार नियमित कर सके और उस पैसे को किसी भी तरह हमारी विकास की योजनाओं में काम ले सके तो मैं समझता हूं करोड़ों रुपयों की राशि हमारे राजस्थान के विकास में काम आ सकती है।

इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में वर्ष पूर्व सेटलमेन्ट हुआ—सेटलमेन्ट रेकार्ड दुरुस्त करने के लिये होता है, लेकिन उस सेटलमेन्ट में इतनी अनियमिततायें हुई हैं कि 16 हजार काश्तकारों को ऑब्जेक्शन फाइल करने पड़े हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी गलतियां इस सेटलमेन्ट में हुई हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इस समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी नियुक्त कर दी जाय तो मैं समझता हूं वह कमेटी मौके के मुताबिक जमीन का रेकार्ड दुरुस्त करें तो मैं समझता हूं काश्तकार की बहुत बड़ी समस्या हल होगी इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार के नामान्तरकरण के सम्बन्ध में एक अभियान के रूप में राजस्थान में चला सके तो बहुत अच्छा हो। यह समस्या गांवों की है। आप हर साल एक मेला रख दें तो जो पटवारी गड़बड़ करते हैं उनकी गड़बड़ी दूर हो जायगी और काश्तकार को रिलीफ मिल जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मन्त्री) माननीय उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या 8 और 9 के संबंध में आज इस सदन में 24 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के जरिये कुछ सुझाव दिये। रेवेन्यू विभाग के प्रशासन को लेकर और वन विभाग के संबंध में कहा गया। पहले मैं मांग संख्या 8 के संबंध में जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं उनकी यहां पर चर्चा करूंगा।

राजस्व विभाग के संबंध में और राजस्व प्रशासन के संबंध में कुछ विषयों को लेकर यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने बातें कहीं। बड़ी-बड़ी जो बातें यहां पर कहीं गयी उनका मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि मैं छोटी डिटेल में जाना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि सदन के माननीय सदस्य भी यह नहीं चाहेंगे कि विस्तृत रूप से सभी मुद्दों पर जानकारी दूं। इसलिए अपने उत्तर को सीमित रखते हुए कुछ ही मुद्दों पर यहां पर चर्चा करूंगा।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने किसान और लेण्ड टेन्योर है उसमें टिलर आफ दी साइल और जो लेण्ड का लेण्ड होल्डर है उसके संबंध में क्या रिलेशनशिप रहेगी इस संबंध में राज्य सरकार प्लानिंग कमिशन के जो वर्किंग ग्रुप ने सजेशन्स दिये हैं उसके अनुसार कोई कार्यवाही कर रही है या नहीं कर रही है। यहां पर यह बात भी कही गई कि जो अलाभकारी जोतें हैं उनके संबंध में पहले यहां पर इस प्रकार की राज्य सरकार ने एक दफा घोषणा की थी कि अलाभकारी जोतों पर मालगुजारी नहीं ली जायेगी और अब लेनी शुरू कर दी है इसलिए इस भू-राजस्व को समाप्त किया जाना चाहिए। अन्य भूमि सुधारों के संबंध में नियमन के मामलों को लेकर सरकारी सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण हुए हैं उनके हटाने के

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रश्न को लेकर दफा 91 की कार्यवाही कई दफा अतिक्रमण नहीं होते हुए भी पटवारी जानबुझकर ऐसी रिपोर्ट करते है ताकि लोगों को हरेस किया जाये और इस परेशानी से लोगों को छुटकारा दिलाया जाये और भूमि के स्थानान्तरण हुए है उसको इफेक्टिव तरीके से रोक लगाई जानी चाहिए ऐसे नाजायज ट्रान्सफर्स हुए हैं उन्हे कानून के शिकजें में लिया जा कर वह जमीन वापिस रिज्यूम करके भूमिहीनों को दी जानी चाहिए। यहां पर चारागाहों के अतिक्रमण के संबंध में भी बहुत सी बाते कही गयीं। कुछ माननीय सदस्य यह चाहते थे कि चारागाहों के संबध में जो आज ट्रेसपासर्स हैं उनको सख्ती के साथ हटाया जाना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों की वहां की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके सुझाव थे कि जमीन रिलीज कर देनी चाहिए और उसके साथ ही साथ एक बात जो कही गयी कि किसान बारानी भूमि पर कोई भी इम्प्रूवमेंट करता है और कुआ खुदवाता है तो उस संबंध में लगान उससे चाही का लिया जायेगा या बारानी का लिया जायेगा इस संबंध में एक बात कही गयी।

मैं सदन को भूमि सुधारों के सम्बन्ध में जो राजस्थान में पिछला इतिहास रहा है उसमें नहीं ले जाना चाहता हूं। राजस्थान जिस तरह से बना और 21 रियासतों का राजस्थान जहां भिन्न भिन्न प्रकार के टेन्योर सिस्टम थे, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा और कस्टम थे और ज्यादातर यह राजस्थान का इलाका जागीरी के शिकन्जों में जकड़ा हुआ था। जोधपुर रियासत का 82 पर्सेन्ट इलाका जागीरदारी था और कुल मिलाकर राजस्थान में 60 पर्सेन्ट जागीरदारी, बिस्वेदारी और जमींदारी के चंगुल में फंसा हुआ था। जहां न सिक्योरिटी आफ टेन्योर था, न फेयरनेस आफ रेन्ट थी और न जमीन जोतने वाले की ही थी। उसका न कोई स्वामित्व था भूमि पर। यह इसलिए था कि मध्यस्थ लोग सरकार के और उसके बीच में चाहे बिश्वेदार थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, इस्तमरार थे या लैण्डआनर्स थे और जिनको स्पेशल प्रकार के हक है, राजा महाराजा और कई प्रकार के बिचौलिये थे। राज्य सरकार ने राजस्थान बनने के बाद जितने भी काश्तकार हैं उनको इनमें प्रोटेक्शन दिया है। सबसे पहले टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन आर्डिनेन्स 1949 बनाया। मैं समझता हूं कि जब तक काश्तकारी कानून, 1955 नहीं बना तब तक इस टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन आर्डिनेन्स ने राजस्थान के लाखों किसानों को बे-दखल होने से बचाया था। यह भी बात नहीं, इसके साथ ही साथ जहां लटाई, बटाई और दूसरी लाग ली जाती थी, कोई फेयरनेस आफ रेन्ठ नहीं था वहां पर राजस्थान प्रोड्यूस लैण्ड रेगुलेशन एक्ट, 1951 पास करके इस बात की पाबन्दी की गई कि एक पर्टीकुलर हिस्से से ज्यादा कोई भी बिचौलिया नहीं ले पायेगा। उसके साथ ही साथ राजस्थान में एमरी सेटलमेंट और सेटलमेंट शुरू हुआ। 1969 तक पूरे राज्य में केवल एक जैसलमेर को छोड़ कर परमानेन्ट सेटलमेंट कराके रेकर्ड्स तैयार किये गये। मैं इसलिए कह रहा था कि यह जो कुछ भी इतिहास राजस्थान का रहा है उस इतिहास के परिपेक्ष में भूमि सुधार हुए हैं या नहीं उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि अब राजस्थान के अन्दर इन्टरमीडियरी कोई भी रहा है। लास्ट जो रेम-

(श्री परसराम मदेरणा)

नेन्ट्स थे, इन्टरमीडियेरीज के, जो आर्डिनेन्स मैं कुछ रोज पूर्व लाया था मैं समझता हूं कि उसके पास होने के बाद जो लैण्ड ओनर्स थे उसके बाद में राजस्थान में कोई भी इन्टर-मिडियेरी नहीं रहा है कि जो किसानों का शोषण कर सके। हमने इन्टरमीडियेरीज मे किसानों का मुक्ति कम्पलीटली दिलवा दी है। उसके साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि काश्तकारी कानून और दूसरे जो हमने उनको स्वामित्व का हक दिया लेकिन स्वामित्व के हक के साथ ही साथ हमने बहुत सी दूसरी बातें भी बराबर की राजस्थान के अन्दर। इसलिए कुछ समस्याओं में पेचीदगियां आती गयीं हालांकि टेनेन्सी एक्ट के पास होने के बाद 9 लाख काश्तकारों को खातेदारी के हक मिले लेकिन उसके बाद में भी बराबर इस राजस्थान के अन्दर पिछले कई वर्षों से ट्रेसपास भी होता गया, जमीनों का एलोटमेंट भी होता गया, रेगुलेराइजेशन भी होता गया। यह कन्टीनुअल प्राब्लम खड़ी रहती हैं। जहां ट्रेसपास हो जाता है कई लोग रेगुलेराइजेशन की बात करते हैं और कई लोग बेदखली की बातें करते हैं कई लोग रियायत लेने की बातें करते हैं और यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी और इसलिये समय पर राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिये कि फलां तारीख को जो भी ट्रेसपासर्स हैं उनको रेगुलेराइज कर दिया जाये। चाहे वह गोचर जमीन पर हो, चाहे वह सिवायचक पर हो और चाहे चारागाहों पर हो। इस तरह के आदेश समय समय पर दिये उन आदेशों के देने से कई प्रॉब्लम्स भी खड़ी हुई और यह समस्या इतनी बढ़ गई थी कि इन समस्याओं का हल होने के बाद यह कैम्पेन बराबर चलता रहा। यहां पर यह भी बात कही गई म्यूटेशन के मामले में कि दर्ज नहीं हो रहे हैं, रेग्युलराईजेशन नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही ट्रेसपास के केसेज बेदखली नहीं है, किसानों को कब्जा नहीं मिल पा रहा है। माननीय सदस्य यह बातें तो सब कह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है इस तरह हर साल कोई न कोई काम नहीं होता हो। पिछले एक साल के अन्दर काफी काम हुआ है और इस काम के होने के बावजूद भी काफी काम होना बाकी पड़ा है। राज्य सरकार यह महसूस करती है कि भूमि सुधारों के सम्बन्ध में जिस प्रकार का एक कैम्पेन हमने आवासीय भूखण्डों का आवंटन करने के लिए राज्य में चलाया था उसी प्रकार का दूसरे भी जितने भी भूमि सुधार के मुद्दे हैं और जितने भी बिन्दु हैं एक ड्राईव के रूप में अगर हम चलायें तो निश्चित रूप से जो बैक लॉग हो गया है, उस बैक लॉग को निकाल कर किसान जो आए दिन पेशियों में घूमता रहता है और बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया है उसको इससे निकालना चाहिए। इस प्रकार राज्य सरकार ने यह सोचा है कि खातेदारी के अधिकार देने के लिए, कृषि योग्य भूमि कमाण्ड और नॉनकमाण्ड दोनों में आवंटन करने के लिए और आवंटन करने के बाद में फिर कब्जा दिलाने के लिए, लैंड रिकार्ड को अपटूडेट बनाने के लिए, रिकार्ड में तरमीम करने, नामान्तरण करने और स्वीकार करने जमाबन्दियों यथा समय तैयार करने और नियमानुसार जांच करके जमा करने, पास बुकों का वितरण, अतिक्रमण के मामलों को निपटारा और सरकारी भूमि पर किए गए

(श्री परसराम मदेरणा)

मकान व बाड़ों के नियमन के मामले और आवासीय भूखण्ड जो आवंटित किए गए हैं। उसमें कुछ यहां पर बातें कही गई थीं, कुछ मामलों के अन्दर कब्जे नहीं दिए गए हैं। इन मामलों को लेकर, इन मुद्दों को ले करके राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यों तो साल भर तक कैम्पेन चलता रहता है, एक स्पेशल ड्राईव 15 मार्च, आज से दो दिन पहले से लेकर और 15 जून तक तीन महीने का एक स्पेशल ड्राईव जिसमें भूमि-आवंटन करने, आवासीय भूखण्ड आवंटन करने का जिस प्रकार का कैम्पेन चलाया था उसी प्रकार का एक अभियान इस राज्य में चलाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और उस स्पेशल अभियान को चलाने के लिए जो भी गाडियां, दूसरे जितने भी आज साधन उपलब्ध होने चाहिये उनको लेकर मौके पर राजस्व अधिकारी इन मामलों का फैसला करें ताकि किसानों को अन्य अदालतों में नहीं फिरना पड़े, इस प्रकार का निर्णय किया है।

यहां पर यह भी निर्णय लिया है कि सीलिंग के कानून का इम्प्लीमेंट करने में काफी समय लग गया है और उसके कुछ कारण भी थे। लेकिन अब सीलिंग के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि 31 मई तक करीब करीब सभी एस. डी. ओज को जो ऑथोराइज्ड आफिसर हैं इनको सभी केसेज को डिस्पोज आफ करवा देना चाहिए चाहे वह पुराने सीलिंग कानून के अन्दर हों चाहें नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत हों, कुल मिला कर सीलिंग के 31 हजार मामले विभिन्न अदालतों में निपटाने हैं। इस प्रकार से 31 हजार मामलों में उसके आगे भी अपील में और सैकिंड अपील में, रिविजन में एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दिया है और इसके साथ ही कैम्पेन चलाया जा रहा है। वह प्रोग्राम आज जो भूमि सुधारों का एक सीलिंग का और सीलिंग के साथ में दूसरे जो मुद्दे हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है इस प्रोग्राम के साथ में साईमलपेटेनियिसली चला कर राजस्थान के अन्दर जो माननीय सदस्यों ने भिन्न भिन्न तहसीलों की जो समस्याएं कही हैं, उन समस्याओं में मैं यह नहीं कहता कि पूरा हल हो जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन है वह कण्टीन्यूअस प्रोसेस है। म्यूटेशन के साथ में ट्रांसफर हैं, ऐसे मामले हैं, रेग्युलराईजेशन होना चाहिए उसका, हमने एक तरीका यह रखा है। अभी रेग्युलराईजेशन के मामले में हर मामले का रेग्युलाईजेशन नहीं किया जा सकता। मैं सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि जहां तक बाड़े और मकानों का ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण है राज्य सरकार का सर्कुलर भी यही है कि 1 दिसम्बर, 1970 तक जो अतिक्रमण है उनका ही नियमन किया जाय अन्य का नहीं। इसके बाद में कोई भी करेगा, जिस तरह के केसेज डिस्पोज आफ होंगे, पैनेल्टी वगैरा लगाई जायेगी, उसका नियमन नहीं होकर आवंटन ही हो सकेगा। इसी प्रकार से नॉन कमाण्ड एरिया के अन्दर जो नियमन के आदेश हैं वह 1-1-71 से पहले के कोई भी अतिक्रमण हो और उसमें भी कुछ शर्तें हैं, वह भूमिहीन हो, उसके पास 15 बीघा से कम भूमि हो, इस प्रकार का व्यक्ति हो जो एलीजिबल हो तो नियमन किया जायगा। इसी तरह से नॉन कमाण्ड एरिया में जो मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट हैं, 31-12-67 से पहले का कोई व्यक्ति अगर अतिक्रमणी है और वह भी भूमिहीन

(श्री परसराम मदेरणा)

है जो नियमन हो सकेगा और इस तरह चारागाह के अन्दर 31-12-66 के अन्दर किसी चरागाह पर अतिक्रमण किया है और लगातार मालगुजारी देता है या पैनल्टी देता है, दोनों मे से एक चीज हो तो भी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में रेग्युलराईजेशन किया जाय, यह राज्य सरकार का आदेश है और इन आदेशों के अनुरूप ही जिस जिस कैटेगरीज के लोग आयेंगे उनके मामलों का नियमन किया जायगा अन्यथा उनको बेदखल किया जाएगा

यहां के कुछ आंकड़े मैं सदन में देना चाहता हूं। यहां पर कहा गया है कि म्यूटेशन के बहुत मामले बाकी पड़े हुए हैं। पिछले वर्षों में म्युटेशन जो दर्ज हुए है 69-70 में 1,45,897 हुए। 70-71 में 1,97,421, 71-72 में 3,25,830, 72-73 में 3,12,019, 73-74 में 2,80,585 और 74-75 के दिसम्बर एण्ड तक 1,92,834 म्यूटेशन दर्ज हुए हैं। इस अप्रेल से लेकर दिसम्बर तक और केवल 48,437 म्यूटेशन ऐसे हैं जिनका अभी तक दर्ज होना बाकी है। उस सम्बन्ध में भी कैम्पेन चला म्युटेशन के सम्बन्ध में भी। यह कहा गया है कि आज राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि म्यूटेशन के अन्दर किन बातों में म्यूटेशन होगा—या तो खातेदारी भूमि का ट्रांसफर करता है या सेक्शन 54 (ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के नीचे कोई इन्हेरेंट्स के मामले के अन्दर इन्हेरेन्ट है, कोई पार्टीशन का मामला है। इसके अलावा कोई सीलिंग से बचने के लिए या फ्रेग्मेटेशन से नीचे की जमीन है, सेक्शन 42 आफ राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में म्युटेशन दर्ज नहीं कराता है। इसलिए हर मामले में म्युटेशन नहीं हो सकता। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, बन्दिश लगा रखा है कि इन मामलों में म्यूटेशन नहीं करा सकते।

इस तरह से यहां पर एलाटमेंट के सम्बन्ध में भी बातें कही गई। हालांकि आंकड़े पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन मैं अब आपके सामने अपटूडेट स्थिति रखता हूं। 1952 के बाद जो खातेदार बन गए या जिनके पास जमीन थी गैर खातेदार जिनको अभी तक खातेदारी के हक नहीं मिले, डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिनको दस साल हो गए उनको स्वतः ही खातेदारी कन्फर कर देना चाहिए। राज्य सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं। हमने इस भूमि सुधार के ड्राईव के पहले भी स्टेप्स लिए हैं लेकिन उसके अलावा जो भूमि एलाट की, रेग्युलराईज नहीं, रेग्युलराईज का अलग है और भूमि हमने कमांण्ड एरिया में एलॉट की वह अलग है लेकिन अन कमांड एरिया में 52 दिसम्बर से जो भूमि एलाट की 74 तक वह है 9,65,156 व्यक्तियों को 62, 73,568 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा आवंटन किसी भी अन्य राज्य में, मध्यप्रदेश की बात तो नहीं कह सकता क्योंकि बहुत जंगल की भूमि रिलीज की है लेकिन अन्य राज्यों में आवंटन नहीं हुआ है। यह आवंटन बहुत से आदमियों को आवंटित किया गया है खातेदारी मिल गई, लेकिन कइयों को खातेदारी नहीं मिली हैं। इस खातेदारी के मिलने में दो प्रकार का प्रावधान है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एलाटमेंट आफ एग्रीकल्चर

(श्री परसराम मदेरणा)

परपजेज रूल्स, 1970 है, उसके तहत जो 57 से थे इन रूल्स में इस बात का प्रावधान है कि इस साल से कोई भी गैर खातेदार वह एलॉटमेंट की कण्डीशन्स ब्रीच नहीं करता, खातेदारी मिल जाएगी। 57 के पहले भी जो एलॉटमेंट हुए हैं और अगर वह ढ़ाई गुना मालगुजारी देकर खातेदारी हक लेना चाहता है उनको भी खातेदारी मिल सकती है। इसलिए खातेदारी के सम्बन्ध में भी हमने रेस्ट्रिक्शन्स नहीं रख कर सुओमोटो दस साल हो गए है या उन्होंने 69 से पहले ढ़ाई गुना देकर खातेदारी लेना चाही है को इस तीन महीने के कैम्पेन के अन्दर जितने भी लोग हैं, व्यक्तिगतरूप से उनको आवेदन पत्र देने की आवश्यकता नहीं है उनकी खातेदारी कन्फर कर दी जायगी। नान कॉलोनियल एरिया में भी और यह जो एलॉट हुई इस लैण्ड के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो मिली है, शिडयूल्ड कास्ट को 28 परसेन्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों की परसेन्टेज 21 परसेन्ट है, कुछ मिलाकर शिडयूल्ड कास्ट और शिड्यूलड ट्राइब्स की परसेन्टेज 49 परसेन्ट होती है, और जो कि 9,65,156 एकड़ की बात कही थी और भूमि 39 परसेन्टेज के आसपास हैं। इसी तरह से राजस्थान कैनाल एरिया के अन्दर जो आवंटन हुआ है उस आवंटन में भी करीबन 45 हजार लोगों में से 24 परसेन्ट हरिजन और नॉन-हरिजन हैं, इनके अलावा जैसा कि मैंने कॉलोनाईजेशन की डिमाण्ड पर भी सूचना दी गई थी कि 30 परसेन्ट भूमि आगे आने वाले, राजस्थान केनाल का एरिया है आउट लेट के ऊपर हरिजनों को रिजर्वेशन के आदेश उपनिवेशन के अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात यह कही कि पास बुकों के वितरण के सम्बन्ध में ऐलान किया जावे कि महीने दो महीने में सब पास बुकें वितरण कर दी जावेगी। राजस्थान के अन्दर कुल मिलाकर 45 लाख के लगभग खातेदार और गैर खातेदार हैं, अभी तक पास बुकों का वितरण हुआ है, 1929520 पास बुकें वितरित की जा चुकी हैं। राज्य सरकार कितनी ही कोशिश कर, कुछ भी कारण हो, लेकिन पास बुकों का वितरण पूरे के पूरे राज्य में एक साथ नहीं किया जा सकता, इसके कई कारण है। क्योंकि जहां पर जमाबन्दी तैयार नहीं होती, जब तक खाते एग्जेक्ट पोजीशन में रिफलेक्ट नहीं करेंगे तब तक इन पास बुकों का कोई मतलब नहीं होता हैं और दूसरी बात यह हैं कि सेटलमेंट के कार्य के दौरान पास बुकें नहीं दी जा सकती। सेटलमेंट क्लोज हो जाते हैं, सेक्शन 142 लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत, लेकिन क्लोज होने के बाद भी लगभग दो साल का पीरियड लग जाता है। लैंड रेकार्डस रेवेन्यू आफिसर को ट्रांसफर किये जाते हैं और जब तक यह सब नहीं हो तब तक पास बुकें नहीं दी जा सकती। पहले भी मैंने इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि पास बुकों का वितरण एक फेज्ड प्रोग्राम में किया जायगा, अभी जो तीन महीने का ड्राईव रखा गया है उसमें भी यही मुद्दा रखा गया है। मैं समझता हूं कि जहां भी रेकार्डस तैयार हो चुके हैं, और जितनी भी हम पास बुकें वितरण कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे और अगले सत्र में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको सन्तोषजनक उत्तर दे सकूंगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

रेग्युलराइजेशन के सम्बन्ध में भी बात कही गई थी। राजस्थान के अन्दर 1969 से लेकर 31-12-74 तक 3,01,191 व्यक्तियों को 6,67,229 एकड़ भूमि का नियमन किया गया है। इसका मतलब है हैं कि तीन लाख के आस-पास ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत नियमन होने के लिए अतिक्रमण के मामलों में एलिजिबिल थे, उनको एलिजिबिल किया गया, लेकिन जो एलिजिबिल नहीं हैं, कुल मिलाकर राजस्थान में डेढ़ लाख अतिक्रमण के मामले तहसीलदारों के पास सैक्शन 91 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत जेर तजवीज हैं। इसके हिसाब से अगर 34 हजार गांवों को देखते है तो एक गांव में चार केसेज का एवरेज आता हैं। कहीं एक एकड़ का ट्रेसपास हैं, कहीं 20 फीट का हैं, और कहीं पर मकान बना लिया हैं इस तरह कई केसेज ट्रेसपास के हैं। सैक्शन 91 की जो कार्यवाही की जा रही हैं, कई मामलों के अन्दर वह ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई है क्योंकि एक बार कोई केस डिसाइड हो जाता हैं तो कई बार दुबारा वही व्यक्ति द्वारा ट्रेसपास कर दिया जाता हैं तो दुबारा उसका केस रजिस्टर किया जाता हैं। इस लिए अभी जो फिफ्टीन टाइम्स पेनल्टी का इसमें प्रावधान है उसको बढ़ाने के लिए सरकार विचार कर रही हैं और सिविल इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान भी इसमें किया जा सके यह भी सरकार के विचाराधीन है। इसलिए यह कहना कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में राजस्व विभाग का पूरे का पूरा मामला उदासीन है और काम नहीं कर रहा हैं यह उचित नहीं होगा। लेकिन यह ठीक हैं कि इन तमाम मामलों को, उन्हें जो हैं, एक ड्राइव के रूप में लिया जाना चाहिए। टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे। उन्होंने यह कहा कि पटवारी के लिए वे कह रहे थे, कि पटवारी ओवर-लोडेड हैं। न उनका कहीं पटवारघर हैं, न उसके पास कोई आलमारी हैं और न कोई जाजम है और न उसके साथ में पूरे रजिस्टर ही हैं। यह सही हैं कि लैंड रेवेन्यू मैन्यूअल के अनुसार पटवारियों को 38 प्रकार के रजिस्टर रखने पड़ते हैं, और वह यदि 18 घन्टे तक लगातार काम करें, जैसा कि मांडल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, तो वह अपने काम को पूरी तरह से अन्जाम नहीं दे सकता है, इसलिए इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है, रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष की चेयरमैनशिप में यह देखने के लिए फिर पटवारियों और रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स का क्या वर्क लोड है और उसको कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए इस कमेटी की रिपोर्ट भी राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है और मन्त्रिमण्डल के विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि कुछ सिफारिशें पटवारियों के वर्कलोड को देखते हुए मान भी ली गई हैं। दो तीन हजार पोस्टें और बढ़ाने के लिये भी कमेटी ने सुझाव दिया है और उस पर फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने भी इस विषय में सहमति प्रदान कर दी है और मैं समझता हूं कि इससे काफी मदद मिलेगी।

फिर भी राजस्व अदालतों में बहुत से मामले पेन्डिंग पड़े हुए हैं, रेवेन्यू बोर्ड के सामने है, अपीलेट आँथोरिटीज के पास, एस. डी. ओ. कोर्ट्स में और तहसीलदारों के पास भी हैं, इसके लिए क्या फेज्ड प्रोग्राम

(श्री परसराम मदेरणा)

होना चाहिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोर्ट केसेज निपटाने के लिए उसके वर्किंग के सम्बन्ध में क्या कुछ किया जाना चाहिए और स्ट्रीमलाइन में केसेज इफेक्टिव किस प्रकार से बनाये जायं, इनमें क्या कमियां है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अभी महीने-दो-महीने पहले एक कमेटी कान्स्टीट्यूट की है, इसमें कलेक्टर्स को और कुछ राजस्व के विषय में जानकारी रखने वाले लोगों को और फाइनेन्स कमिश्नर भी है, इस प्रकार से सात-आठ आदमियों की कमेटी कॉन्स्टीट्यूट की गई हैं, और यह कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जिस तरह से पुलिस विभाग में रिआर्गेनाइजेशन किया गया था उसी तरह से रेवेन्यू विभाग में भी समय आ गया है कि किस प्रकार से इसके काम को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। कमेटी के जो भी प्रस्ताव आयेंगे उस पर भी राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायगा और पटवारियों का वर्कलोड कम हो, इस संबंध में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यह फार्म्स के सम्बन्ध में और बात है। यह बात हमारे पास आई है। बहुत से फार्म पटवारी के पास हैं। आज की परिस्थिति में, जो लेन्ड मेन्युअल है उसके अनुसार 38 रजिस्टर का प्रावधान है। इसको कुछ कम किया जा सकता है। रेवेन्यू बोर्ड के जो मेम्बर है, लेन्ड रेकार्ड्स के इन्चार्ज उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया गया है और उनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का तीन महीने का समय दिया है। वे अपने प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे और उसके अनुसार कानून में परिवर्तन किया जायेगा। ज्यादा या कम रजिस्टर रखने की जो बात होगी तय कर दी जायेगी और पटवारी का वर्कलोड कम किया जा सके, ऐसी तजवीज की जायेगी।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ व्यक्तिगत बातें भी कहीं गई हैं माननीय सदस्यों द्वारा। करनपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि रेवेन्यू ऑथोरिटी अपनी सीटिंग्स श्री गंगानगर में भी करे। यह सुझाव दिया है। राज्य सरकार उनके सुझाव पर पुनर्विचार करेगी।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन जो हरिजनों से ट्रान्सफर हो गई है उसके बारे में कहा है। इस सम्बन्ध में टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन 42 में प्रावधान था। किसी प्रकार से ट्रान्सफर करने के अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने इसको एग्जामिन कराया है और एग्जामिन करवाने के बाद आगे किस प्रकार से कार्यवाही हो, कलेक्टर और रेवेन्यू अधिकारियों को करनी है, कानून के अन्दर 12 साल का प्रावधान है, इसमें अमेन्डमेंड करने का, या इस कानून में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो-तीन दिन में इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में जितने भी ट्रान्सफर इल्लीगल हुए हैं उनको केन्सिल करके जमीन को रिज्यूम किया जायगा और उस पर हरिजनों को रखा जायगा। इस भूमि के ऊपर इस प्रकार के आदेश सरकार दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सब-टिनेन्ट के रजिस्टर के बारे में बात कही गयी है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने

(192)

(श्री परसराम मदेरणा)

और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से यह बात कही है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य का ऐसा सोचना है कि वकिंग परिस्थिति के अन्दर जो कॉप्स सब-टिनेन्ट्स, शिकमी काश्तकार की है, उस सम्बन्ध में ऐसे लोगों का जो शोषण होता है, उसको रोका जाना चाहिये और इफेक्टिव स्टेप लिये जाने चाहिये। पहले जिन्सवार गिरदावरी हो रही थी। उस जिन्स गिरदावरी का कालम 6 को एक आदेश के जरिए बंद कर दिया गया था और उसमें चेन्ज आफ पजेशन आन कल्टीवेशन रेकार्ड नहीं किया जायगा। केवल खातेदार का नाम दर्ज होता है, शिकमी काश्तकार का नहीं। अब कालम 6 में एन्ट्री करने के आदेश अब दे दिये गये हैं और अब सब-टिनेन्ट का रजिस्टर खोल दिया गया है। अब यह समस्या खड़ी हो गई है कॉलम 6 में चेन्ज आफ पजेशन ग्रोन कल्टीवेशन को जो ऐन्ट्रीज होना शुरू हो गई, उसमें लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया दिया कि सब-टिनेन्ट नहीं है और पटवारी से मिल कर किसी ने सब-टिनेन्ट का इन्द्राज करवा दिया तो वह सब-टिनेन्ट बन जायेगा और आगे चल कर उनके जमीन पर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाये। मैं मानता हूं कि इस इन्द्राज से कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं, पटवारी को करप्शन का मौका हो सकता है। इसलिए यह तय किया गया है कि इसे गिरदावरी के बेसिस पर रेवेन्यू इन्स्पेक्टर चैक करके रजिस्टर बनावें। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में आदेश निकाले हैं। जो सब-टिनेन्ट हैं, खातेदार हैं, दोनों पार्टियों को तहसीलदार गिरदावरी होने के बाद नोटिस देगा और उनको सुनने के बाद वह रजिस्टर के अन्दर सब-टिनेन्ट के नाम को दर्ज करेगा। यह इन्द्राज तसल्ली करने के बाद होगा। सब-टिनेन्ट का नाम अगर दर्ज हो गया तो इसका नाम निकालने के लिए अदालत में जाना होगा, यह सही है कि रेवेन्यू रेकार्ड के अन्दर किसी का नाम दर्ज हो गया है तो उस रेकार्ड में करेक्शन की कार्यवाही अदालत में जाकर ही की जा सकती है। यह प्रावधान किया गया है। इसके आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गये हैं, उनकी जो जमीन थी उसे भारत सरकार ने इवेकुई प्रॉपर्टी माना। यह जो विवाद है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को भारत सरकार से वार्ता चल रही है। राज्य सरकार ने कुछ प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में रिट की है कि कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट उनको बेदखल कर रहा है। मैंने उनको बेदखल न करने के सम्बन्ध में स्टे आर्डर दे दिया है। जो लोग मुस्लिम प्रापर्टी पर काबिज हैं उनको अभी बेदखल नहीं किया जायेगा। हमारी और भारत सरकार की बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि विचार-विमर्श के बाद इस समस्या का कोई न कोई हल निकलने जा रहा है।

यहां पर बांगीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कडाणा से डूब से आने वाले क्षेत्र को आवंटन न करने और दूसरे प्रकार की कार्यवाही बन्द कर देने के सम्बन्ध में कहा है। उन्होंने यह कहा कि जो जमीन डूब में नहीं आ रही है वहां पर भी दोनों जिलों बांसवाड़ा-डूंगरपुर में भू-आवंटन का

(श्री परसराम मदेरणा)

काम बन्द कर दिया है, रेग्युलराइजेशन नहीं हो रहा है। मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया। अब स्थिति साफ हो गई है, 1973 की बरसात के बाद में तो जो 410 या 419 कौनसा रखा है, यह मुझे मालूम नहीं, इससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं, इसमें कौनसी भूमि आयेगी, वह नक्शे के ऊपर वहां पर मार्क कर दी गई है। जो भूमि डूब में नहीं आ रही है वहां पर भू-आवंटन और दूसरे प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिये। इस प्रकार के आदेश मैं दे रहा हूं।

यहां मर माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिये हैं कि लैंड एलाटमेंट कमेटी का चैयरमैन एस. डी. ओ. की जगह पर वापिस तहसीलदार को बना दिया जाये। पहले इसका चैयरमैन तहसीलदार ही था। यह प्रश्न पहले भी आया था और तहसीलदार के चैयरमैनशिप में काफी अनियमितताएं हुई थीं इसलिए एस. डी. ओ. को बनाया गया है। तहसीलदार भी इसका मेम्बर है। अभी स्पेशल ड्राइव चल रहा है और इस पर पुनर्विचार करना मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं होगा।

यहां पर नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है। नये कुए बारानी भूमि में बनाये जा रहे हैं उस पर रेवेन्यू चाही की लगेगी या उसी बारानी की? इस सम्बन्ध में राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 159 साफ है। कोई भी व्यक्ति अगर बारानी जमीन में कोई इम्प्रूवमेंट करता है तो इम्प्रूवमेंट के करने की तारीख से लेकर 20 साल तक जो रेन्ट रहा वह जो पहले वाला था वही रहेगा और चाही का रेन्ट नहीं लगेगा। यह कानून का प्रावधान है। इसलिए इ्यूरिंग सैटलमेंट जहां कहीं भी यह मामला आया है यह कैफियत दे दी है कि इस पार्टी से इस साल तक यह रेन्ट वसूल किया जायगा जब तक कि बीस साल पूरे नहीं हो जाते हैं। एक्ट में इस बात का प्रावधान है। इसलिए पटवारी चूंकि कुआ बनता है, उसकी डिमांड भर देता है चाही का परन्तु यहां पर पट्टे की हालत नहीं है। यह कैसे बना सकता है, यह मैं नहीं समझ सका हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट नहीं हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : बीस साल के बाद में चाही का रेन्ट लगेगा इसको आप बाद में पूछ लेना।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर टैंक बेड कल्टीवेशन की बात कही गई। यहां पर यह बात कही गई कि टैंक बेड कल्टीवेशन की भूमि ऐलाट करने में देरी होती है। जब जब किसी टैंक की भूमि सूख जाती है तो उसको उसी वक्त ऐलॉट कर दिया जाय, राज्य सरकार इस सम्बन्ध में आदेश जारी करेगी। टैंक बेड के नीचे की भूमि, उसकी नमी, पानी सूखने के पहले पहले ऐलॉट कर दिया जाये ताकि किसान को यह मालूम हो कि उसे यह जोतनी है और वह व्यक्ति किसान इनपुट वगैरह का समय पर इन्तजाम कर ले और समय पर वहां खेती कर सके। यहां पर राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने सीलिंग कानून के सम्बन्ध में एक बात कही। जैसा कि मेरी और उनकी बात हुई थी कि जो सीलिंग का पुराना कानून है राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, चैप्टर 3 (बी) और अभी जो कार्यवाही जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कानून,

(श्री परसराम मदेरणा)

1973 में बना है इन दोनों के सम्बन्ध में कुछ मामले जो पुराने पेंडिंग थे वह पुराने कानून में हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेक्शन 4 का जो दूसरा प्रोवीजो है इसमें इस बात का प्रावधान है कि नये कानून में अगर किसी व्यक्ति के पास, लैण्ड होल्डर के पास भूमि 30 स्टेण्डर्ड एकड़ से ऊपर है तो उसके खिलाफ कार्यवाही पुराने कानून के प्रोवीजन के साथ में की जानी चाहिये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्योंकि अब फेमिली की डेफिनिशन बदल गई है. उसकी परिभाषा बदल गई है, ट्रांसफर की भी डेट एक नहीं रही है इसलिए यह निर्णय लिया था राज्य सरकार ने, नहीं रेवेन्यू बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जो 1-1-73 के पहले जो व्यक्ति जिनके पास 30 स्टैण्डर्ड एकड़ से ज्यादा है उसके खिलाफ नये केसेज भी इनिशियेट करना है तो पुराने कानून के अन्तर्गत किया जा सकेंगे ताकि नये कानून के सेक्शन 4 (2) (बी) का दूसरा प्रोवीजो है इसको इम्पलीमेंट कर सकें, और यह जो आदेश दिये गये हैं वह कानूनी पोजीशन को ध्यान में रख कर और निगाह में रखकर दिये गए हैं। हो सकता है कि लॉ कोर्ट्स का इन्टरप्रिटेशन क्या हो मैं उसकी गारन्टी नहीं दे सकता। आपने यह स्थिति यहां पर पूछी है। मेरे खयाल से इस एक्ट पर सुप्रीमकोर्ट के इस प्रकार के कई डिसीजन्स हो चुके हैं और दूसरे हाई कोर्ट्स के डिसीजन्स हो चुके हैं कि जहां पर ऐसे मामलों में एक्शन पुराने कानून में हो जाना चाहिए था और उसमें नहीं हुआ है तो ऐसा समझें कि पुराना कानून रिपील नहीं हुआ है और स्टेट्यूटरी बुक्स में यों का यों है।' इस कानूनी स्थिति को एक्जामिन करने के बाद में यह आदेश दिये गये हैं।

यहां पर राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रेवेन्यू मशीनरी के सम्बन्ध में भी एक बात कही है कि रेवेन्यू मशीनरी राज्य सरकार की जो भूमि सुधार की नीति है, कोई प्रोग्राम है उससे कमिटेड नहीं हैं। इसलिए राज्य सरकार ने स्पेशल ड्राइव चलाया है। इस ड्राइव के सम्बन्ध में रेवेन्यू बोर्ड ने नहीं, रेवेन्यू कमिश्नर ने नहीं चीफ सेक्रेटरी ने सभी राजस्व अधिकारियों को जो एस. डी. ओ. लेवल के हैं इस बात के आदेश कलेक्टर को दिये हैं कि भूमि सुधार के मामलों में कहीं कोई कसर न रहे। राज्य सरकार की नीति से आफिसर चाहे कमिटेड हों चाहे कमिटेड न हों इस विवाद में न पड़ते हुए उसके बगैर उसको करना चाहिए और उनकी सी. आर. में कोई एन्ट्री भूमि-सुधार की परफार्मेन्स के बेसिस पर की जायगी। (हर्ष ध्वनि) मैं समझता हूं कि निश्चिततौर से उसका परिणाम होगा।

मंदिरों की जमीन के सम्बन्ध में बात कही गई। यह बात भी राज्य सरकार के ध्यान में आई है। हमने जिलाधीशों को ऐसा लिखा है और देवस्थान कमिश्नर को भी हमने यह बात लिखी है। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स को ऐसे आदेश दिये हैं कि जिस वक्त मंदिरों की जमीन डेइटी के नाम पर थी, वह देवता के नाम पर थी और पुजारी ने अपने नाम सेटलमेंट के वक्त करा दिया होगा तो ऐसे मामलों में कानूनन किस तरह से रेफरेन्स करके लैण्ड रेकार्ड में प्रावधान करवाना है, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है, और जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जायगा

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मस्जिदें भी शामिल होंगी।

श्री परसराम मदेरणा : मन्दिर की हो, मस्जिद की हो, किसी की हो,

एक माननीय सदस्य : गुरुद्वारा।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें गुरुद्वारा भी शामिल है।

यहां पर उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किशनगढ़ बास के, अलवर डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में जो कर्नल नासर आये थे तो कोई स्टेज बनाया गया हो जिसमें कुछ रुपये खर्च हुए थे, वहां पर उन्होंने जो है नाजायज कब्जा कर लिया है, और कन्वर्सन भी उसका कर दिया गया है जिस पर उन्होंने कब्जा किया है कलेक्टर ने और कन्वर्शन राजस्थान लैण्ड एलाटमेंट फार नान एग्रीकलचर परपजेज के लिए जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स के अन्तर्गत किया है। मुझे इसके फैक्ट्स मालूम नहीं हैं। आपने यह मुद्दा आज रखा है, हालांकि आप विधान सभा में पहले भी इस मामले को रख चुके हैं और 19-3-73 को उत्तर भी राज्य सरकार की ओर से आपको मिला है। वह उत्तर भी मेरे पास है, क्योंकि आपने तारीख दे दी है। विधान सभा में राज्य सरकार का दिया हुआ उत्तर और आपकी तरफ से लिखी हुई बातों के संबंध मे तथ्यों की जानकारी करके कुछ कार्यवाही की जा सकेगी।

चरागाहों की भूमि के कन्वर्शन के सम्बन्ध में यहां पर काफी बातें हुई, और यहां पर कहा गया कि चरागाहों को सुरक्षित रखा जाना बहुत जरूरी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने चरागाहों के रेग्युलेराइजेशन के लिए 1966 के पहले का कोई व्यक्ति है उसका रेग्युलेराइजेशन हो सकता है, लेकिन रेग्युलेराइजेशन के अलावा चरागाहों की भूमि के कन्वर्शन करने के मामले काफी लार्ज स्केल पर कमिटेड हैं जो कि दूसरे लोग इस भूमि को रिलीज कर रहे थे। इसलिए राज्य सरकार ने कानून में प्रावधान करके उसको बन्द कर दिया है। अब न तो रेग्युलेराइजेशन किया जा सकता है और न अब यह रिलीज ही हो सकती है जब तक कि सरकार की पूर्वानुमति नहीं ली जाती है। यह इसलिए कर दिया है कि चरागाहों पर अतिक्रमण को रोका जा सके।

यहां पर इकलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने म्यूटेशन के सम्बन्ध में बात कही थी, मैं समझ नहीं पाया, कि डेथ होने के बाद दो-दो पीढ़ियां बीत गई और म्यूटेशन नहीं हुआ। आपके जिले के लिए खास तौर से इन्स्ट्रक्शन्स दूंगा कि झालावाड़ के क्षेत्र में ऐसे मामले हों तो उनका निपटारा कर दिया जाय।

उसी तरह से यहां पर अजमेर के रिसेटलमेंट के सम्बन्ध में एक बात कही गई है। इस सम्बन्ध में दो प्रश्न भी पूछे गये जिनके संबंध में उत्तर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में कलेक्टर को सेटलमेंट ऑफिसर के पावर्स कन्फर्म किये गये हैं, और आपको रिसेटलमेंट का मामला अभी प्रोग्रेस में है।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष) : चरागाहों की जमीनों पर जिन्होंने कब्जा किया है वह हट जायगा क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : बीच में नहीं बाद में पूछ लें।

(श्री परसराम मदेरणा)

नसीराबाद की आपने बात कही थी। मैं आपके वहां पर एक किसान सम्मेलन में आया था कुछ महीने पहले। मैंने बात की थी। मैंने आश्वासन तो दिया नहीं था हर जगह मिनिस्टर की बात को आश्वासन पकड़ लेते हैं। कलेक्टर से फैक्ट ले रहा हूं। पहले यह मामला करीब करीब क्लोज हो गया था। अभी तक उसमें जान हो मैं नहीं कह सकता। कलेक्टर के कमेन्ट आने के बाद में निश्चिततौर से निर्णय लिया जायेगा।

डग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि भवानी मंडी में एस०डी०ओ० के कोर्ट की स्थापना की जाय। इस संबंध में प्रश्न भी पूछा था दो-तीन रोज पहले। उस वक्त मैंने यह जानकारी की कि झालावाड़ एस०डी०ओ० के पास में आज जो केसेज हैं और एक दूसरे एस०डी०ओ० है इक्लेरा में या कहीं पर, उन दोनों के बीच में एक-तिहाई और दो तिहाई का फर्क पड़ता है। झालावाड़ एस०डी०ओ० के पास दो-तिहाई है और इकलेरा वाले के पास एक-तिहाई केसेज हैं। मुकद्दमों की संख्या की जानकारी कर रहा हूं और मुझे वहां से वायरलेस भी मिला था और संख्या भी बताई गयी थी पिछले साल भी यह प्रश्न पूछा था और आपने लेट चीफ मिनिस्टर से भी संबंध में लिखा-पढ़ी की थी वह भी सरकारी पत्रावली में है। इनको देखकर राज्य सरकार एस०डी०ओ० की कोर्ट की स्थापना के मामले में अब पुनर्विचार करेगी।

यहां पर डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य काफी जो है, मैं समझता हूं कि पैमाइश के मामले में जानते हैं या तो वे पटवारी रहे हैं यो पटवारियों के साथ में उनका काफी अच्छा सम्बन्ध रहा है...

श्री प्रद्युम्नसिंह : पटवारियों के साथ में रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : गांव के मुखिया रहते ही हैं पटवारियों के साथ में और उनको बड़ी जानकारी रहती है। इनके सुझाव काफी कन्स्ट्रक्टिव हैं और सेटलमेंट अधिकारियों के साथ में बैठकर उनके सुझावों पर मैं बात करूंगा।

जोहड़ पाटन की जमीन थी क्योंकि वह सार्वजनिक में थी, चरागाह में थी, अगोर में या दूसरी थी उसके एन्क्रोचमेंट एरिया में थी तो उस पर खुदकाश्त के अधिकार दे दिये गये हैं। इसके तथ्यों की जानकारी लेने के बाद लैण्ड रेकार्ड में किस तरह से कार्पोरेट किया जा सकता है, इन प्रॉब्लम की क्या मेग्नेनिटी है उसको देखकर उसके बाद में कार्यवाही की जायगी।

अन्त में पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सजेशन दिये हैं कि एलॉटमेंट के बाद भी लोगों को कब्जा नहीं मिलता है। राजस्थान में जो मैंने अभी आपको संख्या बताई वह 9,56,156 एलॉटीज कुल मिलाकर के हैं। इनमें से ज्यादा से ज्यादा एलॉटीज जिनको कब्जा नहीं मिला है अप टू डेट टाइम पर तो उनकी संख्या 40 हजार से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए यह सोचना कि एलॉटमेंट तो हो रहे हैं लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा है ठीक नहीं। यह फीगर तो कुल मैंने दिये हैं लेकिन मैं इन फीगर्स को ठीक नहीं मानता

(श्री परसराम मदेरणा)

हूं । इस पर कार्यवाही हो रही है । जैसा कि जयपुर में था और अभी माननीय सदस्य जो फागी से आये हुए हैं जब उन्होंने अगस्त में असेम्बली के दौरान प्रश्न पूछा था तो उत्तर में जो इस जिले की पोजीशन जो थी उसमें काफी सुधार हुआ है और पिछले 5-6 महीनों में अब केवल 76 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कब्जा नहीं मिला है । इसके बहुत से कारण भी हो सकते हैं अदालतों से स्टे मिल गया है । इसलिए इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । पिड़ावा सीताबाड़ी क्षेत्र शाहाबाद में है । इस बारे में एक प्रिविलेज का मामला है । पिछले दिनों मैंने जिलाधीश को पत्र लिखा है । शाहाबाद में आदिवासी सहरिये हैं । उनको भूमि मिली हुई है । उनकी भूमि पर वह कौन लोग हैं, जिन्होने कब्जा कर लिया है ? किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार की स्थिति है । पिटीशन कमेटी इन दिनों सीज्ड है । पिटीशन कमेटी के सामने यह मामला है । मेरे विभाग के अधिकारी भी ऐसे आये हैं । ऐसे कोई आदमी हैं, जिनको हक नहीं है वह उनका शोषण करते हैं, वह कौन आदमी है, यह देखना है । मिलिट्री की तो कोई बात नहीं है । यह कोई पाकिस्तान का हमला नहीं है । पुलिस फोर्स डिप्लॉय करके उनके कब्जे से छुड़ाया जा सकता है । नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के संबंध में कुछ चार्जेज लगाये हैं । उन्होंने यह बात कही हैं ।...

श्री शंकरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, समय 8 बजे तक का दिया गया है । मैं निवेदन करूंगा कि जब तक मांगें पारित नहीं हो जायें तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये ।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार के स्वीपिंग चार्ज लगाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं हैं । अदालतों को एबाऊ सस्पीशन होना चाहिए । जो अदालतों के फाइनल एक्जीक्यूटिव हैड हैं, उनको एबाऊ सस्पीशन होना चाहिए । जो अलवर में जो अपीलेट ओथोरिटी हैं, उनके बारे में चार्ज बहुत बड़ा अन्याय होगा । उनके सामने जो फैक्ट आते हैं, उनके बारे में जो उचित होगा, वह करेंगे । उनके वर्क के अन्दर राज्य सरकार द्वारा कुछ भी कराना, उनके वर्क के अन्दर इण्टरवीन करना होगा । रेवेन्यू अदालतें उतनी ही स्वतंत्र हैं, जितनी जुडिशियरी है । मैं चाहूंगा माननीय सदस्य जो भी कहें, उसका वह सही उपयोग करके कहें । इन्हीं शब्दों के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मांग संख्या 8 है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक मांगें पारित न हो जायें, तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जब तक मांगें पारित नहीं हो जायें, तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष, महोदय, घड़ियों में दानों में गड़बड़ी है ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं तो स्वयं यह चाहता था कि कम से कम समय लूं। लेकिन समय कुछ ज्यादा हो गया है। इसलिए मांग संख्या 9 के सम्बन्ध में, मैं केवल 15 मिनट में ही राज्य सरकार की ओर से उत्तर दे देता हूं।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में प्रश्न कर लें।

श्री नाथूराम : मैंने निवेदन किया था कि कडाना बांध में एक गांव में दो बीघा जमीन डूब में आती है। जो डूबती है, उसके अलॉटमेंट का सारा काम आपने छोड़ दिया। मेरा निवेदन है जो बाकी है, उसका तो एलॉटमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट करे।

श्री परसराम मदेरणा : यह पहले ही स्पष्ट कर दिया। आप तो कडाना डैम में ही उलझ गये।

श्री नाथूराम : आप अलॉटमेंट का बतायें। वहां बैंक से लोगों को ऋण नहीं मिल रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : अलॉटमेण्ट हो गया तो वह बहुत पहले है। चूंकि यहां का सेटलमेंट हो चुका है। उसका पूरा बताया है। कि कहां क्या होगा। अलॉटमेंट के मामले को स्पष्ट ढंग से बताया है। आपको सब मालूम है।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, पट्टे रोक लिये हैं।

एक माननीय सदस्य : वह व्यवस्था हो जायेगी।

श्री परसराम मदेरणा : मांग संख्या 9 के सम्बन्ध में 15 माननीय सदस्यों ने विचार प्रस्तुत किये हैं। जो मुख्य बातें सदन में उठाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जो कमेटी है, लैंड रिलीज करने में काफी सदस्यों की राय थी। यहां पर इकलेरा से आने वाले माननीय सदस्य, डग और शाहबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है। माननीय जानते हैं कि राजनैतिक कारणों से तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले जो पंचायतों को इससे लाभ हो रहा था, वह उस आय से महरूम हो गये हैं इसलिए उनको यह कहना है कि पंचायतों का भी हिस्सा होना चाहिए। यहां पर डिमार्केशन आफ फॉरेस्ट एण्ड रेवेन्यू लैंड के बारे में राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। इस बात के आदेश दे दिये गये हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी एक साथ बैठकर यह तय करें। डिमार्केशन शुरू हो जाना चाहिए। इस मामले को भी उसमें जोड़ रहा हूं। जंगलात भूमि के अतिक्रमण के बारे में यह बात आई, यह बता दूं कि अतिक्रमण कर दिया, उसको रेगुलेराइज कर दिया। कई ने यह बात कही, जंगल राजस्थान में बहुत कम है, जंगल काटते जा रहे हैं। ऐसी सूरत में राजस्थान में 11 पर्सेंट भूमि पर जंगल है, उसमें भी साढ़े चार पर्सेन्ट सघन जंगल हैं, जंगल की इन्टेन्सिटी अच्छी है। फिर यह ट्रेसपास हो रहा रहा है, इसमें, इसे रोका जाना चाहिए। कई माननीय सदस्य ने कहा, इस जंगल की कटाई में बड़ा भारी भ्रष्टाचार है, और कई थोक और उसके पेड़ों की टाल कटाई के बाद उत्तर प्रदेश में लग रही है, यह कहा है, क्यों

(श्री परसराम मदेरणा)

हो रही है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, अब कोई भी मेजर प्रोड्यूस ऐसी नहीं है, चाहे टिम्बर की लकड़ी हो, इमारती लकड़ी हो, कत्था हो, तेंदू हो, बांस हो—इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। टिम्बर और धोक का 1968 में कर दिया गया, कत्था और बांस का राष्ट्रीयकरण, जिस समय 1972 में मेरे पास यह डिपार्टमेंट था तीन चार महीने तब कर दिया गया। पिछले साल तेन्दू पत्ते का कानून पास किया था, लेकिन इसके होने के बाद जंगल के बीच में कुछ खातेदार आये हुए हैं, और बीच के खातेदार जो हैं, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो गई है, ठेकेदारी प्रथा खत्म होने के बाद यह लोग जो खातेदार हैं, वह ठेकेदार से एक एग्रीमेंट करके अपनी खुद की प्राईवेट जंगल कुछ कटे हुए के अन्दर और कटवाने की बात कहते हैं। इसकी ओट में, गाइस के अन्दर यह निश्चित है, इल्लीगली ट्रीज की कटाई हो रही है, और वहां से कहीं करौली से आगे लकड़ी जा रही है। मेरे पास इसकी शिकायत आई थी, और मैंने जांच के पांच सात दिन पहले आदेश दिये थे, इसको करने के लिए, एक प्रकार से राज्य सरकार इस समस्या का समाधान सोच रही है जो हमने स्टेट ट्रेडिंग किया है, उस स्टेट ट्रेडिंग के सम्बन्ध में कानून लाना पड़ेगा, वह कानून जल्दी लाने को सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार का कानून बना रखा है, स्टेट ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के सम्बन्ध में उस प्रकार का कानून हो, उस कानून में ऐसी जगह खातेदारी पर नहीं ली जा सकती, जिसका एरिया जंगल के बीच में आया हुआ है तो निश्चित रूप से राजस्थान टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 78 में कुछ एरिया नोटिफाई करने के लिए अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता पड़े ताकि उस बिनो पर जंगल को काटने को रोकने के सम्बन्ध में इफेक्टिव स्टेप लिये जा सकें यह बहुत जल्दी थोड़े अर्से में लाया जायगा।

जहां पर जंगलात की भूमि में जो भी अतिक्रमण हुआ है, उसमें फॉरेस्ट एक्ट के नीचे केस चलते हैं, किन्तु कई केसेज में फॉरेस्ट अधिकारी को इजेक्टमेंट करने में चार चार साल का लम्बा असी लगता है क्योंकि उसको डिसप्लेस करना आसान काम नहीं है इसलिए राज्य सरकार निर्णय ले रही है कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत जो इजेक्टमेंट के ऐसे केसेज में जो पावर है सैक्शन 91 की पावर उसको एक्जामिन करके फॉरेस्ट अधिकारी को कन्फर करेंगे, ताकि ओन दी स्पोट वह निर्णय ले ले, समरी ट्रायल करे फारेस्ट आफिसर। इतना ही मैं निवेदन करूंगा।

मेरे पास यह डिटेल्स है कि किस जगह कितने जंगल हैं। उत्तरप्रदेश में हमारे से डबल हैं, आसाम में ड्योढ़ा है, मध्यप्रदेश में साढे पांच गुना है, आन्ध्र में हमसे ज्यादा है, सवाया है, उड़ीसा के अन्दर हमसे डबल से भी ज्यादा है। तो बहुत कम जंगल का एरिया है। अगर डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट कमेटी जंगल को काटती जाय इन्डिस्क्रिमिनेटली तो मैं समझता हूं, स्टेट ट्रेडिंग और दूसरी बात इसलिए की गई है, ठेकेदार पेड़ों को इन्डिस्क्रिमिनेटली काट रहे थे। राज्य सरकार की आमदनी हो रही है स्टेट ट्रेडिंग के बाद, पहले जो ठेके से होती थी, उससे आय कई गुना बढ़ी है। आय बढ़ने के साथ जो एरिया ले रहे हैं वह ठेके में ले रहे थे, उससे आधा भी नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

ले रहे हैं। वह भी वर्किंग प्लान है दस साल का, उसके हिसाब से ले रहे हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे, एक तरफ जंगल की कटाई हो रही है, दूसरी तरफ यह बात कह रहे हैं। जंगल में जो भी लकड़ी उपलब्ध है, इमारती है, कोयला है, बांस है—इसको नहीं कटवायेंगे तेंदू के पत्ते को नहीं कटवायेंगे तो अप्रैल के बाद खराब हो जायेंगे। बांस मत कटवाइये तो बारह महीने के बाद काम के नहीं रहेंगे। अगर वह नहीं कटवाते हैं तो वह एरिया में रिजनरेशन में मदद नहीं करती है। इसलिए जंगल कटवाना रिजनरेशन के लिए, जंगल के प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए आवश्यक है। इसलिये हम प्लान से चल रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जिनके चेयरमैन है, उसने जमीन काफी रिलीज की हैं—इसके मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन कुल मिलाकर कई हजार हैक्टर जमीन रिलीज हुई है इसके मार्फत। इसके साथ ही कडाना डेम से जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनको बसाने के लिए भी हमको बारह-तेरह हजार हैक्टर भूमि की आवश्यकता है। इसलिए दूसरी जगह जो रिलीज हुई है, इस तरह इन्डिस्क्रिमिनेटली रिलीज करने के फेवर में राजस्थान सरकार नहीं है।

आज तेदूं पत्तों की आय के सम्बन्ध में, स्टेट ट्रेडिंग के सम्बन्ध में बात कही गई। एक स्टेट ट्रेडिंग के सम्बन्ध में यह बात कही गई कि स्टेट ट्रेडिंग जो अभी करवाया जा रहा है, वह ठेकेदार के मार्फत, व्यापार मण्डल कर रहा है। यह बात निराधार हैं, और गलत है। किसी भी ठेकेदार की मदद नहीं ली जा रही है। स्टेट ट्रेडिंग डिपार्टमेंट स्वयं कर रहा है, और तेंदू पत्तों के सम्बन्ध तो एजेंट्स मुकर्रर किये जा रहे हैं, लेकिन इसमें एजेंट भी मुकर्रर नहीं किये जा रहे हैं। 35-40 लाख रुपये मजदूरी दी गई है इस साल। इस तरह 30 लाख की मजदूरी तेंदू पत्तों की कटाई करने के लए गरीब लोगों को मिलेगी। जिसका शोषण हो रहा था वह खुश है। तो कौन सा ठेकेदार कटवा सकता है, कहां मिला हुआ है। यहां पर नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो हमारे कन्जर्वेटर हैं, जिनके पास स्टेट ट्रेडिंग का काम है, उनके बारे में कहा। जब से तीन साल से वे इस काम को देख रहे हैं उसके बाद लगातार राज्य की आय में बढ़ोतरी हुई है। मैं, क्योंकि लकड़ी महंगी हुई है, इसलिए नहीं कह रहा हूं। वह रेट बढ़ाई है, दस बारह के बीच में बढ़ाई है, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1975 तक 1 करोड़ 34 लाख की फारेस्ट से ज्यादा आमदनी हुई है स्टेट ट्रेडिंग के सभी मामलों को लेकर। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां ठेकेदारी के समय में, ठेकेदारी प्रथा से प्रति एकड़ से राज्य को 80 रुपये की होती थी, वहां राजकीय व्यापार आ जाने के आधार पर 375 रुपये हो रही है, जो चार गुना से ज्यादा है। उसी प्रकार से बांस के मामले में जहां प्रति आठ दस रुपये के बीच में आमदनी थी वहां 1974-75 के अन्दर 50 रुपये हुई, यह भी साढ़े चार गुना है, और कत्था योजना में भी जहां 300 रुपये प्रति क्विन्टल की आय होती थी, वहां एक हजार रुपया प्रति क्विन्टल है। तेन्दू पत्ते का, राष्ट्रीयकरण पहले साल किया, इस सदन में मैने कहा था, राज्य सरकार ऐसा सोच

(श्री परसराम मदेरणा)

रही है कि 34 लाख के आसपास शुद्ध आय होगी। पहले कये से एवरेज इन्कम हुई है, दस साल से, वह 12 लाख रुपये प्रति वर्ष होती थी, लेकिन मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं, इस साल एक साल में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकरण हुआ, उड़ीसा में तेन्दू पत्तों का राष्ट्रीयकरण हुआ, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीयकरण सफल और विफल हो गया, इस प्रकार की कठिनाई वहां आयी थी। हमारे सामने भी बहुत सी कठिनाइयां होने के बावजूद राज्य सरकार ऐसा सोच रही है, नैक्स्ट साल के अन्दर 36 लाख की शुद्ध आय होगी, यह 12 लाख के मुकाबले तीन गुना ज़्यादा है। इन शब्दों के साथ में जो कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट हैं, उनकी इन्टेग्रिटी के सम्बन्ध में ठेकेदारों से अनेक बातें जोड़ी। हो सकता है कि माननीय सदस्य के डी. एफ. ओ. लक्ष्मण सिंह से रिलेशन स्ट्रेन हो गये हों, वह उनके भाई हैं। मैं आपसे कह सकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं किसी जाति विशेष से हूं, इसलिए उस ऑफिसर के लिए कह रहा हूं, आप किसी आफिसर को पूछ लीजिये, इनके काम को डिपार्टमेंट आफ पर्सनल देखता है, उसके अनुसार उसकी इन्टेग्रिटी अनक्वेश्चनेबल है, बियॉण्ड डाउट है। इस व्यक्ति के लिए यह निश्चित धारणा है, यह केवल मेरी नहीं है, लेकिन यह भारत सरकार के ट्रेनिंग स्कूल में रहे थे, अध्यापक, उस समय से जब वह इंसपेक्टर जनरल आफ फारेस्ट थे, तब तक उसके पास रहे। उस वक्त की मैंने सी. आर. देखी है, देखने के बाद कह सकता हूं कि ट्रान्सपेरेन्ट इन्टेग्रिटी के हैं। उसके बारे में कुछ आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है, यह अनुचित है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जो मांग नं० 8 व 9 मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत की है, उन्हें माननीय सदस्य पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,38,62,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,92,37,000) रुपए तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 18 मार्च, 1975 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही 8:1 बजे म. प. मंगलवार दिनांक 18 मार्च, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

परिशिष्ट-1

(ता. प्र. सं. 547 की सूची)

नये कुओं के लिये पंचायत समितिवार दी गई किश्तें कूप निर्माण

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	प्रथम किश्त		द्वितीय किश्त		तृतीय किश्त		योग	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1.	कुम्हेर	78	4,27,100	52	89,780	—	—	78	2.16,880
2.	सेवर	115	1,96,825	43	71,655	—	—	115	2,68,4[illegible]0
3.	डीग	105	1,71,375	53	80,875	—	—	105	2,52,250
4.	नगर	116	2,06,000	71	1,18,550	—	—	116	3,24.550
5.	कामां	145	2,24,325	94	1,44,400	—	—	145	3,68,725
6.	बयाना	162	3,71,350	79	1,64,330	—	—	162	5,35,700
7.	वैर	367	4,03,640	110	1,80,020	—	—	367	5,83,660
8.	रूपवास	285	4,92 037	84	1,65,637	—	—	225	6,57,674
9.	नदबाई	98	1,54,430	54	97,440	—	—	98	2,51,870
10.	धौलपुर	339	4,91,600	263	4,31,700	77	97,700	339	10,21,000
11.	राजाखेड़ा	156	2 29,250	167	2,83,050	67	91,300	156	6,03,600
12.	बाडी	203	3,63,900	137	2,02,950	33	37,300	203	6,04,150
13.	बसेडी	99	1,43,250	115	1,88,250	29	35,000	99	3,66,500
	योग	2268	35,75,082	1322	2218,657	206	2,61,300	2,268	60,55,039

परिशिष्ट-2

(ता. प्र. सं. 549 की सूची)

संख्या 'क'

चित्तौड़गढ़ नगर में पिछले पांच वर्षों में विदेशी तथा विभिन्न प्रान्तों से
आये हुये पर्यटकों की सूची

संख्या स्थान वर्ष	चित्तौड़गढ़
1969	
विदेशी	210
विभिन्न प्रान्तों से	23200
1970	
विदेशी	231
विभिन्न प्रान्तों से	28764
1971	
विदेशी	157
विभिन्न प्रान्तों से	39336
1972	
विदेशी	109
विभिन्न प्रान्तों से	22316
1973	
विदेशी	139
विभिन्न प्रान्तों से	31577

Page No 204

(204)

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 553 की सूची)

उदयपुर नगर के जनरल अस्पताल के अतिरिक्त उपलब्ध चिकित्सा संस्थाओं में नियुक्त डाक्टरों की संख्या उनके सम्मुख अंकित है।

क्रम संख्या	संस्था का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	
1.	मेन्टल हास्पीटल, उदयपुर	1	1	
2.	चितरंजन मोबाइल होस्पीटल	1	1	
3.	टी.बी. क्लिनिक, उदयपुर	2	2	
4.	परिवार नियोजन (नगरीय) जनाना अस्पताल	2	2	
5.	अतिरिक्त सेवाएं, जनाना अस्पताल	2	2	
6.	पोस्ट मार्टम योजना	1	1	
7.	राजकीय डिस्पेन्सरी, भोपालपुरा	1	1	
8.	चान्दपोल डिस्पेन्सरी	1	1	
9.	जगदीश चौक डिस्पेंसरी	1	1	
10.	श्रमिक चेष्टा लेबोरेट्री	1	1	
11.	परिवार नियोजन केन्द्र, भोपालपुरा	2	2	
12.	परिवार नियोजन मोबाईल यूनिट	1	1	
13.	जनाना अस्पताल	9	9	
14.	एस. आर. पी. वी. आई. ए. सदन बाड़ी	5	5	
15.	जेल डिस्पेन्सरी	1	1	
16.	आई. यू. सी. डी. मोबाईल यूनिट	2	1	(एक पद रिक्त)
17.	सूरजपोल डिस्पेन्सरी	2	2	
18.	धान मन्डी डिस्पेंसरी	1	1	
19.	लीव रिजर्व (मय सृजित पद)	2	2	
20.	रिजर्व लिफ्ट	2	2	
21.	लीव रिजर्व	2	2	
22.	ई. एस. आई, डिस्पेन्सरी	3	3	
	योग	45	44	

परिशिष्ट 4

(ता. प्र. सं. 558 की सूची)

Enquiry Report of Dy. Chief Medial & Health Officer, Bhilwara.

1. Proceeded on 16.1.1975 to Gangapur for purpose of aforesaid enquiry.

On 30.12.1974 following persons was on duty:—

1. Dr. D. N. Bhattacharea M.O. U|C Gangapur-
2. Shri Madhu Lal S/o Bhulji IV Class

Statement of Ganesh Khateek S/o Suraji Khateek, complaint was recorded.

Written statements of Dr. D. N. Bhattacharea was taken. Statement of Madhu Lal IV Class was also taken.

Name of patient Shanker Lal entered in G.P.D. Register at S. No. 36780

35780 Shanker 16 HH Injury on 30.12.74

From Statements it is clear that patient was attended in hospital on 30.12.74 as well as on 31.12.74 and needful was done.

206

परिशिष्ट 5

(ता. प्र. सं. 559 की सूची)

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	लेवी वसूली	
1.	झालरापाटन	10700	क्विन्टल
2.	बकानी	3000	,,
3.	सुनेल	8000	,,
4.	डग	10200	,,
5.	मनोहर थाना	5500	,,
6.	खानपुर	5600	,,
	योग :	43000	क्विन्टल
		4300	टन

परिशिष्ट—6

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति ग्राम गनेड़ी

569. श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि सीकर जिले के गनेड़ी ग्राम में हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति पिछले काफी वर्षों पूर्व बनी हुई है ? यदि हां, तो इस सोसायटी को कहां कहां से कितना ऋण व अनुदान दिया जा चुका है तथा कितना ऋण इस इस सोसायटी में कब तक बकाया है ?

2. क्या यह भी सही है कि उक्त सोसायटी में ऋण की वसूली करने में काफी शिथिलता बरती गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इतना ऋण पिछले काफी वर्षों से क्यों बकाया पड़ा है ? उसे अब कब तक वसूल कर लिया जावेगा ? तथा इस विषय में जो ढिलाई जिस अधिकारी ने की है उसके खिलाफ क्या ऐक्शन होगा ?

3. क्या यह भी सही है कि जो अनुदान निर्माण कार्यों हेतु मिला है उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ और उसमें गबन हुआ है और कार्य अधूरा पड़ा है तथा टिन की जो चद्दरें मिली थीं उन्हें वहां से हटाकर गबन कर ली गई है ? क्या राज्य सरकार ऐसी अनियमितता और गबन की किसी निष्पक्ष अधिकारी को भेज कर जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक और उसके खिलाफ क्या ऐक्शन होगा ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में गनेड़ी हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति दिनांक 23-3-61 से बनी है। समिति को दिये गये ऋण व अनुदान तथा बकाया की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त समिति से ऋण वसूली में कोई शिथिलता नहीं बरती गई है। सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण की वसूली के लिये कार्यवाही की गई है जिसके फलस्वरूप लगभग 18% ऋण की वसूली हो चुकी है शेष ऋण की समिति में तरल साधन नहीं होने के कारण प्रयासों के बावजूद वसूली नहीं हो पाई। समिति के पास स्थाई सम्पत्ति के निपटारे प्राप्त होने वाली राशि से इस बकाया राशि की वसूल की जायेगी।

(3) समिति को जो अनुदान दिया गया उसका गबन नहीं हुआ है, राशि का पूरा उपयोग हो चुका है। समिति को 1800) रु० अनुदान मिला उसका उपयोग करने के बाद समिति ने अपने पास से 2714.46 रु० और खर्च किया। इस प्रकार कुल 4514.76 रु० भवन निर्माण किया जा चुका है फिर भी कार्य अधूरा है। टीन की चद्दरों का गबन नहीं हुआ है एवं सभी टिन जो रिकार्ड के अनुसार प्राप्त हुई भवन में लगी हुई मौजूद है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट 'अ'

गनेड़ी हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि० जिला सीकर के ऋण व अनुदान के बकाया का विवरण।

क्रमांक	नाम संस्था जहां से ऋण व अनुदान प्राप्त हुआ	प्राप्त ऋण व अनुदान			अब बकाया ऋण का वितरण			विशेष
		वर्ष	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	योग	
1.	पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़	1961	912-50	1000)	1722-50	—	1722-50	
2.	,, ,, ,,	1963	—	150)	—	—	—	
3.	,, ,, ,,	1964	1000)	800)	—	—	—	
4.	सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० (केश क्रेडिट लोन)	1962-63	3435)	—	2827-68	—	2827-68	
	योग		5347-50	1950)	4550-18	—	4550-18	

पी० एच० सी० रामपुर के डाक्टर के फिक्सेशन का मामला

570 श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि अलवर जिले के पी. एच. सी. रामपुर के डाक्टर मजूमदार की तनख्वाह के फिक्सेशन का प्रश्न करीब चार साल से सरकार के विचाराधीन है ?

2. क्या यह सही है कि विधान सभा में 23 मार्च, 1973 को प्रश्न संख्या 710 के उत्तर में सरकार ने इस डाक्टर की तनख्वाह के प्रश्न को शीघ्र निर्णय करने का आश्वासन दिया था मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ?

3. क्या यह सही है कि उक्त डाक्टर मजूमदार ने तनख्वाह न मिलने व फिक्सेशन न होने के कारण भूख हड़ताल की और विभाग के निदेशक ने शीघ्र निर्णय का आश्वासन दिया ?

4. सरकार अब कब तक इस प्रश्न का निर्णय कर सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। फैसला विभागीय जांच के निर्णय पर होगा जो इनके विरुद्ध चल रही है।

(3) जी हां। डाक्टर डी० एम० मजूमदार ने अपने पत्र दिनांक 17-7-73, 14-8-73, 26-11-73 एवं तार दिनांक 24-12-73 वेतन न मिलने के कारण भूख हड़ताल की धमकी दी थी। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19-1-74 के द्वारा इनके वेतन दिनांक 30-6-74 तक दिये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये थे। एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14-5-74 एवं दिनांक 21-1-75 के द्वारा डाक्टर को कम से 31-12-74 एवं जब तक विभागीय जांच पूर्ण न हो, तक सीमित मिनिमम वेतन दिये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(4) इनके वेतन का निर्णय विभागीय जांच समाप्त होने पर ही हो सकेगा।

अनाज के रूप में लगान की वसूली

571. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्रधान मन्त्री ने राज्य के मुख्य मन्त्री को इस आशय का पत्र लिखा था कि लगान की वसूली रुपये में न की जाकर अनाज के रूप में की जावे ? यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या राय है तथा राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रधानमन्त्री जी ने विनोबा जी का ऐसा सुझाव राज्य सरकार के विचार प्रेषित किया था, परन्तु उक्त सुझाव को व्यवहारिक व प्रशासनिक कठिनाईयों के कारण राज्य सरकार ने नहीं माना।

तामिलनाडू एवं गुजरात राज्यों में शराब बन्दी का अध्ययन

572. श्री मोहनराज (बाली) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि तामिनाडू सरकार ने गत वर्ष अपने राज्य में पूर्ण शराब बन्दी समाप्त कर शराब बिक्री प्रारम्भ कर दी थी और अब पुनः पूर्ण शराब बन्दी लागू कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

2. क्या राज्य सरकार इस सदन के माननीय सदस्यों का एक शिष्ट मण्डल तामिलनाडू व गुजरात राज्यों में वहां की सरकारों द्वारा सम्पूर्ण शराब बन्दी की नीति को दृढ़तापूर्वक अपनाने तथा बन्द हेतु उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों का अध्ययन करने के लिए भेजने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) सरकार की जानकारी नहीं है। अतः तामिलनाडू सरकार से जानकारी प्राप्त की जायगी।

(2) जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

तहसील पचपदरा में अनाज का आवंटन

573. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. तहसील पचपदरा (जिला-बाड़मेर) में सितम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक प्रति माह किस किस पंचायत क्षेत्र को कितना कितना अनाज का आवंटन किया गया ? इस प्रकार आवंटित अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी मात्रा में देने के आदेश दिये गये ?

2. क्या यह सही है कि इस तहसील की कुछ पंचायत में केवल अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को ही अनाज का वितरण किया गया ? यदि हां तो वे कौन कौन सी पंचायतें थीं और इन पंचायतों को छांटने का क्या आधार था ?

उत्तर

(1) माह सितम्बर, 1974 से फरवरी, 75 तक तहसील पचपदरा (बाड़मेर) की पंचायतों को आवंटित अनाज की माहवारी सूची सलग्न है। माह सितम्बर में 3 किलो प्रति यूनिट से तथा माह अक्टूबर, 74 से फरवरी 75 तक 2 किलो प्रति यूनिट से खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई थी।

(2) जिला अकाल एवं खाद्यान्न परामर्शदात्री समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस तहसील की कुछ पंचायतों में केवल अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को ही खाद्यान्न वितरण किया गया है। इस प्रकार के पंचायतों की सूची संलग्न है।

.(मात्रा क्विंटल में)

भाग (i) की सूची

	नाम पंचायत	सितम्बर, 74	अक्टूबर, 74	नवम्बर, 74	दिसम्बर 74	जनवरी, 75	फरवरी, 75
1.	पाटोदी	42	75	117	114	109	104
2.	नवातसा पाटोदी	12	105	117	—	114	—
3.	काकराला	—	—	62	—	62	54
4.	कातूबड़ी	—	—	86	86	86	74
5.	घोब	—	—	65	67	66	60
6.	उमरलाई	—	22	—	97	79	86
7.	सिमरलिया	—	47	47	62	62	54
8.	बांगावास	—	—	86	—	86	78
9.	बड़नावा	—	—	70	—	70	68
10.	मण्डली	—	—	85	85	85	72
11.	थूम्बली	—	—	90	90	90	—
12.	जसोल	—	112	111	112	75	108
13.	मूगडा	—	61	84	74	80	74
14.	कल्याणपुरा	—	95	25	—	98	88
15.	कोरना	—	—	86	86	86	74
16.	गोपडी	—	93	70	64	64	64
17.	आरावा	—	61	65	—	65	66
18.	जाकसा	—	—	60	60	60	60
19.	तापरा	—	53	—	36	—	24
20.	आसोतरा	—	63	—	72	—	62
21.	पारलू	—	59	—	63	10	56
22.	कानाना	—	61	—	59	13	60
23.	पचपदरा	—	105	105	100	116	100
24.	साजीवाली	—	—	18	99	11	90
25.	कालेवा	—	81	14	31	14	62
26.	सरवडी	—	83	11	86	19	76
27.	डाली	—	13	13	69	4	76
28.	दुधवा	—	38	—	85	18	72
29.	चान्दसरा	—	—	—	70	8	60
30.	तिलवास	—	16	—	60	17	62
31.	आसाडा	—	—	8	59	—	—
32.	किटनाद	—	—	76	76	11	78

२१५

भाग (2) की सूची

माह सितम्बर, 74	1.	पाटौदी	2.	नवाताता पाटौदी
माह अक्टूबर, 74	1.	डोली	2.	तिलवाडा
	3.	आसाडा	4.	दूधवा
	5.	किटनोद	6.	चांदेसरा
माह नवम्बर, 74	1.	दरियाली	2.	कालेवा
	3.	सरवडी	4	डोली
	5.	दुधवा	6.	चांदेसरा
	7.	तिलवाड़ा	8.	टापरा
	9.	आसोतरा	10.	पारलू
	11.	कानाना	12.	आसाडा
	13.	कितनोद		
माह दिसम्बर, 74	पूर्ण यूनिटों पर दिया गया।			
माह जनवरी, 75	1.	साजीयाली	2.	कालेवा
	3.	सरडडी	4.	डोली
	5.	दुधवा	6.	चान्देसरा
	7.	तिलवाडा	8.	टापरा
	9.	आसोतरा	10.	पारलू
	11.	कानाना	12.	आसाडा
	13,	किटनोद		
माह फरवरी, 75	पूर्ण यूनिटों पर दिया गया।			

राजा पार्क सिंधी कालोनी में क्वार्टर्स का आवंटन

574. श्री लालाराम (फलासिया) : क्या आवास एवं पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि राजा पार्क सिन्धी कालोनी के 45 क्वार्टर्स में से 28 क्वार्टर्स का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उनमें से अधिकतर आवंटन गलत किये गये हैं ?

2. क्या 28 क्वार्टर्स में से केवल 4 क्वार्टर्स ही आमेर होम में जाने वालों को आवंटित किये गये है ? यदि हां, तो बाकी 24 क्वार्टर्स किसको आवंटित किये गये है ?

3. क्या जिन 17 क्वार्टर्स का गलत आवंटन किया गया है पर अन्य का जो कब्जा है उन्हें खाली करवाने की कार्यवाही की जा रही है ? अगर हो, तो यह कार्यवाही कब तक हो जायेगी ?

4. क्या इन क्वार्टर्स का गलत आवंटन जानबूझ कर किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है ?

5. क्या सरकार की घोषित नीति के आधार पर होम के इन क्वार्टर्स को ही आवंटन किया जाना चाहिये ? अगर हां, तो कब तक इनका आवंटन कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, आवंटन नियमित हुआ है ।

(2) आमेर होम व आनन्द आश्रम होम के इनमेट्स को क्रमश: 6 व 22 क्वार्टर्स आवंटित किये गये हैं ।

(3) बाकी बचे 17 क्वार्टर्स में से 8 क्वार्टर्स में प्राथमिक शाला चल रही है । 7 क्वार्टर्स पर अनाधिकृत कब्जा हैं जिन्हें खाली करवाने की कार्यवाही न्यायालय में चल रही है । दो को खाली करा लिया गया है ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

(5) आवंटन राजकीय नीति के अनुसार ही किया जायगा ।

पेड़ों की कटाई व रेगिस्तान का विस्तार

575. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि सूरतगढ़ फार्म के मैनेजमेंट द्वारा हजारों पेड़ इस वर्ष और पिछले वर्ष सूरतगढ़ फार्म पर से कटवा दिये गये हैं ?

2. क्या यह सही है कि उपरोक्त पेड़ रेगिस्तान के बहाव को बीकानेर जिले से गंगानगर जिले की ओर बढ़ने से रोकने के लिये ऐरिड जोन रिसर्च सेन्टर जोधपुर और देहली द्वारा लगवाये गये थे ? तथा इन हजारों पेड़ों के कट जाने से गंगानगर जिले में हजारों एकड़ में रेगिस्तान का विस्तार हो गया है ?

3. क्या यह सही है कि इस बात की सूचना राजस्थान सरकार को होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गये ?

(उत्तर नहीं मिला)

शुगर केन सैस टैक्स की वसूली

576. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

1. क्या यह सही है कि सारे देश में शुगर केन सैस और शुगर केन परचेजेज नाम के टैक्स शक्कर के कारखाने वालों को देना पड़ता है जिसकी न्यूनतम राशि 19 पैसा शुगर केन सैस और 1.50 पैसा शुगर केन परचेजेज टैक्स के रूप में प्रति क्विन्टल है ?

2. क्या दी मारवाड़ शुगर मिल लि. भोपाल सागर शुगर फैक्ट्री उपरोक्त प्रकार का टैक्स दे रही है ? यदि हां तो कितना ? यदि नहीं तो क्यों और कब से ? यह टैक्स किस कारण से छोड़ा गया ? अन्दाज से इस टैक्स की राशि वर्ष में कितनी होती है?

3. क्या यह सही है कि करीब 15 लाख शुगर केन परचेजेज टैक्स और करीब 3 लाख शुगर केन सैस टैक्स का होता है ?

4. क्या यह सही कि उक्त सारा टैक्स शुगर क्षेत्र डवलपमेंट के नाम से और गांव से फैक्ट्री तक सड़कें बनाने के काम पर खर्च करना आवश्यक है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अब इस फैक्ट्री से यह टैक्स वसूल करने का इरादा रखती है या अभी भी इस फैक्ट्री को टैक्स की छूट देती रहेगी ?

उत्तर

(1) अलग अलग राज्यों में गन्ना नियंत्रण कानून के तहत अलग अलग नियम बने हुए हैं। राजस्थान में शुगर केन सैस टैक्स तथा शुगरकेन परचेजेज टैक्स अभी लागू नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

राजगढ़ अस्पताल में अतिरिक्त बैड्स की व्यवस्था

577. श्री हरिकिशन (राजगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

1. क्या यह सही है कि कस्बा राजगढ़ अलवर का दूसरा नम्बर का कस्बा है, तथा राजगढ़ तहसील का मुख्यालय है जहां मर्दाना व जनाना अस्पताल में क्रमशः 8 बैड (रोगी शैया) हैं जब कि राजगढ़ तहसील में दो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र रैंजी व टहला है ? जिसके अनुसार कस्बा राजगढ़ में मर्दाना तथा जनाना अस्पताल में आवश्यकता से बहुत कम रोगी शैया की व्यवस्था है ?

2. क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील जिसमें आदिवासी बहुत जनसंख्या में तथा आदिवासी सुरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पिछड़ी जाति के लोगों को भारत सरकार व राजस्थान सरकार चिकित्सा सुविधा अधिक से अधिक सुगमता से दिलाने के लिये कटिबद्ध है ? यदि हां, क्या राज्य सरकार राजगढ़ में मर्दाना तथा जनाना अस्पताल को क्रमशः तीस रोगी शैया वाला अस्पताल क्रमोन्नत करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राजगढ़ पंचायत समिति के अन्तर्गत निम्नलिखित चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत हैं :—

उत्तर

1. प्रा. स्वा. केन्द्र, टहला 6 रोगी शैया

2. चिकित्सालय, राजगढ़ 12 ,,

3. चिकित्सालय, राजगढ़ 6 ,,

4. परिवार नियोजन केन्द्र, राजगढ़

5. प्रा. स्वा. केन्द्र, रेणी 6 रोगी शैया किन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेणी एवं टहला पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के लिये है, अतः उनकी स्थानीय जनसंख्या की तुलना राजगढ़ कस्बे से करना उचित नहीं है।

(2) जी हां। राजगढ़ तहसील में आदिवासी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

गंगापुर शहर में पानी की व्यवस्था

578. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी का जल प्रदाय विभाग गंगापुर शहर को पानी देने में असमर्थ है ? अगर हां, तो क्यों ? तथा राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

2. क्या यह भी सत्य है कि गंगापुर सिटी की रिवाइज्ड स्कीम स्वीकृत हो चुकी है? अगर हां तो कार्य अब तक क्यों नहीं शुरू किया गया एवं कब तक शुरू हो जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां, वर्तमान जल प्रदाय योजना बढ़ती हुई आबादी के लिये अपर्याप्त है। वहां पर जल स्त्रोतों से अपेक्षित जल प्राप्त नहीं हैं। गंगापुर के लिये पुर्नगठन जल प्रदाय योजना 14.24 लाख रू. की लागत की बनाई गई है।

(2) जी नहीं। योजना की अभी तकनीकी जांच की जा रही है। धन की उपलब्धि के अनुसार इसकी स्वीकृति की जायेगी।

परिशिष्ट 7

(ता० प्र० सं० 548 की सूची)

सेन्ट्रल कार्यशाला में बनाई गई बस बॉडीज का मानचित्र

वर्ष	संख्या बस बॉडी बनाई गई	खर्चा प्रत्येक बस बॉडी जो हुआ	समय जो बस बॉडी के बनने के बाद मरम्मत हुई	मरम्मत की गई बस बॉडीज की संख्या	विवरण वक्त कन्डीशन बस बॉडीज	प्रत्येक बस में मरम्मत में कुल हुई राशि
1971–72	8	+	—	—	मरम्मत की आवश्यकता नहीं है	—
1972-73	—	—	—	—	—	—
1973–74	3	32000.00 (अनुमानत:)	—	—	मरम्मत की आवश्यकता नहीं है	—
1974–75 (31जनवरी)	18	35000.00 (अनुमानत:)	—	—	बिल्कुल नई है	—
	29					

+ वर्ष 71–72 में केन्द्रीय कार्यशाला में बनी 8 बस बॉडीज की लागत का लेखा अलग से नहीं रखा गया है ।

परिशिष्ट 8

(ता० प्र० सं० 551 की सूची)

अलवर के भूतपूर्व महाराजा कुमार श्री प्रतापसिंह की कोठी फूलबाग मय अहाता का क्षेत्रफल 72751 वर्ग गज है। यह खसरा नम्बरान 2915, 2916 से 2921, 2918/4129 से 2918/2631; 2915/4132 से 2915/4149 तक को घेरे हुए है। खसरा नम्बरान मय अलग अलग क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :—

2915	1)33	2916	)2	2917	)1	2918	ııı)4
2919	2)	2920	ı2	2921	1)1	2918/4129	ı)2
2918/4130	8ı)2	2918/4131	ıı)4	2915/4132	ıı)4	2915/4133	ıı)
2915/4134	2)5	2915/4135	ı)2	2915/4136	)3	2915/4137	3ı)3
2915/4138	ııı)	2915/4139	1ı:ı)4	2915/4140	ıı)1	2915/4141	ı)2
2915/4142	ıı)1	2915/4143	ı1	2915/4144	ı)2	2915/4145	1:ıı)3
2915/4146	ı1	2915/4147	3ı)2	2915/4148	)4	2915/4149	ı)2

इसके अतिरिक्त खसरा नं० 2913—43560 वर्ग गज क्षेत्र व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध परिवर्तन कर लिया है। इस प्रकार इसका कुल क्षेत्रफल 1,16,311 वर्ग गज है।

परिशिष्ट 9

(ता. प्र. सं. 561 की सूची)

भाग (1) की सूची

	नाम	परमिट कितने बोरी का दिया गया था
1.	सैक्रेट्री पश्चिमी रेल्वे एम्पलॉईज यूनियम, आबूरोड़	150 बोरी गेहूं
2.	मै० अवलेश्वर गोयल. आबू रोड	150 क्वि० गेहूं
3.	मै० ललित मोहन एण्ड ब्रदर्स, आबू रोड	150 क्वि० गेहूं
4	मै० अवलेश्वर गोयल, आबूरोड	120 क्वि० गेहूं
5.	मै० ललित मोहन, गोपालिया, आबू रोड	150 क्वि० गेहूं
6.	मै० विजयकुमार कौशलकुमार, सरूपगंज	150 क्वि० गेहूं
7.	मै० जगदीशलाल राजाराम, सरूपगंज	150 क्वि० गेहूं
8.	मै० मूलाराम देवेन्द्रकुमार, सरूपगंज	150 क्वि० गेहूं
9.	मै० योगेन्द्र सत्यनारायण, आदर्श डुंगरी	150 क्वि० गेहूं

भाग (2) की सूची

क. सं.	फर्म का नाम	मुकदमा करने का कारण	
1.	मैसर्स नन्दराम गोपालजी आबूरोड (प्रो० अचलेश्वर गोयल)	(1) बिना अनुपालना गेहूं लाना	मुकदमा विचाराधीन है।
2.	,, ,,	(4) बिना अनुज्ञा पत्र के कार्य करना	,, ,,
3.	मैसर्स नन्दराम गोपालजी	(1) मंडी में बिना ब्रोकर अनुज्ञा-पत्र के काम करने के संबंध में	,, ,,
4.	मै. ललित मोहन एण्ड ब्रादर्स आबूरोड	(1) बिना अनुज्ञा-पत्र थोक कार्य करना	
	(श्री ललित मोहन गोपालिया)	(2) मंडी शुल्क रु. 154.50 अदा नहीं करने से	,, ,,
5.	मै. शेषमल घेवरचन्द सरूपगंज (श्री घेवरचन्द शेषमल)	(1) बिना अनुज्ञा-पत्र मण्डी में कार्य करना	,, ,,
		(2) रु. 105 मंडी शुल्क के अदा नहीं करने से	
6.	मै. मोहनलाल भगालाल आबूरोड	(1) मंडी शुल्क जमा नहीं कराने से	,, ,,

परिशिष्ट– 10

(ता प्र. सं० 556 की सूची)

समाचार पत्रों/सूचना केन्द्रों की सूची

1. हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली ।
2. स्टेट्स मैन, नई दिल्ली ।
3. इण्डियन एक्सप्रेस नई दिल्ली ।
4. टाईम्स ग्राफ इण्डिया, नई दिल्ली ।
5. पेट्रियाट, नई दिल्ली ।
6. नेशनल हैरल्ड, नई दिल्ली ।
7. मदर लैण्ड, नई दिल्ली ।
8. हिन्दुस्तान दैनिक, नई दिल्ली :
9. नवभारत टाईम्स, नई दिल्ली ।
10. वीर ग्रर्जुन, नई दिल्ली ।
11. राजस्थान पत्रिका, जयपुर ।
12. राष्ट्रदूत, जयपुर ।
13. नव ज्योति, जयपुर ।
14. राजस्थान क्रोनिकल, जयपुर ।
15. नव ज्योति हैराल्ड, जयपुर ।
16. ग्रमर राजस्थान, जयपुर ।
17. ग्रधिकार, जयपुर ।
18. यंग लीडर, जयपुर ।

1. सूचना केन्द्र, जयपुर ।
2. सूचना केन्द्र, अजमेर ।
3. सूचना केन्द्र, कोटा ।
4. सूचना केन्द्र, जोधपुर ।
5. सूचना केन्द्र, अलवर ।
6. सूचना केन्द्र, उदयपुर ।
7. सूचना केन्द्र, बीकानेर ।
8. रंगमंच, जयपुर ।
9. राजस्थान सूचना केन्द्र, दिल्ली ।
10. राजस्थान सूचना केन्द्र, बम्बई ।
11. राजस्थान सूचना केन्द्र, कलकत्ता ।

Page No 221

(221)

परिशिष्ट—11

(अता. प्र. सं० 303 की सूची)

क्रम सं०	वैद्य / वैद्या	सूची / जिला	निलम्बन का दिनांक	चार्जशीट देने का दिनांक	उत्तर प्राप्त होने का दिनांक
1.	श्री पूर्णानन्द शर्मा	उदयपुर	7-9-73	24- 9-74	18-12-74
2.	श्री रामस्वरूप शर्मा	अजमेर	7-9-73	12- 9-74	6-12-74
3.	श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा	बीकानेर	7-9-73	24- 9-74	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
4.	श्री बाबूराम शर्मा	बीकानेर	7-9-73	16- 9-74	9-10-74
5.	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	बीकानेर	7-9-73	24- 9-74	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
6.	श्री दीनदयाल शर्मा	बीकानेर	7-9-73	28- 1-75	31- 1-75
7.	श्रीमती विजया देवी	बीकानेर	7-9-73	,,	17- 2-75
8.	श्री जमुनादास	बीकानेर	7-9-73	,,	6- 2-75
9.	श्री शांतिलाल शर्मा	उदयपुर	7-9-73	18- 9-74	6-12-74
10.	श्री हरिनारायण दीक्षित	उदयपुर	7-9-73	28- 1-75	3- 1-75
11.	श्री विजयलक्ष्मी शर्मा	जयपुर	7-9-73	12- 9-74	30-12-74
12.	श्री केदारनाथ शर्मा	जयपुर	7-9-73	16- 9-74	19-12-74
13.	श्री हरिमोहन शर्मा	जयपुर	7-9-73	12- 9-74	22- 1-75
14.	श्री दिनेशनन्द चतुर्वेदी	जयपुर	7-9-73	28- 1-75	6- 2-75
15.	श्री गुलाम नबी खां	जयपुर	7-9-73	,,	4- 2-75
16.	श्री लाली देवी	जोधपुर	7-9-73	,,	1- 2-75
17.	श्री रामप्रसाद जोशी	जोधपुर	7-9-73	,,	6- 2-75
18.	श्री रामकिशोर शर्मा	जोधपुर	7-9-73	,,	7- 2-75
19.	श्री नारायणलाल निराला	जयपुर	9-6-73	—	—
20.	श्री गोविन्द सहाय शर्मा	जयपुर	2-3-74	28- 2-74	16- 3-74
21.	श्री मोहनलाल मातरा	जयपुर	13-4-74	17-12-74	1- 1-75

परिशिष्ट 12

(मता. प्र. सं. 312 की सूची)

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक/एफ 7 (1) स.वि./अनु.छा./स्केल/74-75/1930 दिनांक 15-1-75

आदेश

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों के संबंध में प्रसारित इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ 7(1)स.वि./71-72 अनु.छा. स्केल/दिनांक 14-7-71 एवं इस संबंध के अन्य सभी आदेशों को निरस्त करते हुए आज की कठिनाई व महंगाई को पृष्ठ भूमि में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा पिछड़ी जाति के छात्रों के लिये चलाये जा रहे छात्रावासों को देय अनुदान के व्यवस्थित करने हेतु राज्य सरकार निम्न आदेश प्रसारित करती है।

छात्रावासों में प्रवास करने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या के आधार पर स्वीकृत खर्च का 90 प्रतिशत तथा निम्नलिखित अधिकतम सीमा में जो भी कम होगा वह अनुदान संस्था को दिया जायेगा।

क्रमांक	श्रेणी	प्रति छात्र प्रति माह अधिनियम अनुदान दरें
1	कक्षा 5 से 8 वीं तक के छात्र/छात्रा	55 रु०
2	कक्षा 9 से 11 वीं तक के छात्र/छात्रा	60 रु०

अनुदान वर्ष में शाला सत्र के समय के लिए अर्थात् दस माह के लिए दिया जायगा। व्यय का पूरा पूरा लेखा-जोखा रखना संस्था के लिए आवश्यक होगा और छात्रावास की सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व भी संस्था का होगा।

अनुदान देने में अन्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

1. अनुदान वर्ष में तीन किश्तों में दिया जावेगा। प्रथम 2 किश्तें गत वर्ष की संबंधित तिमाहियों के वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर अग्रिम रूप में दिया जावेगा जो प्रत्येक अग्रिम किश्त के लिए वर्ष के व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। तृतीय तथा अन्तिम किश्त गत वर्ष के लेखा-जोखा अभिलेखों व उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद अन्तिम समायोजन करके ही दी जावेगी।

यह कुल भुगतान निम्न प्रकार से दिया जावेगा :—

1.	प्रथम किश्त	25 प्रतिशत	माह मई में
2.	द्वितीय किश्त	25 प्रतिशत	माह जुलाई में
3.	तृतीय किश्त	50 प्रतिशत	माह सितम्बर के बाद आडिटेट स्टेटमेंट आदि प्राप्त होने पर।

2. स्वयं सेवी संस्था विभागीय अनुदान एवं एकत्रित किया 10 प्रतिशत चन्दा मिलाकर छात्रों की आवास व भोजन आदि की व्यवस्था करेगी।

3. यदि एक छात्र/छात्रा 3 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है/रहती है तो अनुपस्थिति के दिनों की राशि अनुदान में से काट ली जावेगी ।

4. यदि निदेशक, समाज कल्याण विभाग, को यह विश्वास हो जाता है कि छात्रावास सन्तोषजनक नहीं चल रहा है तो निदेशक, समाज कल्याण विभाग, छात्रावास की मान्यता रद्द कर सकेंगे ।

5. छात्रावास समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे ।

6. यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण 5 वीं कक्षा से नीचे की कक्षाओं के छात्र/छात्रा को छात्रावास में प्रवेश की अनुमति निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है तो उस छात्र/छात्रा के लिये अनुदान 55 रु० प्रति माह प्रति छात्र/छात्रा की दर से दिया जावेगा ।

यह वित्त विभाग व्यय प्रथम (1) की सहमति संख्या 5127 दिनांक 10-12-74 के अन्तर्गत जारी किया जाता है ।

क्षेमसहाय
उप शासन सचिव
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक/एफ 7 (1) स.वि/अनु० छप/स्मेल/74-75/1931-2014 दिनांक 25-1-75

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है :—

1. निदेशक, समाज कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
3. वित्त विभाग (व्यय)
4. उप निदेशक, समाज-कल्याण विभाग, उदयपुर ।
5. उप निदेशक, (पि. आ.) समाज कल्याण विभाग जयपुर ।
6. सहायक निदेशक (व्यय योजना) समाज कल्याण विभाग, जयपुर ।
7. समस्त जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ....
8. मंत्री व्यवसाय ....
....
9. आडिट/बजट/सांख्यकीय/प्रचार प्रशाखा ।

रामकुमार सिंह
सहायक शासन सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

शुद्धि-पत्र

17 मार्च, 1975

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
7	ऊपर से 10	स्कीम्म	स्कीम्स
8	नीचे से 10	पटोनन्ट	पर्टीनेन्ट
14	नीचे से 14–15	आयोग ग्रामोद्योग	ग्रामोद्योग आयोग
20	नीचे से 4	कब मिला ? वित्त मंत्री (स्वायत्त शासन)	कब मिला ? वित्त मंत्री (स्वायत शासन
36	ऊपर से 1,2,3	जांच रिपोर्ट परिशिष्ट संख्या 4 देखिये की प्रति सदन की मेज़ पर रख दी है। (2) जी हां। जांच रिपोर्ट।	(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट संख्या 4 देखिये)
32	नीचे से 13	व्यवसाय	व्यवधान
50	नीचे से 8	पचत्तर	पच्चत्तर
52	नीचे से 15	अपुपस्थित	अनुपस्थित
53	नीचे से 3	भावों	गांवों
57	ऊपर से 6	बार	फार
68	नीचे से 5	जेरजार है।	जेरगौर है और
71	नीचे से 15	नियन	निगम
77	नीचे से 10	ता [illegible] दी	तालिका 'ब' में दी
113	नीचे से 8	पत्र लिखित प्रतिवेदन	पत्र लेखे प्रतिवेदन

1	2	3	4
129	नीचे से 10	कहिथेगा	कहियेगा
147	नीचे से 12	वीघोढ़ी	वीघोड़ी
159	ऊपर से 12	(दीपल्दा)	(पीपल्दा)
189	नीचे से 6	श्री मोलाराम	श्री मालाराम
204	ऊपर से 13	एनश्रोचमेंट	एन्क्रोचमेंट
262	ऊपर से 12	फिर लैन्ड	रिवर बैंड
354	ऊपर से 5	श्राग	श्राज
356	नीचे से 12	जा	जा रहा
358	नीचे से 18	रहे	रखे
359	ऊपर से 1	जयकिशन लाल तोनावाड़ा	श्री जयकिशनलाल तोसा-वड़ा
369	ऊपर से 1	7 मार्च	17 मार्च
390	ऊपर से 13	इक्लेरा	अकलेरा
391	नीचे से 12-15	इक्लेरा	श्रकलेरा
391	नीचे से 7	भी	भी इस
392	नीचे से 12	सपस्य	सदस्य